खण्ड-291, अंक-5
गुरूवार, 28 श्रावण, शक संवत् 1893
(19 अगस्त, 1971 ई0)

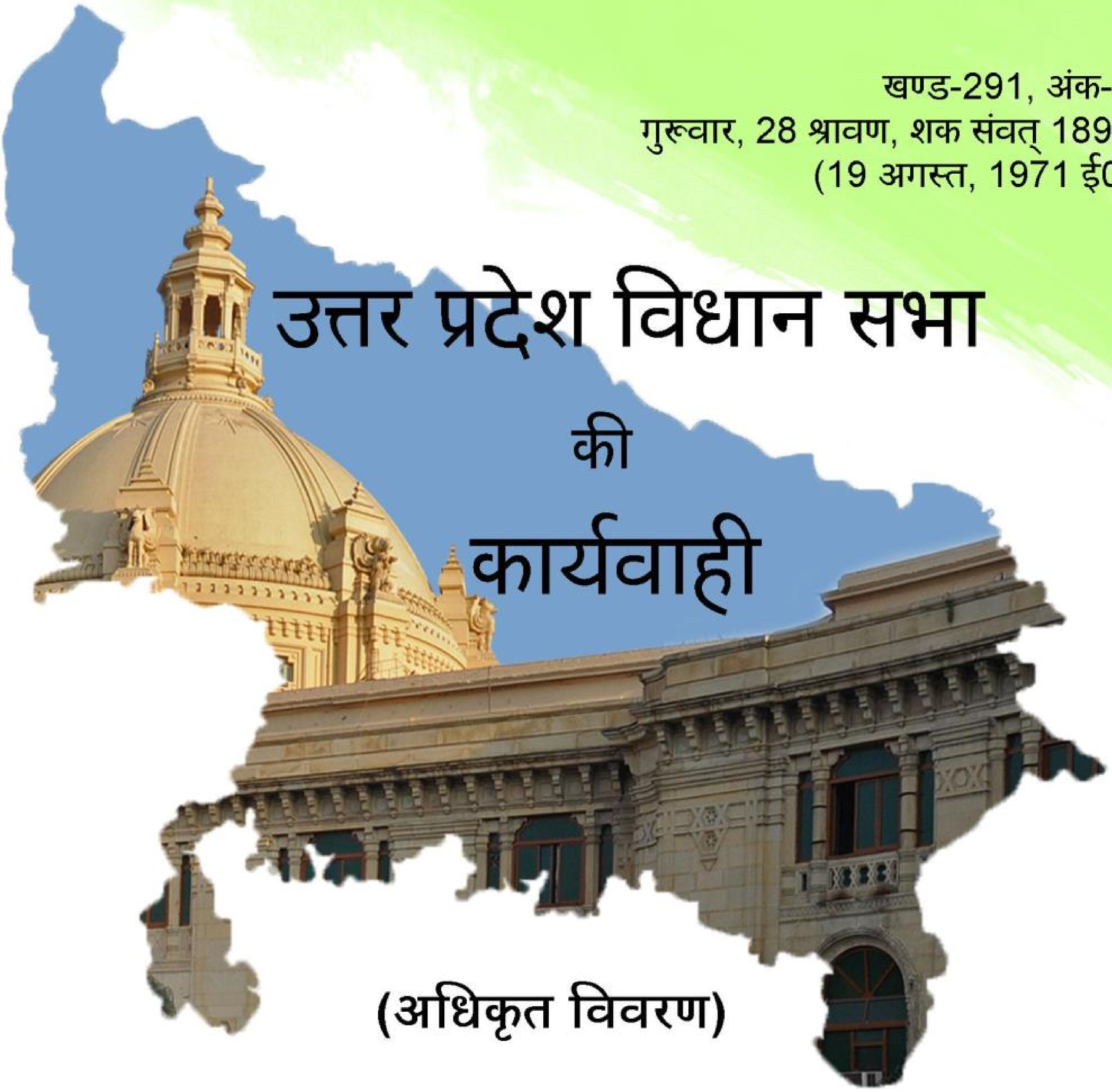

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 291 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९७२

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	५२३–५२७
प्रश्नोत्तर	५२७–५६३
सदस्यों द्वारा श्री सूरेन्द्र विक्रम के तारांकित प्रश्न ६ के सम्बन्ध में जानकारी..	५६४–५७०
श्री वीरेन्द्र वर्मा द्वारा सदन में बोलने का अवसर न मिलने के सम्बध में व्यवस्था का प्रश्न	५७१–५७४
नेता सदन की अनुपस्थिति में उनके स्थान पर कार्य करने वाले मंत्री के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न	५७४
शासक दल के सदस्यों को अनपूरक प्रश्न करने का कम अवसर मिलने के सम्बन्ध में शिकायत	५७४–५७५
कानपुर में बिजली कर्मचारियों की हड़ताल के सम्बन्ध में वक्तव्य की मांग ..	५७५
प्रदेश में मध्यावधि चुनाव होने की सम्भावना के सम्बन्ध में जानकारी ..	५७५–५७६
उत्तर प्रदेश हाई स्कूल तथा इन्टरमीडिएट कालेज (अध्यापकों तथा अन्य कर्मचारियों के वेतन का भुगतान) विधेयक, १९७१ तथा विधान परिषद् द्वारा किये गये संशोधन (सदन के पटल पर रखे गये) ..	५७६–५७७
इलाहाबाद हाईकोर्ट के अन्तर्गत पश्चिम जिले तथा जिला शाहजहांपुर व उसके निकटवर्ती जिले भी लखनऊ हाईकोर्ट बेन्च के अन्तर्गत मिला दिये जाने के सम्बन्ध म याचिका (उपस्थित की गयी)	५७७
उन्नाव से कांथा जाने वाली राजकीय बस में सर्व श्री देश राज सिंह, कृष्ण पाल सिंह की हत्या के सम्बन्ध में नियम ५१ के अन्तर्गत वक्तव्य ..	५७७–५७८
जिला इटावा में हरिजनों से जमीन जबरदस्ती छीने जाने के सम्बन्ध में वक्तव्य की मांग	५७८–५८०
नेशनल फ्लैग के उचित ढंग से न लगने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न ..	५८०
विविध विषय	५८१–५८२
सचिवालय जलपान गृह में सदस्यों को असुविधा होने की शिकायत ..	५८२–५८३
१९७१–७२ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या १९–चिकित्सा, तथा अनुदान संख्या २०—सार्वजनिक स्वास्थ्य (स्वीकृत)	५८३–६२८
कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचनायें	६२८
नियम ५१ के अन्तर्गत सूचनायें	६२८–६२९
उत्तर प्रदेश हाई स्कूल तथा इन्टरमीडिएट कालेज (अध्यापकों तथा अन्य कर्मचारियों के वेतन का भुगतान) विधेयक, १९७१ में विधान परिषद् द्वारा किये गये संशोधनों पर विचारार्थ संशोधन स्वीकृत).. ..	६३०–६३६
ग्राम शोरम, जिला मुजफ्फरनगर के हरिजनों की झोपड़ियों में आग लगाये जाने के विषय में नियम ५२ के अन्तर्गत चर्चा	६३७–६५०
नत्थियां	६५१–६७२

उत्तर प्रदेश विधान सभा

वृहस्पतिवार, १९ अगस्त, १९७१

विधान सभा की बैठक, सभा मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में, अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में अरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य —३७५

अजबसिंह, श्री
अजीत प्रताप सिंह, श्री
अनन्त राम जायसवाल, श्री
अनीसुर्रहमान, श्री
अब्दुल गफ्फार हाशमी, श्री
अब्दुल सलाम शाह श्री
अभिमन्यु प्रसाद पांडेय, श्री
अमरनाथ, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधेश कुमार, श्री
अशफाक अहमद, श्री
अहमदलूत खां, श्री
अहमदुल्ला खां, श्री
आबिद अली, श्री
आशाराम , श्री
आशासिंह, श्रीमती
इन्द्रजीत, श्री
इन्द्रमिण, श्री
इन्द्रलाल, श्री
इम्तियाज हुसैन, श्री
ईश्वर दयाल त्यागी, श्री
उदय नाथ, श्री
उदित नारायण शर्मा, श्री
उपेन्द्रनाथ दीक्षित, श्री
उमाकान्त बाजपेयी, श्री (उर्फ भैया जी)
उमानाथ सिंह, श्री
उमाशंकर शुक्ला, श्री
ऋषिपाल सिंह, श्री
ए० सी० ग्राइस, श्री
ओम प्रकाश सिंह, श्री
कन्हैया लाल, श्री
कन्हैया लाल बाल्मीकी, श्री
कन्हैया लाल सोनकर, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
करनसिंह, श्री
कलारानी मिश्र, श्रीमती
कल्पनाथसिंह, श्री
कल्याण सिंह, श्री
काजी मसूद, श्री
किशन लाल, श्री
कृपा दयाल, श्री
कृष्णकान्त अवस्थी, श्री
कृष्ण चन्द्र शर्मा, श्री
कृष्णदत्त, श्री (उर्फ वलराज)
कृष्ण मगन सिंह, श्री
कृष्णस्वरूप वैश्य, श्री
कृष्णानन्द राय, श्री
केदार नाथ, श्री
केशव चन्द्र सिंह, श्री
केशवराम, श्री (जिला बरेली)
केशोराम, श्री (जिला बदांयू)
के० एस० मोहरिया, श्री
गंगा प्रसाद, श्री (जिला एटा)
गंगा प्रसाद, श्री (जिला गोंडा)
गंगा सिंह यादव, श्री
गजेन्द्र सिंह, श्री
गणेशदत्त बाजपेयी, श्री
गया प्रसाद, श्री
गायत्री देवी, श्रीमती
गिरजा शंकर तिवारी, श्री
गुलाबसिंह, श्री
गोपालदत्त ओझा, श्री

गोविन्द सिंह नेगी, श्री
गोस्वामी राधा कृष्ण, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चंचल सिंह सरदार, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्रनारायण सिंह, श्री
चन्द्रपाल आजाद, श्री
चन्द्रप्रताप नारायण सिंह, कुंवर
चन्द्रभान शर्मा, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्र मणि कान्त सिंह 'जूदेव,' श्री
चन्द्र मोहन सिंह नेगी, श्री
चरणसिंह, श्री
चिरंजीलाल, श्री
चेतराम गंगवार, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जंगबहादुर यादव, श्री
जंगबहादुर सिंह, श्री
जगदम्बा प्रसाद, श्री
जगदीश गांधी, श्री
जगदीश प्रसाद, श्री
जगदीश्वर दयाल, डाक्टर (उर्फ डा० मन्ना)
जगन प्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगरनाथ, श्री
जगवीर सिंह, श्री
जयनारायण सिंह, श्री
जयराम यादव, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जितेन्द्रपाल सिंह, श्री
जे० एन० सिन्हा, श्री
ज्वाला प्रसाद कुरील, श्री
डी० पी० बोरा, श्री
डूंगर सिंह विष्ट, श्री
तिरमल सिंह, श्री
तेज नारायण त्रिवेदी, श्री
तेजपाल सिंह, 'कृष्ण' श्री
तेज बहादुर, श्री
तेजभान सिंह, कुंवर
त्रिलोकचन्द राय, श्री
त्रिवेणी, श्री
त्रिवेणी सहाय, श्री (जिला गोंडा)
दर्लासगार यादव, श्री
दीपनारायण बन, श्री
दीपनारायण मणि त्रिपाठी, श्री
दुर्जन, श्री
दुलारे लाल, श्री
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्र सिंह, कुंवर
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मवीर, श्री
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला मुजफ्फरनगर)
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला मेरठ)
धर्म सिंह, श्री
धूम प्रसाद, श्री
नगीना सिंह, श्री
नत्था राम रावत, श्री
नरेन्द्र सिंहभंडारी, श्री
नरोत्तम सिंह, श्री
नसीम उद्दीन सिद्दीकी, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायण दास, श्री
नित्यानन्द स्वामी, श्री
नेतराम सिंह, श्री
नैनसिंह, श्री
नैपालसिंह, श्री
नौनिहाल सिंहसिंह, श्री
पन्नालाल गुप्त, श्री
परमाईलाल, श्री
पारसनाथ सिंह, श्री
पूरनचन्द, श्री
प्यारी देवी गुप्ता, श्रीमती
प्यारे लाल, श्री
प्रकाश नारायण गुप्ता, डाक्टर
प्रताप नारायण तिवारी, श्री
प्रभाकर त्रिपाठी, श्री
प्रियदर्शी जेटली, श्री
प्रेमचन्द्र शर्मा, श्री
प्रेमनारायण अहेरवार, श्री
फिरंगी प्रसाद विशारद, श्री
बंशगोपाल शुक्ल, श्री
बंशीधर, श्री
बंशीधर पांडेय, श्री
बंशीधर मिश्र, श्री
बच्चा पाठक, श्री
बदनसिंह यादव, श्री
बद्री प्रसाद, श्री
बनारसीराम, श्री
बब्बनसिंह, श्री
बलवीर सिंह, श्री

बसन्त लाल, श्री (जिला जालौन)
बसन्त लाल, श्री (जिला लखनऊ)
बसन्त लाल शर्मा, श्री
बांकेलाल, श्री
बिशन लाल यादव, श्री
बिहारीलाल, श्री
बैजनाथ, श्री (जिला देवरिया)
बैजनाथ, श्री (जिला वाराणसी)
ब्रजराज सिंह, श्री
भगवती सिंह विशारद, श्री
भगेलू सिंह, श्री
भगौती प्रसाद, श्री
भगौती प्रसाद शुक्ल, श्री
भगौती सिंह, श्री
भानु प्रताप सिंह श्री (जिला बरेली)
भानु प्रताप सिंह, श्री (जिला बस्ती)
भाभी यादव, श्री
भारतसिंह चौहान, श्री
भीमा प्रसाद, श्री
मंगल उपाध्याय, श्री
मंजूर अहमद, श्री
मदन मोहन मिश्रा, श्री
मनफूलसिंह, श्री
मनोहरलाल, श्री
मनसाराम, श्री
मलिखान सिंह, श्री
मसाली देवी, श्रीमती
महमूद हसन खां, श्री
महरम सिंह, श्री
महातम प्रसाद तिवारी, श्री
महादेव प्रसाद, श्री
महाबीर सिंह, श्री (जिला सहारनपुर)
महाबीर सिंह, चौहान श्री (जिला अलीगढ़)
महीरजध्वज सिंह, श्री
(उर्फ बाबू भैया)
महीलाल, श्री
महेन्द्र सिंह, श्री (जिला अलीगढ़)
महेश्वरदत्त सिंह, श्री
माखन लाल, श्री
माता प्रसाद, श्री
माधव प्रसाद त्रिपाठी, श्री
मानवती देवी, श्रीमती
मुन्शीलाल चमार, श्री
मुमताज मोहम्मद खां, श्री
मुलतान सिंह, श्री
मुस्तफा कामिल किदवाई, श्री
मुहम्मद नबी, श्री
मेहरबान सिंह, श्री
मैनेजर सिंह, श्री
मोतीलाल देहलवी, श्री
मोतीलाल यादव, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल कपूर, श्री
मोहन सिंह, श्री
मोहम्मद असरार अहमद, श्री
यादवेन्द्र सिंह, श्री (उर्फ लल्लन जी)
रघुनाथ सिंह, श्री (जिला आगरा)
रघुनाथ सिंह, श्री (जिला कानपुर)
रघुनाथ सिंह वर्मा, श्री
रघुबीर सिंह यादव, श्री
रणंजय सिंह, राजा
राजनाथ, श्री
राजपती देवी, श्रीमती
राज बहादुर चन्द, श्री
राजबिहारी सिंह, श्री
राज मंगल पाण्डेय, श्री
राजाराम, श्री
राजितराम पाण्डेय, श्री
राजेन्द्र किशोरी, श्रीमती
राजेन्द्र कुमार शर्मा, श्री
राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजेन्द्र प्रताप सिंह, श्री
राजेश्वर सिंह, श्री
राम अवध, श्री
रामकरन यादव, श्री (जिला गाजीपुर)
रामकरनसिंह, श्री (जिला गोरखपुर)
रामकिंकर, श्री
रामकिशोर शुक्ल, श्री
राम कुंवरसिंह, श्री
रामकुमार दीक्षित, श्री
राम कुमार शास्त्री, श्री
राम कृष्ण द्विवेदी, श्री
रामगोपाल संड, श्री
रामचरण त्रिपाठी, श्री (जिला इलाहाबाद)
रामचरणसिंह, श्री (जिला आगरा)
रामजियावन, श्री
रामजी लाल सहायक, डाक्टर
राम दुलारे, श्री
रामदेव, श्री
रामनिहोर, श्री
रामनिहोर राय, श्री
रामपति, श्री

रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामपाल सिंह, श्री
रामपाल सिंह यादव, चौधरी
रामप्यारे, श्री
रामप्यारे शुक्ला, श्री
राम प्रसाद, श्री
राम प्रसाद देशमुख, श्री
रामबचन, श्री (जिला आजमगढ़)
रानी की सराय)
रामबचन यादव, श्री (जिला आजमगढ़, फूलपुर)
राममूर्ति 'अंचल', श्री
राम रतन पाण्डेय, श्री
राम रतन प्रसाद, श्री
रामलखन, श्री
राम लगन दूबे, श्री
रामलाल चतुर्वेदी, श्री
रामलाल भाई, श्री
राम विलास पाण्डेय, श्री
रामशिरोमणि, श्री
रामसागर, श्री
रामसिंह, श्री
राम सिंह खन्ना, श्री
रामसूरत सिंह, श्री
राम सेवक, श्री
राम हरष मिश्र, श्री
राब अब्दुर्राफे खां, श्री
रियासत हुसन, श्री
रूपनाथ सिंह यादव, श्री
रूपराम, श्री
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लालन शर्मा, श्री
लालबहादुर सिंह, श्री
लालसा, श्री
लालसा प्रसाद, श्री
लालू राम, श्री
लीलाधर, श्री
वशिष्ठ नारायण शर्मा, श्री
वासुदेव, श्री
वासूदेव सिंह, श्री
विक्रम सिंह, श्री
विजय कुमार त्रिपाठी, राजा
विजयपाल सिंह, श्री
विजयबहादुर सिंह, श्री
विजयशंकर सिंह, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विशम्भर सिंह यादव, श्री
विश्रामदास, श्री
विश्वनाथ कपूर, श्री
वीर बहादुर सिंह, श्री
वीरन्द्र कुमार, चौधरी
वीरेन्द्र बर्मा, श्री
शंकर प्रसाद जायसवाल, श्री
शकुन्तला देवी, श्रीमती
शचीन्द्र नाथ बख्शी, श्री
शफीक अहमद खां, श्री
शमीम आलम, श्री
शम्भूनाथ चौधरी, श्री
शम्भूनारायण सिंह, श्री
शान्ती चरण पिड़ारा, श्री
शान्ति देवी, श्रीमती
शान्ति प्रपन्न शर्मा, श्री
शिव कुमार, श्री (जिला शाहजहांपुर)
शिव कुमार पान्डेय, श्री (जिला सुल्तानपुर)
शिव कैलाश, श्री
शिवदास, श्री
शिव प्रसाद पांडिया, श्री
शिववचन, श्री
शिव महेन्द्र सिंह, कुंवर (उर्फ शेरसिंह)
शिवराज सिंह, श्री
शिवलाल, श्री
शिववक्ष सिंह राठौर, श्री
शिवशंकर, श्री
शिवशंकर सिंह, श्री
शिवानन्द नौटियाल, श्री
शीतला प्रसाद सिंह, श्री
शुकरूलाल, श्री
शेर अली खां, श्री
शेर सिंह दानू, श्री
शेष नारायण शुक्ल, श्री
शौनाथ सिंह चौधरी, श्री
श्याम किशोर, डाक्टर
श्यामलाल कनौजिया, श्री
श्यामलाल रावत, श्री
श्याम सुन्दर लाल गुप्त, श्री (उर्फ छन्नू बाबू)
श्रीकृष्ण बाजपेयी, श्री
श्रीनिवास प्रसाद सिंह, राजा
श्रीराम सिंह, श्री
श्रीशचन्द्र, श्री
सईद मुर्तजा, श्री

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सच्चिदानन्द, श्री
सजीवन लाल, श्री
सतीश चन्द्र, श्री
सत्तार अहमद अन्सारी, श्री
सन्तराम, श्री
सन्तूराम, श्री
सरदार सिंह, श्री
सरस्वती टम्टा, श्रीमती
सर्वसुख सिंह, श्री
सिया दुलारी, श्रीमती
सियाराम, श्री
सियाराम गंगवार, डाक्टर
सीताराम, डाक्टर
सुखपाल पांडेय, श्री
सूदामा प्रसाद गोस्वामी, श्री
सुरेन्द्र विक्रम, श्री
सुबेदार प्रसाद, श्री
सूबेदार सिंह, श्री
सूर्यनाथ उपाध्याय, श्री
सेवाराम, श्री
सैयद मुर्तजा अली खां, नवाब
सौभाग्यवती, श्रीमती
स्वामी प्रसाद सिंह, श्री
हंसराज, श्री (उर्फहंसा,)
हबीब अहमद, श्री
हबीबुर्रहमान, श्री
हमीदा हबीबुल्ला, बेगम
हरनारायण, श्री
हरबंश प्रसाद, श्री
हरिनाथ तिवारी, श्री
हरिप्रसाद शाही, डाक्टर
हरिवंश सहाय, श्री
हरिहर बख्श सिंह, राजा
हरीदत्त काण्डपाल, श्री
हरीसिंह विष्ट, श्री
हिम्मतसिंह, श्री
हुकुमसिंह परिहार, श्री (जिला आगरा फतेहाबाद)
हुक्म सिंह, श्री (जिला आगरा, पश्चिम)
होतीलाल अग्रवाल, श्री

नोट:—पंचायती राज मंत्री श्री बलदेव सिंह आर्य तथा श्री पुरुषोत्तमदास टन्डन राज्य सूचना मंत्री भी उपस्थित थे ।

प्रश्नोत्तर

बृहस्पतिवार, १९ अगस्त, १९७१

अल्प सूचित तारांकित प्रश्न

उत्तर प्रदेश चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संघ की महंगाई भत्ते के सम्बन्ध में मांगें

****१—श्री जंगहादुर यादव (जिला जौनपुर)—**

क्या मुख्य मन्त्री कृपया यह बतायेंगे कि दिनांक १३ जून, १९७१ को उत्तर प्रदेशीय चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संघ की तिलक हाल, लखनऊ में हो रहे वार्षिक अधिवेशन में मुख्य मन्त्री ने चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता केन्द्र के कर्मचारियों के बराबर किये जाने तथा वेतन आयोग के निर्णय के पूर्व उन्हें अन्तरिम सहायता देने का आश्वासन दिया था ? यदि हां, तो उसे पूर्ण करने के लिये अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

वित्त राज्य मंत्री (श्री नरेन्द्र सिंह भंडारी)

जी नहीं । किसी कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता ।

श्री जंगबहादुर यादव—

क्या सरकार बतायेगी कि मुख्य मंत्री ने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के अधिवेशन में जो तिलक हाल में हुआ था १३ जून, ७१ को उसमें भाग लिया था ?

श्री नरेन्द्रसिंह भंडारी—

जी हां, भाग लिया था ।

श्री जंगबहादुर यादव—

चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के जो प्रतिनिधि थे उन्होंने कोई मांग-पत्र उनके सामने रखा था ? यदि हां, तो वे क्या मांग थीं ?

श्री नरेन्द्रसिंह भंडारी—

जी हां, मांग-पत्र रखा था और उसमें मुख्यतः १३ मांगे थीं जो शासन के सामने रखी गयी थीं ।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)—

डी० ए० की समानता के बारे में माननीय मुख्य मंत्री ने क्या आश्वासन दिया था ?

श्री नरेन्द्रसिंह भंडारी—

आश्वासन तो नहीं दिया था । इतना कहा था कि हमें सहानुभूति है लेकिन सीमित संसाधनों के कारण हम कुछ इस दिशा में कर नहीं सकते ।

श्री रामगोपाल संड (जिला इलाहाबाद)—

क्या यह सही नहीं है कि मख्य मंत्री जी ने स्पष्ट शब्दों में यह घोषणा की थी कि सरकार बहुत जल्द केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के समान चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को महंगाई भत्ता देगी ?

श्री अध्यक्ष—

उन्होंने स्पष्ट उत्तर दे दिया है ।

श्री रामगोपाल संड—

अखबारों में भी यह बात छपी थी ।

श्री अध्यक्ष—

छपी होगी ।

श्री जंगबहादुर यादव—

क्या चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की एक मांग यह भी थी कि उनको अवकाश के दिन कार्यालय बुलाया जाता है और जो अधिकारी हैं वे बंगले पर भी उनसे काम कराते हैं ?

श्री नरेन्द्रसिंह भंडारी—

जी हां ऐसी मांग भी रही थी और शासन ने अधिकारियों को लिखा है कि घर पर वे कोई काम न लें ।

श्री शम्भूनाथ चौधरी (जिला बलिया)—

सरकार ने कई वर्ष पहले एक परिपत्र भेजा था कि चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों से घर पर निजी कार्य न लिया जाय लेकिन इसके बावजूद भी अधिकारी निजी कार्य लेते हैं तो इसको रोकने के लिये सरकार कौन सी कार्यवाही करन जा रही है ?

वित्त, मंत्री (श्री नारायणदत्त तिवारी)—

जी हां, परिपत्र इस सम्बन्ध में भेजा जा चुका है। लेकिन किन-किन अधिकारियों पर क्या-क्या कार्यवाही की गयी इसका विवरण इस समय हमारे पास नहीं है।

(श्री अध्यक्ष द्वारा प्रश्न संख्या २ लिये जाने पर)

श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)—

एक निवेदन यह करना था कि आपने उधर से प्रश्न पूछने वालों को बुलाना शुरू किया और मैं समझा कि हमको भी समय मिलेगा। मैं बराबर खड़ा होता रहा लेकिन आपने अवसर नहीं दिया। यह चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों का प्रश्न है और एक प्रश्न भी हमारी पार्टी की तरफ से नहीं हो सका।

श्री अध्यक्ष—

७ प्रश्न हो गये।

श्री कृष्णानन्द राय—

आप उधर से लोगों को बुलाते चले आ रहे थे और मैं समझा कि मेरा नम्बर भी आयेगा लेकिन आपने प्रश्न समाप्त कर दिया।

श्री अध्यक्ष—

लाचारी हो गयी।

श्री कृष्णानन्द राय—

हम इसके खिलाफ प्रोटेस्ट करते हैं। यह बहुत ही अन्यायपूर्ण बात है।

श्री शंकरप्रसाद जायसवाल (जिला वाराणसी)—

मैं प्रथम से खड़ा हूं लेकिन आपने मुझे अवसर नहीं दिया।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न संख्या २, माननीय मुख्य मंत्री।

श्री कृष्णानन्द राय—

एक व्यवस्था का प्रश्न है। सरकार तो अपने कर्मचारियों को कुछ नहीं दे रही है, आप भी अपने कर्मचारियों को कुछ नहीं दे रहे हैं। आजकल आप देखें कि विधान सभा का सत्र ७–७, ८–८ बजे तक चल रहा है और विधान सभा के कर्मचारी ३–३, ४–४ घंटे लेट काम कर रहे हैं आप न तो उनको अतिरिक्त परिश्रमिक दे रहे हैं और दरख्वास्त लेकर बैठे हुये हैं। यह कहां तक उचित है कि ६० रुपये महीने पर कौंसिल गार्डस को रखकर देश की जो गरीबी है और भुखमरी है उसके साथ खिलवाड़ आप कर रहे हैं। यह तो मनहूसों की सरकार है, यह तो कुछ नहीं देगे ये तो झूठ आश्वासन देते हैं। हमें तो दुख देते है कि आप भी ऐसा करते हैं। ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर आपने मुझे प्रश्न करने का मौका नहीं दिया।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

आपने पिछले साल कहा था, आश्वासन दिया था कि एड–हाक कुछ देंगे....

श्री शंकर प्रसाद जायसवाल—

आप आखिर इन्हीं लोगों को प्रश्न करने का अवसर क्यों देते हैं ?

श्री अध्यक्ष---

इधर यह भी कहा जाता है कि ३ प्रश्न हों, ७ से ज्यादा न हों और उधर यह भी है कि हम पूछते जायेंगे ।

श्री शंकर प्रसाद जायसवाल---

व्यवस्था का प्रश्न है । जब हम इस प्रश्न पर अनेक बार खड़े हुये. . . . (व्यवधान)

औद्योगिक विकास केन्द्रों की स्थापना

**२---श्री शम्भूनाथ चौधरी---

क्या सरकार राज्य में औद्योगिक विकास की वृद्धि हेतु विकास केन्द्रों की स्थापना करने जा रही है ? यदि हां, तो कहां-कहां, कितने और इस कार्य पर कितना अनुमानित व्यय होगा ?

उद्योग राज्य मंत्री (श्री देवकीनन्दन विभव)---

सरकार इस सुझाव पर विचार कर रही है कि राज्य में डेवलपमेन्ट सेन्टर खोल जाय जिनमें निम्नलिखित विभाग हों :---

१---डिजाइन और रिसर्च विभाग

२---टेस्टिंग लेबोरेटरी विभाग

३---लघु उद्योग धन्धों के लिये विशेष सुविधा देने का विभाग ।

४---प्रशिक्षण विभाग जहां पुस्तकों तथा औद्योगिक पत्रिकाओं द्वारा उद्योग धन्धों की जानकारी प्रदान की जाय ।

अभी सरकार इस प्रश्न पर विचार कर रही है । विकास केन्द्रों के स्थान, उनकी संख्या तथा उन पर होने वाले व्यय के प्रश्न अभी विचाराधीन हैं ।

श्री शम्भुनाथ चौधरी---

क्या मंत्री जी सदन को आश्वासन देंगे कि ऐसे विकास केन्द्र खोलने के संबंध में पूर्व के जो पिछले इलाके हैं उनको प्राथमिकता देने पर विचार करेंगे ?

श्री देवकीनन्दन विभव---

पूर्वी जिलों का तो हम विशेष ध्यान हमेशा ही रखते हैं और जहां पर कि छोटे उद्योग-धंधों का अधिक उपयोग हो उद्योग सेंटर वहीं कर सकते हैं । तो इसका तो ख्याल रखा जायगा ।

श्री नित्यानन्द स्वामी---

क्या उद्योग मंत्री बतायेंगे कि छोटे उद्योग-धंधों का बड़ा भारी केन्द्र देहरादून है तो वहां एक इकाई स्थापित करने की कृपा करेंगे ?

श्री देवकीनन्दन विभव---

मैंने तो यह कहा है कि स्थानीय कितना व्यय होगा उसके सारे विस्तार पर विस्तृत रूप से इस योजना पर विचार हो रहा है । मैं अभी पंजाब में गया था, वहां से जो विचार करके एक योजना रखी है उस पर विभाग परीक्षण कर रहा है और उसके बाद जब पूरा निश्चित हो सकेगा तो यह सब सूचनायें दे सकूगा कि कहां-कहां होंगे ।

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टिहरी-गढ़वाल)--

क्या मंत्री जी आश्वासन देने की कृपा करेंगे कि जब योजनाओं का चयन करेंगे तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि कच्चा माल जहां उपलब्ध हो सकता है, मसलन पर्वतों के अन्दर वनों का माल है, तो वहां पर केन्द्र खोलने की कृपा करेंगे ?

श्री देवकीनन्दन विभव--

अवश्य, इन सब बातों का ध्यान रखा जायगा ।

श्री चन्द्रमोहन सिंह नेगी (जिला गढ़वाल)--

क्या मंत्री जी प्रदेश में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कारपोरेशन और यू० पी० फायनेंश्यल कारपोरेशन की भी ब्रांचेज खोलने का इरादा रखते हैं ? यदि हां, तो कहां पर ?

श्री देवकीनन्दन देवरिया--

अभी विचार किया जा रहा है कि कहां-कहां खोलें और विस्तार करने का हमारा विचार है ।

श्री रामधारी शास्त्री (जिला देवरिया)--

क्या माननीय मंत्री जी आश्वासन देंगे कि जब इन केन्द्रों की स्थापना करेंगे तो पूर्वी जिलों के अन्तर्गत पटेल आयोग की सिफारिशों को ध्यान में रखेंगे ?

श्री देवकीनन्दन विभव--

अवश्य विचार किया जायगा ।

श्री शम्भूनाथ चौधरी--

क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि क्या ऐसा एक ही विकास केन्द्र होगा या एक ही विकास केन्द्र में समान उल्लिखित विभाग समाहित होंगे ?

श्री देवकीनन्दन विभव--

यह जो योजना है एक नियोजित योजना है, उसी रूप में इससे ज्यादा सुविधा मिल सकती है । इसको अलग-अलग विभाजित कर देने से ज्यादा फायदा नहीं मिल सकेगा । इसलिये एक ही जगह सब विभागों को खोलना जरूरी है और उसी से पूरा लाभ मिल सकता है ।

श्री शिवराज सिंह (जिला बदायूं)--

क्या माननीय मंत्री जी इस बात को देखते हुये कि उत्तर प्रदेश का टेक्नो-एकोनामिक सर्वे १० वर्ष पूर्व हुआ था, अतः इस प्रकार की अभी योजना बनाने से पूर्व क्या वे प्रदेश का टेकनीकल इन्डस्ट्रियल सर्वे कराने की कृपा करेंगे ?

श्री देवकीनन्दन विभव--

हम हर जिले का सर्वे करा रहे हैं, प्रदेश का सर्वे तो स्वतः ही हो जायगा ।

श्री शम्भूनाथ चौधरी--

क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि वर्तमान समय में उन्होंने खाका तो बनाया ही होगा कि उनका कितने विकास खंड खोलने का इरादा है ?

श्री देवकीनन्दन विभव--

चूंकि इस प्रकार के विकास केन्द्रों में काफी पैसा लगेगा इसलिये जितना पैसा हमें उपलब्ध होगा उसके अनुसार हम उसको देखेंगे । लेकिन ऐसा ख्याल है कि एक विकास केन्द्रों पूर्वी जिलों में खोला जायगा और एक विकास केन्द्र पश्चिमी जिलों में ।

श्री शंकर प्रसाद जायसवाल—

क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि जो आपकी विकास केन्द्र खोलने की योजना है उसके अन्तर्गत वाराणसी के जो लघु उद्योग हैं, जो समाप्त प्रायः होने जा रहे हैं और जिससे लाखों व्यक्ति बेकार होने वाले हैं, क्या उनके बारे में भी मंत्री जी विचार करेंगे कि वहां कोई केन्द्र खोला जाय या उसके बारे में माननीय मंत्री जी ने कोई योजना सोची है ? यदि हां, तो वह क्या है ?

श्री देवकीनन्दन विभव—

ये सब बातें विचाराधीन हैं । शीघ्र ही निर्णय लेंगे ।

आई० सी० एस० तथा पी० सी० एस० अधिकारियों को मुख्यालय तथा सचिवालय एलाउन्स

**३—श्री प्यारे लाल—

क्या सरकार यह बतायेगी कि सचिवालय में तैनात सभी आई० सी० एस० तथा पी० सी० एस० अधिकारियों को मुख्यालय अथवा सिक्रेटेरियट एलाउन्स दिया जाता है ? यदि हां, तो यह धनराशि प्रत्येक माह किस दर से और किस शासनादेश (जी० ओ०) के आधार पर दी जाती है ? क्या सरकार जी० ओ० की एक प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी और यह भी बतायेगी कि सचिवालय के अन्य सभी कर्मचारियों को यह भत्ता न दिये जाने का क्या कारण है ?

नियोजन उप-मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र शर्मा)—

सचिवालय में तैनात आई० सी० एस०, आई० ए० एस० तथा पी० सी० एस० अधिकारियों को कोई मुख्यालय या सेक्रेटेरियट अलाउंस नहीं दिया जाता बल्कि विशेष वेतन दिया जाता है जिसकी दरें तथा शासकीय आदेश का संदर्भ संलग्न तालिका में दिया गया है । आई० सी० एस०, आई० ए० एस० के उन अधिकारियों को, जिनको सुपर टाइम वेतन मिलता है, कोई विशेष वेतन नहीं दिया जाता । सम्बन्धित आदेशों की एक-एक प्रतिलिपि सदन की मेज पर रख दी गई है ।

समान पदों पर सचिवालय सेवा के कर्मचारियों को विशेष वेतन इसलिये नहीं दिया जाता क्योंकि उनका वेतन-क्रम ही उनके कार्य तथा उत्तरदायित्व को दृष्टि में रखकर निर्धारित किया गया है ।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ६५१ पर)

श्री प्यारे लाल—

क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि उन्होंने बताया कि समान पदों पर सचिवालय सेवा में कर्मचारियों को विशेष वेतन इसलिये नहीं दिया जा रहा है क्योंकि उनका वेतन-क्रम ही उनके उत्तरदायित्व को देखकर निर्धारित किया गया है तो क्या आई० सी० एस०, आई० ए० एस० और पी० सी० एस० वालों का वेतन उनके उत्तरदायित्व को देखते हुये निश्चित नहीं किया जाता है ?

श्री कृष्णचन्द्र शर्मा—

सचिवालय में जो प्रोन्नत अधिकारी हैं उन्होंने स्वयं यह मांग की थी कि सन् ४७ तक जो उनको स्पशले पे मिलती थी उसको वेतन में अमलगमेट कर दिया जाय । अतः साचिवालय म प्रोन्नत अधिकारियों का वेतन उनक कहने के अनुसार ही निर्धारित किया गया है । जितने आई० ए० एस०, आई० सी० एस० और पी० सी० एस० अधिकारी यहां पर आते हैं वे एक निश्चित अवधि के लिये आते हैं और जब यहां से चले जाते हैं तो इनका जो बेसिक स्केल और सैलरी है वह जिलों और कमिश्नरियों में इन्हें प्राप्त होती है ।

श्री विश्वनाथ कपूर (जिला फैजाबाद)—

क्या सरकार जी० ओ० की एक प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगी ? वह जी० ओ० उत्तर में तो दिया नहीं गया तो कम से कम उसको पढ़ ही दें ?

श्री अध्यक्ष—

वह सदन की मेज पर है । आप देखना चाहें तो देख लें ।

श्री विश्वनाथ कपूर—

वह पढ़ कर सुना दें । तालिका और राजाज्ञा के संदर्भ का हवाला दिया है । तो वह जी० ओ० भी पढ़ कर सुना दें ।

श्री अध्यक्ष—

जी० ओ० अंग्रेजी में है । आप पढ़ कर सुना दें ।

(नियोजन राज्य मंत्री) श्री ओम प्रकाश सिंह—

आपकी आज्ञा से मैं उसे पढ़ कर सुना रहा हूं ।

"From

G. L. SAHU,

Officer on Special Duty at the Headquarters
of U. P. Government.

To

All Commissioners of Divisions.
All Secretaries to Government, U. P.
All District Magistrates and
All other Heads of Departments, U. P.

Appoitment (A) Depart.

Dated Lucknow, March 28, 1966.

Subject : **Introduction of new scales of pay on the recommendations of the U. P. Pay Rationalisation Committee 1964-65 U. P. Civil Service (Executive Branch).**

SIR.

WITH reference to sub-para 2 of para 1 of Government resolution no. G-1-1474/X—137-1965, dated July 29. 1965 read with G. O. bearing the same number and date and resolution no. G-6413/X, dated February 28, 1966.....

श्री वीरेन्द्र वर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)—

आप के पास भी यह जी० ओ० होगा, तो इस प्रकार से पढ़ दें जिससे जो समय इसमें लग रहा है यह बच सके । सुनाई तो नहीं दे रहा है कि क्या पढ़ रहे है । जरा जोर से पढ़ दें ।

श्री ओम प्रकाश सिंह—

"I am directed to say that the Governor has agreed to sanction with effect from the date of....."

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)—

यह अंग्रेजी पढ़ी जा रही है या हिन्दी ?

श्री अध्यक्ष---

ओरिजिनल अंग्रेजी में है ।

श्री कल्पनाथ सिंह--

तो श्रीमान् जरा न्याय करवा दीजिए । इसी सरकार के आदेश हैं किसी दूसरे के नहीं है । यह अंग्रेजी में क्यों पढ रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष---

आप जरा संक्षेप में हिन्दी में तात्पर्य बता दीजिये ।

श्री जोम प्रकाश सिंह---

माननीय सदस्य ने कहा था कि इसको पूरा पढ़ा जाय इसीलिए मैंने पढ़ना शुरू किया था । जी० ओ० अंग्रेजी में है ।

श्री कृष्णानन्द राय---

हिन्दी में पढ़ दें ।

श्री अध्यक्ष---

हिन्दी में नहीं है ।

श्री विश्वनाथ कपूर---

संक्षेप में हिन्दी में बता दें कोई हर्ज थोड़े ही है ।

श्री कृष्णचन्द्र शर्मा--

इसका संक्षेप यही है कि ये आई० सी० एस०, आई० ए० एस० और पी० सी० एस० अधिकारी जब यहां पर पोस्टेड रहेंगे तो उनको स्पेशल पे मिलेगी । इसका संक्षेप यही है ।

श्री विश्वनाथ कपूर---

चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों और आई० सी० एस०, पी० सी० एस० के वेतन में इतना अन्तर है, तो उसको देखते हुए जो स्पेशल एलाउन्स देते हैं उसको बन्द करने पर विचार करेंगे ?

श्री कृष्ण चन्द्र शर्मा---

अभी ऐसा कोई विचार नहीं है ।

श्री प्यारे लाल--

इन आई० सी० एस०, आई० ए० एस० और पी० सी० एस० अफसरों को विशेष वेतन के अलावा और क्या-क्या सुविधायें मिलती हैं ?

श्री कृष्ण चन्द्र शर्मा---

इसके लिये तो नोटिस की जरूरत है। स्पेशल पे का मामला था, वह बता दिया ।

श्री रामगोपाल संड (जिला इलाहाबाद)---

इस बात को ध्यान में रखते हुए कि यह सरकार छोटे लोगों को ऊपर उठाना चाहती है इस स्पेशल एलाउन्स को समाप्त करके जो तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों में हीनता की भावना आती है उसको समाप्त करने के लिये सरकार इनकी हालत सुधारने जा रही है या नहीं ?

श्री कृष्णचन्द्र शर्मा---

मान्यवर, यह जो स्पेशल अलाउन्स है यह आब्लीगेटरी है यह स्टेट गवर्नमेंट को देना होगा और इसीलिये यह उनको दिया जा रहा है, जब तक कि इन नियमों में कोई परिवर्तन नहीं होता वह दिया जायगा ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)--

यह देखते हुये कि आई० सी० एस०, आई० ए० एस० और पी० सी० एस० लोग जो लखनऊ में नियुक्त हैं उनको स्पेशल अलाउन्स दिया जाता है तो क्या सरकार ऐसा कोई नियम बनायेगी या उसका कड़ाई से पालन करेगी कि अन्य योग्य अधिकारियों को भी वैसी ही सुविधा मिले और जो पहले से नियम है उसके अनुसार कोई यहां ३ साल से अधिक न रखा जाय क्या सरकार कड़ाई से इस पर अमल करेगी ?

श्री कृष्ण चन्द्र शर्मा--

इस पर विचार करेंगे ।

इण्डियन एक्सप्लोसिव लिमिटेड पनकी, कानपुर आई० सी० आई० की सहायक शाखा

**४--श्री चन्द्रभान शर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इंडियन इक्सप्लोसिव लिमिटेड, पनकी, कानपुर का खाद्य उत्पादन कारखाना ब्रिटिश फर्म आई० सी० आई० की सहायक शाखा मात्र है या एक अलग औद्योगिक संस्थान है ?

श्री देवकीनन्दन विभव--

सर्वश्री इन्डियन एक्सप्लोसिव्स लिमिटेड आई० सी० आई० की सहायक शाखा मात्र है ।

श्री चन्द्रभान शर्मा--

क्या सरकार को मालूम है कि आई० ई० एल० कानपुर जो है वह ब्रिटिश फर्म आई० सी० आई० कलकत्ता की शाखा है जो कि कानपुर का उनका फर्टिलाइजर प्लान्ट है, उसमें १२ प्रतिशत सेन्ट्रल गवर्नमेंट के शेयर्स हैं ?

श्री देवकी नन्दन विभव--

जी हां, उसमें भारत सरकार के भी शेयर हैं लेकिन अधिकांश शेयर्स आई० सी० आई० के हैं ।

श्री वीरेन्द्र वर्मा--

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सरकार का इस उद्योग पर किस प्रकार का नियंत्रण है और क्या प्रादेशिक सरकार का भी उसमें कोई शेयर है ? यदि है तो कितना ?

श्री देवकी नन्दन विभव--

इसमें ८ डायरेक्टर मैनेजमेंट के हैं, ६ आई० सी० आई० के हैं और २ सरकार के और पब्लिक के हैं । जो सरकार के हैं इस में साढ़े १७ प्रतिशत इक्विटी स्ट्रक्चर का भाग है ।

श्री अध्यक्ष--

कैपिटल साढ़े १७ प्रतिशत है ?

श्री देवकी नन्दन विभव--

जी हां ।

श्री चन्द्रभान शर्मा--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि आई० सी० आई० कलकत्ता की लेबर विरोधी नीतियों के कारण कुछ माह पहले पनकी में हड़ताल हुई थी और तालाबन्दी हुई और उसके कारण वहां पर दस लाख रुपया योजना का नुकसान हुआ था ?

श्री देवकी नन्दन विभव--

यह तो थोड़ा सा पृथक प्रश्न है, इसकी सूचना हमारे पास इस समय नहीं है ।

श्री चन्द्रभान शर्मा--

क्या सरकार को मालूम है कि कलकत्ता और दिल्ली आई० ई० एल० कानपुर के नाम से जायदाद और बिलडिंग्ज खरीद की हैं, आई० सी० आई० के लोगों के लिये व्यवस्था की गई है और उनके रख रखाव, फोन और बिजली आदि का खर्च आई० ई० एल० कानपुर के नाम पड़ता है ?

श्री देवकी नन्दन विभव--

इस संस्था में ज्यादातर आई० सी० आई० के शेयर हैं, वे भारत सरकार के हैं, हमारा उसमें कोई शेयर नहीं है इसलिये ज्यादा भीतरी डिटेल की बातों पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है ।

श्री वीरेन्द्र वर्मा--

जो गम्भीर आरोप श्री चन्द्र भानु शर्मा ने अभी इस फर्क पर लगाये हैं उनको देखकर और इसको देखकर कि १७ १/२ प्रतिशत शेयर भारत सरकार के हैं और चूंकि यह कारखाना हमारे प्रदेश में है इसलिये क्या सरकार तमाम शिकायतों की छानबीन करके इन तथ्यों को भारत सरकार के नोटिस में लायेगी ?

श्री देवकी नन्दन विभव--

मालूम कर लेंगे और सूचना भारत सरकार को पास कर देंगे ।

श्री गोविन्द सिंह नेगी--

जैसा कि मंत्री जी ने बताया इस फैक्ट्री में ज्यादा गड़बड़ी पायी जाती है तो इस चीज को देखते हुये क्या प्रदेशीय सरकार भारत सरकार को लिखेगी कि वे या तो ,५१ प्रतिशत शेयर खरीद लें या इस कम्पनी को टेक ओवर कर लें ?

श्री देवकी नन्दन विभव--

श्रीमन्, इस विषय पर इस नुक्तेनजर से विचार नहीं हुआ है ।

श्री त्रिवेणी सहाय--

श्रीमन्, इस फैक्ट्री में जो खाद पैदा होता है, वह उत्तर प्रदेश में न मिल कर मद्रास और दक्षिण के अन्य प्रदेशों को चला जाता है । तो क्या माननीय मंत्री जी इस बात की जांच करायेंगे कि पिछले ५ महीनों में कितना खाद उत्तर प्रदेश में सप्लाई हुआ और कितना बाहर भेजा गया ?

श्री देवकीनन्दन विभव--

इस कारखाने में ४ लाख ५० हजार टन यूरिया पैदा होता है जिसके वितरण पर प्रदेशीय सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है लेकिन हम यह देखते हैं कि हमारे यहां जितने माल की आवश्यकता है, वह पूरी हो ।

श्री त्रिवेणी सहाय--

इस फैक्ट्री में जो अधिकारी लोग हैं वे अधिकतर मद्रास के हैं पर यह मिल उत्तर प्रदेश में लगा हुआ। इसलिये अधिकतर खाद की सप्लाई इस प्रदेश में करना चाहिये लेकिन इसके बावजूद भी यह दक्षिण के प्रान्तों को भेज दिया जाता है, ऐसा क्यों है ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

तारांकित प्रश्न

(उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम २९(४) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न)

*१--श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा--

[७वें बुधवार के लिये स्थगित]

श्री राजेन्द्रकुमार शर्मा--

श्रीमन्, प्रश्न १ सरकार को २१ जुलाई, को दिया गया था। आज एक महीने के लगभग हो गया है परन्तु इसे ७ वें गुरुवार के लिये स्थगित कर दिया गया है। यह जो सरकार की ओर से प्रश्नों के उत्तर देने में ढिलाई बरती जा रही है, इसके लिये आप व्यवस्था दें ?

श्री अध्यक्ष--

१५ दिन का समय तो मांग ही सकते हैं।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

श्रीमन्, हमारे माननीय सदस्य ने यह प्रश्न आपके सामने रखा है। इस प्रश्न में केवल यह पूछा है कि क्या शिक्षा विभाग को कोई नोटिस दिया गया है। तो प्रश्न केवल इतना था कि क्या यह नोटिस उनको मिला या दफ्तर से गायब हो गया। समय लेने के लिये कोई कारण होना चाहिये। इस मामले में आप व्यवस्था दें कि इसमें कोई कारण नहीं है कि समय लिया जाय ?

श्री अध्यक्ष--

यह सरकार को २१ जुलाई को भेज दिया गया था...

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

उनको नोटिस मिला या नहीं मिला, यह साधारण सा प्रश्न था। इसमें कोई सूचना भी नहीं मंगानी थी लेकिन यह बड़े दुख की बात है कि विभाग की ढिलाई या मंत्रालय की ढिलाई के कारण ये प्रश्न टाले जाते हैं।

श्री अध्यक्ष--

इस संबंध में जो सरकार का पत्र प्राप्त हुआ है वह इस प्रकार है, 'उपर्युक्त विषय पर आपका पत्र संख्या. ..दिनांक....मुझे यह निवेदन करने का आदेश हुआ है कि इस प्रश्न का उत्तर देने के लिये जो अपेक्षित सामग्री है, वह सचिवालय में उपलब्ध नहीं है इसलिये सामग्री अधीनस्थ कार्यालय से मंगायी जा रही है'।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

श्रीमन्, आप देखें कि क्या यह उत्तर उचित है। क्या कोई कारण दिया गया जिससे आपको संतोष हो ?

श्री अध्यक्ष--

नियमों में यह स्पष्ट लिखा है कि सरकार १५ दिन के लिये समय मांग सकती है, तो वह दे दिया गया है ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी---

श्रीमन्, क्या सरकार की मांग उचित है या नहीं, यह निर्णय आपको देना है । कितना समय मांगा है, क्या आप इसके औचित्य को नहीं देखेंगे ?

श्री अध्यक्ष--

यह कार्य दफ्तर से होता है, सीधे ।

श्री वीरेंद्र वर्मा--

श्रीमन्, यह प्रश्न अल्पसूचित प्रश्न था । जिस कारण से ऐसा था सरकार के पास इसकी सूचना हुयी होगी । जब नोटिस आया तो अल्पसूचित प्रश्न से इसको तारांकित कर दिया गया । इसको सरकार के पास भेजे हुए भी एक माह हो गया है ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

यह सब काम धीरे-धीरे होता गया, इसीलिये सरकार की ओर से इसका जवाब नहीं दिया गया ।

श्री सुखपाल पांडेय (जिला बस्ती)---

यह हमेशा की परम्परा है । इसमें व्यवस्था द कि जो अहम मसला होता है जिसमें सरकार संबंधित होती है, गबन होता है या कोई ऐसा सवाल पैदा होता है उसको विस्तृत कहकर टाल देते हैं । टालू मिकश्चर वाली परम्परा कब तक कायम रखेंगे ?

श्री अध्यक्ष--

आप फाइल देख सकते हैं । फाइल दिखा दूंगा ।

सीतापुर डिवीजन के सुमरावां ब्रांच पोस्ट आफिस के पोस्ट मास्टर के विरुद्ध मुकदमा

*२---श्री राम लाल राही (जिला सीतापुर), श्री जितेन्द्र पालसिंह (जिला मुरादाबाद) तथा श्री छेदा लाल चौधरी (जिला खीरी)---

क्या मुख्य मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि थाना बिसवां, जिला सीतापुर में दिनांक १६ जुलाई, १९६३ को मुकदमा इजराय नम्बर ११९, धारा ४२०/४०९ ताजीरात हिन्द की एक रिपोर्ट, सुमरावां ब्रांच पोस्ट आफिस डिवीजन सीतापुर के ब्रांच पोस्ट मास्टर के विरुद्ध दर्ज कराई गई थी । जिसके आधार पर पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार किया था । बाद उक्त केस में पुलिस ने फाइनल रिपोर्ट दिनांक १५ जून, १९६९ को लगा दी । यदि हां, तो फाइनल रिपोर्ट किस आधार पर लगाई गई ?

गृह उपमंत्री (श्री राम कृष्ण द्विवेदी)--

सीतापुर डिवीजन के सुमरावां ब्रांच पोस्ट आफिस के ब्रांच पोस्ट मास्टर के विरुद्ध थाना बिसवां पर दिनांक १६-७-६२ को अपराध संख्या ११९ धारा ४२० ४०९ भा०दं० वि० के अन्तर्गत मुकदमा दर्ज हुआ था । अपराधी को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया था । मुकदमों की जांच १५-६-६९ को नहीं बल्कि १५-६-६४ को अंतिम रिपोर्ट लगा कर समाप्त की गई जिसका कारण यह था कि बार-बार लिखे जाने के बाद भी डाक विभाग से इस मुकदमें से संबंधित पत्रादि नहीं प्राप्त हुए ।

श्री छेदी लाल चौधरी--

माननीय मंत्री जी ने जो उत्तर दिया है कि बार-बार लिखे जाने के बावजूद भी पत्रादि नहीं मिले । मैं जानना चाहता हूं माननीय मंत्री जी से कि आई० ओ० (तफतीश कुनिन्दा) कम-मांगे । कह कर, लिखकर मांगे या जुबानी । नहीं मिले, तो क्या सुपरिन्टेन्डेन्ट आफ पुलिस या पी० एम० जी० को कोई शिकायत की कि कागजात नहीं दिये जा रहे हैं ?

श्री रामकृष्ण द्विवेदी--

विभाग का अर्थ है विभाग के उच्चाधिकारी से कागजात की मांग की गई लेकिन जब कागजात के लिये विवश हो जाना पड़ा तो मजबूरन फाइनल रिपोर्ट लगानी पड़ी ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस संबंध में पोस्ट आफिस के उच्चाधिकारी को कब लिखा गया और उन्होंने उत्तर क्या दिया ?

श्री रामकृष्ण द्विवेदी--

इसी अवधि में कई बार लिखा गया विस्तृत उत्तर के लिये विस्तृत सूचना की आवश्यकता है ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

मान्यवर, उन्होंने क्या उत्तर दिया यह तो बतायें ?

श्री रामकृष्ण द्विवेदी--

मान्यवर, उसके लिये कोई उत्तर आया ही नहीं ।

श्री कृष्ण अवस्थी--

श्रीमन्, जो रिपोर्ट दर्ज की गई वह रिपोर्ट क्या है?

श्री रामकृष्ण द्विवेदी--

मान्यवर, रिपोर्ट इस प्रकार है।

श्री सिपाहीलाल पुत्र श्री सीताराम ब्राह्मण, निवासी ग्राम व पोस्ट सुमरावां, थाना बिसवां, जिला सीतापुर जो कि जून १९६२ में शाखा डाकपति सुमरावां के पद पर काम करते थे वे सरकारी रकम मु० चार सौ (४०० रु०) गबन करके खा गये हैं । ऐसा अनुमान है । केस का विवरण निम्नलिखित प्रकार से है ।

उपरोक्त श्री सिपाही लाल ने एक मनीआर्डर आर०एस० १८० का बनाम मैनेजर सेट्रल कोआपरेटिव बैंक बिसवां ब्रांच आफिस रसीद नं० ३५ दिनांक 15-6-62 के अन्तरगत इजार किया इस मनी अर्डिर के भेजने वाले श्री रामजीवन मिश्र, सरपंच सघन सहकारी संघ अन्तर्गत सकरन वही हैं । मनी आर्डर रसीद के दो भाग होते हैं । एक भाग जो किताब में लगा रहता है जो कि मुसन्ना (काउन्टर फाइल) कहा जाता है तथा दूसरा भाग (रसीद) मनी आर्डर भेजने वाले को दिया जाता है । श्री सिपही लाल ने मुसन्ना (काउन्टर भाग) नं० ३५ ठीक भरा और आर०एस० १८० शामिल सरकारी हिसाब कर लिया । परन्तु रसीद मनी आर्डर भेजने वाले को (श्री रामजीवन मिश्र) नहीं दी उनको कोई बहाना बता दिया होगा इस प्रकार रसीद नं० ३५ सादी रही और जिसको सिपाही लाल ने अपने अधिकार में ही रखा ।

१६-६-६२ को श्री कन्नू राम यादव, सरपंच, सघन सहकारी समिति.....

श्री अध्यक्ष—

क्या आप पूरा पढ़ेंगे ?

श्री राम कृष्ण द्विवेदी—

अब आप मान्यवर, इनसे पूछिये ।

श्री राज मंगल पांडेय (जिला देवरिया)—

पुलिस को खुद ही अधिकार है कि अगर कोई डिपार्टमेंट पेपर्स न दें तो वह उन पेपर्स को सीज कर ले और अगर वे गवाही न देना चाहें तो उनके बयान लेने की कार्यवाही करें । मैं यह जानना चाहता हूं कि इस संबंध में क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

यह बहुत पुराना प्रश्न हो चुका है इसलिये पूरी जानकारी तो नहीं है वैसे यह लिखा हुआ है कि पुलिस ने हर संभव प्रयत्न किया कि यह केस आगे बढ़े । पोस्टल डिपार्टमेंट से कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुयी । इस कारण केस में फाइनल रिपोर्ट लगा दी गयी ।

श्री हिम्मत सिंह (जिला बुलन्दशहर)—

इस केस की रिपोर्ट थाने में दर्ज करायी गयी और जिस आदमी को मनी आर्डर मिलना था वह नहीं मिला । ब्रांच पोस्ट मास्टर के खिलाफ सबूत पूरा था और उनके विरुद्ध ४०९ का केस बन गया था । सफाई अगर कुछ देनी थी तो ब्रांच पोस्ट मास्टर को ही देनी थी । मेरी समझ में नहीं आता है कि फिर फाइनल रिपोर्ट क्यों लगा दी गयी ?

श्री राम कृष्ण द्विवेदी—

तथ्य यह है कि विभाग की नीयत किसी गलत आदमी को छोड़ने की नहीं थी । यही कारण है कि उन्हें २३-७-६३ को गिरफ्तार किया गया और २४-७-६३ जेल भेज दिया गया । काफी दिनों तक इस केस की छानबीन होती रही और इस बीच अभियुक्त ने १८० रु० इंस्पेक्टर, पोस्टल डिपार्टमेंट के पास जमा कर दिये, लेकिन फिर भी विभाग ने इस केस में उदासीनता नहीं बरती । वे बराबर छानबीन करते रहे, परन्तु कुछ प्राप्त नहीं हो सका । २६-७-६३ को जूडिशियल आफिसर के यहां केस गया और अन्त में ए०डी० एम (जे०) के यहां पहुंचा । इतना होने के पश्चात् ही फाइनल रिपोर्ट स्वीकृत हुयी । विभाग ने कोई उदासीनता नहीं दिखायी ।

श्री रियासत हुसेन (जिला मुरादाबाद)—

क्या मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जब पोस्टल डिपार्टमेंट से कागजात नहीं मिल पा रहे थे तो पुलिस विभाग के किसी गजटेड आफिसर ने पोस्टल डिपार्टमेंट के किसी उच्च अधिकारी से कांट्रेक्ट किया था ?

श्री हबीबुर्रहमान (जिला आजमगढ़)—

श्रीमन्, इधर भी ध्यान दें ।

श्री ओम प्रकाश सिंह—

जैसा कि मैंने निवेदन किया यह काफी पुराना केस है और इतना ही लिखा हुआ है कि हमने सतत प्रयत्न किया और पोस्टल डिपार्टमट से सम्पर्क भी स्थापित किया परन्तु उनकी तरफ से कोई रैसपांस नहीं हुआ ।

श्री राजमंगल पांडेय—

मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि अगर विभाग अपनी गलती को और गलत कारनामों को छिपाने की कोशिश करता है तो क्या पुलिस को यह अधिकार नहीं है कि वह आगे कार्यवाही करें ?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

मैंने निवेदन किया है कि पूरी कार्यवाही की गयी और कोई ढील नहीं बरती गयी ।

*३—श्री राम निहोर राय—

[पुनरावृत्ति के कारण निरस्त ।]

*४—श्री वीरेन्द्र वर्मा—

[७वें गुरुवार के लिये स्थगित ।]

बहराइच से गोंडा जाने वाली पैसेन्जर ट्रेन में यात्रियों के माल की लूट

*५—श्री गंगा प्रसाद (गोंडा) तथा श्री केदार नाथ (जिला बहराइच) (अनुपस्थित)—

क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि दिनांक ६/७ जुलाई, १९७१ ई० को जनपद गोंडा में बहराइच से जो सवारी गाड़ी गोंडा जाती है रात के लगभग १० बजे गोंडा के करीब कुछ नवयुवक डाकुओं ने यात्री ट्रेन को लूट लिया है और यात्रियों के कई हजार रुपया नकद तथा सामान लूट ले गये ? यदि हां, तो इस संबंध में कितने व्यक्ति पकड़े गये, उनके नाम तथा पता क्या है ?

मुख्य मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)—

दिनक ६/७/७१ की रात में बहराइच से गोंडा आने वाली पैसेंजर गाड़ी में बनगाई स्टेशन से आगे चार बदमाशों ने पिस्तौल तथा चाकू दिखा कर तीन यात्रियों का १२४८ रुपये का माल लूट लिया । इस घटना की सूचना प्राप्त होने पर थाना जी०आर०पी० गोंडा पर धारा ३९४ भारतीय दंड विभाग के अन्तर्गत मुकदमा कायम किया गया । एक अपराधी सिपाही लाल निवासी टनटनवापुर जिला गोंडा गिरफ्तार किया जा चुका है । तीन अन्य अपराधी भी प्रकाश में आये हैं जिनकी गिरफ्तारी के लिये प्रयास जारी हैं ।

श्री हबीबुर्रहमान—

मेहरबानी करके यह बतायेंगे कि पुलिस ने गिरफ्तार किये व्यक्ति को जेल भेजा था या नहीं ?

(उत्तर नहीं दिया गया ।)

श्री कलाधर साही, मुन्सिफ मैजिस्ट्रेट की कार से कुछ व्यक्तियों को बाहर खींच कर मारा जाना

*६—श्री सुरेन्द्र विक्रम, (जिला शांहजहांपुर) श्री बंशीधर पांडेय (जिला वाराणसी) तथा श्री राम प्रसाद (जिला रायबरेली)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि १५ जून, १९७१ से १५ जुलाई, १९७१ की अवधि में जिला बस्ती में एक विधायक के पुत्र तथा एक संसद सदस्य के सगे भाई ने गोरखपुर बांस गांव निवासी श्री के०डी०शाही को जो जज हैं और जो अपन परिवार के लोगों क साथ

बस्ती से गोरखपुर जा रहे थे उनकी मोटर कार को रोककर उन्हें व उनके परिवार की महिला सदस्यों को बुरी तरह मारा जिससे वह लोग घायल हो गये ? क्या सरकार यह भी बतलायेगी कि इस घटना की एफ० आई० आर० जज महोदय ने स्थानीय पुलिस थाना खलीलाबाद, जिला बस्ती में की तथा आज तक इस संबंध में कितनी गिरफ्तारियां हुई और क्या कार्यवाही हो रही है ?

श्री रामकृष्ण द्विवेदी--

प्राप्त सूचना के अनुसार श्री कलाधर शाही मुन्सिफ मैजिस्ट्रेट ने दिनांक २८-६-७१ को थाना खलीलाबाद, जिला बस्ती में एक तहरीरी सूचना दर्ज करायी। जिसके अनुसार एक ट्रक ड्राइवर तथा उसमें बठे अन्य लोगों ने उन्हें, उनके ड्राइवर, उनके साले व एक कोर्ट मोहर्रिर कांस्टेबिल को कार से खींच कर बुरी तरह मारा तथा उनका कुछ सामान छीन लिया विवेचना के दौरान यह ट्रक एक विधायक की पाई गई। प्रथम सूचना रिपोर्ट में दो अंकित गवाहों के बयानों से यह भी मालूम हुआ कि जिन लोगों ने मुन्सिफ मैजिस्ट्रेट आदि को मारा था उनमें एक व्यक्ति ट्रक के मालिक विधायक के पुत्र हैं जिनके एक भाई संसद सदस्य भी हैं। इस मामले की जांच पहिले थानाध्यक्ष खलीलाबाद ने और बाद में सर्किल अफसर ने की। मामले की महत्ता के विचार से यह जांच अन्त में सी० आई० डी० को सौंप दी गई। शासन को प्राप्त सूचना तक इस मामल में कोई गिरफ्तारी नहीं हो सकी है।

श्री सुरेन्द्र विक्रम--

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि सी० आई० डी० को यह जांच रिपोर्ट लिखाने के कितने दिन बाद सौंपी गयी ?

श्री रामकृष्ण द्विवेदी--

रिपोर्ट २८-६-७१ को लिखायी गयी और जांच सी० आई० डी० को सौंपी गयी ३१-७-७१ को।

श्री कल्पनाथ सिंह--

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जब दो गवाहों के बयान लिये गये और उन्होंने कुछ व्यक्तियों को नामजद किया था इसके बावजूद भी पुलिस ने अब तक अभियुक्तों की गिरफ्तारी क्यों नहीं की ?

श्री ओम प्रकाश सिंह--

जो एफ० आई० आर० है उसमें किसी का नाम नहीं है। दो गवाहों ने बतलाया कि फलां फलां व्यक्ति थे। अब वह दो दो गवाह हैं उनमें से एक तो जिन पर आरोप है उनके प्रतिद्वंदी रहे पार्लियामेंट का इलेक्शन भाई के खिलाफ लड़ा और दूसरे गवाह एक राजनैतिक दल से संबंधित व्यक्ति के नौकर हैं। तो इन साक्ष्यों के आधार पर शीघ्रता में कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती थी और उसमें अधिक विवेचना की आवश्यकता थी।

श्री सुरेन्द्र विक्रम-

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि उन मुल्जिमान के नाम क्या हैं जिनके खिलाफ रिपोर्ट लिखायी गयी है ?

श्री ओम प्रकाश सिंह--

मैंने पहले ही कहा कि एफ०आई० आर० में किसी का नाम नहीं है।

श्री कल्पनाथ सिंह–

श्रीमन्, सरकार की तरफ से यह कहा गया कि एक गवाह इलैक्शन लड़ चूके थे और एक गवाह किसी राजनैतिक पार्टी के आदमी के नौकर हैं। तो क्या इस आधार पर उन आदमियों को गवाही से बंचित कर दिया गया और यदि हां, तो किस नियम और किस कानून के अन्तर्गत किया गया ?

श्री ओम प्रकाश सिंह––

यह घटना बड़ी गम्भीर मानी गयी और इसमें जल्दी में कोई बात न हो जाय इसीलिये।

श्री कल्पनाथ सिंह––

गम्भीरता यह है कि पार्लियामेंट के सदस्य का भाई है ?

श्री ओम प्रकाश सिंह––

ऐसी बात नहीं है। वहां के एस०पी० ने लिखा कि केस बड़ा गम्भीर है इसलिये अच्छा होगा कि इसकी जांच सी०आई०डी० से करायी जाय। इसलिये सी०आई०डी० को दिया गया।

श्री नित्यानन्द स्वामी––

मंत्री जी के उत्तर से संबंधित आपके उत्तर से एक बात यह स्पष्ट हो गयी कि इसके अन्दर निश्चित रूप से एक विधायक के पुत्र का हाथ है और उस विधायक के भाई पार्लियामेंट के मेम्बर हैं। तो जो विधायक के पुत्र को आइडेंटीफाई किया गया कि उनका हाथ है तो क्या जो जज उसके अन्दर सवार थे, जिनके साथ मारपीट की गयी, उन्होंने भी आइडेंटीफाई किया कि इस व्यक्ति ने मारा था ?

श्री रामकृष्ण द्विवेदी––

श्रीमन्, यह प्रारम्भ में कहा है कि एफ0आई0 आर0 में किसी व्यक्ति का नाम नहीं लिखाया गया।

श्री नित्यानन्द स्वामी––

श्रीमन्, मुझे आपत्ति है। हमारे सवालों को इवेड किया जाता है। इन्होंने उत्तर दिया कि विधायक के पुत्र हैं, तो आपने कैसे आइडेंटीफाई किया कि विधायक के पुत्र हैं।

(व्यवधान)

श्री रामकृष्ण द्विवेदी––

मान्यवर, आइडेंटीफाई करने का प्रश्न तो जेल जाने के बाद आता है।

(व्यवधान)

श्री नित्यानन्द स्वामी––

श्रीमन्, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। अगर नामजद नहीं किया गया तो इन्होंने यह उत्तर कैसे दे दिया कि एक विधायक के पुत्र हैं। आखिर यह उस निष्कर्ष पर तो पहुंचे कि एक विधायक के पुत्र हैं। तो उस व्यक्ति को किस तरह से लोकेट कर पाये। उसको लोकेट करने के लिये एवीडेंस थी दो व्यक्तियों की ओर कम से कम जिनको मारा गया उनकी गवाही रही होगी। इससे आप एक निश्चय पर तो पहुंच गये, तो यह पूछना चाहता हूं कि जब आपने उस व्यक्ति को लोकेट कर लिया तो गिरफ्तार क्यों नहीं कर पाये, क्या सत्ताधारी दल के विधायक के कारण ऐसा हुआ ?

श्री अध्यक्ष--

जवाब यह दिया कि एक पार्टी का था और दूसरे ने इलेक्शन उनके विरुद्ध लड़ा था, तो शासन ने इसको देखा और कहा कि एक दम पकड़ने का सवाल नहीं आता है।

(व्यवधान)

श्री नित्यानन्द स्वामी--

सरकार के जवाब के अनुसार अभियुक्त लोकेट हो गया है, तो उसे गिरफ्तार क्यों नहीं किया है ?

श्री अध्यक्ष--

वह गवाहों ने कहा था ।

(व्यवधान)

श्री रामकुमार शास्त्री (जिला बस्ती)--

खड़ा होता रहता हूं लेकिन आपकी नजर नहीं जाती है।

श्री अध्यक्ष--

आप प्रश्न पूछिये।

श्री रामकुमार शास्त्री--

क्या मंत्री जी बतलायेंगे कि क्या जरूरत हो गई कि सी०आई०डी० से जांच करायी जाय ?

श्री ओम प्रकाश सिंह--

मैंने निवेदन किया कि एस० पी० ने लिखा कि मामला गंभीर है और जांच ठीक से नहीं हो रही है, इसलिये सी०आई० डी० से जांच करा ली जाय ।

कई सदस्य--

गम्भीरता क्या है ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

नियम ४९ में देखिये ।

श्री कल्पनाथ सिंह--

सवाल पूछने दीजिये ।

श्री अध्यक्ष--

एक एक सदस्य पूछें ।

श्री सुरेन्द्र विक्रम--

क्या सरकार यह बतलायेगी कि विधान सभा के जो सदस्य हैं और जो पार्लियामेंट के सदस्य हैं, वह किस दल के हैं और क्या इस नाते मामलेको दबाया नहीं जा रहा है ?

श्री रामकृष्ण द्विवेदी-

आप बैठ जाइये। यही कारण था कि इस मामले को गुप्तचर विभाग को दिया गया है । (व्यवधान)

श्री रामगोपाल संड---

श्री द्विवेदी ने पूरे सदन का अपमान किया है । इससे सभी सदस्यों को ठेस लगी है ।

श्री रामकृष्ण द्विवेदी--

अगर किसी को ठेस लगी है तो मैं खेद प्रकट करता हूं । (व्यवधान)

श्री कृष्णानन्द राय--

श्री सुरेंद्र विक्रम प्रश्न पूछ रहे थे तो श्री द्विवेदी ने कहा कि बैठ जाओ । वह इस शब्द को वापस लें, नहीं तो सदन नहीं चलेगा ?

श्री रामकृष्ण द्विवेदी--

मान्यवर, श्री राय जैसे वरिष्ट सदस्य.....

श्री कृष्णानन्द राय--

मैंने यह व्यवस्था का प्रश्न उठाया है कि माननीय सुरेंन्द्र विक्रम ने प्रश्न पूछा, आपने परमिशन भी दे दी थी । लेकिन थानेदार की तरह पुलिस मिनिस्टर ने उठकर कहा कि बैठ जाओ । यह सारे अपोजीशन के लिये अपमानजनक है। यह इस शब्द को वापस करें, नहीं तो सदन में जवाब नहीं देने देंगे ।

श्री अध्यक्ष---

आपने उनसे कहा कि बैठो ।

कई सदस्य--

कहा है।

श्री अध्यक्ष--

कहा है तो वापस ले लीजिये ।

श्री रामकृष्ण द्विवेदी--

मेरी कोई भी नीयत किसी भी माननीय सदस्य को लांछित या अपमानित करने की नहीं रही है । अगर किसी माननीय सदस्य को भ्रमवश ठेस पहुंची है तो मैंने पहले ही कह दिया कि मैं खेद प्रकाश करता हूं । माननीय कृष्णानन्द राय जैसे वरिष्ठ साथी को तो अपने कानों को सजग रखना चाहिये था ।

श्री अध्यक्ष--

आपका प्रश्न यह था कि वे किस पार्टी के हैं ।

श्री रामकृष्ण द्विवेदी--

गुप्तचर विभाग को मामला दिया गया है कि उनकी जांच हो और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाय।

श्री अध्यक्ष---

क्या वे रूलिंग पार्टी के हैं ?

श्री रामकृष्ण द्विवेदी--

जी हां । गवाहों के अनुसार रूलिंग पार्टी के सदस्य हैं ।

श्री कल्पनाथ सिंह--

उनका नाम बतला दीजिये ।

श्री रामकृष्ण द्विवेदी--

यही कारण है कि तथ्यों की गहराई से छानबीन करने के लिये एस०पी० के लिखने मात्र से ही नहीं बल्कि प्रशासन ने भी अनुभव किया और हमारी नीति दलगत विचारों से ऊपर रहती है इसलिये सी०अई०डी० की जांच करवाई ।

(व्यवधान)

श्री वीरेन्द्र वर्मा--

हमारे दल के एक भी व्यक्ति को आपने मौका नहीं दिया ।

(व्यवधान)

श्री रियासत हुसैन--

मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं । लगातार कई दिनों से हम यह देख रहे हैं कि सप्लीमेंटरी सवाल करने का मौका इधर बैठने वालों को नहीं मिलता । श्रीमन्, हम लोग भी उसी तरह से अपने अपने क्षेत्रों की नुमाइंदगी करते हैं जिस तरह से उधर के बैठने वाले सदस्य करते हैं । हमारा भी बराबर का हक है । हमें भी ववैश्चन करने का मौका मिलना चाहिये।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

अभी उनके तीन प्रश्न हो जायं, फिर आप पूछियेगा ।

श्री सुरेन्द्र विक्रम--

मैं आपकी आज्ञा से पूछना चाहता हूं और जैसा कि भाई कल्पनाथ सिंह जी ने पूछा लेकिन उत्तर नहीं आया कि जो विधायक संसद सदस्य हैं उनके नाम क्या हैं ?

श्री रामकृष्ण द्विवेदी--

इन तथ्यों की सी० आई० डी० के द्वारा जांच हो रही है ।

श्री अध्यक्ष--

नाम मालूम हो तो बतला दीजिये ।

श्री कल्पनाथ सिंह--

इस तरह की बेईमानी हम लोग नहीं चलने देंगे । हरगिज नहीं चलने देंगे ।

श्री रामकृष्ण द्विवेदी--

मुझे कल्पानाथ सिंह जी की शब्दावली पर गहरी आपत्ति है । उन्हें असंसदीय शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिये । कल्पनाथ सिंह जी तो काफी दीक्षित हैं ।

(शोर और व्यवधान के बीच)

यदि माननीय सदस्य नाम जानना ही चाहते हैं तो मैं बताता हूं । इसमें सी०आई०डी० की जांच हो रही है, वैसे अब तक प्राप्त सूचना के अनुसार माननीय सदस्य का नाम है श्री धनुष-धारी पांडेय ।

(सदन में काफी देर तक व्यवधान)

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३८ (२) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

आजमगढ़ जिला परिषद् के अन्तर्गत हरैया ब्लाक में अध्यापकों का बकाया वेतन

*१--श्री दर्लासिंगार यादव (जिला आजमगढ़)

क्या शिक्षा मंत्री यह बतावेंगे कि आजमगढ़ जिला परिषद् के अन्तर्गत हरैया ब्लाक में दिसम्बर, १९६९ से जून, १९७० तक कितनी अध्यापिकाओं का वेतन बकाया है? इनका भुगतान कब तक हो सकेगा?

डाक्टर रामजीलाल सहायक--

एक अध्यापिका का वेतन बकाया है । भुगतान की कार्यवाही की जा रही है।

प्र० संख्या १-(ग)

श्री दर्लासिंगार यादव--

क्या माननीय शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उक्त अध्यापिकाओं को आज तक वेतन क्यों नहीं दिया गया ?

(उत्तर के लिये मंत्री जी को नहीं पुकारा गया।)

श्री अध्यक्ष--

आप लोग नियम ४९ में इस प्रश्न को उठा सकते हैं ।

श्री गांधी इण्टर कालेज, विजयगढ़ (अलीगढ़) के भवन का निर्माण

*२--श्री रामप्रसाद देशमुख (जिला अलीगढ़)--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि श्री गांधी इंटर कालेज, विजयगढ़ (अलीगढ़) को सरकार द्वारा दिनांक २३ फरवरी, १९६६ में १०,००० तथा दिनांक १२ मार्च, १९६५ में ५०,००० रुपया भवन निर्माण को दिया गया था, उसका उपयोग हो गया अथवा नहीं ?

डाक्टर रामजीलाल सहायक--

विद्यालय को १०,००० रु० तथा ५,००० रुपये (न कि ५०,००० रुपये का) भवन निर्माण हेतु अनुदान स्वीकृत किया गया था । इनका उपयोग हो गया ।

*३--श्री रामप्रसाद देशमुख--

क्या शिक्षा मंत्री बतायेंगे कि भवन निर्माण की राशि के बारे में स्पेशल आडिट पार्टी ने यह लिखा था कि सार्वजनिक निर्माण विभाग से जांच कराई जाय। यदि हां, तो क्या वह कराई गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

नोट--तारांकित प्रश्न संख्या १ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया ।

डाक्टर रामजीलाल सहायक--

जी हां, अधिशासी अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, अलीगढ़ को इस विषय में लिखा गया है और उनकी जांच आख्या अपेक्षित है ।

लोक सेवा आयोग द्वारा एल० टी० वेतन-क्रम में महिलाओं का चुनाव

*४--श्री हरीसिंह विष्ट (जिला अल्मोड़ा)--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शैक्षिक वर्ष १९६४-६५ में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा राजकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के लिये एल०टी० वेतन-क्रम में (२५०-५५०) कोई चयन किया गया ? यदि हां, तो उनमें कितनी महिला अभ्यर्थी सफल हुईं ?

डाक्टर रामजीलाल सहायक--

वर्ष १९६४-६५ में एल०टी० वेतन क्रम रु० १५०-३५० तथा एस०एस०ई० एस० वेतन क्रम रु० २५०-५५० में कोई चयन नहीं हुआ ।

प्रश्न नहीं उठता ।

*५--श्री हरीसिंह विष्ट--

क्या शिक्षा मंत्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि असफल महिला अभ्यर्थियों में से आयोग द्वारा अनुत्तीर्ण (प्रशिक्षित अध्यापिकाओं के अभाव में) कितनी अध्यापिकाओं को राजकीय कन्या विद्यालयों में नियुक्त किया और उनमें से कितनों को नवम्बर, १९७० में शासकीय आदेश से १ माह की नोटिस देकर सेवा से मुक्त किया गया और उन्हीं में से कितनों को पुनः नियुक्त किया गया ?

डाक्टर रामजीलाल सहायक--

प्रश्न नहीं उठता ।

जौनपुर जिलान्तर्गत प्रबन्ध समितियों द्वारा अध्यापकों की नियुक्ति

*६--श्री रामदेव दूबे (जिला प्रतापगढ़)--

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि जौनपुर जिलान्तर्गत नाम के अनुरूप प्रबन्ध समितियों ने जुलाई, १९७० से मार्च, १९७१ के अन्दर कितने और किन-किन अध्यापकों को नियुक्त किया गया जो कार्य कर रहे ह, किन्तु अनुमोदन न करने के फलस्वरूप वेतन प्राप्त नहीं कर रहे हैं ऐसा क्यों है ?

डाक्टर रामजीलाल सहायक--

उक्त अवधि में १९ अध्यापकों का अनुमोदन न होने के कारण वेतन नहीं दिया गया है क्योंकि इनका वेतन देय नहीं है । तालिका संलग्न है ।

(देखिये नत्थी "ख" आगे पृष्ठ ६५२ पर)

माध्यमिक शिक्षकों के वेतन का भुगतान न होना

*७--श्री रामधारी शास्त्री--

क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि माध्यमिक शिक्षकों के वेतन संबंधी अध्यादेश के बावजूद कुछ विद्यालयों ने अध्यापकों के फरवरी-मार्च, १९७१ के वेतन का भुगतान नहीं किया है ? यदि हां, तो देवरिया जनपद के किन-किन विद्यालयों ने ऐसा किया है और सरकार इसके निवारण के लिये कौन सा कदम उठा रही है ?

डाक्टर रामजीलाल सहायक--

जी हां ।

देवरिया जनपद के संलग्न ५३ उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों का फरवरी ७१ तथा ११ उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों का मार्च, १९७१ का वेतन भुगतान नहीं किया गया है । अध्यादेश की धारा १० (१) के अनुसार राज्य सरकार प्रत्येक संस्था के अध्यापकों और कर्मचारियों के ऐसे वेतन के भुगतान के लिये उत्तरदायी है जो अध्यादेश के प्रारम्भ होने के पश्चात् किसी अवधि के संबंध में देय हो ३१ मार्च तक के अवशेष वेतन के भुगतान का उत्तरदायित्व प्रबन्धकों पर है ।

(देखिये नत्थी "ग" आगे पृष्ठ ६५४ पर)

*८--श्री रामधारी शास्त्री--

प्रदेश के कितने और कौन-कौन से विद्यालयों ने उक्त अध्यादेश की परिधि से मुक्त रहने का प्रार्थना-पत्र दिया है ?

डाक्टर रामजीलाल सहायक--

१२०, सूची संलग्न है।

(देखिये नत्थी "घ" आगे पृष्ठ ६५६ पर)

इलाहाबाद के सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों से सम्बद्ध प्राइमरी अध्यापकों को सरकारी दर पर महंगाई भत्ता

*९--श्री रामगोपाल संड--

क्या शिक्षा मंत्री को ज्ञात है कि इलाहाबाद नगर में सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों से सम्बद्ध प्राइमरी के अध्यापकों को सरकार द्वारा स्वीकृत दर से महंगाई भत्ता नहीं मिलता है ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है ?

डाक्टर रामजीलाल सहायक--

इलाहाबाद नगर के बालकों के सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों से सम्बद्ध प्राइमरी अनुभाग के अध्यापकों को सरकार से स्वीकृत दर के अनुसार महंगाई भत्ता नहीं मिलता क्योंकि बालकों के विद्यालयों से सम्बद्ध प्राइमरी संस्थायें अनुदान हेतु मान्य नहीं है ।

फर्रुखाबाद राजकीय इंटर कालेज में जीव विज्ञान विभाग में अध्यापक की नियुक्ति न होना

*१०--श्री महराम सिंह (जिला फर्रुखाबाद)--

क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि फर्रुखाबाद राजकीय इंटर कालेज में गत वर्ष जीव विज्ञान कक्षाओं में छात्रों को दाखिल किया गया था जबकि जीव विज्ञान की शिक्षा देने वाला कोई अध्यापक भी वहां पर नहीं था और न उसके लिये पर्याप्त भवन था तो क्या सरकार छात्रों को जीव विज्ञान की उक्त कालेज में सुविधा देने की दृष्टि से इस वर्ष शिक्षा सत्र प्रारम्भ होने से पहले अध्यापकों की नियुक्ति करने तथा कुछ भवन को बढाने की व्यवस्था करेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

डाक्टर रामजीलाल सहायक--

गत वर्ष जीव विज्ञान कक्षाओं में छात्रों का दाखला नहीं किया गया । इस वर्ष (१९७१-७२) में अध्यापक की नियुक्ति कर दी गई है । जीव विज्ञान लैब की व्यवस्था कर दी गई ।

राजकीय कन्या इंटर कालेज, फतेहगढ़, जिला फर्रुखाबाद के लिये भवन-निर्माण

*११--श्री महराम सिंह--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय कन्या इंटर कालेज, फतेहगढ़, जिला फर्रुखाबाद में छात्राओं को कई वर्ष से भवन के अभाव के कारण शिक्षा प्राप्त करने में विशेष कठिनाइयां हो रही हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार ने उसके लिये जो धनराशि स्वीकृत की है वह धनराशि व्यय करके कन्या इंटर कालेज के भवन को कब तक पूरा करने की विभागीय योजना है और कितनी छात्राओं के बैठने के लिये उस भवन को बनाया जायेगा ?

डाक्टर रामजीलाल सहायक--

भवन निर्माण योजना प्रगति पर है जो तीन चरणों में पूरी होगी । प्रथम चरण जून, १९७२ तक पूरा हो जायेगा । दूसरे चरण का आरम्भिक आगणन तैयार किया जा चुका है । तीसरे चरण के संबंध में बाद में कार्यवाही होगी । प्रथम चरण के भवन में २८० छात्रायें और दूसरे में १८६ छात्रायें बैठ सकेंगी ।

मिर्जापुर के औद्योगिक प्रतिष्ठानों में मजदूरों को न्यूनतम पारिश्रमिक

*१२--श्री राम प्यारे (जिला मिर्जापुर)--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मिर्जापुर जनपद के हिन्दुस्तान आल्मूनियम कारपोरेशन लिमिटेड रेनु सागर पावर कम्पनी लिमिटेड, राजकीय डाला एवं चुर्क सीमेंट फैक्टरी, ओबरा थरमल पावर एवं ओबरा जल विद्युत आदि परियोजनाओं के प्रबन्धकों द्वारा प्रतिदिन श्रमिक को न्यूनतम पारिश्रमिक (दैनिक मजदूरी) क्या दी जाती है ? क्या यह सही है कि उक्त संस्थानों द्वारा सरकार द्वारा न्यूनतम पारिश्रमिक श्रमिकों को नहीं दिया जाता ?

श्रम राज्य मंत्री (श्री गणेशदत्त बाजपेयी)--

उल्लिखित प्रतिष्ठानों में प्रतिदिन दी जाने वाली न्यूनतम मजदूरी निम्नलिखित है--

१--मे० हिन्दुस्तान आलमोनियम कारपोरेशन		रु० ६-४६ पैसे प्रतिदिन
२--मे० रेनुसागर पावर कम्पनी लि० रेनुसागर		रु० ६-४६ पैसे प्रतिदिन
३--मे० राजकीय सीमेंट फैक्टरी डाला	नियमित मजदूरी	४-६५ पैसे प्रतिदिन
	आकस्मिक मजदूरी	रु० ३-०० पैसे प्रतिदिन
४--राजकीय सीमेंट फैक्टरी, चुर्क		रु० ६-५२ पैसे प्रतिदिन
५--ओबरा थर्मल पावर स्टेशन, ओबरा	नियमित कर्मचारी	रु० १५६-३० पैसे मासिक
	कार्य प्रभारित	रु० ४-६९ पैसे प्रतिदिन
	दैनिक वेतनभोगी	रु० ३-५० पैसे प्रतिदिन
६--ओबरा जल विद्युत निर्माण परियोजना--		
	नियमित कर्मचारी	१५६-३० मासिक
	कार्य प्रभारित	रु० ४-६९ पैसे प्रतिदिन
	दैनिक वेतन भोगी	रु० ३-५० प्रतिदिन

जी नहीं, उपरोक्त क्रम संख्या १ से ४ तक प्रतिष्ठानों में दिया जा रहा है । अन्यों में भी दिलाने की आवश्यक कार्यवाही हो रही है ।

*१३--श्री राम प्यारे--

क्या सरकार न्यूनतम पारिश्रमिक उक्त जनपद के लिये निर्धारित है उसे सदन को बताने की कृपा करेगी ?

श्री गणेशदत्त बाजपेयी--

किसी जनपद के लिये न्यूनतम वेतन निर्धारित नहीं होता ।

नैनीताल के एम० बी० डिग्री कालेज तथा इंटर कालेज में अनियमितायें

*१४--श्री इन्द्र लाल (जिला नैनीताल)

विधान सभा की बैठक १६ दिसम्बर, १९७० ई० का नत्थी (ख) में प्रश्न संख्या ७७ के उत्तर के रूप में क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिन अनियमितताओं के कारण विद्यालय का अनुपालन अनुदान निलम्बित किया गया है ये अनियमितता किस प्रकार की थी और इस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

डाक्टर रामजीलाल सहायक--

जिन अनियमितताओं के कारण विद्यालय का अनुपालन अनुदान निलम्बित किया गया है वह मुख्यतः निम्न प्रकार की है:--

१--विद्यालय की प्रबन्ध समिति के अध्यक्ष के पद पर अनियमित नियुक्ति तथा बिना उनकी सहमति के समिति की बैठकों का आयोजन करना ।

२--अध्यापकों को समय पर वेतन वितरण न करना ।

३--विभागीय आदेशों की अवहेलना ।

४--अनुरक्षण अनुदान का दुरुपयोग करना ।

५--विद्यालय के लेखे को विधिवत् न रखना

विद्यालय के सुचारु रूप से संचालन हेतु प्रशासक की नियुक्ति कर दी गई है और उसने २४ जून, १९७१ को कार्यभार ग्रहण कर लिया है ।

*१५--श्री इन्द्रलाल--

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि सन् १९६८-६९ में जब इस विद्यालय के एकाउन्ट का विशेष आडिट हुआ तो कितनी धनराशि के दुरुपयोग का मामला प्रकाश में आया और इसके जिम्मेदार व्यक्तियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई ?

डाक्टर रामजी लाल सहायक--

प्रश्न में उल्लिखित आडिट के फलस्वरूप २८,२२६ रुपये के दुरुपयोग का मामला प्रकाश में आया । विद्यालय में व्याप्त समस्त अनियमितताओं के संबंध में प्रशासक की नियुक्ति कर दी गई है । आशा है कि प्रशासक द्वारा समस्त अनियमितताओं के विषय में आवश्यक कार्यवाही शीघ्र की जायगी ।

*१--श्री रामगोपाल संड--

[१६वें गुरुवार के लिये तारांकित प्रश्न संख्या ६ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

निलम्बित कर्मचारियों की पुनः नियुक्ति

*२—श्री रामगोपाल संड—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मुख्य मंत्री ने पद ग्रहण करने के पश्चात् १९६६-६७ के कितने निलम्बित कर्मचारियों को उनके पदों पर रख दिया है ? बाकी कर्मचारियों को कब पुनः नियुक्त किया जायेगा ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

वर्ष १९६६-६७ में राज्य कर्मचारियों के आन्दोलनों हड़तालों में भाग लेने के कारण, कुल ८ निलम्बित कर्मचारियों को सेवा में बहाल किया जा चुका है । अब कोई निलम्बित कर्मचारी सेवा में बहाली हेतु शेष नहीं है ।

मुख्य मंत्री द्वारा कर्मचारियों की मांग मानने की घोषणा

*३—श्री रामगोपाल संड—

क्या मुख्य मंत्री सदन को यह बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक ५ अप्रैल, १९७१ को उन्होंने राज्य कर्मचारियोंकी रैली में काउन्सिल हाउस के सामने कर्मचारियों की किन बातों को मानने की घोषणा की थी ? सरकार ने मुख्य मंत्री की उक्त घोषणा को कार्यान्वित करने के लिये कौन से पग उठाये हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

कोई घोषणा नहीं की गयी थी । अतएव शेष प्रश्न नहीं उठते ।

जिला मुरादाबाद के सम्भल हिन्दू इंटर कालेज तथा शंकर भूषण हायर सेकेण्डरी स्कूल के अध्यापकों का रेलवे क्लर्क से मिलकर हाईस्कूल परीक्षा की कापियों में गड़बड़ी

*४—श्री सुरेन्द्र विक्रम—

क्या शिक्षा मंत्री को पता है कि जिला मुरादाबाद के सम्भल हिन्दू इंटर कालेज तथा शंकर भूषण हायर सेकेंडरी स्कूल के एक अध्यापक ने रेलवे क्लर्क जिसका नाम लखनलाल वार्ष्णेय है मिलकर हाई स्कूल के गणित के द्वितीय पेपर की कापियां रेलवे गोदाम से निकलवाकर फिर से बंडल तोड़कर जमा कर दिया और जिसकी शिकायत डी० आई० ओ० एस० मुरादाबाद से भी तुरन्त की गई ? यदि हां तो क्या विवरण है ?

डाक्टर रामजीलाल सहायक—

इस आशय का एक शिकायती-पत्र जिला विद्यालय निरीक्षक, मुरादाबाद को दिनांक २४ अप्रैल, १९७२ को प्राप्त हुआ था । शिकायत की जांच मंडलाधीक्षक, उत्तर रेलवे द्वारा की गई । जांच में शिकायतें की पुष्टि नहीं हुई ।

जिला परिषद्, शाहजहांपुर के अध्यापकों का वेतन रोका जाना

*५—श्री सुरेन्द्र विक्रम—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला परिषद् शाहजहांपुर में कुछ अध्यापकों का वेतन डिप्टी इन्स्पेक्टर अथवा अतिरिक्त जिलाधीश नियोजन के आदेश से रोक लिया गया है । यदि हां, तो क्यों ?

डाक्टर रामजीलाल सहायक--

जी हां।

इन अध्यापकों के विरुद्ध आदेश न पालन करना, अनुपस्थित रहने एवं गम्भीर अनियमिताओं के आरोप होने के कारण उनके वेतन रोक लिये गये हैं।

*६--श्री शम्भूनाथ चौधरी--

[५वें मंगलवार में प्रश्न सं० २० के अन्तर्गत उत्तरित]

बलिया में सिकन्दरपुर थाने के अन्तर्गत गोली काण्ड

*७--श्री सुरेन्द्र विक्रम--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि बलिया जिला में सिकन्दरपुर थाने के अन्तर्गत अक्तूबर सन् १९७० में घटित गोली कांड की जांच एक सदस्यीय आयोग द्वारा पूरी हो गई है ? यदि हां, तो सरकार उस जांच रपट को सदन के पटल पर रखेगी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--

अक्टूबर, १९७० में थाना सिकन्दरपुर जिला बलिया में हुए गोली कांड की एक सदस्यीय आयोग द्वारा जांच पूरी हो गई है। आयोग की रिपोर्ट शासन के विचाराधीन है। इसके संबंध में निर्णय होने के पूर्व रिपोर्ट सदन में रखे जाने का कोई औचित्य नहीं है। रिपोर्ट यथा समय जन-साधारण की सूचनार्थ गजट में प्रकाशित होगी।

*८-९--श्री रामकरन सिंह--

[पुनरावृत्ति के कारण निरस्त]

*१०-११--श्री डी० पी० बोरा--

[५वें शुक्रवार में तारांकित प्रश्न संख्या १०-११ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*१२-१३--श्री शिवानन्द नौटियाल--

[पुनरावृत्ति के कारण निरस्त]

आगरा में यमुना पुल के नीचे चीनी बम

*१४--श्री नित्यानन्द स्वामी--

क्या सरकार को विदित है कि ८-९ जून, १९७० को आगरा में यमुना के उस पुल के नीचे जिस पर से जनसंघ अध्यक्ष श्री अटल बिहारी बाजपेयी जाने वाले थे एक चीनी बम मिला ? यदि हां, तो सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--

जी नहीं। प्राप्त सूचना के अनुसार घटना यह है कि दिनांक १० जून, १९७० को, जब कि श्री अटल बिहारी बाजपेई आगरा छोड़ चुके थे, स्थानीय जवाहर पुल के नीचे रेत में कोई वस्तु दबाते हुए एक लड़के को देखा गया। वह धातु की वस्तु निकली जो कि बम विशेषज्ञों की राय के अनुसार बम नहीं था बल्कि बम का शार्ट पार्ट (Short Part) था जिसमें बिस्फोटक पदार्थ नहीं था।

जौनसार बावर हायर सेकेन्डरी स्कूल, साहिया, जिला देहरादून को अनुदान

*१५—श्री नित्यानन्द स्वामी—

क्या शिक्षा मंत्री बतावेंगे कि उन्हें श्री भक्तदर्शन जी, राज्य शिक्षा मंत्री, भारत सरकार का एक पत्र संख्या २४१३ राज्य मंत्री ७०, दिनांक ५ मार्च, १९७० का जौनसार बावर हायर सेकड़ी स्कूल, साहिबया, जिला देहरादून को अनुदान देने की सिफारिश करते हुए मिला ? यदि हां, तो सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की ?

डाक्टर रामजीलाल सहायक—

प्रश्नगत पत्र प्राप्त हुआ नहीं प्रतीत होता किन्तु विद्यालय को वर्ष १९७०–७१ से अनुदान सूची में सम्मिलित कर लिया गया है।

*१६—श्री महराम सिंह—

[५वें मंगलवार में ता०प्र० २१ के अन्तर्गत स्थगित]

*१७—श्री शम्भूनाथ चौधरी—

[६ठे सोमवार में तारांकित प्रश्न संख्या १५ के अन्पगत स्थानान्तरित]

*१८—श्री रामलाल राही—

[पुनरावृत्ति के कारण निरस्त]

*१९–२०—श्री विजय बहादुर सिंह—

(वक्तव्य होने के कारण निरस्त)

मुरादाबाद जिले के थानेदारों का स्थानान्तरण न होना

*२१—श्री रियासत हुसैन—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला मुरादाबाद में कितने थानेदार ऐसे हैं जिनकी मुद्दत उसी जिले में ६ साल से ज्यादा हो चुकी है और उनका स्थानान्तरण नहीं हुआ है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

दिनांक १ अगस्त, १९७१ को ऐसे १९ सब-इन्सपेक्टर थे। नियमानुसार सब-इन्सपेक्टर एक जिले में ९ वर्ष तक तैनात रह सकते हैं।

*२२—श्री श्यामलाल कनौजिया—

[७वें गुरुवार के लिये स्थगित]

आजमगढ़ जिले के थाना चिरैया कोट में रानीपुर डिग्री कालेज के छात्रावास में अज्ञात व्यक्ति की हत्या

*२३—श्री रियासत हुसैन—

क्या गृह मंत्री बतायेंगे कि आजमगढ़ जिलान्तर्गत चिरैया कोट थाना क्षेत्र के रानीपुर डिग्री कालेज के छात्रावास में दिनांक १४, १५ जून, १९७१ की दरमियानी रात में एक अज्ञात व्यक्ति की हत्या कर लाश रख दी गई ? यदि हां, तो वह लाश किसकी थी अब तक पुलिस ने क्या कार्यवाही की ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

आजमगढ़ जिले के थाना चिरैयाकोट में दिनांक १८ जून, १९७१ को एक सूचना प्राप्त हुई कि रानीगंज डिग्री कालेज के छात्रावास में एक व्यक्ति की लाश पड़ी हुई है। जांच से लाश श्री धनई राम पुत्र गुल्शन राम, निवासी ग्राम टिसौरा, थाना चिरैयाकोट की पाई गई। जांच जारी है।

*२४-२५—श्री राजेन्द्रकुमार शर्मा—

[७वें गुरुवार के लिये स्थगित]

आजमगढ जनपद के उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों को चेक द्वारा वेतन

*२६—श्री दलसिंगार यादव—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि आजमगढ़ जनपद में कितने अनुदान प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों का वेतन चेक द्वारा दिया जाता है? क्या उन विद्यालयों की सूची देने की कृपा करेंगे?

डाक्टर रामजीलाल सहायक—

संलग्न सूची में निर्दिष्ट ७४ विद्यालयों के अध्यापकों को।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ ६६० पर)

गवर्नमेन्ट गर्ल्स हायर सकेन्ड्री स्कूल, गाजीपुर में उर्दू टीचर की नियुक्ति

*२७—श्री नसीमउद्दीन सिद्दीकी (जिला कानपुर)—

क्या शिक्षा मंत्री को मालूम है कि जिला गाजीपुर के गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंड्री स्कूल में उर्दू-दां लड़कियों की तादाद १५० है, इसके बावजूद भी वहां पर उर्दू पढाने का कोई टीचर नहीं मुकर्रर किया गया? यदि हां, तो क्यों?

डाक्टर रामजीलाल सहायक—

शिक्षा सत्र १९७०-७१ में कवल १२४ ऐसी छात्रायें थीं जिनको उर्दू पढ़ाने के लिये दो अध्यापिकायें हैं।

गवर्नमेन्ट गर्ल्स हायर सेकेन्डरी स्कूल, गाजीपुर में उर्दू माध्यम वाली लड़कियों का प्रवेश न करना

*२८—श्री नसीमउद्दीन सिद्दीकी—

क्या शिक्षा मंत्री को मालूम है कि गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंड्री स्कूल, गाजीपुर में साल १९७०-७१ में दाखिले के वक्त उन लड़कियों का दाखिला नहीं लिया गया, जिन्होंने यह बताया कि उनका उर्दू मीडियम है, या उर्दू पढेंगे? यदि हां, तो ऐसा क्यों?

डाक्टर रामजीलाल सहायक—

प्रवेश के समय कोई ऐसा प्रतिबन्ध नहीं लगाया गया।

सीतापुर के जूनियर हाई स्कूलों को मान्यता

*२९—श्री रामलाल राही—

क्या शिक्षा मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि सीतापुर जिले में वर्ष १९६७-६८ व १९६८-६९ व १९६९-७० में जिन जूनियर हाई स्कूलों को मान्यता दी गई है उनमें अधिकांश को उपरोक्त वर्षों में एक या दो मील के अन्दर ही मान्यता दे दी गयी है ? यदि हां, तो कुल कितने कौन-कौन से ब्लाक में स्कूलों को मान्यता दी गई ?

डाक्टर रामजीलाल सहायक—

जी नहीं । जनपद सीतापुर में वर्ष १९६७-६८, १९६८-६९ व १९६९-७० में क्रमशः ५, १७ व १९ जूनियर हाई स्कूलों को नवीन मान्यता प्रदान की गई जिनमें एक या दो मील के भीतर स्थित ऐसे स्कूलों की संख्या क्रमशः १,५ व ६ है । इनमें मछरेहटा ब्लाक में १, हरगांव में २, खैराबाद में ३, कसमंडा में २, पिसावां में १, रेउसा में १, लहरपुर में १ तथा नगरपालिका क्षेत्र में १ विद्यालय को मान्यता दी गई ।

*३०-३१—श्री इन्द्र लाल—

[७वें गुरुवार के लिये स्थगित]

*३२—श्री बंशीधर पांडेय तथा श्री कल्पनाथ सिंह—

[६ठें गुरुवार के लिये स्थगित]

इलाहाबाद रीजन में शिक्षा विभाग की पुनर्व्यवस्था योजना के अन्तर्गत प्रसार अध्यापक

*३३—श्री गजेन्द्र सिंह (जिला इटावा)—

क्या शिक्षा मंत्री बतलाने की कष्ट करेंगे कि शिक्षा विभाग के अन्तर्गत पुनर्व्यवस्था योजना में इलाहाबाद रीजन में ऐसे कितने प्रसार अध्यापक हैं जो लगभग १५ सालों से इस विभाग में सेवा कर रहे हैं और उन्हें अभी तक स्थायी नहीं किया गया तथा जो बी० ए० और एम० ए० हैं लेकिन उनको भी अभी तक ग्रेजुएट (एल० टी०) ग्रेड नहीं दिया जा रहा है, और वे वर्षों से सी० टी० ग्रेड में कार्य कर रहे हैं, यदि हां, तो ऐसा क्यों ?

डाक्टर रामजीलाल सहायक—

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

*३४—श्री मनोहर लाल—

[७वें गुरुवार के लिये स्थगित]

चमोली, उत्तरकाशी और पिथौरागढ़ का स्थायी रूप से गठन

*३५—श्री गोविन्दसिंह नेगी—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सन् १९६० में उत्तराखंड के जिन तीन सीमांत जिलों (चमोली, उत्तरकाशी और पिथौरागढ़) का अस्थायी रूप से गठन किया गया था ? क्या उनको स्थायी रूप से बनाये रखने के लिये सरकार निर्णय लेने जा रही है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--

पिथौरागढ़, चमोली उत्तरकाशी जिलों का सृजन लैन्ड रेवन्यू ऐक्ट १९०१ की धारा ११ के अन्तर्गत स्वीकृत किया गया है । इस अधिनियम के अन्तर्गत जिले स्थायी और अस्थायी रूप से सृजित नहीं होते ह । जो विज्ञप्ति प्रकाशित की जाती है वह स्थायी होती है जबतक उसे निरस्त न कर दिया जाय । अतः उक्त तीन जिले स्थायी हैं ।

गोरखपुर जिले की बांसगांव तहसील से वृद्धावस्था पेंशन के प्रार्थना-पत्र

*३६--श्रीमती मसाली देवी (जिला गोरखपुर)--

क्या सरकार यह बतायेगी कि गोरखपुर जिले के बांसगांव तहसील में वृद्धावस्था की पेंशन के कितने और किन लोगों के प्रार्थना-पत्र १ जनवरी, १९७१ से १५ जून, १९७१ तक प्राप्त हुए और उन पर क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री गणेशदत्त बाजपेयी--

केवल ५ प्रार्थना-पत्र, श्री ओरी पुत्र सहतो, श्रीमती पंजिया पत्नी शिवनन्दन, श्रीमती बसन्ता देवी पत्नी बंशराज सिंह, श्री तमेश्वर पुत्र मनराज एवं श्री बलिराज पुत्र अयोध्या के प्राप्त हुये हैं । इनमें से श्री ओरी व श्रीमती पंजिया की आयु निर्धारित आयु से कम होने के कारण अस्वीकृति कर दिये गये हैं, शेष तीन प्रार्थना-पत्र पर जिला स्तर पर अभी जांच जारी है ।

उर्दू गजट के बारे में मैजिस्ट्रेटों एवं विभागाध्यक्षों को निर्देश

*३७--श्री रियासत हुसैन--

क्या मुख्य मंत्री को यह ालूम है कि शासनादेश संख्या २६६२ इक्कीस-१(२२)-६८, दिनांक ३१ अक्टूबर, १९६८ के अनुसार प्रदेश के जिला मजिस्ट्रेटों और विभागाध्यक्षों को जो हिदायत उर्दू गजट के बारे में भेजी गई, उनके अनुसार कोई कार्यवाही नहीं की गई ? यदि हां, तो इस संबंध में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--

प्रश्न में उल्लिखित शासनादेश की हिदायतों के अनुसार अधिकांश जिला मजिस्ट्रेटों तथा विभागाध्यक्षों द्वारा, जो इससे संबंधित है, कार्यवाही की जाती है । फिर भी इन आदेशों का कड़ाई से पालन करने के लिये एक परिपत्र और जारी कर दिया गया है ।

*३८--श्री माता प्रसाद--

[माननीय सदस्य ने वापस लिये]

*३९--श्री अनन्तराम जायसवाल--

[५ वें शुक्रवार के लिये तारांकित प्रश्न संख्या ४६ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

नैनीताल जिले के भीमताल औद्योगिक आस्थान का निर्माण

*४०--श्री डूंगरसिंह बिष्ट (जिला नैनीताल)--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नैनीताल जिले के भीमताल इंडस्ट्रियल स्टेट का निर्माण कब हुआ ? इसमें कुल कितनी धनराशि खर्च हुई ? क्या इसमें कोई उद्योग चालू हुये और इस समय क्या उद्योग इसमें चलाये जा रहे हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---

अक्तूबर, १९६२ में रुपये २,१२,९३१.४३ पैसे । औद्योगिक वातावरण एवं उद्योग लगाने का साहस करने वाले व्यक्तियों के अभाव के कारण कोई उद्योग स्थापित नहीं हो सका है ।

*४१---चौधरी रामपालसिंह यादव--

[पुनरावृत्ति के कारण निरस्त]

रिहन्द परियोजना में कार्य करने वाले पुलिस अधिकारी को रिहन्द कम्पेनसेटरी भत्ता

*४२---श्री राम प्यारे--

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि रिहन्द परियोजना में कार्य कर रहे पुलिस विभाग के अधिकारी को रिहन्द कम्पेनसेटरी भत्ता उनकी नियुक्ति की तिथि से दिया जा रहा है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---

जी हां । परियोजना में नियुक्त उप अधीक्षक पुलिस को यह भत्ता नियुक्ति की तिथि से मिल रहा है ।

उतरौला, जिला गोंडा में गर्ल्स हायर सेकेन्डरी स्कूल खोलने की योजना

*४३---श्री सूरजलाल (जिला गोंडा)---

क्या सरकार जनपद गोंडा के उतरौला नगर में नगर की जनसंख्या को देखते हुये एक गर्ल्स हायर सेकेंड्री स्कूल खोलने की योजना बना रही है ? यदि हां, तो उक्त स्कूल कब तक खोल दिया जायगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० रामजीलाल सहायक--

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

बालिकाओं के नये राजकीय हायर सेकेंड्री स्कूल खोलने की कोई योजना नहीं है ।

मलियाना शुगर मिल, मेरठ व मीउद्दीनपुर शुगर फैक्टरी पर काश्तकारों का बकाया

*४४---श्री मंजूर अहमद (जिला मेरठ)---

क्या मुख्य मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि मलियाना शुगर मिल, मेरठ मीउद्दीनपुर शुगर फैक्टरी पर काश्तकारों का ६७-६८, ६८-६९, ६९-७० और ७०-७१ का रुपया बाकी है ? यदि हां, तो कितना है और कब तक भुगतान होने की आशा है ? भुगतान न होने का क्या कारण ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

मलियाना एवं मोहीउद्दीन चीनी मिलों पर गन्ना मूल्य का बकाया प्रश्न में कथित वर्षों में ३१–७–७१ तक की स्थिति के अनुसार निम्न प्रकार है:—

(लाख रु० में)

वर्ष	मलियाना	मोहीउद्दीनपुर
१९६७–६८	..	०.०१
१९६८–६९	०.०१	५.२०
१९६९–७०	..	..
१९७०–७१	३१.२६	३८.०२
योग ..	३१.२७	४३.२३

गन्ना मूल्य बकाया की वसूली के लिये मलियाना चीनी मिल में जिलाधिकारी, मेरठ द्वारा रिसीवर की नियुक्ति मार्च, १९७० में की गयी । परन्तु मिल ने उच्च न्यायालय से रोधनादेश प्राप्त कर लिया और बकाया के भुगतान हेतु किस्तें निर्धारित कर दी गयीं । चालू सीजन (१९७०–७१) के गन्ना मूल्य बकाया की वसूली के लिये इस मिल के विरुद्ध वसूली प्रमाण-पत्र दिनांक ६–५–७१ को जारी किया गया। इस कार्यवाही के विरुद्ध भी इस चीनी मिल ने उच्च न्यायालय की शरण ली और इस बकाया की वसूली हेतु किस्तें निर्धारित हो गयीं ।

१—मोहीउद्दीनपुर चीनी मिल भारत सरकार द्वारा इंडस्ट्रीज (डेवलपमेंट ऐंड रेगुलेशन) ऐक्ट के अन्तर्गत नियुक्त प्रबन्धक कमेटी द्वारा दिसम्बर, १९६९ से चलाई जा रही है । दिनांक ३–७–७१ को शासन ने इस मिल को उत्तर प्रदेश चीनी उपक्रम (अर्जन) अध्यादेश १९७१ के अन्तर्गत अधिग्रहित कर लिया ।

३—मोहीउद्दीनपुर चीनी मिल के मालिकों ने इस मिल को अच्छी हालत में रखने के लिये मशीनरी की मरम्मत इत्यादि पर रुपया नहीं लगाया जिससे मिल की दशा बिगड़ती गयी और चीनी की रिकवरी कम होती है । इन्हीं कारणों से देयों का बकाया बढ़ गया । इस मिल, को बैंक से ऋण की व्यवस्था करने में बिलम्ब हो रहा था इस कारण शासन ने इसक लिये ५० लाख का ऋण भी दिया । अधिग्रहण के फलस्वरूप दिय जा रहे मुआविजे में स गन्ना मूल्य के बकाया का भुगतान किया जायगा, जैसा उत्तर प्रदेश चीनी उपक्रम (अर्जन) विधेयक, १९७१ में प्राविधान है ।

*४५—श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी—

[७वें गुरुवार के लिये स्थगित]

ग्राम देवली, बुलन्दशहर में फौजदारी

*४६—श्री जगवीर सिंह तथा श्री त्रिलोक चन्द (जिला बुलन्दशहर)—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि १७ जून, १९७१ को ग्राम देवली, थाना गुलाठी, जिला बुलन्दशहर में जो फौजदारी हुई उसमें कितने व्यक्ति मौके पर मारे गये तथा घटना विवरण क्या है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--

प्राप्त सूचना के अनुसार १७ जून, १९७१, की सायंकाल को, ग्राम देवली थाना गुलावठी, जिला बुलन्दशहर में जो फौजदारी हुई उसमें १० व्यक्ति मौके पर मार गये। उस दिन शाम को देवली गांव के एक निवासी ने थाना गुलावठी में यह सूचना दी कि शौकत और मुगीसउद्दीन की पार्टियों में झगड़ा हो रहा है जिसमें बन्दूकें बल्लम बर्छे चल रहे हैं और मौके पर कुछ आदमी मरे पड़े हैं। इस सूचना पर पुलिस मौके पर गई तो यह मालूम हुआ कि शौकत और मुगीसुद्दीन की पार्टियों में पुरानी रंजिश है। शौकत की लड़की की विदा के बाद इन दोनों पक्षों में समझौते की बात एक व्यक्ति ने शुरू की। इस बातचीत के दौरान गाली गलौज हो गई और इसके बाद दोनों में बलवा हुआ।

*४७--श्री इन्द्रमणि तथा श्री सुरेन्द्र विक्रम--

[५वें शुक्रवार में तारांकित प्रश्न संख्या ९ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

कानपुर के कल्यानपुर क्षेत्र में लड़कियों का सरकारी स्कूल

*४८--श्री श्रीकृष्ण बाजपेयी (जिला कानपुर)--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर जिले के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र कल्याणपुर में कोई सरकारी स्कूल लड़कियों के लिये खोलने का सरकार का विचार है ?

डाक्टर रामजीलाल सहायक--

जी नहीं।

जिला इलाहाबाद में अप्रत्याशित कत्ल, डकैती व चोरी के मामले

*४९--श्री धर्मवीर (जिला इलाहाबाद)--

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला इलाहाबाद में वर्ष १९७०-७१ में पिछले वर्ष की अपेक्षा कत्ल डकैती एवं चोरी में अप्रत्याशित वृद्धि हुई ? यदि हां, तो जनता के सार्वजनिक जीवन की सुरक्षा के लिये इलाहाबाद में सरकार क्या व्यवस्था करने जा रही है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--

जिला इलाहाबाद में वर्ष १९६९-७० की अपेक्षा १९७०-७१ में कत्ल डकैती एवं चोरी की घटनाओं में वृद्धि हुई। जिले में अपराधों पर काबू पाने के लिये उपाय किये गये हैं जिससे स्थिति सुधर गयी है और १-४-७१ से अपराधों में कमी भी हुई है।

*५०--श्री नत्था राम रावत--

[७वें मंगलवार में तारांकित प्रश्न संख्या ३० के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

५१--श्री शेष नारायण शुक्ल--

[७ वें गुरुवार के लिये स्थगित]

बाराबंकी के दरियाबाद ग्राम में प्राइमरी कन्या पाठशाला भवन का निर्माण

*५२--श्री धर्मवीर--

क्या शिक्षा मन्त्री को पता है कि जिला बाराबंकी के विकास खण्ड दरियाबाद में ग्राम सभा खैमापुर के प्रधान के पास प्राइमरी पाठशाला के भवन निर्माण हेतु प्राइमरी कन्या पाठशाला

के भवन निर्माण हेतु यथा अध्यापिका आवास गृह के निर्माण हेतु सरकार का कितना धन कितने समय से पड़ा है और अब तक निर्माण के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही हुई है ?

डाक्टर रामजीलाल सहायक--

प्रश्नगत ग्राम सभा के प्रधान को प्राइमरी पाठशाला के निर्माण हेतु एक हजार रुपये तथा अध्यापिकाओं के आवासगृह निर्माण हेतु दो हजार पांच सौ रुपये १९६५ में दिये गये थे। इन धनराशियों का उपयोग निर्धारित कार्यों के लिये अभी तक नहीं किया गया है।

उक्त प्रधान को प्राइमरी कन्या पाठशाला निर्माण हेतु कोई धन नहीं दिया गया।

ग्राम पिजरावा, जिला हरदोई में प्राइमरी स्कूल भवन के निर्माण में गोलमाल

*५३--श्री हरिबंश सहाय (जिला देवरिया) तथा श्री शिवकैलाश (जिला बाराबंकी)--

क्या शिक्षा मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जिला हरदोई, विकास खण्ड सण्डीला के ग्राम पिंजरावा में बने प्राइमरी स्कूल के भवन के निर्माण में सरकारी एवं गांव समाज के धन का गोलमाल हुआ है तो उस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई ?

डाक्टर रामजीलाल सहायक--

जी नहीं।

*५४-५५--श्री वीरेन्द्र वर्मा--

[पुनरावृत्त के कारण निरस्त]

*५६-५७--श्री कृष्ण स्वरूप वैश्य--

[पुनरावृत्ति के कारण निरस्त]

*५८--श्री मैनेजर सिंह--

[७वें गुरुवार के लिये स्थगित]

*५९--श्री मैनेजर सिंह--

[६ठे मंगलवार में तारांकित प्रश्न संख्या ४१ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*६०--श्री शेर सिंह दानू--

[७वें गुरुवार के लिये स्थगित]

*६१--श्री गजेन्द्र सिंह--

[पुनरावृत्ति के कारण निरस्त]

*६२-६३--श्री हलीमुद्दीन राहत मौलाई--

[७वें गुरुवार के लिये स्थगित]

राजकीय मुद्रणालय, इलाहाबाद में हरिजन लिपिक

*६४--श्री धर्मवीर--

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय मुद्रणालय एवं लेखन सामग्री, इलाहाबाद में कितने रुटीन ग्रेड, एकाउन्ट्स ग्रेड एवं नोटर ड्राफ्टर ग्रेड लिपिक कार्य करते हैं ? इनमें कितने हरिजन हैं ? क्या ८१ प्रतिशत का कोटा पूर्ण है ? यदि नहीं, तो क्या कारण है ?

श्री देवकी नन्दन विभव--

राजकीय मुद्रणालय एवं लेखन सामग्री, इलाहाबाद में कार्य करने वाले रुटीन ग्रेड, एकाउन्टस ग्रेड, तथा नोटर ड्राफटर ग्रेड लिपिकों की संख्या क्रमशः २२५, १२६ तथा ४१ है। इनमें से एकाउन्ट्स ग्रेड तथा रूटीन ग्रड पदों पर कार्य करने वाले क्रमशः १ व ४ लिपिक हरिजन (अनुसूचित जाति के) हैं। नोटर व ड्राफ्टर के पद पर कोई 'हरिजन' नियुक्त नहीं है। १८ प्रतिशत का कोटा पूर्ण नहीं है। इसका कारण पर्याप्त संख्या में अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों का लिपिकीय पदों के लिये न आना है।

*६५--श्री हरीसिंह विष्ट--

[पुनरावृत्ति के कारण निरस्त]

*६६--श्री सूरज लाल--

[पुनरावृत्ति के कारण निरस्त]

फर्रुखाबाद जिले के थाने में वायरलेस सेट

*६७--श्री महराम सिंह (जिला फर्रुखाबाद)--

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि फर्रुखाबाद जिले में कुछ थानों में सरकार वायरलेस सेट लगाने पर विचार कर रही है? यदि हां, तो कौन कौन से थानों पर और कब वायरलेस सेट लगाये जायेंगे?

श्री कमलापति त्रिपाठी--

अभी नहीं। शेष प्रश्न नहीं उठता।

अतारांकित प्रश्न

पुलिस स्टेशन कमालगंज, जिला फर्रुखाबाद के लिये भवन निर्माण

१--श्री अब्दुल सलाम शाह (जिला फर्रुखाबाद)--

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि पुलिस स्टेशन कमालगंज, जिला फर्रुखाबाद की इमारत बनाने के लिये शासन ने निर्णय लिया है? यदि हां, तो कब तक?

श्री कमलापति त्रिपाठी--

जी हां। भूमि उपलब्ध होने पर भवन निर्माण के संबंध में कार्यवाही की जायेगी।

चीनी मिल, बाराबंकी एवं बुढ़वल पर किसानों एवं सरकार का बकाया धन

२--श्री नत्था राम रावत (जिला बाराबंकी)--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि चीनी मिल, बाराबंकी और चीनी मिल, बुढ़वल में अलग-अलग किसानों का, मिल मजदूरों का एवं सरकार का कितना-कितना देय शेष है?

श्री कमलापति त्रिपाठी--

बाराबंकी तथा बुढ़वल चीनी मिलों टुर अलग अलग किसानों का गन्ना मूल्य, सरकार का गन्ना उपकर।क्रयकर किनना कितना ३१-७-७१ तक की स्थिति के अनुसार बकाया था वह संलग्न तालिका 'अ' में (मिलवार) दर्शाया गया है। बाराबंकी चीनी मिल पर मजदूरों का कुल देड रु० ४,७८,८८८.८४ शेष है और बुढ़वल चीनी मिल पर इस मद में कुल ३,२०,०००-०० रु० शेष है। उक्त देयों का ब्योरा संलग्न तालिका 'ब' में दिया हुआ है।

(देखिये नत्थी आगे पृष्ठ ६६२ पर)

ग्राम बरुआ, जिला हमीरपुर में श्री शिवनाथ पाण्डेय के घर डकैती

३—श्री रूपनाथ सिंह यादव (जिला इलाहाबाद) तथा श्री मोतीलाल बेहलवी (जिला कानपुर)—

क्या मुख्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि ग्राम बरुआ, थाना सुमेरपुर, जिला हमीरपुर में श्री शिवनाथ पांडे के घर पर दिनांक १० जून, १९७१ को डकैती पड़ी और घटना की रपट धारा ३९५/३९७ कोतवाली हमीरपुर में उसी दिन दर्ज कराई गई ? यदि हां, तो अब तक इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई तथा कितने मुल्जिमान गिरफ्तार किये गये ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

ग्राम बरुआ थाना सुमेरपुर जिला हमीरपुर में श्री शिव नाथ पांडे के घर दिनांक १०—६—७१ को डकैती पड़ने के सम्बन्ध में उसी दिन थाना कोतवाली, हमीरपुर में रिपोर्ट दर्ज कराई गई जो जांच से सही नहींप्पाई गई। अतः अन्तिम रिपोर्ट लगा दी गई। किसी को गिरफ्तार करने का आवश्यकता नहीं पाई गई।

श्यामसुन्दरी बालिका विद्यालय बेल्थरा, जिला बलिया में अनियमिततायें

४—श्री शम्भूनाथ चौधरी—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि बलिया जिला के बेल्थरा रोड कस्बा में स्थित श्यामसुन्दरी बालिका विद्यालय के विरुद्ध आरोपों की जांच वाराणसी मन्डल के बालिका विद्यालय की निरीक्षिका ने वर्ष १९७० में ९ जनवरी से १३ जनवरी तक किया ? यदि हां, तो उक्त जांच से कौन-कौन तथ्य प्रकाश में आये ?

डाक्टर रामजीलाल सहायक—

जी हां।

श्याम सुन्दरी बालिका उ० मा० विद्यालय, बन्थरा रोड, बलिया के वर्ष १९६६—६७ १९६८—६९ तक के लेखा की जांच मण्डलीय बालिका विद्यालय निरीक्षिका, पंचम मण्डल वाराणसी द्वारा दिनांक ९—१—७० से १४—१—७० तक की गई।

लेखा की जांच से मुख्यतः निम्न अनियमिततायें प्रकाश में आई :—

(१) कैशबुक तथा वेतन रजिस्टरों में अनेक स्थानों पर अप्रमाणित काटपीट, खुर्चन, इंक रिमूवर आदि का प्रयोग पाया गया।

(२) क्रय किये गये सामानों का स्टाक रजिस्टर में प्रविष्टि नहीं है।

(३) वेतन रजिस्टर तथा वाउचरों पर धन भुगतान होने का प्रबन्धक द्वारा प्रमाण-पत्र अंकित नहीं है।

(४) कैशबुक तथा वेतन रजिस्टर में विभिन्न कटिंग इरेज करके अन्य शब्द लिखे गये हैं ऐसा प्रतीत होता है और उस पर प्रबन्धक का प्रमाण पत्र देने का कोई हस्ताक्षर नहीं है।

(५) प्रायः आवश्यकता न होने पर भी अनुपालन कोष हेतु ऋण का लेना तथा ऋण की वापसी में अनुपालन कोष से अधिक धन का दिया जाना।

(६) यात्रा भत्ता, फर्नीचर व सज्जा व क्रय या मरम्मत, भवन मरम्मत आदि पर अननुमोदित व्यय किया गया है।

५—श्री सुरेन्द्र विक्रम—

[७वें शुक्रवार में तारांकित प्रश्न संख्या १ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

सदस्यों द्वारा श्री सुरेन्द्र विक्रम के तारांकित प्रश्न ६ के सम्बन्ध में जानकारी

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)—

विधायक और संसद सदस्य के या उनके घर वाले यदि इस तरह से किसी मुंसिफ या जज को मारा करेंगे, मजिस्ट्रेट मारे जाया करेंगे तो हरगिज हरगिज यह प्रदेश नहीं चलेगा यहां प्रजातंत्र नहीं चलेगा, किसी भी हालत में प्रशासन नहीं चल सकेगा, शांति और सुरक्षा नहीं कायम रह सकेगी। आप इस सरकार से कहें कि वह साफ साफ इस बात की सफाई दें जिससे जन मानस में व्याप्त असंतोष दूर हो सके। यहां पर कानून राज्य चलेगा, डंडा राज्य और पुलिस राज्य नहीं चलेगा। आप इस सरकार से कहिये कि वह निश्चित घोषणा करें (व्यवधान) आप निश्चित वक्तव्य दें, सी०आई० डी० इंक्वायरी की बात करके आज इस मामले को टाला जा रहा है।

श्री अध्यक्ष—

आप नियम ४९ में दे दीजिये।

श्री कल्पनाथ सिंह—

आप इनसे कहिये कि यह वक्तव्य दें। यदि इस देश में मजिस्ट्रेट मारा जायगा, जज मारा जायगा तो हमारी और आपकी भी दुर्दशा होने वाली है। आप गुंडाराज न चलने दें। आप इनसे कहें कि यह गुंडा राज नहीं चलेगा, गुन्डा राज नहीं चलेगा, नहीं चलेगा।

(व्यवधान)

(श्री मदन मोहन मिश्र तथा श्री रियासत हुसेन भी अपने-अपने स्थान पर खड़े होकर संभवतः बोलते रहे, जो अत्यधिक शोरगुल के कारण नहीं सुना जा सका।)

श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)—

मान्यवर, आप मालूम पड़ता है सदन चलाना नहीं चाहते हैं। मुख्य मंत्री जी को पता नहीं निकाल दिया गया। क्या हुआ जो वह सदन में नहीं आ रहे हैं। (व्यवधान) रूलिंग पार्टी के दर्जनों सदस्य खड़े होकर बोल रहे हैं और मुझे दुख है कि आप उन्हें रोक नहीं पाते हैं। केवल संबंधित विधायक और संसद सदस्य का नाम पूछा गया था लेकिन वह बताना नहीं चाहते हैं, टालते जा रहे थे लेकिन राजमंगल पांडेय ने कहा तो सिर्फ विधायक का नाम ले लिया, लेकिन फिर संसद सदस्य—

गृह उपमंत्री (श्री रामकृष्ण द्विवेदी)—

माननीय कृष्णानन्दराय की बातों पर हमें आपत्ति है, उनके एस वरिष्ठ सदस्य को ऐसी बात नहीं कहनी चाहिये थी। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

मैंने उनसे कहा कि आप नाम बता दीजिये, तो उन्होंने नाम दिया।

श्री मदन मोहन मिश्रा (जिला रायबरेली)—

आप इनसे कहिये कि जब एक आदमी बोले, ये लोग इतने आदमी खड़े होकर बोल रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, अव्यवस्था पैदा करते हैं, इनको रोकिये।

श्री चेतराम गंगवार (जिला बरेली)—

मेरा भी एक व्यवस्था का प्रश्न है । (व्यवधान)

चिकित्सा मंत्री (डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी)—

अध्यक्ष महोदय, मैं अपने दल के माननीय सदस्यों से अपील करती हूं कि वह अपने स्थान पर बैठें, शांति से बैठें और अपोजीशन की बातों को सुनें, उनको कहने दे । मैं कांग्रेस दल के सब लोगों से अपील करती हूं कि वे शांति से बैठें और विरोधी दल के लोगों को कहने दिया जाय। यह हमारी जिम्मेदारी है कि हाउस को चलाएं। इसलिये हमारे दल के लोग शोरगुल न मचायें।

श्री कृष्णानन्द राय—

माननीय अध्यक्ष, जी,

(शोर और कोलाहल)

श्री कल्पनाथ सिंह—

(माइक्रोफोन आन होने पर) आज भी जेल भिजवाइये क्यों नहीं भिजवाते ।

(शोर और कोलाहल जारी रहने पर)

श्री अध्यक्ष—

उनको बोलने दीजिये मैंने उनको इजाजत दी है ।

श्री कृष्णानन्द राय—

माननीय अध्यक्ष जी, मैं यह निवेदन कर रहा था कि एक साधारण सा प्रश्न पूछा गया कि वह संसद के सदस्य और विधान सभा के सदस्य जो सम्बन्धित हैं उनका नाम बता दें । आपने उसे प्रश्न की इजाजत दे दी शुरू में दो तीन मिनट तक नाम नहीं बताया गया । फिर विधान सभा के आदरणीय सदस्य का नाम बता दिया गया लेकिन संसद के सदस्य का नाम नहीं बताया । इस पर आदरणीय सदस्य कल्पनाथ सिंह प्रेस करते रहे कि संसद के सदस्य का नाम बता दिया जाया इधर बिल्कुल आपने ध्यान नहीं दिया ।

श्री अध्यक्ष—

जरा सुन लें । हल्ला होने के मारे सुनाई नहीं दिया ।

*श्री कृष्णानन्द राय—

बुरा न मानें । हम आपकी इज्जत करते हैं, केवल इसलिये इज्जत नहीं करते हैं कि आप स्पीकर हैं आपके पास शक्ति है, शक्ति से भय नहीं है । इसलिये इज्जत करते हैं कि आप को पार्लियामेंटरी अनुभव है । आपने वादा किया था कि आप सक्षम हैं, आप इस मसले का समाधान कर सकते हैं, जो लीफलेट फेंकी गयी । हमने सारा अधिकार सौंप दिया था कि आप समाधान करेंगे और जिस प्रकार आप चाहे सजा दी जायगी । लेकिन यकायक शर्मनाक घटना करवायी टूटा फूटा लकड़ी का कठगढ़ा खड़ा करवाया और माननीय बाजपेई जी ने एक पुलिस शासक की तरह से प्रस्ताव किया कि उन दो आदमियों को जेल भेज दिया । सारे विरोधी दल के माननीय सदस्य प्रर्थना करते रह गये, कहते कि हम लोग मानते हैं कि सदन की प्रतिष्ठा का सवाल है कम से कम सजा का संशोधन कर दें लेकिन व कांग्रेस की अध्यक्ष हो गई है, जब सत्ता मिलती है तो घमंड आ जाता है, दिमाग का बैलेंस बिगड़ जाता है । ऐसे शासक के हाथ में जब आती है सत्ता तो अनर्गल, अन्यायपूर्ण किन शब्दों का प्रयोग, ऐसा काम एक उत्तर प्रदेश के

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री कृष्णानन्द राय]

नागरिक के साथ किया गया और जेल भेज दिया गया । आप कमजोरी दिखलाते हैं । आप विरोधी दल का संरक्षण कर सकें इसके लिये आप सक्षम हैं और यह विरोधी दल का हक है ।

माननीय द्विवेदी जी को नाम बता देना चाहिये था । विधान सभा के सदस्य का नाम उन्होंने बताया । पार्लियामेंट के सदस्य का क्या नाम है किस दल के हैं इस प्रश्न को नहीं बताया । इसका उत्तर दिलवा दीजिये नहीं तो सदन नहीं चल पायगा । माननीय मुख्य मंत्री जी हैं नहीं । संसद के सदस्य किस दल के हैं उनका क्या नाम है इसकी घोषणा करवा दें ।

श्री अध्यक्ष---

मैं सुना दूं । पहले रूलिंग पार्टी के सदस्य हैं यह बता दिया उन्होंने, मैंने जब पूछा । दूसरी बात यह है कि संसद सदस्य का नाम पहले नहीं कहा ।

श्री कल्पनाथ सिंह---

मैंने पूछा ।

श्री अध्यक्ष---

मैंने जो सुना वह बताता हूं । मैंने जो कहा, जो सदस्य विधान सभा के हैं वह कौन हैं । उसमें उन्होंने उत्तर नहीं दिया । मैंने कहा उत्तर दीजिये । उन्होंने उत्तर दिया । आपने संसद सदस्य का नाम पूछा होगा दोबारा । उस वक्त इतना हल्ला हुआ कि मैंने सुना नहीं ।

श्री कल्पनाथ सिंह---

अब से कहिये कि जवाब दें ।

श्री अध्यक्ष---

कोई डर की बात नहीं है । नाम बता दीजिये । हल्ला मत कीजिये ।

श्री रामकृष्ण द्विवेदी---

किसी विधान सभा के चलाने के लिये निश्चित संसदीय प्रणाली होती है । (शोर) मैं माननीय अध्यक्ष की आज्ञा से खड़ा हुआ हूं । यदि संसदीय प्रणाली का लेशमात्र भी ज्ञान नहीं है तो कृपया बैठिये ।

श्री अध्यक्ष---

यह मेरा काम है, घबड़ाने की कोई बात नहीं है ।

श्री रामकृष्ण द्विवेदी---

श्रीमन् आपकी आज्ञा से मेरा तो केवल इतना आग्रह था कि संसदीय प्रणाली में प्रश्नों का एक प्रहर होता है । (व्यवधान) प्रश्नों का प्रहर समाप्त होने के बाद भी अगर कोई माननीय सदस्य एक कल्पना के आधार पर कोई बात कहते हैं तो बड़ा आश्चर्य होता है और वह भी जब इतने पुराने सदस्य कहते हैं । मैंने तो मात्र निवेदन यही किया कि एक प्रणाली होती है, एक प्रहर होता है प्रश्नों के पूछने का । जो प्रश्न पूछा गया वह कोलाहल की वजह से मेरे कानों तक नहीं पहुंचा और वे शब्द आपके कानों तक भी नहीं पहुंचे । यदि कोई जानना चाहता है प्रश्नों के प्रहर के बाद भी तो आपकी आज्ञा होने पर उसका जवाब देने में मुझे रंचमात्र भी संकोच नहीं है । उन संसद सदस्य का नाम है श्री कृष्णचन्द्र पांडेय ।

(व्यवधान)

श्री कल्पनाथ सिंह---

फिर भी श्रीमन् यह नहीं बतलाया गया कि वे किस दल के सदस्य हैं ।

श्री अध्यक्ष--

रूलिंग पार्टी के हैं, यह तो उन्होंने कहा था।

श्री कल्पनाथ सिंह--

रूलिंग पार्टी से क्या मतलब ? उनको कहना चाहिए कि वे इन्दिरा कांग्रेस के सदस्य हैं। (व्यवधान)

श्रीमन् आप सुनते नहीं हैं। आप देखें कि जब पार्लियामेंट के सदस्य, विधान सभा के सदस्य तथा उनके सगे सम्बन्धी डाकेजनी, मारपीट और राहजनी की घटनायें करें।

श्री अध्यक्ष--

यह तो आप व्याख्या कर रहे हैं।

श्री कल्पनाथ सिंह--

मैं व्याख्या नहीं कर रहा हूं। मैं तो आपके माध्यम से केवल एक ही चीज का उत्तर चाहता हूं कि ऐसे मामले में आज तक कोई गिरफ्तारी नहीं की गयी है, तो क्या सरकार अपने कलंक को धोने के लिये कि इस देश और प्रदेश में गुंडा राज नहीं है, कानून का राज है और सबके साथ एक सा इन्साफ होता है, आज ही इस प्रकार का आदेश देगी कि सभी मुल्जिम गिरफ्तार किये जायेंगे ?

श्री अध्यक्ष--

यह तो आपको खुद समझना चाहिये कि ऐसी चीज नहीं होनी चाहिये। अगर आप इस पर कुछ चर्चा करना चाहते हैं तो आप नियम ४९ में इस प्रश्न को दीजिये। आप दे सकते हैं। उन्होंने नाम दे दिया है, अब इसको खत्म कीजिये। इसमें गर्म होने की कोई बात नहीं है।

श्री कल्पनाथ सिंह--

नियम ४९ में आप स्वीकार कर लेंगे न ?

श्री अध्यक्ष--

जी हां, मेरे पास भेज दीजियेगा।

श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)--

श्रीमन्, आपके माध्यम से मैं केवल इतना जानना चाहता हूं कि क्या अदालतों को कमिटेड बनाने के लिये जो कल्चरल रेवोल्युशन शुरू किया गया है, उसी के तहत यह मारपीट शुरू की गयी है ?

श्री अध्यक्ष--

नियम ४९ में आप इस प्रश्न को दे दें। सारी चीजें सामने आ जायेंगी। अब आगे चलें।

(व्यवधान)

श्री सुखपाल पांडेय (जिला बस्ती)--

श्रीमन्, अगर हमारी बात नहीं सुनेंगे तो यह सदन चलेगा नहीं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, जो यह प्रश्न किया गया है, यह हमारे जिले का मामला है। यह घटना २८ जून को हुई। २८ जून को श्री कलाधर शाही जो मुन्सिफ हैं, जज नहीं हैं, सुलतानपुर जा रहे थे...

श्री अध्यक्ष--

आप भाषण न दें।

श्री सुखपाल पांडेय--

मैं भाषण नहीं दे रहा हूं। आप को समझा रहा हूं क्योंकि आपकी समझ में बात आयी नहीं है। ट्रक उनकी जा रही थी, जब कार उनकी पास हो गयी उसके बाद ट्रक को रोक कर, कार को रोक कर जो ड्राइवर व कोई मुहर्रिर था जो हमारी ही तहसील का रहने वाला है, उसको तथा श्री कलाधर शाही के साथ के लोगों को सड़क पर बुरी तरह से मारा। और उसके लिये हमारे समाजवादी भाई आवाज नहीं उठा रहे हैं। ड्राइवर मारा गया। उनके साथ एक महिला थी उसको कोई चोट नहीं पहुंची। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में स्वीकार किया है कि हमने ट्रक को रोका। हमारे आदमियों से कहा सुनी हुई और हमने बीच बचाव किया। सरकारी पक्ष के लोग हैं और विपक्ष के लोग हैं लेकिन उस ड्राइवर के लिये कोई एक भी बात कहने वाला नहीं है जिसको सड़क पर मारा गया।

श्री अनन्तराम जायसवाल---

इसमें बड़ी छानबीन करनी पड़ेगी। इसमें ठाकुर बनाम ब्राह्मण का मामला है।

*श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)---

मैं यह निवेदन करना चाहता था कि जो यह सदन में सारी अव्यवस्था हो रही है वह क्यों है? पहली बात यह है जिसे सभी समझते होंगे कि यह अव्यवस्था इसलिये हो रही है कि इस पर कोई नियंत्रण करने वाला नहीं है। दो कारणों से यह अव्यवस्था हो सकती है। पहले तो पता नहीं चार दिन से मुख्य मंत्री क्यों अनुपस्थित हैं। अगर कोई आन्तरिक झगड़ा है जिसके कारण वह यह समझते हैं कि उनकी स्थिति डावांडोल है तो उनको यहां उपस्थित रहना चाहिये। अगर उधर के लोगों को उत्तर ठीक से नहीं मिल पा रहा था और ऐसी अव्यवस्था पैदा हो रही थी तो उसको रोकने के लिये कोई भी वरिष्ठ सदस्य मंत्रि-मंडल का नहीं था। बहन जी जो कांग्रेस की अध्यक्ष हैं उस अव्यवस्था को रोकने में बिल्कुल असफल रहीं। नियंत्रण रखने की सब से बड़ी जिम्मेदारी मुख्य मंत्री जी की है या उनकी अनुपस्थिति में वरिष्ठ मंत्री की है। जब कोई प्रश्न विरोधी पक्ष करता है तो सका उत्तर वह चाहता है, टालमटोल वाला उत्तर वह नहीं चाहता। यह आपका कर्तव्य है कि उसके इस हित की रक्षा करें। विरोधी पक्ष पर दोषारोपण लगाना कि वह हल्ला करता है बेईमानी है। विरोधी पक्ष के लिये यह स्वाभाविक है। अभी आई० सी० एस० तथा आई० पी० एस० वाला प्रश्न किया गया तो उत्तर मिला निश्चित नीति नहीं रही है, विचार किया जायगा इत्यादि-इत्यादि। इस प्रकार प्रश्न का उत्तर तो दिया नहीं जाता। अब किसका कर्तव्य है कि दखल देकर दोनों पक्षों को सीधे रास्ते पर लावें। इस पर आपको सजग रहना चाहिये और अगर दोनों पक्ष गैर-जिम्मेदार हैं तो कुर्सी का कर्तव्य है नियंत्रण रखना। हो सकता है कि आप उस वक्त सुन न पायें हों और इसलिये सीधे उनसे उत्तर न दिलवा पाये हों। लेकिन मेरे दिल में यह खटक रह जाती है कि आप अगर असफल रहे इस तरह से तो फिर नियंत्रण होना मुश्किल हो जायगा जब इस पक्ष का अहित होगा तो कंट्रोल नहीं हो सकेगा और वह स्वाभाविक है कि जनतंत्र की रक्षा तभी हो सकेगी जब आप हमारे हितों की रक्षा करेंगे।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष---

आप आखिर में उठे हैं। जिस समय मैं किसी को रोकता हूं और न इधर से और न उधर से कोई नहीं रुकता है तो उसके लिये क्या किया जाय? मैं कैसे सुन सकूंगा अगर २५ आदमी एक दम बोलना शुरू कर दें। मेरे कान इतने तेज नहीं हैं और न कोई ऐसा फोन लगा है जो जल्दी से पता लग जाय। जिस वक्त मैंने सुना कि वह नाम चाहते हैं तो मैंने जोर से कहा कि आपको बतलाना चाहिये। बहुत सी दफा ऐसा होता है कि बतलाने से कहीं कानून के शिकंजे में वह न फंस रहा हो, ऐसा डर लगता है। मुख्य मंत्री जी मौजूद नहीं हैं। सी० आई० डी० में मामला दिया हुआ है। अब मैं चूंकि कानून समझता हूं लिहाजा मैंने उनको मजबूर करते हुए कहा कि अगर वह बतला देंगे नाम तो कोई नुकसान नहीं होगा। यह उनके हित में ही है। यह सदन के हित में है कि आप सब चीज यहां पर बता दें जो कुछ भी आपको मालूम हो। इससे कोई नुकसान होने वाला नहीं है और अदालत में कोई असर पड़ने वाला नहीं है। तो मैंने इस पर जोर दिया कि उन्हें बता देना चाहिए। दूसरा सवाल यह उठा कि आपने यहां के सदस्य का नाम लिया, संसद सदस्य का नाम नहीं लिया। क्योंकि कि हल्ला हो रहा था इसलिये यह बात सुनने में नहीं आई। मैं यह समझा आप उसी के ऊपर जिक्र कर रहे हैं इसलिये मैंने कहा कि आप बैठ जायं। तो ऐसी चीजें हो जाती हैं जिन पर आपको सोचना चाहिए। माननीय मुख्य मंत्री जी बीमारी हैं और यहां पर नहीं आ सकते हैं। कुछ दिनों तक मैं भी यहां पर नहीं आ सका हूं और दोपहर के बाद ही यहां पर बैठता था। मैं भी अस्वस्थ था और अभी तक पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ हूं। मेरे हार्ट में अभी तकलीफ है। तो जब आप शोर करेंगे तो उससे मेरा नुकसान ही होगा और कुछ नहीं हो सकता है। मैं इसीलिये कह रहा हूं कि...

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी---

मान्यवर, हमारी नीयत ऐसी नहीं है। हम कभी ऐसा नहीं सोच सकते हैं। आप चिरंजीवी रहें। हम तो सिर्फ अपने अधिकार की बात कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष---

मैं तो हर तरफ से अपोजीशन के अधिकारों को सुरक्षित रखने की कोशिश करता हूं। कल भी आपने देखा कि मैंने इस प्रश्न को टाल दिया था और उसे चलने नहीं दिया था। मैंने उन लोगों को समझाने की कोशिश की कि वे सदन से माफी मांग लें क्योंकि उन्होंने सदन में पर्चे फेंके थे। यदि वे नहीं समझे तो मैंने उस प्रश्न को सदन के विचार के लिये छोड़ दिया और उसे यहां भेज दिया ताकि सदन ही इस सम्बन्ध में कोई निर्णय लें। मैं कोशिश करता हूं कि जो विरोधी दल है, अल्पसंख्यक है उनकी जो कठिनाइयां हैं उनके हितों और अधिकारों की सुरक्षा करना मेरा फर्ज है। इसीलिये मैंने उनको मजबूर किया और मंत्री जी से कहा कि आपको इसका उत्तर देना पड़ेगा। यहां तक मैंने उनसे कहा कि यदि आप ऐसा नहीं करते तो आप सदन से हट जायं। किन्तु सवाल यह है कि सदन में हल्ला न हो तभी मैं उसका काम चला सकता हूं। अतः मैंने जैसा कहा है कि आपको इसको ४९ में लिख कर मुझे भेज दें मैं उसे देख लूंगा।

श्री राजितराम पांडेय (जिला इलाहाबाद)---

मान्यवर, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि कल शाम को हमारे एस० एस० पी० नेता अनन्तराम जायसवाल जी हैं, उन्होंने यह मनगढन्त कहानी बना कर इस सदन में हमको मूर्ख कहा है और उसके बाद वे चले गये। मान्यवर, इस तरह जो उन्होंने सवाल यहां पर उठाया यह बहुत खेदजनक है। मान्यवर, जब ये स्वास्थ्य मंत्री

[श्री राजितराम पांडेय]

थे तो दो महीने तक अस्पताल में नर्सों से अपना पैर दबवाते रहे। तस्कर व्यापार करते रहे उस पर वे पकड़े भी गये। इनके शराब के ठेके पकड़े गये। मैं अभी उन लोगों को बता सकता हूं वे लोग मौजूद हैं। इस तरह से माननीय मंजूर साहब ने कहा कि उन के सामने उन्होंने सदन में क्या-क्या कहा था यह सारे सदन को मालूम ही है। मनगढ़न्त कहानी बना लेते हैं। लोगों के खिलाफ इस तरह के वातावरण पैदा कर देते हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप इस पर व्यवस्था दें। अभी माननीय सुखपाल पांडेय जी ने कुछ कहा तो वे कहने लगे कि ठाकुरों और बाभनों का झगड़ा है। पांडेय जी ने कहा कि जो ड्राइवर मारा गया उस ड्राइवर को मारा और मारने के बाद जो सामाजिक कार्यकर्ता धनुषधारी पांडेय वहां मौजूद हैं और यह भी देखें कि एक संसद के सदस्य वहां पर मौजूद हैं, उसका क्या फर्ज हो जाता है? एक सामाजिक कार्यकर्ता क्या करेगा? हमारे जो माननीय सदस्य इस प्रकार की बातें करते हैं उसका जोश-खरोश ठंडा नहीं हो सकता। वह ऐसा हुक्म दे रहे हैं। आप जानते हैं कि सरकारी अफसर कितना जुल्म ढा रहे हैं और उसी जुल्म के नतीजे पर मुंसिफ ने इस तरह की बात थोड़ी सी उन्होंने की और नतीजा यह हुआ अब वह ब्राह्मण-ठाकुर का सवाल ये नेता लगाते हैं और मनगढन्त बात करते हैं। ये अस्पताल में पड़े हुए थे बलरामपुर के। हमने कहा कि चलिये जो बोले कि "हमको यहां अच्छा लगता है", और इलेक्शन हो रहा था। तो राजनारायण जी और रामसेवक जी जब मजबूर किये तो इन्होंने अस्पताल छोड़ कर जाना तय किया। तो स्वयं भ्रष्टाचारी हैं और जिन्होंने इतने कुकृत्य किये हैं वह सदन में इस प्रकार की मनगढन्त बात करते हैं और सदन का अवमान करते हैं, आप इस पर व्यवस्था दें।

श्री अनन्तराम जायसवाल--

मान्यवर, अध्यक्ष जी यह जो व्यवस्था का सवाल उठाया गया कि कल इनको मैंने "मूर्ख बताया तो पूरे तथ्य आपके सामने आये नहीं। सारे तथ्य अपने सामने रख कर तभी व्यवस्था इस पर देनी चाहिए।

श्री अध्यक्ष--

मैं देख लूंगा इस चीज को। उसमें से "मूर्खता" निकल जायगी।

श्री परमाई लाल (जिला हरदोई)--

संख्या २६३ पर हमारा एक अल्पसूचित तारांकित प्रश्न था...

श्री अध्यक्ष--

मैं इजाजत नहीं दे रहा हूं, यह समय नहीं है, आप बैठिये।

श्री परमाई लाल--

जुलाई ११ को माननीय मुख्य मंत्री के पुत्र मायापति हरदोई गये थे। पुलिस उनके स्वागत में खड़ी थी। तो हमने इस विषय में पूछा था कि जब श्रीमती सुचेता कृपालानी वहां गयी थीं तो कुछ भी ऐसी व्यवस्था नहीं की गयी थी जब कि वे मुख्य मंत्री थीं और जब मायापति गये उनके स्वागत के लिए इतनी पुलिस का प्रबन्ध किया गया, ट्रैफिक लगाया गया। तो हमारा सवाल था कि इसका क्या कारण है। तो उसको रद्द कर दिया गया। इसको स्वीकार कीजिये, यह निवेदन आपसे है। ऐसी व्यवस्था दीजिये।

श्री अध्यक्ष--

फाइल पर हम देखेंगे, फाइल देख लें।

श्री वीरेन्द्र वर्मा द्वारा सदन में बोलने का अवसर न मिलने के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री वीरेन्द्र वर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)--

एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष--

अब आप उठ गये ! काम होना चाहिए अब।

श्री वीरेन्द्र वर्मा--

मेरा व्यवस्था का प्रश्न आप सुन लीजिये, श्रीमन्।

श्री अध्यक्ष--

बोलिये आप।

श्री वीरेन्द्र वर्मा--

मान्यवर, १५ दफे मैं अपने स्थान पर खड़ा हुआ और यह स्थान भी ऐसा नहीं है कि आपकी निगाह न पड़ सके।

श्री अध्यक्ष--

आप ? आज ! !

श्री वीरेन्द्र वर्मा--

जी, अभी आप अपने सचिव से मालूम कर लें। १५ दफा इसी स्थान पर खड़ा हुआ। वह काम मैंने नहीं किया कि मैं शोर मचा कर आपके ध्यान को आकर्षित करूं। आप मुझसे सहमत होंगे कि इस माननीय सदन के जितने भी माननीय सदस्य यहां पर बोलते हैं, अगर कुछ शान्तिपूर्वक अपने स्थान पर खड़े हो जाते हैं तो आपके जरिये से उनको समय नहीं दिया जाय, केवल उन माननीय सदस्य को समय आप देते हैं--पहले मेरी बात सुन लीजियेगा। मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं इस प्रश्न पर। तो जो माननीय सदन के सदस्य अपने स्थान पर खड़े होकर शोर मचा कर आपका ध्यान आकर्शित करते हैं केवल उन्हीं आदमियों को आप समय देते हैं। और मान्यवर, अगर मैं नाम बताऊं तो श्री राजितराम पांडेय उन्हीं में से हैं और सुख पाल पांडेय भी उन्हीं में हैं। माधव प्रसाद जी, रियासत हुसैन, अनन्तराम जायसवाल, कल्पनाथ सिंह जी, नित्यानन्द स्वामी और कृष्णानन्द राय हैं और उधर के भी हैं।

तो मुझे यह अत्यन्त दुख के साथ कहना पड़ता है कि आप जैसे अनुभवी अध्यक्ष की अध्यक्षता में ऐसी अस्वस्थ परम्पराओं का विकास इस सदन में हो रहा है, इसका मुझे अत्यन्त खेद है। और मैं आपकी व्यवस्था चाहूंगा कि क्या आप उन व्यक्तियों को बोलने का मौका देंगे जो शोर मचा कर आपका ध्यान आकर्षित करते हैं अथवा उनको अवसर देंगे जो शान्ति के साथ अपने स्थान पर खड़े हो जाते हैं। एक इस प्रश्न पर मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं।

दूसरे मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि कल भी आपने देखा और आज भी आपने देखा कि सरकार की तरफ प्रश्नों के जो उत्तर दिये जाते हैं वह सही तरीके से नहीं दिये जाते हैं। उनको छिपाया जाता है, खपाया जाता है और सरकार को तथा सदस्यों को बचाने की चेष्टा की जाती है। तीन दफा माननीय सुरेन्द्र विक्रम सिंह और कल्पनाथ सिंह जी ने प्रश्न किया कि वे किस माननीय सदस्य के पुत्र हैं और उन किन माननीय सदस्य लोक सभा के भाई हैं। उनके नाम बताये जायं। लेकिन एक दफा भी उसका उत्तर नहीं दिया गया

[श्री वीरेन्द्र वर्मा]

और आप भी विरोधी पक्ष के सदस्यों के अधिकारों तथा हितों की रक्षा करने में असफल रहे हैं। इसी कारण से हाउस में अव्यवस्था बढ़ती है। व्यवस्था का नाम लेकर यहां पर अव्यवस्था की जाती है। आप जैसे अनुभवी व्यक्ति के होते हुए भी व्यवस्था कायम नहीं रखी जाती है। कल के प्रश्नों का उत्तर देख लें और आज के प्रश्नों का भी उत्तर देख लें। माननीय द्विवेदी जी कहने लगे कि यह सदन की परम्परा की बात है मेरे ख्याल से आप भी सहमत होंगे कि वे पहली दफा इसी साल इस माननीय सदन में चुन कर आये हैं। वह हमको तथा हाउस को परम्परा सिखायेंगे। मैं निवेदन मान्यवर, अपोजीशन के माननीय सदस्यों के अधिकारों तथा हितों की रक्षा करना आपका काम है और आप स्वयं भी इसको मानते हैं। लेकिन कुछ होता नहीं है। इसके लिये मुझे बड़ा खेद है। दूसरे आप व्यवस्था दें कि क्या शोर मचा कर जो आपका ध्यान आकर्षित करेंगे उनको मौका देंगे अथवा जो शान्तिपूर्वक अपने स्थान पर खड़े हो जायेंगे उनकी तरफ भी आपकी निगाह पड़ सकती है?

श्री बंशीधर पांडेय (जिला वाराणसी)--

माननीय वीरेन्द्र वर्मा जी का जो व्यवस्था का प्रश्न है उस पर मुझे कोई आपत्ति नहीं है लेकिन उन्होंने सदन के कई मनानीय सदस्यों के नाम लिये हैं। (व्यवधान)

श्री चन्द्रभान शर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)--

श्रीमन्, यह कौन सी व्यवस्था है। तीन आदमी खड़े हुये और उन्होंने बोलना शुरू कर दिया।

श्री अध्यक्ष--

यह अव्यवस्था है इसमें कोई शक नहीं है।

श्री बंशीधर पांडेय--

माननीय वीरेन्द्र वर्मा जी को या इनको पता नहीं क्या बात है।

(व्यवधान)

श्री वीरेन्द्र वर्मा--

जो व्यवस्था मैंने अब उठाई है वैसी ही व्यवस्था मैं उपाध्यक्ष महोदय के सामने भी उठा चुका हूं।

श्री अध्यक्ष--

वह व्यवस्था पहले चाहते हैं। मैं पहले व्यवस्था दे दूं।

श्री बंशीधर पांडेय--

माननीय वर्मा जी ने भी शोर मचा कर आपका ध्यान दिलाया। वही तरीका इस्तेमाल करके आपका ध्यान दिलाया।

श्री वीरेन्द्र वर्मा--

मैं अपने स्थान पर केवल १५ दफा खड़ा हुआ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)--

श्रीमन्, यह आपस की लड़ाई मुझे बहुत अच्छी लगी।

श्री बंशीधर पांडेय--

श्रीमन्, मैं इसी पर कहना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष--

दो व्यवस्था के प्रश्न एक साथ नहीं हो सकते।

श्री बंशीधर पांडेय--

कोई व्यवस्था ऐसी होती है कि इंडिवीजुअल हैसियत प्राप्त कर लेती है और कोई आक्षेपात्मक होती है। उन्होंने कुछ आक्षेप किया इसलिये मुझे कुछ कहना पड़ेगा।

श्री अध्यक्ष--

क्या मैं नहीं कह सकता? बात यह है कि आपने यह बात कही। मुझे पूरी तरह से याद है कि जितने प्रश्न हुये उनमें जितनी दफा आप खड़े हुये मैंने आपको बुलाया श्री माननीय वीरेन्द्र वर्मा जी को बुलाया और इस हल्ले में आप १० दफा नहीं १५ दफा भी खड़े हों, मेरी नजर पड़ेगी तो बुलाऊंगा, नहीं पड़ेगी तो नहीं बुलाऊंगा। हल्ले में पता ही नहीं लगता कि कौन नियमानुसार बोलना चाहता है। हर एक आदमी बोलना चाहता है। यहां बैठ कर आप देखें तो आपको मेरी मजबूरी मालूम पड़े। १००-५० आदमी एकदम खड़े हो जाते हैं और हल्ला करते हैं, आप उस हालत में हों तब आपको पता पड़े कि अध्यक्ष उस समय क्या करता है। माननीय नित्यानन्द जी यह जानते हैं क्योंकि यहां बैठे हैं। यह दिक्कत उन्होंने अनुभव की है। जैसे राम कुमार जी शास्त्री वहां भी जोरों से हल्ला करते रहे और फिर यहां आकर किया। मैंने कहा कि बोल लो। नतीजा यह होता है कि और लोग हल्ला करते हैं। सदन में जब ज्यादा हल्ला होता है तो मैं सदन को स्थगित कर देता हूं लेकिन रोजाना सदन को स्थगित करना भी मुनासिब नहीं होता, इसलिये मैंने सोचा कि आज हल्ला ही कर लेने दिया जाय, उसको बरदाश्त कर लिया। वैसे तो जब भी आप प्रश्न करने के लिये खड़े होते हैं, मैं बुला लेता हूं और इस लिये बुला लेता हूं कि चरण सिंह जी की गैरहाजिरी में आप उस पार्टी के लीडर हैं। श्री चन्द्रभान और आप खड़े हुए, मैंने आपको बुला लिया। इस तरह मैं अधिक से अधिक लोगों को बुलाने की कोशिश करता हूं। हर एक सदस्य बोलना चाहता है और हर एक इस बात को कहता है कि मैं इतनी बार खड़ा हुआ हूं। आप खड़े हों और दूसरे लोग हल्ला करते हैं, हो सकता है उस हल्ले की वजह से मैं आपकी तरफ निगाह न डाल सका होऊं। चारों तरफ मेरे जब हल्ला होता है तो मेरी कुछ दिक्कत बढ़ जाती है। कोशिश मैं करता हूं लेकिन जब हल्ला होता है तो जरूर कुछ सिटपिटा जाता हूं, सोचता हूं कि क्या करूं। क्या सदन को स्थगित कर दूं। जब लोग नहीं मानते और इकट्ठा खड़े होते हैं तो मेरी भी दिक्कत हो जाती है लेकिन उसको भी गवारा करता हूं और सोचता हूं कि हम लोग जिस तरह से कल बैठे थे, इसको भी बैठ कर तय कर लें कि ऐसी हालत में क्या किया जाय।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)--

क्या आप शाम को मिलेंगे?

श्री अध्यक्ष--

जब आप चाहेंगे, मिलेंगे। मैं कल भी बैठा था और बहुत देर तक बैठा रहा।

अब आप लोग आगे का काम चलने दें। मैं प्रार्थना करूंगा कि अब कोई व्यवस्था का प्रश्न न उठायें।

श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)--

अध्यक्ष महोदय, माननीय वीरेन्द्र वर्मा ने हम लोगों का नाम लिया, उन्होंने बहुत सही किया। इस समय वे सबसे अधिक अव्यवस्थित ढंग से आपका ध्यान आकर्षित कर रहे हैं।

श्री वीरेन्द्र वर्मा--

मैं एक पर्सनल एक्सप्लेनेशन देना चाहता हूं। मैं माननीय कृष्णानन्द राय जी को मुबारकबाद देता हूं उन्होंने जो शब्द कहे, उनके लिये। मैं केवल यह कहना चाहता हूं कि मैं किसी पर आक्षेप नहीं करना चाहता था और न मुझे आपके ऊपर आक्षेप करना है। यह अनुभव मेरा है और आपका भी होगा कि जो शोर मचाते हैं उनकी तरफ आपका ध्यान आकर्षित होता है।

नेता सदन की अनुपस्थिति में उनके स्थान पर कार्य करने वाले मंत्री के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री रामबिलास पांडेय (जिला आजमगढ़)--

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री--नेता सदन हाउस में इधर एक हफ्ते से नहीं हैं, बीमार हैं। उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है जिसकी वजह से वे हाउस में नहीं आ रहे हैं। कभी ऐसा होता है कि माननीय उदित नारायण शर्मा जी नेता सदन के रूप में आ जाते हैं, कभी माननीया वाजपेयी जी नेता सदन के रूप में आ जाती हैं तो कभी डाक्टर सीताराम नेता सदन की कुर्सी पर बैठ जाते हैं। कभी ऐसा भी होता है कि मुख्य मंत्री जी के पीछे बैठे दोनों उनके मंत्री जो मुख्य मंत्री जी की तरफ से जवाब देते हैं, उनमें माइक की छीना-झपटी होती है और पहले बोलने की होड़ लगाते हैं। वे कहते हैं मैं बोलूंगा, वे कहते हैं मैं बोलूंगा।

(व्यवधान)

गृह उपमंत्री (श्री रामकृष्ण द्विवेदी)--

मैं प्वाइंट आफ आर्डर रेज कर रहा हूं।

श्री रामबिलास पांडेय--

श्रीमन्, मेरी व्यवस्था हो जाने दीजिये।

(व्यवधान)

श्री रामबिलास पांडेय--

मुख्य मन्त्री जी बीमार हैं और उस बीमारी में वह विद्यापीठ के चांसलर बन गये। आज बड़ी चर्चा है कि चन्द्रजीत यादव और कपूर साहब लखनऊ में आ रहे हैं। जब ये लखनऊ में आते हैं तो कोई न कोई नया करिश्मा यहां होता है। लाबी में भी यह चर्चा है कि माननीया बाजपेयी जी मुख्य मंत्री होने वाली हैं और पंडित कमलापति त्रिपाठी चांसलर होने वाले हैं। माननीय नारायण दत्त तिवारी और माननीय उदित नारायण शर्मा हाउस में नहीं हैं। ये लोग भी अपनी गोली फिट करने में लगे हैं कि हम मुख्य मंत्री हों। तो मैं चाहता हूं कि मंत्रिपरिषद् के लोग यह तय कर लें कि नेता सदन की अनुपस्थिति में माननीय उदित नारायण शर्मा नेता सदन हैं या माननीया वाजपेयी जी हैं या माननीय तिवारी जी हैं या माननीय डाक्टर सीताराम हैं। अव्यवस्था होने का कारण यही अनिश्चितता है। इसलिये इस पर आप व्यवस्था दें।

शासक दल के सदस्यों को अनुपूरक प्रश्न करने का कम अवसर मिलने के संबंध में शिकायत

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)--

माननीय वीरेन्द्र वर्मा जी ने एक प्रश्न उठाया। मुझे उन्होंने बिला वजह कह दिया। आज तो मुझे आपने मौका ही नहीं दिया। मैं एक सप्लीमेंटरी करना चाहता था। लेकिन

चूंकि आज शाम को आपने बात करने के लिये कहा है इसलिये मैं कह रहा हूं। आज इस सदन में ७ प्रश्न हुये जिनमें से ३ प्रश्न ऐसे थे जो शासक दल की तरफ से किये गये थे। लेकिन खेद की बात है कि शासक दल की तरफ के लोगों को आपने बहुत कम मौका दिया सप्लीमेंटरी करने का बावजूद इसके लिये हम लोग बार-बार आग्रह करते रहे कि हमको भी मौका दीजिये और उस तरफ के लोगों को सारा मौका मिला। हम लोग भी अपने-अपने क्षेत्र की नुमायन्दगी करते हैं। हमारा भी अधिकार है सदन के अन्दर कुछ प्रश्न करने का। शाम को जब आप निर्णय लें तो इस बात को भी ध्यान में रखें कि शासक दल के लोगों को भी उनका हक मिलना चाहिये ताकि हम लोगों को भी सप्लीमेंटरी करने का मौका मिले।

(व्यवधान)

कानपुर में बिजली कर्मचारियों की हड़ताल के संबंध में वक्तव्य की मांग

श्री मोतीलाल देहलवी (जिला कानपुर)--

मान्यवर, मैं इस सदन में कई बार यह प्रश्न उठा चुका हूं कि कानपुर में बिजली कर्मचारियों की हड़ताल काफी दिनों से चल रही है। इसी सदन में बिजली मंत्री ने आश्वासन दिया था कि पीजयन होल में वक्तव्य रख दिया जायगा। लेकिन आजतक वह वक्तव्य न तो सदन के अन्दर हुआ और न पीजयन होल में रखा गया। तो इस सदन को भी बिजली मंत्री गुमराह कर रहे हैं और कानपुर की जनता को और हड़ताली कर्मचारियों को भी गुमराह कर रहे हैं। तो वहां की स्थिति खराब होती चली जा रही है और उसका असर मिल के मजदूरों पर पड़ रहा है। उनको काम में नहीं मिल रहा है, परेशान और दुखी हैं। तो इसका कोई तो हल निकालना चाहिये।

श्री अध्यक्ष--

आज आप नियम ५१ में दीजिये मैं स्वीकार कर लूंगा।

प्रदेश में मध्यावधि चुनाव होने की सम्भावना के संबंध में जानकारी

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)--

मैं इनका समर्थन तो करता ही हूं। मैंने ३०१ में एक नोटिस दिया था और आपने कहा था कि पंडित जी यहां पर नहीं हैं इसलिये हम न उठायें। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि पंडित जी की छुट्टी शायद लम्बी है और शायद सदन के अन्त होने तक वह आ पायें या न आ पायें। भगवान उन्हें निरोग करे और वह जल्द यहां आ जायं।

श्री अध्यक्ष--

क्या आप अब उन की राजनैतिक छुट्टी समझते हैं?

*श्री नित्यानन्द स्वामी--

हम तो ऐसा नहीं चाहते यह तो उनके दल के अन्दर की बात है, इन्दिरा जी की बात है लेकिन कल जो उनके पार्लियामेंटरी बोर्ड की मीटिंग हुई और उस में जो निश्चय हुआ कि जिन राज्यों में प्रेसीडेंट रूल है वहां पर और जहां पर सन १९७२ में चुनाव होने हैं वहां निश्चित रूप से सन् १९७२ में चुनाव होंगे लेकिन बाकी प्रदेशों में जो लूली लगड़ी सरकारें चल रही हैं वहां के मुख्य मंत्रियों से भी बातचीत करके निर्णय लिया जायगा और उन मुख्य मंत्रियों को भी बुलाया गया। तो हम जानना चाहते हैं कि क्या हमारे मुख्य मंत्री जी से भी कोई ऐसी राय ली गई है कि मिडटर्म पोल यहां भी १९७२ में करा दी जाय और अगर ली गई है तो उन्होंने क्या राय दी है या

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री नित्यानन्द स्वामी]

राय ली जा रही है या ली जायगी, तो जो परिस्थिति हो उससे वह हमें अवगत करा दें। क्या वह इस विधान सभा को डिजाल्व करने की राय देने जा रहे हैं और मिड टर्म पोल यहां कराना चाहते हैं। यह सारे प्रश्न विधायकों के दिमाग में अनिश्चितता पैदा किये हुये हैं और प्रतिदिन यहां सत्तारूढ़ दल की ख्याति गिर रही है और उनके खोखले नारे खोखले साबित हो रहे हैं, प्रतिदिन हालत गिर रही है। ऐसा कहा जा रहा है कि वह चाहते हैं कि लगे हाथ यह चुनाव भी हो जाय तो क्या मुख्य मंत्री ने यह राय दे दी है कि १९७२ में यहां चुनाव हों या वह ऐसी राय देने जा रहे हैं। डाक्टर वाजपेयी खड़ी हैं अब मैं बैठता हूं और मैं चाहता हूं कि उधर से स्पष्ट बात आ जाय।

चिकित्सा मंत्री (डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी)--

माननीय अध्यक्ष, हमारे पार्लियामेंटरी बोर्ड के निर्णय के बाद अब माननीय सदस्यों को कोई शंका भी ऐसी नहीं रहनी चाहिये क्योंकि यह निश्चय है कि उत्तर प्रदेश में अभी किसी तरह से भी चुनाव होने का प्रश्न नहीं है और हमारी स्थायी सरकार सन् १९७४ तक चलने वाली है। जहां तक माननीय मुख्य मन्त्री जी से पूछने की बात है, माननीय सदस्यों ने अखबार पूरा नहीं पढ़ा.....

(व्यवधान)

उसमें लिखा है कि वह प्रदेश जैसे कि गुजरात आदि हैं उनके मुख्य मन्त्रियों से पूछ कर निश्चित तिथि की जायेगी, वह निर्णय अन्य प्रदेशों के लिये नहीं है हम दोनों ने मालूम होता है अलग-अलग अखबार पढ़ा है।

श्री अध्यक्ष--

बाद में दिखला देंगे.....

(व्यवधान)

श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)--

असल में कठिनाई यह है कि आज के जमाने में 'नहीं' कहा जाता है तो उसको 'हां' माना जाता है....

(व्यवधान)

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)--

जो चालाक आदमी होता है वह जान-बूझकर कहीं कमिट न हो जाय इसलिये वह कुछ कहने को अवायड करता है। इसीलिये मुख्य मन्त्री जी से उत्तर न दिला कर बड़ी चतुराई से आरों से उत्तर दिलाया जाता है। माननीय मुख्य मत्री जी ही इस शंका का निवारण करते लेकिन उनकी जगह पर श्री धर्मदत्त जी भी चाहे कुछ कहें उसका कोई महत्व नहीं है। यह हो रहा है कि उनसे कमिटमेंट न कराओ और बड़ी चतुराई से वह अपने को बचा रहे हैं।

उत्तर प्रदेश हाई स्कूल तथा इन्टरमीडिएट कालेज (अध्यापकों तथा अन्य कर्मचारियों के वेतन का भुगतान) विधेयक, १९७१ तथा विधान परिषद् द्वारा किये गये संशोधन

सचिव, विधान सभा--

अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५९, के नियम १५०(२) के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश हाई स्कूल तथा इन्टर-मीडिएट कालेज (अध्यापकों तथा अन्य कर्मचारियों के वेतन का भुगतान) विधेयक, १९७१" को,

उसमें उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा किये गये संशोधनों सहित, सदन के पटल पर रखता हूं। यह विधेयक उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा १० अगस्त, १९७१ को पारित किया गया था और १८ अगस्त, १९७१ को विधान परिषद् द्वारा संशोधनों सहित वापस प्राप्त हुआ है।

(देखिये नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ ६६४ पर)

इलाहाबाद हाई कोर्ट के अन्तर्गत पश्चिमी जिले तथा जिला शाहजहांपुर व उसके निकटवर्ती जिले भी लखनऊ हाई कोर्ट बेंच के अन्तर्गत मिला दिये जाने के संबंध में याचिका

श्री सुरेन्द्र विक्रम (जिला शाहजहांपुर)--

अध्यक्ष महोदय, आप की आज्ञा से मैं इलाहाबाद हाई कोर्ट अधिकार क्षेत्र कम करके उसके अन्तर्गत पच्छिम के जिले लखनऊ हाई कोर्ट बेंच में मिला दिये जाने तथा जिला शाहजहांपुर में उसके निकट के जिले भी लखनऊ हाई कोर्ट बेंच के अन्तर्गत मिला दिये जाने के संबंध में श्री महाराज अजेय, एडवोकेट, शाहजहांपुर तथा अन्य व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

उन्नाव से कांथा जाने वाली राजकीय बस में सर्वश्री देशराज सिंह व कृष्णपाल सिंह की हत्या के संबंध में नियम ५१ के अन्तर्गत वक्तव्य

गृह उपमंत्री (श्री रामकृष्ण द्विवेदी)--

दिनांक अगस्त १९७१ को लगभग साढ़े छः बजे शाम को श्री देश राज सिंह निवासी ग्राम बरुआ, थाना अजगैन अपने चचेरे भाई श्री कृष्ण पाल सिंह के साथ अपने ग्राम बरुआ जाने के लिये उन्नाव से कांथा जाने वाली राजकीय बस पर उन्नाव से रवाना हुए। उस बस में लगभग ३२ यात्री उन्नाव से विभिन्न स्थानों के लिये बैठे थे। यात्रियों में श्री शिवरतन सिंह निवासी ग्राम बरुआ और श्री छोट्टन सिंह निवासी मल्लावां तथा उनके दो अन्य साथी भी थे। जब बस उन्नाव से लगभग ३ किलो मीटर की दूरी पर पहुंची तब श्री शिवरतन सिंह तथा श्री छोट्टन सिंह ने सर्वश्री देश राज सिंह और कृष्ण पाल सिंह पर गोली चलाई और उनके दो अन्य साथियों ने श्री कृष्णपाल सिंह को चाकू मारा। यात्रियों के शोरगुल पर बस रुक गई तथा अपराधीगण बस से उतर कर भाग गये। श्री कृष्ण पाल सिंह की मृत्यु घटनास्थल पर ही हो गई तथा श्री देश राज सिंह की मृत्यु उसी रात अस्पताल में हो गई।

घायल अवस्था में श्री देशराज सिंह द्वारा लिखाई गई रिपोर्ट के आधार पर थाना कोतवाली, उन्नाव पर मुकदमा धारा ३०२/३०७ भारतीय दण्ड विधान के अन्तर्गत दर्ज करके जांच प्रारम्भ की गई। प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार यह हत्या पुरानी दुश्मनी के कारण हुई है। नामजद दोनों अभियुक्त फरार हैं और उन की गिरफ्तारी तथा उनके दो अन्य साथियों का पता लगाने के लिये विवेचना चल रही है। जाप्ता फौजदारी की धारा ८७/८८ के अन्तर्गत अधिपत्र जारी करने के लिये न्यायालय को आख्या दी जा चुकी है।

यह बात सही है कि हमलावारों ने बस के अन्य यात्रियों को जान से मारने की धमकी दी थी परन्तु यह बात सही नहीं है कि जिले अथवा उस क्षेत्र में भय और क्षोभ का वातावरण व्याप्त है अथवा जनता राजकीय बसों में यात्रा करने में असुरक्षा अनुभव कर रही है।

श्री कृष्ण स्वरूप वैश्य (जिला बदाऊं)--

श्रीमन, इस सम्बन्ध में मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं। मंत्री जी के वक्तव्य में कहा गया है कि जाप्ता फौजदारी की धारा ८७/८८ के अन्तर्गत अधिपत्र जारी करने के लिए न्यायालय को

[श्री कृष्ण स्वरूप वैश्य]

आख्या दी जा चुकी है। तो मैं यह जानना चाहता हूं कि न्यायालय में धारा ८७/८८ के अन्तर्गत कार्यवाही करने की कब प्रार्थना की और न्यायालय ने क्या आदेश दिए ?

नियोजन राज्य मन्त्री (श्री ओम प्रकाश सिंह)--

जो हमारे पास सूचना है वह यह है कि उन्होंने १६ अगस्त, १९७१ को कोर्ट में आज्ञा मांगी?

श्री कृष्ण स्वरूप वैश्य--

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि न्यायालय न क्या आदेश दिए ? इसका उत्तर नहीं आया ?

श्री ओम प्रकाश सिंह--

जो सूचना हमारे पास थी वह दे दी गयी। इतनी जल्दी में और सूचना प्राप्त नहीं हो पायी। १६ अगस्त १९७१ को आख्या दी जा चुकी है।

श्री कृष्ण स्वरूप वैश्य--

इसमें ऐसा होता है कि जो धारा ८७/८८ के अन्तर्गत दरखास्त दी जाती है तो इस पर कोई बहस नहीं होती है और न्यायालय तुरन्त आर्डर कर देता है। तो कोर्ट ने इस पर क्या आदेश दिया ?

श्री अध्यक्ष--

उन्होंने कह तो दिया है कि उनके पास यह सूचना नहीं है।

जिला इटावा में हरिजनों से जबरदस्ती जमीन छीने जाने के संबंध में वक्तव्य की मांग

श्री सुरेन्द्र विक्रम (जिला शाहजहांपुर)--

माननीय नेता विरोधी दल ने प्रार्थना की थी और माननीय उपाध्यक्ष ने मंजूर कर लिया था नियम ५१ के अन्तर्गत। यह ही नहीं यह ४-५ बार प्रश्न भी आया इसमें श्रीमन्, हरिजनों से जमीन जबरदस्ती छीने जाने का मामला है, इसलिए अच्छा हो यदि आप इसे नियम ५१ में कल ले लें और मुख्य मंत्री से वक्तव्य दिला दें ?

श्री अध्यक्ष--

इसके लिए आप स्टेटमेंट लिख कर दे दीजिए कि आपको क्या एतराज है ?

श्री सुरेन्द्र विक्रम--

श्रीमन्, यह इटावा जिले के हरिजनों का मसला है।

श्री अध्यक्ष--

पहले वक्तव्य तो हो जाय ?

श्री बंशीधर पांडेय (जिला वाराणसी)--

श्रीमन्, पहले यह कार्य-स्थगन के रूप में आया था लेकिन माननीय उपाध्यक्ष ने नियम ५१ में लेने को कहा था। हम चाहते हैं कि इसको नियम ५१ में ले लिया जाय। आप के सेक्रेटेरिएट से चार बार हटाया गया है। स्थगन मांगा है। सरकार उसका सन्तोषजनक उत्तर नहीं दे ा चाहती।

श्री अध्यक्ष--

इसको मैं देख लूंगा। आप कह रहे हैं। स्थगन मांगा था। स्वीकार नहीं किया। वे वक्तव्य दे रहे हैं आप उसे नहीं सुन रहे हैं। जो स्पष्टीकरण चाहते हैं उस पर चर्चा हो जाय।

श्री बंशीधर पांडेय--

यह बयान दे दें। हम कोई ज्यादा प्रश्न थोडे ही पूछेंगे।

राजस्व मंत्री (श्री उदित नारायण शर्मा)--

हमारे पास जो इसकी सूचनायें आई थीं जो जानकारी हासिल की गई थी उससे हम स्वतः सन्तुष्ट नहीं थे। इसलिये हमने चाहा था कि हमको समय मिल जाय। आखिर अधिकारियों से मंगा कर ही हमको उत्तर देना पड़ता है। यदि माननीय सदस्यों को एतराज न हो तो आज स्थगित कर दें और किसी दूसरे रोज.....

श्री अध्यक्ष--

स्थगित कर दें।

श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा (जिला देहरादून)--

स्थगित करके आप अपने आप सन्तुष्ट हो जायं और इन पट्टों को कैन्सिल करके दूसरे जो पट्टे हैं हरिजनों के उनकी रक्षा का इन्तजाम कर सकें तो चर्चा की आवश्यकता नहीं है।

श्री भारत सिंह चौहान (जिला इटावा)--

मान्यवर, इटावा जिले से सम्बन्धित हरिजनों के बारे में मैंने एक सूचना दी थी। उसको भी इसमें जोड़ लिया जाय।

श्री अध्यक्ष--

एक-एक करके लें। क्या यह मारपीट का है? यदि जमीन का है तो उसमें जुड़ जायगा। आज स्थगित करता हूं।

श्री उदित नारायण शर्मा--

आज इसको स्थगित कर दें या जैसा कहा है, मुझे एतराज नहीं है। दोबारा देख लेंगे। म यह नहीं कह सकता कि उनको कैन्सिल ही कर दिया जायगा। अगर कैन्सिल करने लायक होंगे तो कैन्सिल भी कर दिया जायगा नहीं तो नहीं किया जायेगा। अगर दोबारा जांच से सन्तुष्ट हों तो दोबारा करा लेंगे। वैसे आप चाहेंतो मैं इस पर चर्चा भी दे सकता हूं, जिससे माननीय सदस्य सन्तुष्ट हों मैं वह करने के लिये तैयार हूं। श्रीमन्, मुझे केवल इतना निवेदन करना है कि जो आरोप आपने लगाये हैं उनमें कोई अविलम्बनीय बात नहीं है। अगर थोड़ा सा सा समय ऐसा दे दें जिसमें सूचना मंगा सकें तो अच्छा हो। जैसे कि हमारे पास सूचना आई है हमें इसमें नहीं मालूम कि जिन पर आरोप लगाये गये हैं उन से बयान भी लिया गया या नहीं। और ये बातें हमसे पूछना भी चाहेंगे जब हम खड़े होंगे अपना बयान देने के लिये।

श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा--

२६ तारीख को बयान दे दें।

श्री अध्यक्ष--

२६ को दे सकते हैं, ठीक है। हम ५१ में इसको समय से ले लेंगे।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)--

मैंने नियम ५६ के अन्तर्गत एक कामरोको प्रस्ताव दिया था कि चौदह साल की लड़की को कानपुर के अन्दर जिन्दा जलाया गया।

श्री अध्यक्ष--

अभी तक मैंने उसको पढ़ा भी नहीं है ।

श्री नित्यानन्द स्वामी--

वह जल गई, श्रीमन् ।

(हंसी)

श्री त्रिवेणी सहाय (जिला गोंडा)--

इसी सदन में कामरोको प्रस्ताव मैंने दिया था और आपने व्यवस्था दी थी कि हर हफ्ते में एक बार बाढ़ के ऊपर रिपोर्ट प्रस्तुत की जायेगी ।

श्री अध्यक्ष--

वह तो कल होगी ।

श्री त्रिवेणी सहाय--

जो विभीषिका बाढ़ की हुई है इस समय वह पहले की अपेक्षा कहीं ज्यादा है । मैं गोंडा जिले का हूं । वहां सरयू और राप्ती नदियां दोनों मिल गई एक में जिसके परिणामस्वरूप जरवल रोड की चीनी मिलों में पानी चला गया है । और जरवल रोड का शहर, करनैलगंज का शहर डूब गया है । इस पर कार्य-स्थगन प्रस्ताव स्वीकार कीजिए । इसी प्रकार से उन्नाव का समाचार है कि पांच सौ लोगों को डूबने से बचाया गया है, दस हजार पशु निकाले गए । इसी तरह से गोरखपुर का हाल है, हजारों एकड़ जमीन पानी में जलमग्न हो गयी । आजमगढ़, मिर्जापुर, बलिया, बस्ती, सब जगह बाढ़ है । तो इस पर आप कामरोको प्रस्ताव स्वीकार कीजिय ।

नेशनल फ्लैग के उचित ढंग से न लगने के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री नौनिहाल सिंह (जिला मुरादाबाद)--

श्रीमन्, व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री रामवचन यादव (जिला आजमगढ़)--

श्रीमन्, आजमगढ़ में भी बाढ़ है ।

श्री नौनिहाल सिंह--

श्रीमन्, नेशनल फ्लैग के बारे में कुछ आवश्यक नियम होते हैं, राष्ट्रीय ध्वज को उचित सम्मान दिया जाना जरूरी होता है । नियमानुसार लगा हुआ झण्डा लिपटा हुआ नहीं होना चाहिए, समय पर चढ़ाया जाय, समय पर उतारा जाय, चढ़ाने व उतारने के समय गार्ड आफ आनर दिया जाय । आया ऐसी जगह नेशनल फ्लैग लगाया जा सकता है जहां उसे उचित सम्मान न मिले ? यहां यह झण्डा २४ घंटे लगा रहता है, न समय से लगता है, न समय से उतरता है और लिपटा हुआ है । यह उचित है या अनुचित है ? मैंने इस विषय पर पहले भी आप से व्यवस्था मांगी थी ।

श्री अध्यक्ष--

यह लिपटा हुआ तो अच्छा नहीं है, यह अनुचित सा है । उसको ठीक करने के लिए मैं आर्डर दे दूगा कि रोज देख लिया करें ।

विविध विषय

एक सदस्य--

श्रीमन्, जहां तक बस्ती जिले में बाढ़ की बात है, मैं तो राजस्व मंत्री जी को ले गया था। वहां श्रीमन्, घाघरा नदी से भयंकर कटान की भी समस्या है राजस्व मंत्री जी ने मोटर बोट से घाघरा के कटान को १० मील तक देखा है और मदद करने का आश्वासन भी दिया । उसका स्थायी हल एक ही हो सकता है कि ठोकर की कोई व्यवस्था हो ।

श्री अध्यक्ष--

वह कल बता देंगे।

श्री गंगा प्रसाद (जिला गोंडा)--

माननीय अध्यक्ष महोदय, एक समस्या हमारे जिले में हो गयी है.....

श्री सुखपाल पांडेय (जिला बस्ती)--

श्रीमन्, मैंने एक विशेषाधिकार का प्रश्न दिया था। शिक्षा मन्त्री जी के खिलाफ। उन्होंने कहा कि झूठ बोलते हो। जो लोग उन के साथ थे वे घूरने लगे । मैं डर गया। तो वह विशेषाधिकार का प्रश्न मैंने कल दिया था।

श्री अध्यक्ष--

वह अस्वीकार हो चुका है।

श्री सुखपाल पांडेय--

अस्वीकार कैसे हो गया ? डाक्टर सीताराम के कमरे से गुजर रहे थे और जीने से उतर रहे थे... (व्यवधान) श्रीमन्, इस विशेषाधिकार के प्रश्न को स्वीकार करें, एक मन्त्री के विरुद्ध है। इस तरीके से मन्त्री जी कहते हैं कि झूठ बोलते हो। मैं तो कहूंगा कि जितना आदेश किया है उसको मंगवाकर देख लें, तब फैसला दे दें।

श्री किशन लाल (जिला पीलीभीत)--

मान्यवर, पीलीभीत जिले से लगान और आबपाशी वसूल करने वाले ४० अमीन नौकरी से निकाल दिये गये हैं और गोरखपुर डिवीजन के ५ जिलों में भी अमीनों को नोटिस दी गयी है। क्या जिलों से ऐसी कोई रिपोर्ट आयी है कि उन को निकाला जाये या सरकार ने ऐसे कोई आदेश दिये हैं ? कृषि मन्त्री जी से इस सम्बन्ध में मैं जानकारी चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष--

आप इसको लिखित दे दें।

श्री गंगा प्रसाद (जिला गोंडा)--

पांच महीने से लगातार हमारे यहां पानी बरस रहा है और धान की फसल में कीड़ा लग गया है। फसल में झुलसा का रोग हो गया है। बड़े लोगों को तो सरकार ने राहत दे दी है, परन्तु गरीब लोगों को हवाई जहाज द्वारा दवाई छिड़कवाने के लिए ३ रु० का अनुदान नहीं दिया जा रहा है। मेरी सरकार से प्रार्थना है कि हवाई जहाज द्वारा दवाई छिड़कवायी जाये ताकि गरीब काश्तकारों की फसल नष्ट होने से बच सके । हजारों मन गल्ला बर्बाद होने जा रहा है। मेरी मन्त्री जी से प्रार्थना है कि वे इस सम्बन्ध में अपना वक्तव्य दें और साथ ही साथ हवाई जहाज द्वारा दवाई छिड़कवाने का प्रबन्ध करें और गरीब काश्तकारों को अनुदान दें। अब तो धान ही रह गया है, मक्का की फसल तो बरबाद हो गयी है।

श्री अध्यक्ष--

आप एक चिट्ठी लिख कर भेज दें, मन्त्री जी तो आप ही की पार्टी के हैं--कोई दूसरी पार्टी के नहीं हैं ।

सचिवालय जलपान-गृह में सदस्यों को असुविधा होने की शिकायत

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)--

इस वक्त लन्च का टाइम है । मैंने पहले ही सवाल उठाया था कि जो सेक्रेटेरियट में जलपान-गृह है वह बड़ा ही अव्यवस्थित है । १ बजे से ले कर २ १/२ बजे तक वहां पर बठने की और सर्विस की कोई व्यवस्था नहीं है । जहां तक खर्चे का सवाल है बाजार से ठीक दुगने दाम वहां पर वसूल किये जाते हैं, जब कि बिजली, पानी आप फ्री देते हैं ।

श्री अध्यक्ष--

गवर्नमेंट अगर इसको रन करना चाहे तो हालत सुधर सकती है, वर्ना इसकी दशा नहीं सुधर सकती है । गवर्नमेंट को प्रेस कीजिये आप ।

श्री रियासत हुसन--

अगर मन्त्री जी या सचिव ने यह प्रोग्राम बना कर भेजा है कि गवर्नमेंट नहीं चला सकती है तब तो वह ज्यादा अच्छा होगा कि इस जलपान-गृह को बन्द कर दिया जाये ताकि दुगने दाम देकर ठन्डे खाने से और बैठने की अव्यवस्था से बच सकें । इसको बन्द कर दें ।

श्री अध्यक्ष--

अच्छा, हम देखेंगे ।

श्री कन्हैयालाल बाल्मीकी (जिला हरदोई)--

वहां पर बोतलों में जो शर्बत मिलता है वह केवल विधान सभा तथा विधान परिषद् के सदस्यों के लिए ही होता है । मेरी यह प्रार्थना है कि कार्यकर्ताओं के लिए तथा विधायकों के पास उनके क्षेत्र से आये हुये लोगों के लिए भी वह व्यवस्था होनी चाहिये । अब रियासत भाई ने जो कुछ कहा है, वाकई वह बड़ी सच बात है । वहां बड़ी परेशानी होती है । पन्द्रह-पन्द्रह मिनट तक वहां पर सर्विस नहीं होती है । यहां पर मान्यवर, लन्च भी नहीं मिलता, क्योंकि लन्च आवर नहीं होता है और सुबह को आ कर शाम को ७-८ बजे जाते हैं । बड़ी परेशानी होती है ।

श्री अध्यक्ष--

क्या यह चर्चा इस समय होनी चाहिये ?

श्री कन्हैयालाल बाल्मीकी--

कुछ ऐसा प्रबन्ध कर दें ताकि कुछ खा कर हम लोग वहां से भाग कर यहां तक आ जायें ।

श्री रघुनाथ सिंह (जिला कानपुर)--

हम लोगों की आपसे प्रार्थना है कि आप ही हमारी मांग गवर्नमेंट तक पहुंचा दें ।

श्री अध्यक्ष--

हमें जितनी जगह गवनमेंट ने दी है उसमें ज्यादा व्यवस्था नहीं हो सकती है ।

श्री रघुनाथ सिंह (जिला कानपुर)--

हम लोगों की भावना से आप परिचित हो जायें। गवर्नमेंट इसको रन करे ताकि हम लोगों को खाना तो मिल जाये।

श्री शचीन्द्रनाथ बक्शी (जिला वाराणसी)---

मान्यवर, दिल्ली में एम० पीज० के लिए एम० पीज० कैफेटेरिया है जिसमें वह लोग और उन के गेस्ट्स जा सकते हैं।

श्री अध्यक्ष--

जगह कितनी है, वहां पूरा का पूरा पार्लियामेंट हाउस है, यहां जगह कम है।

श्री शचीन्द्र नाथ बक्शी--

हम भी ४२६ हैं।

श्री अध्यक्ष--

अब हो चुका है।

श्री सुखपाल पांडेय---

मैं इतनी देर में कह देता।

श्री अध्यक्ष--

मैं इजाजत नहीं देता हूं।

श्री सुखपाल पांडेय--

मैं इतनी देर में कह देता।

श्री अध्यक्ष--

मेरे कमरे में कहिये। सदन का समय न लीजिये।

श्री सुखपाल पांडेय--

बात यह है कि आप ८ बजे तक सदन चलवाते हैं। सचिवालय के कर्मचारी ९ बजे आते हैं और ८ बजे जाते हैं, तो उन के लिए भी आप जलपान की व्यवस्था करवा देते। छोटे कर्मचारी भी यहां हैं उनके लिए भी कुछ करा देते।

१९७१-७२ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान-अनुदान संख्या १९--चिकित्सा तथा अनुदान संख्या २०-सार्वजनिक स्वास्थ्य

*चिकित्सा मन्त्री (डाक्टर राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी)--

मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करती हूं कि ३१ मार्च, १९७२ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या १९ चिकित्सा के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त १७,१९,८०,६०० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी]

मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करती हूं कि ३१ मार्च, १९७२ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या २० सार्वजनिक स्वास्थ्य के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त १२,७२,६५,१०० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

(इस समय १ बज कर १५ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री बासुदेव पीठासीन हुये ।)

मान्यवर, चिकित्सा और जन-स्वास्थ्य यह ऐसा विषय है जो साधारण जनता के लिए अनिवार्य और जीवन रक्षा की आवश्यकता के अन्तर्गत आता है । हमारे इस गरीब प्रदेश में यह समस्या और भी अधिक कठिन रूप से शासन के सामने उपस्थित होती है जब कि ठीक से पुष्टिकारक भोजन न मिलने के कारण नागरिक अक्सर तरह-तर की बीमारियों के शिकार होते रहते हैं । यही कारण है कि प्रति दिन इस बात की मांग बढ़ती जा रही है कि जगह-जगह नये-नये अस्पताल खोले जायं और जो अस्पताल खुल रहे हैं वहां दवाइयां भेजी जायं और जहां डाक्टर्स नहीं हैं वहां डाक्टर्स भेजे जायं । जन जाग्रति होने के कारण आज जनता यह भी आशा करती है कि जो हमारे सरकारी अस्पताल हैं उन में जो भी सरकार द्वारा व्यवस्था की जा सकती है वह ठीक-ठीक उन तक पहुंच जाय । यह एक विशेष मांग है । शासन ने इस दिशा में कुछ कदम उठाये हैं । पिछले वर्षों में निरन्तर इस बात का प्रयास किया गया है कि प्रति वर्ष योजना के अन्तर्गत नये-नये अस्पताल देहाती क्षेत्र में खोले जायं, जहां अपने प्रदेश की ७५ प्रतिशत जनता रहती है । उन तक भी चिकित्सा की व्यवस्था हो सके इस दिशा में प्रयास किये गये हैं । लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि हमारा जो लक्ष्य है उससे हम काफी पीछे हैं और उसके लिए और अधिक प्रयास करने की आवश्यकता है ।

इस चालू वर्ष में सरकार की ओर से जो विभिन्न कदम उठाये गये हैं उनकी तरफ संक्षेप में सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं । बजट की राशि चिकित्सा और जन-स्वास्थ्य के दो हिस्सों में बंटी हुई है । हमारी जो चिकित्सा की व्यवस्था है उस पर आयोजना का करीब ४२ प्रतिशत खर्च होता है । इसका एलाटमेंट इस तरह रखा गया है । प्रशिक्षण प्रोग्राम के लिए २ प्रतिशत, चिकित्सालय और औषधालय के लिए २५ प्रतिशत, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के लिए ११ प्रतिशत, संक्रामक रोगों का नियंत्रण करने के लिए ३ प्रतिशत, होम्योपैथी और आयुर्वेदिक दोनों पर मिलाकर ५.१० प्रतिशत और अन्य योजनाओं पर ६.५ प्रतिशत । इस तरह से योजना के अन्तर्गत रखा गया है । प्रदेश में इस बात की मांग है कि अलग-अलग क्षेत्रों में मेडिकल कालेजों की स्थापना की जाय । जिस समय हमें आजादी मिली थी हमारे प्रदेश में केवल दो मेडिकल कालेज थे और इस वक्त हमारे प्रदेश में करीब ८ मेडिकल कालेज चल रहे हैं । प्रान्तीय सरकार ने झांसी के नये मेडिकल कालेज में भी इसी वर्ष पढ़ाई आरम्भ करने की व्यवस्था कर दी है और नये सत्र से जो इस वर्ष लड़के लड़कियां उत्तीर्ण हुये हैं दाखिला लेंगे । हमारा यह भी प्रयत्न है कि गोरखपुर का मेडिकल कालेज भी तैयार हो जाय और अगले सत्र में वहां भी पढ़ाई आरम्भ हो जाय जिससे कि पूर्वी अंचल के विद्यार्थियों को कठिनाई न हो । हमने पहली बार यह भी प्रयत्न किया कि मेडिकल कालेज में जो परीक्षा होती है वह नये सिरे से की जाय ।

मुझे सदन को यह बताने में प्रसन्नता है कि हमने इस बार आब्जेक्टिव टेस्ट के द्वारा पी० एम० टी० की परीक्षा रखी है और वह इस तरह से संचालित की गयी कि रिजल्ट निकलने के बाद मेरे पास एक भी शिकायत नहीं आयी कि परीक्षा में कहीं भी गड़बड़ी हुई हो । इस आब्जेक्टिव टेस्ट के द्वारा सही टेलेन्टेड लड़के लड़कियों की परीक्षा ली गयी और यह सिस्टम फूलप्रूफ एक्जामिनेशन सिस्टम सिद्ध हुआ । इसमें हजारों बच्चे बैठे थे और पहली बार कम्प्यूटर द्वारा टेबुलेट करके परीक्षा फल घोषित किया गया । मैं समझती हूं कि इस वर्ष मेडिकल कालेज

में दाखिले के सिलसिले में कोई गड़बड़ी नहीं सुनायी पड़ी जिस तरह की गड़बड़ी पहले सुनायी पड़ती थीं। काफी दिनों से यह मांग थी और कई प्रदेशों ने उसको स्वीकार भी कर लिया था और हमने भी इस बात का प्रयास किया कि हरिजन विद्यार्थियों की सीट मेडिकल कालेज में बढ़ायी जाय। जसा कि कई बार यहां सदन में भी प्रश्न उठाया गया, अब हरिजनों के बच्चों के लिए भी संरक्षण ३ प्रतिशत से बढ़ा कर १० प्रतिशत कर दिया है। १५ प्रतिशत जो देहाती क्षेत्र के लिए स्थान सुरक्षित थे उनमें भी उनके लिए ३ प्रतिशत स्थान सुरक्षित कर दिये हैं इससे हमारे प्रदेश का वह हिस्सा जो गरीब है, जो गांव में रहता है, उसको कोई दिक्कत नहीं होगी। शहरों के हरिजन बच्चों को तो कुछ सहूलियतें मिल भी जाती हैं, गांव क हरिजन बच्चों को वह सहूलियतें नहीं मिल पातीं। इसलिए यह संरक्षण दिया गया है। शेड्यूल कास्ट क लोगों के लिए भी काफी दिनों से मांग थी। उन के लिए भी इस बार हम ने एक प्रतिशत सीटें रिजर्व करा दी हैं.... (व्यवधान)

श्री रूपनाथ सिंह यादव (जिला इलाहाबाद)—

संविधान के अनुच्छेद १५(४) के अनुसार जो वर्ग सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ है, जिन्हें उन्नति का कोई अवसर नहीं मिल पाता, उनके लिए भी क्या मन्त्री जी कोई संरक्षण प्रदान करेंगे, कुछ सीटें उनके लिए भी रिजर्व करेंगे? मान्यवर...

श्री उपाध्यक्ष—

जब आपको बोलने के लिए समय मिले तब आप अपनी पूरी बात कहें, इस तरह से मैं इजाजत नहीं दूंगा।

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

माननीय सदस्य को जो कुछ कहना हो बाद में कहें, जब मैं अपना उत्तर दूंगी उस समय उन बातों का जवाब दूंगी। तो मैं जो घोषणा कर रही हूं वह नीति सम्बन्धी है। माननीय सदस्यों के सुझावों का जवाब म बाद में दूंगी।

मान्यवर, मेरठ कालिज में इस वर्ष हम ने ५० छात्रों को और भर्ती करने का आदेश दिया है। उस सिलसिले में हम ने केन्द्रीय सरकार से अनुदान की मांग की थी। हमें खुशी है कि करीब ८६ लाख रुपया हमको अलग से अस्पताल की उन्नति के लिए केन्द्र से मिलेगा। इस तरह से ३०० शय्याओं का यह अस्पताल बन जायगा जिसकी स्वीकृति हमें मिल गयी है।

मेडिकल कालेज में शिक्षा की प्रगति अच्छी हो इसके लिए भी प्रयास किये गये हैं। हां पर पढ़ान के लिए योग्य और अच्छे प्रोफेसर्स तथा डाक्टर्स रहें जिन से हमारा विकास हो यह हमारी कोशिश है। इस योजना क अन्तर्गत हम ने कुछ कदम भी उठाय हैं। कानपुर में मेडिसिन्स में स्नातकोत्तर शिक्षा की सुविधा दी गयी है। आगरा मेडिकल कालिज म भी मेडसिन विभाग में स्नातकोत्तर शिक्षा की सुविधा दी जाती है। लखनऊ मेडिकल कालिज में भी नई योजना के अन्तर्गत इस बार हम ने सोशियल एन्ड प्रिवेन्टिव मेडिसिन विभाग तथा इलाहाबाद मेडिकल कालिज में जो एनाटामी का विभाग है उसमें स्नातकोत्तर शिक्षा की व्यवस्था की है।

साथ ही साथ इलाहाबाद मेडिकल कालिज के सर्जरी विभाग को उन्नत किया जाय–इस के लिए भी भारत सरकार को प्रस्ताव भेजा जा रहा है और इस से हमें आशा है कि हमारे मेडिकल कालिजों से मेडिकल शिक्षा में निश्चित रूप से तरक्की होगी और विकास होगा। साथ ही साथ हम अच्छे टेलन्ट छात्र तैयार कर सकेंगे और जो बहुत से बेचारे छात्र बाहर देशों में रिसर्च आदि के लिए पड़े हुये हैं, क्योंकि यहां पर रिसर्च आदि की सुविधायें उपलब्ध नहीं थीं उन को यहां अवसर मिल जायगा।

श्री कल्याण सिंह (जिला अलीगढ़)--

मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं--

श्री उपाध्यक्ष--

आप बैठिये, इस तरह से नहीं होगा, इस तरह से तो वह कभी बोल नहीं पायेंगी। मैं आप को इजाजत नहीं देता हूं। आप को यह समझना चाहिये कि उन को गौर से सुनिये, फिर उस पर आप अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कीजिये। मन्त्री जी जब जवाब देंगी तब स्पष्टीकरण का कोई अवसर भले ही मिल जाय, लेकिन अभी नहीं।

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी--

लखनऊ मेडिकल कालेज में नयी योजना के अन्तर्गत डेन्टल कालिज में अन्डर ग्रेजुएट डेन्टल एजूकेशन की सुविधा के विस्तार को इस वर्ष से प्रस्तावित किया गया है। अभी हाल ही में, मेडिकल कालिज के समीप जो लेडी हास्पिटल था, जिसकी पुरानी बिल्डिंग पड़ी हुई थी, उसको मेडिकल कालेज के अन्तर्गत ले लिया गया है और अब इसके बाद मेडिकल कालेज का विस्तार की जो दिक्कत थी वह दूर हो जायगी।

इस वर्ष से प्रदेश की जन संख्या को देखते हुये हमने इस बात की कोशिश की कि हमारे जो चिकित्सालय--औषधालय हैं, उन की संख्या में बढ़ती की जाय। इस हेतु सन् १९७०-७१ में जो यहां पर २१९१ औषधालय थे, वे अगले वर्ष से बढ़कर २२०८ हो जावेंगे। यह वृद्धि की योजना प्रस्तावित है जो लागू की जावेगी। हम ने इस बात की भी कोशिश की है कि वर्तमान अस्पतालों में जो बेड्स हैं, उन की संख्या बढ़ायी जाय। इसी लिए सन् ७०-७१ में जो बेड्स की संख्या ३८०४० थी, उस की जगह पर ७१-७२ में हम ३८,६१४ बेड्स रखने जा रहे हैं।

ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा की सुविधा ज्यादा से ज्यादा हो सके, इस दिशा में भी हमारा प्रयास रहा है कि हम ग्रामीण क्षेत्रों में और ज्यादा अस्पताल खोल सकें। इस समय तक ग्रामीण क्षेत्रों में कुल १३०२४ औषधालय हमारे चल रहे हैं, लेकिन यह निश्चय किया गया है कि इस वर्ष से ४ एलोपैथी तथा इन के अतिरिक्त १० औषधालय और हम खोलेंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में इस बात की काफी मांग है और यह सही भी है कि महिला चिकित्सा की व्यवस्था हो। मैंने भी प्रदेश के कोने कोने में दौरा किया है और जहां जहां मैंने दौरा किया हमें वहां के नागरिक मिले और हर तरफ से हमारे सामने उनकी यह मांग आयी कि देहाती क्षेत्र में जच्चा-बच्चा अस्पताल खोले जाने चाहिये। जहां केवल पुरुषों के अस्पताल हैं, वहां पर स्त्रियों के भी अस्पताल हों, जिस की खास मांग है। यदि देहातों के अन्दर डाक्टर और मिड वाइव्ज की व्यवस्था हो सकती है तो हमने यह योजना रखी है और प्रदेश की जनता के नाम इस बारे में अपील भी करना चाहती हूं--ऐसे क्षेत्र जहां पर स्त्रियों के नये अस्पताल खोले जाने का आग्रह हो, वहां के नागरिक इसमें सहयोग करें अर्थात् वहां पर ४ एकड़ तक की जमीन भवन निर्माण के लिए मुहैया करें और चन्दा कर के भवन निर्माण करा लें। नागरिकों का इतना सहयोग मिलने के बाद सरकार अपने खर्चे से अपनी व्यवस्था करके इन्हें ठीक से चलाने के लिए तैयार होगी और उस को चलायेगी। हम इस योजना के अन्तर्गत जहां जहां अस्पताल खोल सकते हैं वह काम हमारा चालू रहेगा लेकिन इसके अतिरिक्त हम चाहते कि जिस में कुछ जनता का भी सहयोग हो, जिस तरह से हमारे यहां शिक्षा की प्रगति में इस प्रदेश की जनता ने अपने प्रयत्नों से काफी विद्यालय खुलवाये और उस से शिक्षा का विकास हो पाया है।

इसी तरह चिकित्सा की भारी कमी को पूरा करने के लिए प्रदेश की जनता आगे आकर सहयोग करती हो तो सरकार इस चालू वित्तीय वर्ष में कम से कम १० नये अस्पताल जो महिलाओं के होंगे, जो जनता के प्रयास से होंगे उन को स्वीकार कर सकती है। साथ ही साथ हम ने यह भी व्यवस्था की है जितने हेडक्वार्टर्स हैं उस में सचल अस्पतालों की व्यवस्था करें।

इस में चिकित्सा परिचारिका रहेगी, दवा, डाक्टर सब की व्यवस्था होगी, जो दूर-दूर जा कर देखेगा देहाती क्षेत्र में और लोगों के इलाज में मदद पहुंचा सकेंगे। क्योंकि हर जगह हम अस्पतालों के भवन नहीं निर्माण कर पा रहे हैं। यह ऐडीशनल सुविधा होगी। जितने हमारे सब एसे डिवीजन के मुख्यालय हैं वहां पर सचल अस्पताल कायम किये जायेंगे। इस बजट में इसके लिए हम ने ७ लाख २७ हजार ८ सौ रुपये का अनुदान लगाया है। अभी तक राज्य सरकार की तरफ से प्रत्येक जिले में जिला स्वास्थ्य और चिकित्सालय समितियां रही हैं। उनके द्वारा बहुत से प्रस्ताव आते रहे हैं जिससे जिले के अस्पतालों के प्रबन्ध में सुधार किया जा सके। यह समिति अधिक प्रभावकारी तरीके से चल सके इस लिए हमने इस का पुनर्गठन किया है। उसमें उन लोगों को विशेष रूप से रखने की बात कही गयी है जो जन सेवक हैं और जो इसमें हिस्सा ले कर अपने जिले में चिकित्सालयों की दशा सुधारने अपने बहुमूल्य सुझाव दे सकेंगे। हमने यह भी विशेष आग्रह किया है कि हर एक जिले के स्तर से वे अपने अपने जिले का एक मास्टर प्लान तैयार करें। उसके अनुसार योजना के अन्दर शामिल कर के चिकित्सा की योजना लागू कर सकेंगे। नीचे से जो सुझाव आयेंगे वे हमारे लिए काफी सहायक होंगे। उससे जनता की बहुत सी आवश्यकता पूरी हो सकेगी।

हमारे जो ८७५ केन्द्र हैं पब्लिक हेल्थ सेन्टर्स ब्लाक हेडक्वार्टर्स पर योजना के अन्तर्गत स्थापित किया है करीब ४०० केन्द्र हैं जिन में भवन नहीं हैं। कुछ किराये के भवन में हैं। कुछ भवनों के अभाव में हेल्थ सेन्टर्स स्थापित कर दिये गये। लेकिन बेड्स वगैरह की व्यवस्था नहीं हो पायी है। भवनों की कमी के कारण इन जगहों पर डाक्टर और दूसरे प्रकार के कर्मचारियों को भेजने से दिक्कत होती है। हमने इसके लिए केन्द्रीय सरकार से मांग की जो हमारे भवन अभी तक नहीं बन पाये हैं। उसके लिए ७.५५ करोड़ रुपये हमें दिये जायं। इस वर्ष के लिए हम ने अन्दाज लगाया कि हम थोड़ा ही खर्च कर पायेंगे करीब ५–७ लाख। हमारी आशा है कि केन्द्रीय सरकार हमारी इस उचित मांग को मान लेगी। और इस तरह जो भवन निर्माण की कठिनाई है वह केन्द्र की सहायता से दूर कर सकेंगे। हमारे जो प्राइमरी स्वास्थ्य केन्द्र हैं, जो कि ग्रामीण अंचलों में हैं जहां गरीबों के बीच में हमारे डाक्टर दवायें देते हैं, कुछ अस्पतालों में जहां छोटे छोटे केन्द्र हैं वहां पर दवाओं की जो व्यवस्था है, इस के पहले ढाई हजार और तीन हजार प्रति केन्द्र में अनुदान दिया जाता था, अबकी बार हमने कोशिश की है कि वह अनुदान साढ़े ४ हजार और ५ हजार रुपया प्रति केन्द्र कर दिया जाय। और साथ ही साथ जो १७५ स्वास्थ्य केन्द्र हैं तथा उनसे सम्बन्धित जो १० और प्रयोगशालायें हैं उन को अतिरिक्त साज सज्जा दे सकें।

हमारा यह भी प्रयास है कि ७१–७२ के बजट में अतिरिक्त साज सज्जा देने के लिए आयोजनागत-आय–व्ययक में ३ लाख ५० हजार रुपया अतिरिक्त साज सज्जा देने के लिए तथा १६ लाख ३० हजार अतिरिक्त औषधियों के लिए बढ़ाना चाहते हैं। राजकीय जो चिकित्सालय और औषधालय हैं, जहां एलोपैथिक दवाओं का प्राविधान जनसाधारण के लिए है, हमेशा चारों तरफ से इस बात की मांग है कि इस में वृद्धि की जाय। पिछले बजट में कुल मिला कर जो हमारी एलोपैथिक औषधियों के लिए प्राविधान था वह १.६२ करोड़ था और इस प्रकार जो हम व्यय करते हैं प्रति व्यक्ति औषधियों पर, और अस्पतालों के ऊपर अन्य खर्चे को छोड़ कर वह था ६१ पैसे प्रति रोगी प्रति वर्ष और यह व्यय के कम था जो करीब ५ पैसे प्रति व्यक्ति प्रति महीना पड़ता था। इस लिए यह उचित समझा गया कि इस को बढ़ाया जाय और शासन ने इस बार इस सिद्धान्त को स्वीकार किया कि अब इस व्यय को ६१ पैसे के बजाय १ रुपया प्रति रोगी के हिसाब से रख दिया जाय। चालू वर्ष में इसके लिए करीब ४५ लाख रुपय की अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता होगी। इस प्रकार २५ प्रतिशत से ज्यादा व्यय ६ महीने के लिए इस चालू वित्तीय वर्ष में औषधियों के अन्दर है।

[डाक्टर राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी]—

एक शिकायत माननीय सदस्यों की यह भी रही है कि जो दवायें हैं, जितनी भी मिलती है चाहे ६ पैसे की हों या ५ पैसे की हों, वे दवायें भी ठीक से गरीबों के पास पहुंचती नहीं हैं। काफी दवाइयों को इधर उधर कर दिया जाता है, यह एक आम शिकायत सुनने में आती है। इस लिए हमारा यह भी विचार है कि दवाइयां जो खरीदी जाती हैं दवाइयां जो खरीदी जाती हैं वे सेंट्रलाइज रूप से परचेज की जायं। इसके अलावा उन पर कुछ इस तरह की मार्किंग कर दी जाय, जिससे केन्द्र से दवायें खरीदी जायं वहां गोलियों वगैरह का रंग बदल कर कुछ ऐसी मार्किंग कर दी जाय जिससे वे दवायें दूसरे बाजारों में बेंच न सकें। इस तरीके से काफी लोगों को दवायें दी जा सकेंगी और यह जो गलती है उसमें कुछ सुधार हो सकेगा। हमारी यह आशा है कि इन प्रयत्नों से इसमें काफी सुधार हो सकेगा।

साथ ही साथ हमने इस बात का भी निश्चय लिया है कि हमारे समाचारपत्रों के जो वर्किंग जर्नलिस्ट्स हैं, जो समाचार पत्रों में काम करने वाले हैं, उनको भी इस वर्ष से उसी स्तर की चिकित्सा सुविधायें दी जायेंगी जिस तरह से सरकारी कर्मचारियों को उपलब्ध हैं। और हमारा यह भी विचार है कि जो हमारे अध्यापक हैं, प्राइमरी स्कूलों के और जो गैर सरकारी विद्यालयों में हैं, उनको भी चिकित्सा की सुविधा दी जाय। इस प्रकार की हम योजना बना रहे हैं और उसको भी हम लागू करेंगे। आशा हमारी यही है कि हम इनको फेजेज में लागू करेंगे और बहुत जल्दी ही इस पर भी सरकार निर्णय लेने जा रही है। इसके अतिरिक्त हमने यह भी उचित समझा कि इतने बड़े प्रदेश में एक आई बैंक की स्थापना होनी चाहिये क्योंकि आज उसकी उपयोगिता काफी है। इसको देखते हुए यह विचार है कि प्रदेश में किसी एक मेडिकल कालेज के साथ आई बैंक की स्थापना की जाय।

कुछ नई सुविधायें भी हम देना चाहते हैं। एक तो उन अस्पतालों में जहां हम अभी तक ब्लड बैंक स्थापित नहीं कर सके हैं वहां पर ब्लड बैंक खोलने का विचार है। २९ स्थानों पर अभी तक ब्लड बैंक स्थापित हो चुके हैं। चालू वर्ष में स्थानों पर और ब्लड बैंक खोलने का विचार है। जिस प्रकार से चिकित्सा पद्धति में प्रसार हो रहा है उसमें पैथोलाजी, रेडियोलोजी, दंत चिकित्सा, एनसथेसिया, ब्लड बैंक आदि की बड़ी आवश्यकता प्रतीत होती है। ये सब स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेन्ट्स हैं। इनको हम जगह जगह अस्पतालों में पहुंचा सकें इस दृष्टि से योजनान्तर्गत प्रतिवर्ष हम इसको बढ़ा रहे हैं। दंत चिकित्सा का इन्तजाम इस प्रदेश में ३३ स्थानों पर है, चालू वित्तीय वर्ष में वह ४० स्थानों पर करने जा रहे हैं। पैथालोजी के लिये ३४ स्थान हैं चालू वित्तीय वर्ष में तीन स्थान और बढ़ायेंगे रेडियोलोजी के लिये भी तीन अतिरिक्त स्थान और एनसथेसिया के लिये ३ पुरुष अस्पतालों में और दो महिला अस्पतालों में अतिरिक्त स्थान खोले जायेंगे।

हमारी चिकित्सा में नर्सिंग का एक विशेष स्थान है हमारे इतने बड़े कालेज में नर्सिंग का कोई कालेज नहीं था। आज चिकित्सा की पद्धति उन्नति करती चली जा रही है और इसके लिये आवश्यकता है योग्य तथा ट्रेंड परिचारिकाओं की। इस दिशा में सरकार ने इस कमी को पूरा करने के लिये प्रदेश में एक नर्सिंग कालेज बनाने का निर्णय लिया है जिसका काम शीघ्र आरम्भ हो जायगा। शासन ने इसके लिये यह निर्णय लिया है कि चालू वित्तीय वर्ष में तीन अस्पतालों में नर्सिंग की जो ट्रेनिंग होती है उसको और बढ़ाया जाय क्योंकि नर्सिंग ट्रेनिंग की मांग जिले जिले से होती रहती है।

आज कल जो बीमारियां हैं उनमें आम तौर पर हृदय रोग, कैंसर और मानसिक रोग अधिक बढ़ते हुए नजर आते हैं। इसलिए शासन का विशेष ध्यान इस तरफ भी है। हृदय रोग जैसे जटिल रोग के उपचार के लिए कानपुर मेडिकल कालेज में कार्डियालाजी विभाग की स्थापना की गई है। इस विभाग को नवीनतम सज्जा से सुसज्जित करने का विचार है और उसका सुधार किया जाय इसके लिये इस वित्तीय वर्ष ५ लाख २७ हजार ३ सौ रुपये का प्राविधान किया गया है। हमारी कोशिश से मेरठ मेडिकल कालेज में भी एक कार्डियालाजी विभाग खोलने का विचार है और इस पर सरकार विचार कर रही है।

कैंसर के लिये कानपुर में जो इंस्टीट्यूट है उसको नवीनतम सुविधायें उपलब्ध कराई जायं इसके लिए चालू वित्तीय वर्ष में ९,६१,७०० रुपये का प्राविधान किया गया है। मानसिक रोगियों के चिकित्सालय हमारे यहां हैं। उनके लिए पहले जो प्राविधान ४.२५ लाख रुपया का था उसे अब बढ़ा कर ५.६० लाख रुपये किया गया है ताकि रोगियों को अच्छा आहार भी दिया जा सके। इसके लिए खास जोर है कि हमारे हास्पिटल फंड हों। उनमें एक तो रोगियों के राजिस्ट्रेशन से वह फंड आता है। दूसरे स्टेट लाटरी से आता है। सन् १९७० में दोनों श्रोतों से इस फंड में हमको ४१,३७,६२८ रुपये की धनराशि प्राप्त हुई थी।

इसके अतिरिक्त १९६९-७० में जहां १८,४८,००५ रुपये था वहां १९७०-७१ में हास्पिटल फंड कमेटी के पास ५९,८५,६६३ रुपया था। सरकारी और गैर-सरकारी संस्थाओं को ४४,४२,७३७ रुपया वितरित किया गया और इसके द्वारा वे सभी अस्पताल जहां पर कि आपरेशन थियेटर्स, पानी, बिजली और बेड्स की कमी थी तथा अन्य दिक्कतें थी, उनके सुधार पर खर्च किया गया। गोरखपुर और फैजाबाद में क्षय रोग के अस्पताल बनाने के लिए एक-एक लाख रुपया का अनुदान १९७०-७१ में स्वीकृत किया गया था। हास्पिटल फंड कमेटी ने गनेश शंकर विद्यार्थी स्मारक मेडिकल कालेज, कानपुर के कार्डियोलाजी विभाग में हार्ट लंग्स की मशीन खरीदने के लिए एक लाख रुपये की स्वीकृति की है।

हमारी चिकित्सा में और हमारे जन-स्वास्थ्य में परिवार नियोजन का एक विशेष स्थान होता है और इसलिये कि परिवार नियोजन कार्यक्रम को सुचारु रूप से चलाया जा सके, सफलतापूर्वक चलाया जा सके और खासतौर से हमारे उत्तर प्रदेश में जनसंख्या की जो समस्या है उसका मुकाबला कर सकें, यह कार्यक्रम बनाया गया है। केन्द्रीय सरकार की मदद से हमारी सरकार इस कार्यक्रम को चला रही है। इस समय हमारे प्रदेश के देहाती क्षेत्र में करीब-करीब ८७५ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हैं जहां पर कि परिवार नियोजन के कार्यक्रम भी चलाये जा रहे हैं। जहां-जहां ये हेल्थ सेंटर्स हैं उनके साथ ही ये परिवार नियोजन केन्द्र भी रखे गये हैं। हमारा यह भी विचार है कि उन्हीं जगहों पर हम जच्चा-बच्चा केन्द्रों की स्थापना भी धीरे-धीरे करते जायं जिससे कि जो माता-पिता हैं उनको ठीक से परिवार नियोजन और उनके बच्चों की देखरेख हो सके और उनको इस कार्यक्रम की सही शिक्षा सही समय पर दी जा सके। परिवार नियोजन कार्यक्रम का अर्थ यही नहीं है कि केवल आपरेशन के द्वारा या दवाइयों के द्वारा ही परिवार नियोजित करें बल्कि जो बच्चों का बर्थ-रेट है वह भी कम हो और उनको यह भी बतायें कि परिवार नियोजन सुखी परिवार का एक मात्र रास्ता है।

जन-साधारण को इस कार्यक्रम को इस रूप में समझना चाहिये। इसे किसी दूसरे रूप में नहीं लेना चाहिए। मैं ऐसा मानती हूं कि अभी तक जो तरीके किये गये हैं वे सफल नहीं हुए हैं और जिस लक्ष्य की पूर्ति हेतु यह दृष्टिकोण था वह अभी बहुत ज्यादा चल नहीं रहा है। ऐसा भी व्यावहारिक अनुभव से लगता है कि इस दिशा में बड़ी गम्भीरता-पूर्वक विचार करने की आवश्यकता है कि किस तरह से इस कार्य के ढंग को फिर से संगठित

[डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी]

किया जाय। इसलिए इस कार्य को ऐसे लोगों के हाथ में दिया जाय जिससे यह कार्यक्रम सफलतापूर्वक चलाया जा सके। हमें इस बात की प्रसन्नता है कि परिवार नियोजन के क्षेत्र में हमको विश्व बैंक की भी बहुत जल्दी ही सहायता मिलने वाली है और आशा है कि हमारे प्रदेश के ६ जिलों में विश्व बैंक की सहायता से यह योजना लागू होगी। उनका प्रतिनिधि-मण्डल एक महीने पहले मुझसे मिला था और दिल्ली में भी वे लोग मिले थे। उसमें उन्होंने जो योजना बनाई उसके अन्तर्गत हमारे प्रदेश के ६ जिले निश्चित किये गये हैं जहां पर कि अतिरिक्त जच्चा बच्चा अस्पताल परिवार कल्याण केन्द्र और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बनाये जायंगे। इस योजना से हमारे इस कार्यक्रम में काफी प्रगति होगी और हमारी आशा यह है कि इस योजना के मिल जाने से उत्तर प्रदेश को इस दिशा में काम करने का अच्छा मौका मिल सकेगा।

हमने यह भी निश्चय किया है कि अभी तक जो हमारे प्रदेश में १२ ए० एन० एम० ट्रेनिंग सेंटर्स काम कर रहे थे जिनकी कुल संख्या ८८० है उनको बढ़ा दिया जाय और इस बजट वर्ष में इनके अतिरिक्त प्रशिक्षण केन्द्र खोलने का प्रस्ताव लिया गया कि आक्जीलरी नर्स ट्रेनिंग के सिलसिले में तरक्की हो और आशा यह है कि इनके बढ़ाने से जो कमी है एन० एम० की उसको हम दूर कर सकेंगे। साथ ही साथ यह भी शासन का विचार है कि इनको हम जो स्टाइपेंड है उसको भी बढ़ा दें और ४० रुपया या इस तरह से दे रहे हैं उसको बढ़ा कर ७५ रुपये तक कर दिया जाय। चिकित्सा के साथ-साथ जन चिकित्सा, जन स्वास्थ्य की दिशा में भी शासन की तरफ से काफी जागरूकता है। संक्रामक रोगों के नियन्त्रण के प्रयास में सरकार ने मलेरिया, चेचक, फाइलेरिया, क्षय आदि रोग के नियन्त्रण या कुष्ट रोगों के नियन्त्रण के मातहत राष्ट्रीय स्वास्थ्य के कार्य को सरकार ने लिया है और भारत सरकार की मदद से इसकी रोकथाम के काम में प्रभावशाली कदम उठाये जा रहे हैं। इस में जो प्रयास हुआ है, बरसों से, उसका नतीजा यह है कि आज जो मलेरिया रोगों की संख्या १९४७ में ३०.६० प्रतिशत थी, अब घटकर के वह २० प्रतिशत रह गई है।

इसी तरह से चेचक उन्मूलन के सिलसिले में भी इस वर्ष इस काम को आगे बढ़ाने के लिए करीब-करीब १,८५० वैक्सीनेटरों के पदों का सृजन किया गया है और आशा यह है कि इससे काफी बड़ी जनसंख्या को लाभ होने वाला है। फाइलेरिया के उन्मूलन के लिये भी इस राज्य में १२ फाइलेरिया यूनिट कार्य कर रहे हैं। हम इस चालू वर्ष में दो और यूनिट बढ़ाने पर विचार कर रहे हैं। क्षय रोग का नियन्त्रण भी चिकित्सा विभाग के एक खास ध्यान का विषय है। हमारी कोशिश है कि क्षय रोग नियन्त्रण के जो आज नये आधुनिक तरीके हैं, नई दवाइयां हैं, चिकित्सा की नई प्रणाली है उसका ज्यादा से ज्यादा हम उपयोग कर सकें। इस बजट वर्ष में हमने यह प्रस्ताव रखा है कि ७ टी० बी० क्लीनिक का उन्नयन किया जाय और इसके अतिरिक्त १२५ शैय्याओं की सज्जा की भी व्यवस्था की जाय। इसी वर्ष २० टी० बी० क्लीनिक के निर्माण का प्रस्ताव है और इस तरह से हमारी आशा है कि इस दिशा में काफी काम में प्रगति हो जायगी।

कुष्ट नियन्त्रण का जो काम है वह भी महत्वपूर्ण है। यह ऐसी बीमारी है जिससे बचाव का होना समाज को दुख में पड़ने से बचाना है। हमारे यहां कुष्ट नियन्त्रण की दिशा में भी जो कार्य हो रहा है उसमें और अधिक वृद्धि की जाय, इसलिए इस चालू वित्तीय वर्ष में ४ कुष्ट नियन्त्रण केन्द्र तथा १० ए० सी० टी० नियन्त्रण केन्द्रों के खोलने का प्रस्ताव है। जो कुष्ट केन्द्र चल रहे हैं उनसे ४ कुष्ट केन्द्रों का उन्नयन भी किया जाय यह प्रस्ताव है और इस तरह से आशा यह है कि इन केन्द्रों में डेढ़ लाख के करीब जनसंख्या के स्थान पर, इनकी जब वृद्धि हो जायगी तो ३ लाख की जन संख्या के बीच में काम कर पायेंगे। इस दिशा में जो हमारी सुरक्षा की संस्थायें,

वालंटियर आरगेनाइजेशन्स हैं उनको भी सरकार अनुदान दे ताकि वह अच्छी तरह से चल सकें, इसके लिए प्रोत्साहन दे रही है। हमारी चिकित्सा प्रणाली में आयुर्वेद, यूनानी और होम्योपैथी की चिकित्सा का भी विशेष स्थान है और हमारी सरकार उनको पूरा प्रोत्साहन देना चाहती है।

इस दिशा में इस वर्ष आयुर्वेदिक तथा यूनानी पद्धति की जो चिकित्सा है उसको प्रोत्साहन देने के लिए सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है। यह सोचा गया है कि इन गैर सरकारी आयुर्वेदिक तथा यूनानी कालेजों को कानपुर विश्वविद्यालय से सम्बद्ध कर दिया जाय और इस दिशा में कार्यवाही प्रारम्भ हो गई है और जितनी जल्दी इन आयुर्वेदिक और यूनानी कालेजों को कानपुर विश्वविद्यालय से सम्बद्ध कर दिया जायगा उतनी ही जल्दी वे इस विश्वविद्यालय के अन्तर्गत परीक्षा आदि का संचालन कर सकेंगे। इसके अतिरिक्त हमारी यह भी योजना है कि हम चाहते हैं कि हमारे प्रदेश में आयुर्वेदिक, यूनानी तथा होम्योपैथिक चिकित्सा की तरक्की हो। इसलिए राज्य सरकार इन तीनों चिकित्सा प्रणालियों को मिला कर एक विश्वविद्यालय की स्थापना के प्रश्न पर विचार कर रही है और इस ओर कार्य भी प्रारम्भ हो गया है जिससे विश्वविद्यालय की रूपरेखा जल्दी तैयार हो सके और हम आगे चल कर इस कार्य को कर सकें। हमारी पंच वर्षीय योजना में इस कार्य के लिए काफी अनुदान भी रखा गया है और आशा है कि इस सहायता से राज्य सरकार इन आयुर्वेदिक, यूनानी और होम्योपैथिक कालेजों की काफी उन्नति कर सकेगी।

उपाध्यक्ष महोदय, हमारे प्रदेश में डाक्टरों की बहुत भारी कमी रही है अभी भी हमारी कोशिश रही है कि जितने हमारे देहात में औषधालय हैं, अस्पताल हैं या पहाड़ी इलाकों में जो अस्पताल हैं जिनमें डाक्टर नहीं हैं वहां डाक्टर पहुंचाये जायें। इस वर्ष हमारे प्रयत्न से जो स्थिति है वह इस प्रकार है कि पी०एम०एस० के २६ डाक्टरों की १ अगस्त, १९७१ तक कमी है। वैसे ही पी०एम०एस० (महिला) डाक्टरों में ६६ की और इन्टीग्रेटेड अस्पतालों में ३७ की कमी है। पिछले वर्षों से काफी सुधार हुआ है। १९६५ में जहां ६५ डाक्टरों की कमी थी वहां १९७० में ९७ की और १९७१ में २६ की कमी रह गई है। वैसे ही १९६५ में महिला डाक्टरों की ६९, १९७० में ७९ और १९७१ में ६६ की है। इसी तरह से इंटीग्रेटेड में कमी है।

मान्यवर, हमारी यह भी योजना है कि जो अस्पतालों में महिला डाक्टरों की कमी है और हमारे इस आदरणीय सदन के माननीय सदस्य बार-बार मांग करते हैं कि हमारे यहां अस्पतालों में डाक्टर नहीं हैं, बिना डाक्टर के अस्पताल चल रहे हैं। इसलिए हम ऐसा विचार कर रहे हैं कि डिस्ट्रिक्ट हेड क्वार्टर्स पर जितनी प्राइवेट काम करने वाली लेडी डाक्टर्स हैं उनको आनरेरियम देकर उनसे कहा जाय कि वे जिले के अस्पताल में काम करें और हमारे सरकारी अस्पताल में जो डाक्टर हैं, उनको वहां से निकाल कर देहात के अस्पतालों में भेज सकें। इस तरह से काफी कमी पूरी हो सकती है। क्योंकि स्त्रियों के सामने खासतौर से यह कठिनाई होती है कि जो लेडी डाक्टर शादी कर लेती हैं वह जगह-जगह बदलने वाली नौकरी नहीं चाहतीं क्योंकि उससे उनकी गृहस्थी खराब होती है, इसलिये उनको तबादले में दिक्कत होती है। इस कारण से बहुत सी लेडी डाक्टर रिजाइन कर देती हैं या पढ़ने के बाद नौकरी ज्वाइन नहीं करतीं। लेकिन, इसके साथ ही साथ जनता को जो परेशानी होती है उसके लिये यह रास्ता सोचा गया है कि जो स्त्रियां शहरों में ही रह पाती हैं या रह सकती हैं, उनकी सर्विसेज को ले लिया जाय और जो बाहर जा सकती हैं, उनको भी ले लिया जाय। इस प्रकार से इस काम को पूरा किया जायगा।

इस वर्ष इस बात का भी ध्यान किया गया कि जो वार्षिक ट्रांस्फर या नियुक्तियां होती हैं और जहां तहां वे भेज जाते हैं, सरकार उनके लिये इस बात की कोशिश करती है कि जो

[डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी]

स्पेस्लिट्स हैं, एम० डी० या एम० एस० हैं अथवा जो टी० बी० स्पेसेलिस्ट्स हैं, उनकी योग्यता के हिसाब से और सीनियारिटी के हिसाब से उनकी पोस्टिंग की जाय। जो लोग पहाड़ पर बहुत दिनों से हैं उनको प्लेंस में भेजा जाय, जो लोग जेलों में हैं उनको जेलों के बाहर करके दूसरी जगह पर लाया जाय। जो लोग देहात में नहीं गये, उनको देहात में भेजा जाय और नये डाक्टरों को भी देहात में भेजा जाय। जिससे डाक्टरों की कमी को पूरा किया जा सके। इस बात का पूरा ध्यान रखा गया है।

इस बात की भी कोशिश की गई है जिन लोगों के बाहर ट्रांस्फर किये जाते हैं वह रोके न जायें। हमने जितने ट्रांस्फर किये उनमें यह कोशिश की कि वे कैंसिल न हों, उनमें अदला-बदली न हो। कभी-कभी माननीय सदस्यों के आग्रह का ध्यान रखा गया और केवल कुछ कैसेज में ही पुनर्विचार की बात आयी। लेकिन फिर भी मैंने अपनी तरफ से उनसे निवेदन किया और माननीय सदस्यों के सहयोग से उसी को स्थिर रखने में सफल हो सकी। इससे विभाग में स्थिरता आती है और डाक्टर को भी यह होता है कि हमारा जहां तबादला हुआ है वहां हमें जाना है।

हमारे विभाग ने थोड़ा सा इस बात पर भी विचार किया कि हमारी जनता को शुद्ध चीजें मिल सकें और भोजन की चीजों में जो एडल्ट्रेशन होता है वह न होने पाये। यह बहुत ही गंभीर समस्या है। इस बारे में हमने यह योजना बनाई है कि एक चीफ सेनेटरी इन्सपेक्टर, एक इन्स्पेक्टर, एक जूनियर क्लर्क, एक चतुर्थ श्रेणी का कर्मचारी और एक ड्राइवर इस प्रकार का एक यूनिट बना दिया जाय। जो जगह-जगह जाकर इंटेंसिव तरीके से काम करेगा तीन और नगर है जिनमें यह यूनिट स्थापित करने की बात की जा रही है।

पिछले वर्ष हमारे प्रदेश में होम्योपैथिक औषधियां और कासमेटिक्स के ऊपर ड्रग एन्ड केमिस्ट ऐक्ट लागू कर दिया गया, जिससे औषधियों का मूल्य न बढ़ने पाये और लोगों को उचित मूल्य पर दवा मिल सके। कठोरता से इस कानून का पालन किया जा रहा है। इस आदेश का उल्लंघन करने वाले ३० विक्रेताओं के विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है। ऐसे ७ इन्स्पेक्टरों के पदों का सृजन किया गया है जो इस काम को अच्छी तरह से देखेंगे और इस बात की कोशिश की जा रही है कि यह ऐक्ट पूरे तरह से लागू किया जा सके।

हमारे विभाग का एक काम और बच जाता है, उसको कह कर मैं समाप्त करूंगी। वह है ग्रामीण जल संपूर्ति योजना और जल उत्सारण योजना। जल संपूर्ति योजना से ग्रामों में जल पूर्ति की व्यवस्था का कार्यक्रम रखा जाता है। शुद्ध जल लोगों को प्राप्त हो सके यह हमारे जन स्वास्थ्य का एक विशेष कार्यक्रम है। योजना यह है कि इस पर २४५ लाख रुपया व्यय किया जाय जिसमें २१७ लाख रुपया अनुदान के रूप में २० हजार से कम जन संख्या वाले जो स्थानीय निकाय हैं उनको स्वीकृत किया जायगा। इसमें जो पहाड़ी क्षेत्र है, सूखाग्रस्त, अभाव-ग्रस्त जो ग्रामीण पेय जल योजना के क्षेत्र हैं उनको तो शत प्रतिशत अनुदान दिया जायगा और २० हजार से कम जनसंख्या वाले जो स्थानीय निकाय हैं उनको ७५ प्रतिशत अनुदान और २५ प्रतिशत ऋण के रूप में दिया जायगा। इस वक्त ४ नगरों में और ४८३ गांवों में पेय जल की व्यवस्था की गई है। इसी तरह से जो हमारे नगर के क्षेत्र हैं जहां पर कृषि के योग्य आसपास जमीन है उनको अच्छा पानी मिल जाया करे इसके लिये भी २५ प्रतिशत अनुदान के रूप में दिया जायगा। यह नगरीय जलोत्सारण योजना के अन्तर्गत है और इस कार्य के लिये २५.२५ लाख रुपये का अनुदान रखा गया है।

इस तरह की ये सारी योजनायें हैं बजट के अन्दर और बजट के बाहर भी। माननीय उपाध्यक्ष जी, मैंने थोड़े में उन सब कार्यों की तरफ सदन का ध्यान दिलाया जो चालू वित्तीय वर्ष में किये जाने वाले हैं। मुझे आशा है कि मैंने जो सब कार्यक्रम सदन के सामने रखे हैं

उन पर माननीय सदस्य अपने अच्छ और कांस्ट्रक्टिव सुझाव देंगे जिससे कि इस प्रदेश की जनता की भी भलाई हो और साथ ही साथ इस विभाग को भी कुछ कार्य करने का मौका मिल सके। धन्यवाद।

चौधरी रामपाल सिंह यादव (जिला कानपुर)––

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपकी अनुज्ञा से मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या १९––चिकित्सा और अनुदान संख्या २०––सार्वजनकि स्वास्थ्य के अन्तर्गत संपूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशियां घटा कर एक-एक रुपया कर दी जायं। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना है।

मान्यवर, अभी हमारे इस प्रदेश की स्वास्थ्य मंत्री जी ने अपना वह भाषण पढ़ा जो इस सचिवालय की अलमारियों में, सड़ी गली फाइलों में वर्षों से पड़ा था। मुझे तो ऐसा लगा कि यह सारा भाषण इस प्रदेश की साढ़े ८ करोड़ जनता की तरफ से नहीं, इस प्रदेश के गांव की धरती की तरफ से नहीं बल्कि यहां के मेडिकल सेक्रेटरी की अलमारी की फाइलों की तरफ से पेश किया गया है। मझे ऐसी उम्मीद नहीं थी कि आज के स्वास्थ्य मत्री जी का भाषण इस तरह का होगा जिसमें इस प्रदेश की करीब ९ करोड़ जनता के लिये कोई बात न कही जाय। इन्होंने सारी बात जो कही है, सारे आंकड़ों का जो जाल बिछाया है उसमें गरीब इन्सानों के लिये कोई बात नहीं है। मैं बता देना चाहता हूं कि आज जिस उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री जी का यह भाषण हुआ है उस प्रदेश में १३ लाख व्यक्ति टी० बी० के मरीज है, ३ लाख इंसान कुष्ठ रोगी हैं, साढ़े ४ करोड़ मनुष्य फाइलेरिया रोग से पीड़ित और प्रभावित हैं और रोहा रोग का भी इस प्रदेश के ४–५ करोड़ लोगों पर प्रभाव है।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)––

क्या माननीय सदस्य इससे बचे हुए हैं, क्योंकि इसमें तो करीब ५० फीसदी आबादी आ गयी?

चौधरी रामपाल सिंह यादव––

आप मत्री जी की किताबों को पढ़ लें। इस कांग्रेस के राज्य में इस प्रदेश की अधिकांश जनता तो रोगी ही है लेकिन सरकार के मंत्री लोग भी मानसिक रोग से पीड़ित हैं। इस प्रदेश में बीमार लोगों की इतनी भारी संख्या है और उनका इन्तजाम व इलाज न करना इस सरकार के लिए सबसे बड़ी नालायकी की बात है। आज की यह सरकार बड़ा समाजवाद का नारा लगाती है। अभी स्वास्थ्य मंत्री जी ने यह कहा कि एक मरीज के लिये, एक इंसान के लिये ये ६१ पैसे साल भर में खर्च करते हैं, तो मैं पूछना चाहता हूं कि यह कौन सा समाजवाद है। आज उत्तर प्रदेश के करोड़ों आदमी लम्बे लम्बे मर्जों से बड़ी बड़ी बीमारियों से पीड़ित है और यह सरकार जो अनुदान का पैसा मांगती है, वह सारा पैसा नौकरशाही पर या उनके ऐशो आराम पर खर्च करती है और साधारण जनता को उनके स्वास्थ्य के लिये जिन चीजों व दवाओं की आवश्यकता है, उपलब्ध नहीं कर पाती है।

मान्यवर, जैसा मैंने कहा इनके पास सारे उत्तर प्रदेश के लिये ग्रामीण अंचलों में ८७५ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हैं और उनमें से कुल ४१५ की ही इमारतें इनके पास हैं और ४६० अस्पताल ऐसे हैं, जहां पर इनकी कोई इमारत नहीं है। तो मान्यवर वे ऐसे ही चल रहे हैं, कुछ किरायेकी इमारतों में, कुछ भीख मांगीकी इमारतोंमें और कुछ चल भी नहीं रहे हैं। इनके अस्पतालों की आज यह स्थित है और जो अस्पताल सरकार की ओर से बढ़ाये जाते हैं वे साल में एक या दो ही होते हैं। इतनी छोटी संख्या में अस्पताल बढ़ा कर बड़ी बड़ी डींगे मारी जाती हैं कि स्वास्थ्य के बारे में हमने बहुत बड़ा काम किया है तो मैं समझता हूं कि इससे बढ़कर धोखा देने की कोई

[चौधरी रामपालसिंह यादव]

बात नहीं हो सकती है। इस समय प्रदेश में १३ लाख टी० बी० के रोगी हैं और उनके लिये कुल २,५१७ चारपाइयां हैं। यदि ये सारे रोगी मंत्री जी को घेर लें तो ये उन्हें कहां पर स्थान देंगे ?

मान्यवर, आज यदि इंसान मरने की हालत में आ जाय उस स्थिति में भी उनको साधारण तरीके से अस्पताल में लेटने के लिए कोई स्थान नहीं है। आज आप किसी भी अस्पताल में चले जायं, आप देखेंगे कि रोगियों की एक लम्बी भीड़ लगी रहती है और ऐसा लगता है कि जैसे बंगाल देश के सताये हुए आदमी ही अस्पताल में भेड़ की तरह से लेटे हुए हैं। मैं बलरामपुर अस्पताल में गया, मैंने वहां पर देखा कि जितनी चारपाइयां हैं, उनसे चार गुने रोगी जमीन पर लेटे हुए हैं, इनके जितने भी बड़े बड़े अस्पताल हैं उनमें मरीज जमीन पर लेटे हुए मौत की सांस लेते रहते हैं और बड़े बड़े डाक्टर, बड़े बड़े सिविल सर्जन अपने अपने बंगलों पर मौज उड़ाया करते हैं। हमारे जो गांव के गरीब व दुखी बीमार लोग हैं, उनका ठीक से इलाज नहीं किया जाता है और जो रोगी ठीक इलाज न होने से अस्पताल में मर जाते हैं, उनको बड़ी बेशर्मी से घसीट कर बाहर फिकवा दिया जाता है। स्वास्थ्य मंत्री जी को कोई दर्द नहीं कि हमारे सूबे के गरीब आदमी के लिये, यहां की गरीब जनता के लिये हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं।

कुष्ठ रोग की बात कही गई। इससे भयकर और कोई रोग नहीं हो सकता और हमारे यहां ३ लाख के करीब ऐसे व्यक्ति हैं कि जो इस रोग से पीड़ित हैं मगर उनको राहत देने के लिये सरकार के पास आजतक कोई खास इन्तजाम नहीं है। अभी मैं ऋषिकेश गया था और हमारे साथ श्री माधव प्रसाद जी त्रिपाठी भी थे, वहां पर जहां लक्ष्मणझूले आदि के प्राकृतिक दृश्य को देखकर मन को कुछ शान्ति मिली, खुशी हुई वहीं पर सैकड़ों कोढ़ियों को देखकर बड़ी तकलीफ हुई और इस सरकार के लिये भी बड़ी नफरत पदा हुई क्योंकि यह सरकार उन कोढ़ियों के लिये जो कि तीर्थ स्थानों पर पड़े रहते हैं उनके लिये कोई अस्पताल खोलकर दवा आदि का इन्तजाम नहीं कर सकी। बड़ा तुर्रा दिया गया है कि बजट में लक्ष्मणझूले ऋषिकेश में इन लोगों के लिये ५० शैय्याओं का प्रबन्ध किया गया है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं और उनको चैलेंज करता हूं कि माननीया स्वास्थ्य मंत्री जी ऋषिकेश चली जायं या किसी भी अन्य तीर्थ स्थान पर वह चली जाएं तो वह पायेगी कि गंगा के किनारे पर हजारों कुष्ठ रोगी कटोरा लेकर भीख मांगते हुए, धरती पर गिरते हुए घिसटे चले जाते हैं और मंत्रियों की मोटरें उनके पास से सरसराती हुई निकली चली जाती है वह दुखी मानवजीव उनके सामने कटोरे थामे जमीन पर सिर पटक कर रह जाते हैं। यह स्थिति उनकी और इनके कांग्रेसी शासन की है। मैं कहना चाहता हूं कि इस तरह के नारों से अब काम नहीं चलेगा और अब इन लोगों के लिये सरकार को कुछ करना ही होगा।

टी० बी० एक भयंकर मर्ज है और उसके बारे में शायद मंत्री जी को मालूम न होगा कि टी० बी० के एक इन्जेक्शन की लागत कितनी है, यह टी० बी० का इन्जेक्शन स्ट्रेप्टोमाइसीन सरकारी फैक्टरी में बना है, यह सरकार की देखरेख में बनता है और उसकी लागत १२ पैसे आती है और जिस इन्दिरा जी की सरकार का बड़ा समाजवाद का ढोंग है उसी सरकार के द्वारा वही इन्जेक्शन ७५ पैसे का बिकवाया जाता है। इससे ज्यादा और नालायकी की बात क्या हो सकती है।

इसके अलावा एक पेनिसिलीन इन्जेक्शन है। एक इन्जेशवन होता है जो हर मर्ज में काम आता है, यह भी इन्हीं के यहां बनता है और हर गरीब इंसान को उसकी जरूरत होती है और उसके बनाने में भी दस बारह पैसे की लागत आती है लेकिन उसको भी यह सरकार ७५ और ८० पैसे में बिकवाती है। जो इनकी दवायें हैं उनके दाम इन्होंने इतने बढ़ा रखे हैं कि जो दूसरे दवा बनाने वाले लोग हैं उनकी जो ज्यादा दाम वसूल करने की नीति है उसी हिसाब से यानी २ पैसे की दवा के ४ रुपये वसूल करने की लूट चला रखी है। हमारे प्रदेश के गरीब इंसान के लिये दवाओं के दाम ठीक तरीके से न बांधकर उनको लूटने की साजिश दिल्ली और लखनऊ

की सरकार की ओर से चल रही है और यह दोनों मिलकर दवाओं के मामले में गरीब बीमार इंसान का शोषण कर रही है और लूटने की छूट दे रखी है। यह बड़ी गंभीर बात है कि जो इंसान रोग से जिन्दगी के लिये लड़ रहा हो उससे इतना बड़ा मुनाफा लिया जाय। यह जो दवायें बेची जाती हैं उनके बारे में हमने बड़ी बड़ी फर्मों के लोगों से बात की तो मालूम हुआ कि इन पर ९०० से १,२०० प्रतिशत तक का मुनाफा लिया जाता है और १ रुपये की दवा १२ रुपये तक में बेची जाती है और दवाओं में गरीबों की लूट कराना इस सरकार का काम है।

गरीब को दवा देना, गरीब को राहत पहुंचाना इनका काम नहीं है। मान्यवर, मैं इसी के साथ-साथ मंत्री जी को कह देना चाहता हूं कि ये जो अस्पतालों में एक्सरे होते हैं उनके लिये जब बेचारे परेशान मरीज वहां जाते हैं तो १६ रुपये, १२ रुपये फीस उनसे ली जाती है। मैं कहना चाहता हूं कि एक छोटा एक्सरे प्लान्ट एक लाख रुपये में तैयार होगा। उस प्लान्ट को हर शहरों में हर म्यूनिसिपैलिटी में क्यों नहीं खड़ा कर देते। उससे आठ आने में ही एक्सरे हो जाता है और यह १६ रुपये का एक्सरे करवा कर लुटवा रहे हैं। सरकार का ध्यान इस तरफ नहीं जाता। गरीब आदमी के लिये दवा का इन्तजाम इस तरह से करें। मैं कहूंगा जितनी भी टाउन एरियाज, म्युनिसिपैलिटीज और जितने भी शहर हैं उनमें इस तरह का छोटा एक्सरे प्लांट सरकारी तरीके पर लगाया जाय जिनसे जनता को लूट से बचाया जा सके और एक्सरे आठ आने में ही हो सके। मान्यवर, इसी के साथ में यह कहना चाहता हूं कि यह जो दवाई की लूट है यह जो भ्रष्टाचार है यह कोई आज का नहीं है और इस भ्रष्टाचार के बारे में मान्यवर, एक ही बात आपको कह देना चाहता हूं। क्योंकि गंगोत्तरी का पानी जब गन्दा होता है तब गंगा में भी गन्दा पानी आता है। आज जब गन्दगी ऊपर से ही नीचे को आती है तो बचा नहीं सकते साधारण आदमी को, गांव के डाक्टर को कि वह गन्दा न हो जाये।

एक हैं डी० एन० शर्मा, ये डायरेक्टर हैं यहां पर। यह यहां के डायरेक्टर पहले भी थे, बीच में चले गये थे। अब जैसे ही यह सरकार बनी फिर इनकी आवश्यकता पड़ गई। ये फिर बुला लिये गये घर से। इनकी दो एक मिसाल भ्रष्टाचार की मैं बता देना चाहता हूं। एक यहां पर सेन्ट्रल मेडिसिन स्टोर डिपो, लखनऊ है जहां पर दवाइयां सरकार की तरफ से खरीद कर प्रदेश में सारे अस्पतालों में भेजी जाती रही हैं और ये इसकी परचेजिंग कमेटी के पदेन चेयरमन भी हैं। चेयरमैन की हैसियत से उस परचेजिंग कमेटी की तरफ से ऐसी एक दुकान पर तमाम आर्डर प्लेस किये। तमाम, आर्डर भेजे जो दूकान इनकी बीवी की थी, जो दूकान इनके साले की थी। जब इसकी विजिलेन्स द्वारा जांच हुई तब ये दोषी पाये गये। दोषी पाने के साथ ही साथ लिखा गया कि इन्होंने सरकारी कर्मचारी आचरण संहिता के विपरीत कार्य किया है। जब खिलाफ कार्यवाही होने लगी तो मान्यवर, ये भाग खड़े हुए। एक मामला और इनका बता देना चाहता हूं। बलरामपुर अस्पताल में सन् ६२ में यह प्रोपोजल हुआ कि ७२ शय्याओं का इन्तजाम किया जाय। एक वार्ड बनाया जाय। सन् ६४ में शासन की ओर से स्वीकृति दी गई। ६४ से ७० तक ये डायरेक्टर श्री डी० एन० शर्मा उस सारी स्कीम को तकिये के नीचे रखकर सोते रहे।

श्री उपाध्यक्ष––

आपने विभागीय नीति की आलोचना करनी है व सुझाव देने हैं। जो सदस्य यहां नहीं हैं जो आपका जवाब नहीं दे सकते हैं उनके प्रति आपको ऐसा नहीं कहना चाहिये।

चौधरी रामपाल सिंह यादव––

वे सरकार के एक अंग हैं। तो मैं मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि यह सन् ६४ में तय हो गया था कि बलरामपुर अस्पताल में ७२ शय्याओं का वार्ड बनाया जाय और ६४ से ७० तक डायरेक्टर महोदय उस सारी स्कीम को तकिये के नीचे रखकर सोते रहे। हुआ क्या, सन् ७० में जब चौधरी चरण सिंह मुख्य मंत्री बने और बलरामपुर अस्पताल गये उन्होंने वहां भीड़

[श्री चौधरी रामपाल सिंह यादव]

देखी। तो उन्होंने कहा कि क्या मामला है कि जगह नहीं है। कागज निकाले गये। निकालने पर मालूम हुआ कि सन् ६४ में यह तय हो गया था और श्री डी० एन० शर्मा की वजह से यह शय्याओं का इन्तजाम नहीं हुआ। इस पर इनकी निन्दा की गई और, आचरण के बारे में संदेह लिखा गया। तब इनको डर हुआ कि चरण सिंह नहीं छोड़ेंगे। तब इन्होंने छुट्टी ले ली और चले गये। जो प्राविडेन्ट फण्ड इनका जमा था उसे भी निकाल लिया कि कहीं ऐसा न हो कि बाद में उससे काटकर जो घपला किया है उसमें जमा करा लिया जाय। विजीलेंस डिपार्टमेन्ट के डर से और चरण सिंह जी के डर से जो कि उस समय मुख्य मंत्री थे,यह चले गये। यह घर पर रहे। सबसे बड़ेताज्जुब की और सरकार की सांठ-गांठ की बात यह है कि जैसे ही त्रिपाठी जी की सरकार बनी दूसरे ही दिन इनको घर बैठे बुला लिया गया। और कब बुला लिया गया? जब यह चले गये थे और इनकी जगह के लिये सलैक्शन हुआ, उसमें मेडीकल सेक्रेटी भी बैठे और उसमें डाक्टर त्यागी को सेलेक्ट किया गया और उनको डायरेक्टर बना दिया गया।

डा० त्यागी डायरेक्टर के पद पर कार्य करते रहे। जब यह सरकार आयी तो डी० एन० शर्मा का काम बन गया। उन्होंने सरकारी दबाव डालकर, मेरा अन्दाज है कि स्वास्थ्य मंत्री जी का भी दबाव पड़ा होगा, डा० त्यागी से स्तीफा लिखवाया कि हम यहां छोड़ रहे हैं और आगरा वापस जाना चाहते हैं और उनको आगरा भेज दिया गया और शर्मा जी यहां पर विराजमान है। डा० डी० एन० शर्मा, जी के बारे में कौन नहीं जानता? जगह जगह पर चर्चा है कि प्रदेश भर का डाक्टर इनके यहां आकर पूजा चढ़ाता है, भट चढ़ाता है। इन्दिरा नाम की उनकी श्रीमती जी हैं जो बराबर यही काम करती है रिश्वरखोरी का। तो यह कैसे चलेगा? यह विभाग जहां गरीब इन्सान की रक्षा होनी चाहिये, वहां इस प्रकार के लोगों को बैठाकर इस प्रदेश की गरीब जनता का खून चूसा जा रहा है। सरकार इस पर विचार करे और जो नियम भंग किया गया है उसपर पश्चाताप करे और ऐसे आदमी को जिस के खिलाफ अब भी विजीलेंस की जांच होरही है, उसे हटाए और जांच में जो नतीजे आएं उनके मुताबिक उन्हें सजा दी जानी चाहिये। लेकिन इन्होंने उनको इनाम दिया है। और श्रीमस कब उनको लाए है? जबकि वह दिसम्बर में रिटायर होनेवाले हैं, और हमको भय है कि ये यह उनको एक्सटशन दगे। जब तक यह सरकार रहेगी तब तक डी० एन० शर्मा भी रहग। लेकिन सारे प्रदेश की जनता इस घोर अन्याय को देख रही है और समझ रही है अगर सरकार न ध्यान न दिया तो इसके लिये एक बहुत बड़ा बखेड़ा खड़ा हो सकता है।

श्रीमन्, एक बात और कहना चाहता हूं। हमारे कानपुर में टी० बी० का चेस्ट हास्पिटल है। डा० ओ० पी० मित्तल उसके इंचार्ज है। पिछले दिनों असेंबली में मैंने सवाल उठाया था कि डा० मित्तल के खिलाफ एक जांच डायरेक्टर आफिस से की गई। उसमें उन्हें भ्रष्टाचार का दोषी पाया गया था। पुराने मंत्री ने उसको दबा रखा था। सचिवालय की अलमारियों में फाइल दबी हुई थी। जब विधान सभा में मैंने सवाल किया कि ऐसे आदमी के खिलाफ कार्यवाही क्यों नहीं हो रही है तो यह जवाब दिया गया था--जी हां, डा० ओ० पी० मित्तल के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की जा रही है। २३ मार्च, १९७१, अनन्तराम जायसवाल। तो मान्यवर, यह काम तो समाजवादी मंत्री ही कर सकता है...

श्री राजित राम पांडेय (जिला इलाहाबाद)--

जिनका नाम आप ले रहे है, अनन्तराम जायसवाल का, जब वह मंत्री रहे तो एक लाख रुपये का डस्टिंग पाउडर नकली दुकान से लिया गया था जिसका मुआयना हो रहा है, रुपया खा गये, उनकी क्या आप बात करते हैं? मैं तो यह कहता हूं कि कमलापति जी की सरकार उन पर दया कर रही है। विजिलेंस कमेटी बिठा कर उन पर मुकदमा कायम करना चाहिए ताकि पोल खुल जाय। अनन्त राम जी एक नाम ले रहे हैं आप।

चौधरी रामपाल सिंह यादव—

इस सरकार नें ऐसे ही लोगों को पाल रखा है। ऐसा लगता है कि कुछ अखाड़े के लोग, कुछ बिल्कुल मरीज लोग, कुछ मानसिक पीड़ित जिनको मस्तिष्क की बीमारी है, यहां आकर ये सब इस सरकार का बंटाधार कर रहे हैं। एक समाजवादी हेल्थ मिनिस्टर ने डा० ओ० पी० मित्तल की फाइल निकलवायी और अनुशासनात्मक कार्यवाही करने का आदेश दिया।

श्री राजित राम पांडेय—

यह इतिहास में रिकार्डेड है। डा० लोहिया की आत्मा श्री अनन्त राम जायसवाल को कोस रही होगी। वे २ महीने तक बलरामपुर अस्पताल में भर्ती रहे।

चौधरी रामपाल सिंह यादव—

अभी राजित राम पांडेय जी ने बताया कि अनन्तराम जायसवाल २ महीने अस्पताल में क्यों भर्ती रहे। यह सही है कि माननीय अनन्तराम जायसवाल अस्पताल में भर्ती रहे मान्यवर, वहां पर अस्पताल में राजितराम पांडेय की जो सिस्टर्स रहती है उन्होंने श्री जायसवाल जी को रोक रखा था। उन्होंने कहा था कि कुछ बढ़िया इलाज होगा, मजा आयगा बने रहो। तो ये पांडेय अपनी सिस्टर्स से जाकर, अगर चाहें, तो पूछलें। हमसे क्यों पूछते हैं।

मान्यवर, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि डा० ओ०पी० मित्तल के खिलाफ फौरन कार्यवाही होनी चाहिये। उन्होंने अभी अभी मुझे एक चिट्ठी लिखकर भेजी है जिसको मैं पढ़ देता हूं। यह चिट्ठी २३ मार्च, १९७१ की है। उन्होंने लिखा है कि क्या इस मामले को पूर्ण रूप से खत्म करवा देने में आप हमारी सहायता करेंगे। यह चिट्ठी उनको अभी-अभी आयी है। उनका मामला यहां दबा हुआ है। हम तो ऐसे नालायक आदमी को कभी भी नहीं छोड़ सकते हैं, परन्तु यह नालायक सरकार, जो इसप्रदेश का उद्धार करना चाहती है, उनको बचा देगी। मैं इस मामले को मंत्री जी की नोटिस में लाना चाहता हूं ताकि वे इसको अच्छी तरह से देख लें और कृपा करके कोई ऐसा कोई काम न करें जो कि जनहित में न हो। डा० मित्तल के कारण कानपुर की सारी जनता त्राहि-त्राहि कर रही है।

अब मैं एक बात अपने क्षेत्र की कहना चाहता हूं। मैंने विधान सभा में भी सवाल उठाया था कि कानपुर जिसके झिंझक ब्लाक में कितनी नसबन्दी हुई, कितने किलोमीटर जीप मोटर चली और कितना पेट्रोल खर्च हुआ। माननीय स्वास्थ्य मंत्री बाजपेयी जी की तरफ से यह उत्तर दिया गया। झींझक ब्लाक में ८८ नसबन्दी हुई, ७२ लूप लगे, १६,२६४ किलोमीटर मोटर जीप चली और २,४५१ लीटर पेट्रोल खर्च हुआ। यह उत्तर २७ अप्रैल, १९७१ का था। तो इस प्रकार प्रत्येक महीने में १,३५५ किलोमीटर मोटर चली और २२६ लीटर पेट्रोल खर्च हुआ। यह नसबन्दी का मामला है। यह भी देखें मान्यवर, एक महीन में कितने लूप लगे और कितनी नसबन्दी हुई। आज जनता के खून के साथ ये परिवार नियोजन वाले लोग होली खेल रहे हैं।

मान्यवर, ये कहते हैं कि आबादी बढ़ रही है। सब जानते हैं कि आबादी बढ़ रही है और उस आबादी को रोकने के लिये ये लोग यहां पर इन्तजाम कर रहे हैं। विधान सभा में मेरे प्रश्न के उत्तर में १३ जुलाई, १९७१ को स्वास्थ्य मंत्री ने यह उत्तर दिया :—

"लक्ष्य की पूर्ति किसी भी जिले में पूरी नहीं हो पाती है।" तो मान्यवर जब लक्ष्य की पूर्ति किसी जिले में नहीं हो पाती है तो ऐसे डाक्टर को, ऐसे कर्मचारियों को क्या सजा दी और अगर उनको सजा नहीं दी तो इस देश की आने वाली जनता इनको सजा देगी, क्योंकि मान्यवर इस प्रदेश की जिस प्रकार से आबादी बढ़ रही है उसका मतलब है कि इस प्रदेश में ९ सेकिन्ड में १ बच्चा पैदा हो जाता है, १ घंटे में एक गांव तैयार हो जाता है, एक दिन में एक न्याय पंचायत बन जाती है, एक सप्ताह में एक ब्लाक की आबादी के बराबर आदमी पैदा हो जाते हैं और ४

[चौधरी रामपाल सिंह यादव]

महीने में एक झांसी जैसा जिला तैयार हो जाता और एक साल में एक छोटा देश गार्डन बन जाता है। यही नसबन्दी के मामले हैं, यही इनके लूप के मामले हैं और सारा पैसा नसबन्दी और लूप पर खर्च करके यह लोग ऐसी हवा बनाये हुए हैं कि प्रदेश की आबादी रोककर गरीबी मिटाना चाहते हैं।

मान्यवर, इस समय दो ही नारे रह गये हैं। दिल्ली सरकार को बचाने के लिये बंगला देश का नारा लगाया जाता है। बंगला देश के नाम से लोग गरीबी और भुखमरी भूल जायेंगे। इसी प्रकर गरीबी, भुखमरी और बेकारी पर पर्दा डालना होता है तो कह देते हैं कि आबादी बढ़ रही है। तो श्रीमन्, इसका इन्तजाम क्यों नहीं करते हैं? आबादी रोकने का जो तरीका है वह अभी तक १२, १४ साल में ७ लाख लोगों की नसबन्दी हुई है और ५ लाख महिलाओं के लूप लगे हैं तो आप देखिए, १०, १२ साल में इतना क्रान्तिकारी काम इनके यहां हुआ है। इनमें भी जो लूप लगे हैं वह अधिकतर बुड्ढी औरतों और विधवाओं के लगाये गये हैं और नसबन्दी बुड्ढों और नाबालिगों की की गई है। यह सारा काम जाल बट्टा है, कोई दम नहीं है इनके नसबन्दी के कार्यक्रम में और इसको एक मखौल बना दिया है नसबन्दी करने वालों ने। इन्होंने कहा था कि नसबन्दी करा लो और सारे प्रदेश में ऐलान करा दिया, किताब में भी छपवा दिया कि अगर किसी दैवी प्रकोप के कारण बच्चों की आवश्यकता पड़े तो ऐसा व्यक्ति नसें पुनः जुड़ा सकता है इसकी व्यवस्था आगरा, इलाहाबाद और लखनऊ मेडीकल कालेजेज में है। तो इस प्रकार से नस जुड़ाने के लिये आदमी को २००, ४०० मील चलकर आना पड़ेगा तब नस जोड़ी जावेगी तो क्या मखौल बनाया है नसबन्दी का।

मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि यह सरकार परिवार नियोजन के नाम पर अपनी अकर्मण्यता, अपनी नालायकी छिपाकर जनता को धोखा दे रही है कि आबादी बढ़ रही है और हम बेकारी और गरीबी नहीं मिटा सकते हैं। मान्यवर, इस प्रदेश में आदमियों को काम देने के लिये, रोजी रोटी देने के लिये बहुत सारे साधन मौजूद हैं लेकिन यह उसको करना नहीं चाहते हैं और नसबन्दी के नाम पर, आबादी बढ़ने के नाम पर, यह सरकार जनता को धोखा दे रही है। तो मान्यवर, मैं कहना चाहूंगा कि इस तरह की गपबाजी से प्रदेश की गरीबी दूर नहीं हो सकती है। मान्यवर, किसी भी देश के नागरिक के लिये स्वास्थ्य की बहुत आवश्यकता है, अगर इंसान तन्दुरुस्त नहीं होगा, स्वास्थ्य नहीं होगा, तो प्रदेश की तरक्की नहीं हो सकती है।

मान्यवर, उत्तर प्रदेश का यह दुर्भाग्य रहा है कि हमारे प्रदेश का साधारण इंसान दुबला होता चला जाता है, टूटता चला जाता है और कुछ विशेष आदमी तगड़े होते चले जाते हैं और मुख्य मंत्री भी हो जाते हैं। यह हालत है कि गरीब इन्सान इतना कमजोर है कि सड़क पर नहीं चल पाता और गिर जाता है लेकिन दूसरी तरफ ऐसे व्यक्ति भी हैं जिनको मोटर पर बैठाने के लिये हाथ लगाया जाता है। कितनी असमानता है उन साधारण आदमियों में और कुछ विशेष व्यक्तियों–मिनिस्टरों में। मान्यवर, मैंने पहले ही कहा था कि यह विकलांगों की सरकार है। इसमें बहुत मरीज हैं। डाक्टर हैं वह सरकार में नहीं लिये गये। स्वास्थ्य मंत्री के बारे में क्या कहूं, कहना नहीं चाहता, ऐसे महानुभाव को स्वास्थ्य मंत्री बना दिया जिन्हें स्वास्थ्य के बारे में जानकारी नहीं। उन्होंने अपना भाषण पढ़ दिया जिसे पढ़कर सारा प्रदेश महसूस करेगा कि यह इनके दिल की बात नहीं है। इनके दिल में स्वास्थ्य के बारे में कुछ है ही नहीं, दिल जीरो है। अगर इनके दिल में कुछ भी स्वास्थ्य के लिये होता तो आदमियों के लिये न सही तो औरतों के लये कुछ किये होतीं। देश की बात तो जाने दीजिये लेकिन इस प्रदेश की जितनी भी औरतें हैं उनकी ९५ फीसदी सड़कों पर पाखाना जाती है। जब कोई आदमी उधर से गुजरता है तो वह खड़ी हो जाती हैं और जब वह आदमी चला जाता है तो फिर बैठ जाती है। ये स्वास्थ्य मन्त्री अपनी महिला बिरादरी के लिये पाखाना फिरने का भी इन्तजाम नहीं कर पायीं। सही तरीके से पाखाना न होने के कारण महिलाओं की तन्दुरुस्ती गिरती जा रही है।

मैं कहना चाहता हूं कि गांव-गांव में जो पी०आर०ए०आई० लैट्रिन्स हैं वे बनवा दें जिससे कि महिलाए जो इनकी ही बिरादरी की हैं ठीक से पाखाना जा सकें। मान्यवर, ग्रामीण महिलाएं चूल्हा फूंकते-फूंकते गीली लकड़ी के कारण धुए से अपनी आंखे खो बैठती हैं। अगर इन्हें औरतों से कोई मुहब्बत है तो इन्हें चाहिये कि चिमनी के चूल्हे घर-घर में बनवा दें जिससे कि हमारी उन माताओं और बहिनों की आंखों की हिफाजत हो सके। हमें उम्मीद है कि जब वे अपना स्पष्टीकरण देंगी तो इस बात का ऐलान करेंगी कि सारी प्रदेश की महिलाओं के पाखाना फिरने का इन्तजाम और उनकी आंखों को धुंए से बचने का इन्तजाम करायेंगी।

(व्यवधान होने पर)

आप तो खुद चश्मा लगाये हैं। इनका राज्य स्वास्थ्य मंत्री शर्मा जी का चश्मा भी ऐसा है जो डी० एन० शर्मा डायरेक्टर ने बनाया है। मान्यवर, यह बड़ी डींग मारते हैं कि ६१ पैसे प्रति व्यक्ति दवाओं का इन्तजाम करते हैं। आपको शर्म आनी चाहिये और पश्चाताप करना चाहिये। आपको ग्रामीण जनता के लिये सुविधा पहुंचानी चाहिये। गांव के लिये सचल अस्पताल खोलें उन्हें आप मोटर दें, उनमें डाक्टर बैठालें और दवायें दें। एक तहसील में एक मोटर रहे, एक सचल अस्पताल रहे और दिन मुकर्रर रहें कि फलां फलां दिन मोटर इधर से वह निकलेगी। उस दिन रोगी आयें और दवा लेकर चले जाय। आज साधारण आदमी को तो दवा मिल ही नहीं पाती। आप कहते हैं कि १० मील के अन्दर मैदानी इलाकों में और ४५ मील के अन्दर पहाड़ी इलाकों में अस्पतालों की व्यवस्था हम करेंगे। अगर कोई मरीज पहाड़ पर ४५ मील चलकर अस्पताल में आयेगा तो वह तो रास्ते में ही राम-राम सत्य हो जायगा। जब तक हर गांव में और हर शहर में और अस्पताल का इन्तजाम नहीं करेंगे, जनता को राहत मिलने वाली नहीं है। आपको गांव-गांव में दवा का इन्तजाम करना होगा।

मान्यवर, अस्पतालों में दवायें और टानिक भरे पड़े हैं, मगर वे सब बड़े-बड़े अधिकारियों और मिनिस्टरों को ही मिल पाते हैं। मेरा सुझाव है कि अस्पतालों में केवल लाइफ सेविंग दवाओं को मंगाया जाय, टानिक न मंगाये जाए, टानिकों से केवल बड़े-बड़े आदमी ही मोटे हो पाते हैं, गरीब आदमी को तो वह मिल ही नहीं पाता है।

माननीय मंत्री जी ने कहा कि हमने पी० एम० टी० की परीक्षा-प्रणाली को बदल दिया है मैं उनको बताना चाहता हूं कि यह तरीका तो संविद सरकार के माननीय अनन्तराम जायसवाल जी ने चलवाने के आदेश दिये थे। इसका श्रेय संविद सरकार को है न कि उनको आदेश किया। अनन्त राम जायसवाल ने और गाल ये बजा रही हैं। काम करे कोई, गाल बजाये कोई।

मान्यवर, इन्होंने आयुर्वेदिक कालेजों के बारे में, यूनानी कालेजों के बारे में तथा होम्योपेथिक कालेजों के बारे में कोई इन्तजाम नहीं किया है। आज एलोपेथिक डाक्टर को ३००–९०० का पे स्केल दिया जाता है जब कि आयुर्वेदिक या यूनानी वाले डाक्टर को १५०–२५० का पे स्केल दिया जाता है जब कि यह सब एक ही तरह के काम करने वाले लोग हैं, एक तरह से जनता को राहत पहुंचाने वाले लोग हैं। मेरा सुझाव है कि इन सभी का समान वेतन-मान होना चाहिये, सभी को समान सुविधायें प्राप्त होना चाहिये। इन लोगों के साथ सौतेला व्यवहार नहीं होना चाहिये।

मान्यवर, मेडिकल कालिजों के एक विद्यार्थी पर ८५ हजार रुपया खर्च होता है जब कि आयुर्वेदिक कालिजों के एक विद्यार्थी पर ३०–३५ हजार मुश्किल से खर्च होता है। यूनानी के विद्यार्थियों को तो मेरा ख्याल है कि यह कुछ देते भी न होंगे। कहने के लिये यह सरकार कहती है कि हम उर्दू को बढ़ावा दे रहे हैं, मगर यूनानी पद्धति की ओर इनका कतई ध्यान नहीं है। आयुर्वेदिक कालिज में एक मिस्टर शिव दत्त काले हैं जो सीनियर मेडिकल आफिसर हैं। वे हाई स्कूल फेल हैं। उस पोस्ट के लिये जिसमें ५ वर्ष की ट्रेनिंग आवश्यक है वह भी उनके पास केवल ४ वर्ष की ही है।

[चौधरी रामपाल सिंह यादव]

लेकिन दोस्ती है उनकी बहुगुणा जी से, दोस्ती है उनकी पंचायतराज मन्त्री जी से। इस कारण से ऐसा अयोग्य आदमी लखनऊ के राजकीय आयुर्वेदिक कालेज में सीनियर मेडिकल अफसर बना कर रखा गया है। तो इस तरह से जनता का स्वास्थ्य और उसकी चिकित्सा का काम कैसे चलेगा।

संविद के जमाने में स्वास्थ्य मन्त्री प्रताप सिंह जी ने इनको हटा दिया था, किन्तु अब यह फिर काम कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से इस सरकार से कहना चाहता हूं यह जो आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक और यूनानी चिकित्सा पद्धतियां हैं इनकी तरफ भी सरकार का ध्यान जाना चाहिए और गांव गांव में इनके चिकित्सालयों का जाल बिछाया जाय। होम्योपैथी की दवा काफी सस्ती आती है और उसका प्रभाव भी सबसे ज्यादा होता है। लेकिन सरकार की तरफ से उसका कोई इन्तजाम नहीं है। केवल एलोपैथिक की व्यवस्था का इन्तजाम सरकार की तरफ से रहता है और उसमें टाई और चश्मे वाले मोटे-मोटे लोगों को मुकर्रर करके उनको मोटी-मोटी तन्ख्वाहें दी जाती हैं। आप बजट के खन्ड दो मे पेज ११५ पर देखें, जिनमें १९ करोड़ के करीब का खर्च इस मद में दिखाया गया है। किन्तु इस १९ करोड़ में से वेतन भत्तों आदि पर साढ़े १६ करोड़ रुपया चला जायगा, और शेष केवल ढाई करोड़ यह सहायक अनुदान में खर्च करेंगे। यह इनकी व्यवस्था है---साढ़े १६ करोड़, वेतन भत्ते और भ्रष्टाचार में चला जायगा। जनता को धोखा देने से इस तरह आप का काम नहीं चलेगा। उत्तर प्रदेश में आप एक ऐसी नीति अपनायें जिससे हर व्यक्ति के लिए दवाई का इन्तजाम हो सके, जिससे हर गरीब आदमी को दवा मिल सके और हर आदमी को बीमारी से बचाया जा सके। लेकिन इन्होंने सारा पैसा तनख्वाहों में खर्च कर दिया है।

मैं स्वास्थ्य मन्त्री जी को बताना चाहता हूं कि आपके यहां चिराग तले अन्धेरा वाली कहावत चरितार्थ हो रही है। इसी सचिवालय के गेट नम्बर ७ पर, जहां पर से सभी मन्त्रियों की कारें गुजरा करती हैं, जहां पर मन्त्रिगण दिन में ३-४ बार निकलते हैं, वहां पर होटल से हर समय गन्दा पानी बहा करता है और वह पानी गेट के सामने जमा रहता है, सड़ा करता है। इस गन्दे पानी और कीचड़ के कारण सचिवालय के हजारों कमचारियों को बहुत परेशानी उठानी पड़ती है। उन्हें रात दिन इस मुसीबत का सामना करना पड़ता है। नालियां ५--५ दिन तक बन्द पड़ी रहती हैं, नालियां साफ नहीं की जाती हैं। जिससे सचिवालय कर्मचारियों की करीब ४ हजार साइकिलें और १० हजार पैदल आदमी उस कीचड़ और गन्दगी के बीच से पार होते हैं। और कभी कभी तो मन्त्रियों और अधिकारियों की कारें जो गन्दे पानी से तैरते हुए गुजरती हैं छींटे उड़ाती हैं, जिनसे कर्मचारियों के बदन और कपड़े गन्दे हो जाते हैं। यही आपका चिराग तले अन्धेरा है।

इसके बाद कुछ क्षेत्र के बारे में कहना चाहता हूं। हमारे यहां डेरापुर तहसील का मुख्यालय का एक स्थान है और वहां पर कोई अस्पताल का इन्तजाम अभी तक नहीं हुआ है। वहां पर जिला परिषद् का एक अस्पताल चलता है और उसकी हालत यह है कि उसमें तीस रुपये महीने की दवाई दी जाती है। वहां पर जो डाक्टर और कम्पाउंडर हैं उनको पांच सौ रुपये महीना तनख्वाह दी जाती है। मैं कहना चाहता हूं कि डेरापुर तहसील का केन्द्र है। यहां से सकड़ों गांवों और हजारों व्यक्तियों का सम्बन्ध है। तुरन्त वहां पर एक एलोपैथिक अस्पताल खोला जाना चाहिए।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)---

सच वह जो सर पर चढ़ कर बोले।

श्री बंशीधर पांडेय (जिला वाराणसी)---

स्वास्थ्य मन्त्री के बजट पर बोलते-बोलते आपने स्त्रीलिंग का प्रयोग कर दिया।

श्री उपाध्यक्ष---

स्वास्थ्य मन्त्री का असर पड़ गया।

चौधरी रामपाल सिंह यादव---

मान्यवर, मैं तो इन के कारनामों को बता रहा हूं, मैं आंकड़ेबाजी में सचिवालय की फाइलों की तरफ नहीं जाता। मैं कहना चाहता हूं अब यह इन्तजाम करें इस प्रदेश में दवाई का, गरीब को राहत पहुंचाने का। अब इस तरह से काम नहीं चलेगा। और यह जो डाइरेक्टर हैं डी० एन० शर्मा, हमारे मन्त्री जी से कहना है इनको सबसे पहले यहां से हटा दें और यह जो हमारे मेडिकल सेक्रेटरी हैं पांडे जी, इनका बहुत बड़ा कमाल है। यह भी कुछ नहीं करते, हां हां करके मामले दबाये रहते हैं। संविद के जमाने में जब माननीय अनन्तराम जी स्वास्थ्य मन्त्री थे तो उन्होंने प्रदेश के गरीब टी० बी० के मरीजों के लिए १०० रुपये अनुदान स्वीकार किया था। सारा कागज दब गया। उन गरीब टी० बी० के मरीजों को एक पसा नहीं दिया। यह सब की हां में हां, जी हजूरी करते हैं जब जो मन्त्री हो जाता है उसके यहां हजिरी दिया करते हैं इनका और कोई काम नहीं है। आज तो ऐसा जोड़ा मिल गया है, जैसी यह मंत्री जी, वैसे ही मेडिकल सेक्रेटरी साहब और वैसे ही डाई-रेक्टर डी० एन० शर्मा इन तीनों से उद्धार होना चाहिए इस प्रदेश की जनता का तब कुछ कल्याण हो सकता है। लेकिन इसी के साथ में मन्त्री जी से यह कहना चाहता हूं कि अगर उनको कुछ करना है तो करें मान्यवर हमको यह लग रहा है स्वास्थ्य के बारे में कोई महिला मन्त्री नहीं होना चाहिए। स्वास्थ्य विभाग में महिला मन्त्री नहीं होना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष---

आप अपने को बचाइये।

चौधरी रामपाल सिंह यादव---

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज इस प्रदेश में जो यह सरकार है और इस सरकार का जो रवइया है, उसके बारे में मैं कहना चाहता हूं, अभी कुछ लोगों ने कहा कि यह सरकार जाने वाली है और यह सरकार अगर कुछ बचे भी तो हमारे स्वास्थ्य मन्त्री जरूर जाने वाली हैं। इसीलिए उन्होंने स्वास्थ्य के बारे में कोई खास जानकारी नहीं की। लिखा हुआ भाषण पढ़ दिया और छुट्टी पाने की कोशिश कर रही है। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि इन्होंने कौन सा ऐसा नया इन्तजाम किया। १ वर्ष में दो अस्पताल खोलेंगे सारे उत्तर प्रदेश में। कौन सा ऐसा इन्तजाम किया जिसमें इस प्रदेश की गरीब जनता को राहत मिलती। आज तो ऐसी स्थिति है इस प्रदेश में जिसके कारण यह सरकार तो जायगी लेकिन मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं कि इस प्रदेश के गरीब के लिए, साधारण किसान के लिए व्यवस्था करें। इस प्रदेश का गरीब और साधारण किसान और इन्सान दवाई के लिए तड़प रहा है।

लेकिन इनके पास जो सारा पैसा है वह चला जाता है बड़ी-बड़ी तनख्वाहों में, बड़े बड़े बंगलों में और मोटरों में। जब संविद की सरकार थी तो हमारे माननीय अनन्त राम जायसवाल जी ने एक आदेश दिया था कि ये जो मोटर गाड़ियां डायरेक्टर, बड़े बड़े आफिसर और डाक्टरों के पास है और उनके घरों से बराबर बाजार और अस्पताल का चक्कर काटती रहती है, इसे बन्द किया जाय। जायसवाल जी ने आदेश किया था कि जब भी किसी को गाड़ी की जरूरत पड़े तो गैरेज से लें और फिर आकर गैरेज में रख दें और वहां से पैदल या रिक्शे में अपने घरों को जायं। लेकिन आज तक ऐसा नहीं हुआ। आज भी डाइरेक्टर साहब सैर करने भी जाते हैं तो सरकारी पट्रोल खर्च करते हैं उस सरकारी

[चौधरी रामपाल सिंह यादव]

गाड़ी को गैरेज में न खड़ी करके अपने घर पर ही खड़ी करते हैं जिसमें उनके घर के लोग चलते हैं तथा उनकी बिल्ली व कुत्ते तक चलते हैं। मैं कहता हूं कि सरकारी गाड़ी को सरकारी काम के लिए ही इस्तेमाल किया जाय, गाड़ी को गैरेज में से लिया जाय और फिर उसे गैरेज सीधे में ही वापस किया जाय, तभी इसमें कुछ सुधार हो सकता है। इस सरकार ने अपनी तरफ से इसके लिए कोई इन्तजाम नहीं किया।

मैं आपको यह भी कह देना चाहता हूं कि हमारी संविद के मन्त्री जी माननीय अनन्त राम जी जायसवाल थे उन्होंने ट्रांसफर के बारे में एक नियम बनाया था कि किसी भी डाक्टर का ट्रांसफर गर्मियों के अलावा नहीं किया जा सकेगा। गर्मी के दिनों में ही डाक्टरों का ट्रांसफर होगा और ३---५ साल के बीच में कभी नहीं होगा। उन्होंने यह भी नियम बना दिया था हर डाक्टर अपनी तरफ से तीन अस्पतालों के नाम लिख कर दे देगा जिनमें से किसी एक अस्पताल में मुकरर करके उसे भेज दिया जाय। लेकिन यह भी नहीं किया गया। इस काम को भी आप दबाये हुए । एक आदेश आप देती हैं किसी डाक्टर के ट्रांसफर का और फिर दूसरे ही दिन उसे रोक देते हैं। अगर कल किसी का ट्रांसफर करते हैं तो परसों उसको रोक देती हैं और परसों किसी का ट्रांसफर हुआ है तो उसको नरसों रोक देते हैं। ट्रांसफर के बारे में एक नीति होनी चाहिए। हर डाक्टर तीन अस्पतालों के नाम लिख कर दे और उनमें से एक में ट्रांसफर का आदेश केवल गर्मी के दिनों में दिया जाना चाहिये। गर्मियों के अलावा किसी डाक्टर का कोई ट्रांसफर नहीं होना चाहिए।

जहां तक मेडिकल कालेजों के बारे में हरिजनों को लेने की बात आपने कही, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि सचिवालय में फाइल मौजूद है, हमारे माननीय अनन्तराम जी जायसवाल जो, संविद में स्वास्थ्य मन्त्री थे, उन्होंने आदेश दिया था कि मेडिकल विभाग में, स्वास्थ्य विभाग में जब तक हरिजनों का आरक्षण पूरा न हो जाय, उनको ४५ प्रतिशत स्थान दिया जाय। इसी सिलसिले में आपने १० या ५ प्रतिशत स्थान देने की बात कही है। उन्होंने तो यह आदेश दे दिया था लेकिन आप लोगों को शर्म आनी चाहिये कि आपकी सरकार अछूतों के साथ इस तरह का विश्वासघात कर रही है। एक आदेश हुआ है, आप स्वास्थ्य मन्त्री जी उस आदेश का पालन करें और जब तक हरिजनों का आरक्षण पूरा न हो जाय, ४५ प्रतिशत स्थान मेडिकल विभाग में, स्वास्थ्य विभाग में, चाहे वह डाक्टरों के लिए हो, चाहे छोटे कर्मचारियों के लिए हो, चाहे मेडिकल कालेजों में पढ़ाई के लिए हो, आपको यह चीज करनी चाहिये। अगर वास्तव म आप हरिजनों के लिए कुछ करना चाहते हैं क्योंकि अब, हरिजनों के वास्ते खाली नारेबाजी से कोई काम चलन वाला नहीं है। जैसा कि हरिजनों के लिये १० या ५ प्रतिशत स्थान देने की बात है, उससे काम चलने वाला नहीं है अगर सही माने में मन्त्री जी आपको हरिजनों से हमदर्दी है तो आज ही यह एलान करें कि हरिजनों के लिये हम ऐसा कर रहे हैं ४५ प्रतिशत स्थान दे रहे हैं। अगर आपके दिल म उनके लिए कोई मुहब्बत है तो आज एलान करें कि हरिजनों को इस विभाग में, स्वास्थ्य विभाग में जब तक उनका आरक्षण पूरा न हो सकेगा ४५ प्रतिशत स्थान सिर्फ उनको ही दिया जायगा। अगर वास्तव में हरिजनों के प्रति आपकी तथा इन्डेकेटी सरकार की हमदर्दी है तो आज ही हरिजनों के लिए यह एलान कर देना चाहिए।

संविद के तत्कालीन स्वास्थ्य मन्त्री श्री अनन्तराम जायसवाल ने गोरखपुर और फैजाबाद इन दो पिछड़ी हुई कमिश्नरियों में एक-एक टी०बी० के अस्पताल खोल जाने की व्यवस्था की थी। मैं कहना चाहता हूं कि पूर्वी जिलों का बड़ा नारा लगाया जाता है लेकिन इस सरकार न अभी तक फैजाबाद तथा गोरखपुर में टी० बी० का अस्पताल क्यों नहीं खोला जिसके लिए संविद के मन्त्री ने आदेश दिये थे अगर यह सरकार उसकी आवश्यकता महसूस करती है तो इसको दोनों टी० बी० के अस्पताल खोल देना चाहिए।

मेडिकल कालेजेज के बारे में इस सरकार का कहना है कि ८ मेडिकल कालेज हैं तो कौन बहुत ज्यादा हैं। मुदालियर समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि ५० लाख की आबादी पर एक मेडिकल कालेज होना चाहिए और उस हिसाब से प्रदेश में १७ मेडिकल कालेज होने चाहिए। अगर नहीं हैं तो इसमें किसका दोष है ? इसी सरकार का दोष है। झांसी मेडिकल कालेज की बात कही जाती है। इन्तजाम यह किया गया कि जब तक मेडिकल कालेज झांसी में न बन जाय तब तक झांसी के लड़के मेरठ पढ़ने जाय। (एक आवाज—अब बन गया है) इतनी देर में बना। झांसी के लड़के मेरठ जाते रहे और उनको परेशान किया गया। यह किस तरह का इन्तजाम है ? यह इसी तरह से है कि असेम्बली लखनऊ में हो और मीटिंग गोरखपुर में।

एक सदस्य—

नैनीताल में भी हो।

चौधरी रामपालसिंह यादव—

नैनीताल जा जा कर तो इस प्रदेश को कांग्रेसी मिनिस्टरों ने चौपट कर दिया है। जाना है तो पिछड़े इलाकों में जाइये। इन शब्दों के साथ सदन से यह निवेदन करूंगा कि इस गम्भीर समस्या पर जिसका सम्बन्ध प्रदेश के आदमी के स्वास्थ्य व जीवन से है सदन को गम्भीरता से विचार करना चाहिए और मेरे कटौती के प्रस्ताव को स्वीकार किया जाना चाहिए।

*डाक्टर श्याम किशोर (जिला सीतापुर)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे हेल्थ के बजट पर बोलने का अवसर दिया। माननीया स्वास्थ्य मन्त्रीजी ने जितना अनुदान रखा है यद्यपि वह कम है उसका मैं अनुमोदन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। कब्ल इसके कि मैं अपनी वक्तृता शुरू करूं, जो सम्मानित सदस्य उधर से बोल रहे थे उनके विषय में एक बात कह दूं "जादू वह है जो सर पर चढ़ कर बोले" तो उन्होंने अपने लंच का भी खयाल नहीं किया इतने प्रभावित वह हो गये हमारी स्वास्थ्य मन्त्राणी की वक्तृता से।

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)—

रीझे जो जेहि भांति सो पहिले ताहि रिझाओ।

डाक्टर श्याम किशोर—

उन्होंने जैसा सोचा वैसा उनको सोचने का अधिकार है और मुझे कहने का। उपाध्यक्ष महोदय, इसके पहले कि मैं अपने विचार व्यक्त करूं समाजवादी विचारधारा के विषय म मैं कुछ कहना चाहूंगा क्योंकि बार-बार समाजवाद के विषय में लोग यहां टिप्पणी करते रहते हैं। समाजवाद की जो परिभाषा हमारी पार्टी की रीति-नीति के सम्बन्ध में है वह समाज के सामने स्पष्ट है। हम उसमें किसी प्रकार का दुर्भाव नहीं रखते। राष्ट्र तथा प्रदेश की जो परिस्थितियां हैं उनके हिसाब से हमारे पास जो सीमित साधन हैं उन साधनों को लेकर विरोधियों के सहयोग की याचना करते हुए हम निरन्तर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। उनके जितने भी अच्छे सुझाव हैं, उनकी जितनी भी अच्छी मान्यतायें हैं उनका हम सब आदर करते हैं। उन्होंने जो भी सुझाव दिये हैं वे सब ऐसे हैं जिनसे कि हम समाजवाद के रास्ते पर ठीक से चल सकें। समाजवाद की व्याख्या करते हुए हमने देखा कि समाजवाद के विषय में उनके क्या ख्याल हैं। अभी ज्यादा दिन नहीं गुजरे, आप सभी लोगों ने देखा होगा...

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री श्याम सुन्दर लाल गुप्त (जिला सीतापुर)—

मान्यवर, मैं आपके द्वारा माननीय वक्ता से यह जानना चाहता हूं कि आप स्वास्थ्य विभाग के बजट पर बोल रहे हैं या समाजवाद के विषय में बोल रहे हैं। मैं चाहता हूं कि समाजवाद की व्याख्या आप ही कर दें।

डाक्टर श्याम किशोर—

मैं इसलिये कह रहा हूं जिससे कोई भ्रांति न रह जाय। हमारी कमजोरियों के विषय में हमारा परदा फाश हो जाय इसीलिए मैं समाजवाद के विषय में कह रहा हूं। अभी हमारे सहयोगी ने भूतपूर्व सम्मानित मन्त्री माननीय अनन्तराम और मन्जूर अहमद के समाजवाद की परिभाषा पर जो टीका की है मैं उसके सम्बन्ध में नहीं जाना चाहता हूं...

(व्यवधान)

एक सदस्य—

कपूर होटल में जो हुआ, उस समाजवाद को जानते हैं।

डाक्टर श्याम किशोर—

जो कुछ मैं समाजवाद के विषय में जानता हूं वह आपके सामने व्यक्त कर रहा हूं। मेरी जो धारणा है वह आपके सम्मुख है। मैं आपके सहयोग का याचक हूं। मैं यह मानकर चलता हूं कि बगैर आपके सहयोग के समाजवाद के स्वप्न की कल्पना पूरी नहीं हो सकती है। मेरी हमेशा यही कोशिश रही है कि हमें आपका सहयोग हमेशा मिलता रहे। अनन्तराम जी का बार-बार नाम लिया जाता है। उन्होंने संक्षेप में समाजवाद की व्याख्या आपके सामने कर दी है, हो सकता है समाजवाद की व्याख्या उन्होंने डा० लोहिया से ली हो। वे आज संसार में नहीं हैं। भगवान उनकी आत्मा को सांत्वना दे।

उपाध्यक्ष महोदय, हमारी सम्मानित माननीया स्वास्थ्य मन्त्राणी ने जो अनुदान पेश किया है और उसके लिए जो मांग उन्होंने पेश की हैं वे समीचीन ही नहीं, आवश्यक भी हैं। उन्होंने जो भी चीज रखी हैं उनसे यह मालूम होता है कि उन्हें अपने समाजवाद की सारी कमजोरियों का पूरा ज्ञान है क्योंकि उनकी बात से पता चलता है कि स्वास्थ्य के सम्बन्ध में कोई भी ऐसी चीज उन्होंने नहीं छोड़ी है जिसका कि उन्हें ध्यान न हो। उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों के विषय में स्पष्टतया स्वीकार किया है कि वहां पर हमारी चिकित्सा की व्यवस्था उचित नहीं है जिसके लिए उन्होंने प्रभावकारी कदम उठाने का हमें आश्वासन दिया है। आप जानते हैं कि हमारे मेडिकल कालेजेज और हमारे जितने भी चिकित्सा सम्बन्धी प्रणालियां प्रचलित हैं उनमें एलोपैथिक चिकित्सा प्रणाली निश्चित रूप से इस देश में हैं। पिछले दो सौ और तीन सौ वर्ष पुराने इतिहास को देखने से पता चलता है कि एलोपैथी की चिकित्सा प्रणाली ही इस देश में प्रचलित रही। इसीलिए निश्चित रूप से इस प्रणाली के द्वारा ही इस देश के अन्दर चिकित्सा में जो प्रगति हुई है वह आपके सामने स्पष्ट है। इसी कारण बजट में एक बहुत बड़ा हिस्सा एलोपैथी प्रणाली द्वारा चिकित्सा के लिये दिया गया है। तो यह कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है। निश्चित रूप से एलोपैथिक चिकित्सा प्रणाली को आगे बढ़ने का चांस अभी तक नहीं दिया गया और जितना रुपया बजट में इसको बढ़ाने के लिए देना चाहिये था, नहीं दिया गया है। किन्तु इसका मतलब यह नहीं है कि हमारी सरकार जागरूक नहीं है और उसको प्रोत्साहन नहीं देना चाहती है।

हमारी मन्त्री महोदया ने यह स्पष्ट ही स्वीकार किया कि जो दवाइयों के लिए रुपया डिस्पेंसरीज में दिया जाता है वह बहुत कम है। इतना कम है कि जिससे किसी भी प्रकार से हमारे ग्रामीण क्षेत्रों या शहरी क्षेत्रों के मरीजों की ठीक ठीक व्यवस्था नहीं हो सकती है।

उन्होंने स्पष्ट बताया कि पहले दो-ढाई हजार रुपया सालाना दिया जाता था। डिस्पेंसरीज को, अब साढ़े चार हजार रुपया सालाना कर दिया गया है, लेकिन वह भी इतना कम है कि प्रति व्यक्ति अगर १०० मरीज भी एक डिस्पेंसरी में आयेंगे तो १० प्रति व्यक्ति प्रति दिन नहीं पड़ता है और जो मरीज दवा लेना चाहता है---आप सब भुक्त-भोगी हैं, सबके शरीर व्याधि के मन्दिर हैं, सब अच्छी तरह से जानते हैं कि एक दवाई लेने जाने में कम से कम १०-१०, १२-१२ आने, १-१ डेड़-डेड़ रुपया प्रतिदिन खर्च होता है। ऐसी प रिस्थिति में हमारी सरकार के साधन कितने सीमित हैं, हमारी परिस्थितियां कितनी विवश हैं, इसको आप लोग स्वयं देखें। हम यह आशा करते थे अपने विरोधी पक्ष के सम्मानित सदस्यों से कि वह निश्चित रूप से कोई ऐसे सुझाव रखेंगे जिससे हम गरीब जनता का कुछ कल्याण कर सकें, उनको कुछ राहत दे सकें, परन्तु मुझे खेद है कि पूर्व वक्ता महोदय ने बड़ा लम्बा भाषण दिया, परिवार नियोजन के खिलाफ बड़ा जहर उगला। मैं नहीं समझता कि उन्होंने कौन सी बात देखी कि जिसके विरुद्ध जहर इतना उगलते रहे।

परिवार नियोजन तो शताब्दियों से चला आया है। आज उसका वैज्ञानिक रूप जरूर खड़ा कर दिया गया है, लेकिन आप सब जानते हैं, आपकी सब की स्त्रियां जानती हैं। वे स्वयं परिवार नियोजन किया करती थीं। किस प्रकार किया करती थीं, यह भी आप जानते हैं। शुक्लपक्ष और कृष्णपक्ष की उनकी धारणायें और कपास के बीज और तिल चबाती थीं, सिरका पीती थीं। न जाने कितने प्रयोग मुझे मालूम हैं। रोज मेरे पास सैकड़ों औरतें आ आ कर बताया करती हैं। मैं २०---३० वर्ष का मेडिकल चिकित्सक हूं, यह भी व्यक्त कर दूं। रोज न जाने कितनी औरतें मेरी डिस्पेंसरी में आती हैं जो बड़े कातर और करुण रूप में कहा करती हैं कि डाक्टर साहब, मेरे पांच बच्चे हैं, मेरा रक्षा कीजिये जैसे भी हो सके, चाहे वह क्राइम ही क्यों न हो, मुझको बचाइये, मैं इतने परिवार का भरण-पोषण नहीं कर सकती, मैं फौज नहीं खड़ा कर सकती। और आप बड़े जोरों से परिवार नियोजन के खिलाफ कह रहे हैं जैसे कि हम कोई बड़ा बुरा काम कर रहे हैं। आप आज्ञा दें एक जनमत संग्रह करें, और अगर साबित कर दें कि स्त्रियां इस चीज को नहीं चाहतीं और यह गलत कदम है तो हम आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं कि हम इस चीज से बिल-कुल हट जायेंगे। आप से यह भी जानना चहूंगा कि एक पुराने स्वास्थ्य मन्त्री, जिनका आप बार-बार जिक्र करते हैं, जिस समय स्वास्थ्य मन्त्री थे उस समय वे परिवार नियोजन को सफल बनाने के लिए कटिबद्ध नहीं रहते थे और उस सम्बन्ध में क्या नहीं दौड़ा करते थे? तो इस प्रकार के तर्क बिलकुल निरर्थक हैं और इस बात का दिखावा है कि आप वास्तव में समाज की तरक्की नहीं चाहते, आप समाज को आगे बढ़ाने के लिए सहयोग नहीं देना चाहते, केवल प्रत्यावरोध करना चाहते हैं, सरकार के रास्ते में कांटे डालना चाहते हैं। हम उसका भी कोई विरोध नहीं करते। हम जानते हैं कि हम जिस रास्ते पर चल रहे हैं, वह ठीक है और हमको, आपको भी मजबूर होकर सहयोग देना पड़ेगा।

श्री उपाध्यक्ष---

माननीय सदस्य एक मिनट रुकें। अभी माननीय राम पाल सिंह जी ने एक पत्र का जिक्र किया था। वह मैंने मंगाया। अगर पूरा पत्र नहीं पढ़ा जायगा तो भ्रम हो जायगा। मैं पढ़े देता हूं।

"प्रिय चौधरी राम पाल सिंह जी"---यह डा० ओ० पी० मित्तल का है। "विधायक आपका पत्र लेकर मेरे पास बुधवार, २१ जुलाई, १९७१ को आये थे और मैंने उन्हें भरती कर लिया है। मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि अब आपको मेरी ओर से कोई भ्रान्त भावना नहीं है। क्या उस मामले को पूर्ण रूप से खत्म करवा देने में आप मेरी सहायता नहीं करेंगे? मैं आपसे शीघ्र ही मिलूंगा। कुछ और भी आवश्यक बात बतानी है।'

[श्री उपाध्यक्ष—]

ऐसा मुझे लगा कि किसी अधिकारी ने आपको किसी मामले के दबाने के लिए लिखा है। उसका कुछ सिलसिला था इसलिए पत्र आपके सम्मुख रख दिया गया।

डाक्टर श्याम किशोर—

पत्र से मुझे यकीन है कि इस आदरणीय सदन के सम्मानित सदस्य स्वयं निर्णय कर लेंगे. . .

श्री उपाध्यक्ष—

इस पर विवाद नहीं होना चाहिये।

श्री सुखपाल पांडेय (जिला बस्ती)—

श्रीमन्, इस पत्र पर किस का नाम है ?

श्री उपाध्यक्ष—

डाक्टर ओ० पी० मीत्तल।

डाक्टर श्याम किशोर—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा माननीय सदस्यों का ध्यान दिलाऊं कि हम आपके सहयोग के याचक हैं और हम जानते हैं कि बिना आपके सहयोग के हम आगे नहीं बढ़ सकते, हमारी मन्त्री महोदया ने जो बजट सदन में प्रस्तुत किया है वह सर्वांगी सुन्दर है और प्रदेश के विकास के लिए जितने कदम उन्होंने उठाये हैं वह प्रशंसनीय हैं। लेकिन बहुत सी बातों की आवश्यकता है जिसको मैं एक चिकित्सक की हैसियत से आपके सामने रखता हूं। यह बात नहीं कि उनको ज्ञान नहीं है, यह भी नहीं कि उन्होंने प्रभावशाली कदम नहीं उठाये हैं लेकिन मैं सदन के सामने अपने सुझाव रखने की कोशिश करूंगा।

आप लोगों ने देखा होगा कि डाक्टर गांवों में जाने से गुरेज करते हैं और कहते हैं कि हम नहीं जायेंगे। इसलिए गांवों में चिकित्सा की व्यवस्था जैसी चलनी चाहिये नहीं चल पाती है। इसका प्रमुख कारण भवनों की कमी बताया गया है। इसके अलावा वहां मनोरंजन की कमी है, शिक्षा की कमी है, जल की कमी है, बिजली की कमी है, ये सब कमियां हैं। इसका मतलब यह हुआ कि हमारी जितनी योजनायें बनाई जायं वे सब अरबन बेस्ड के स्थान पर रूरल बेस्ड होनी चाहिये। अगर गांवों में इस व्यवस्था को खड़ा करके हम कोशिश करेंगे तो कोई वजह नहीं कि इन शहरों में जो रेल पेल हैं, जो गन्दा जीवन है, जो उनके कृत्रिमता पैदा हो गई है, उसको छोड़ कर डाक्टर लोग गांवों में जाना पसन्द न करें। लेकिन वहां पर अन्य सुविधाओं की आवश्यकता है। इससे केवल डाक्टरों को ही फायदा नहीं होगा बल्कि गांवों की सर्वांगीण उन्नति होगी जो हमारा उद्देश्य है।

मेडिकल कालेजों की बढ़ोत्तरी के विषय में जो प्रस्ताव रखा जा रहा है, हमारा ख्याल है कि अभी इनको बढ़ाने की बात नहीं होनी चाहिये। अभी जो मेडीकल कालेज हैं वही अव्यवस्थित हैं, इल इक्विप्ड हैं, साज सज्जा की कमी है, इसलिए नये मेडीकल कालेजों के खोलने के स्थान पर इनको सुचारु रूप से चलाने की व्यवस्था होनी चाहिये। इस समय कंसोलिडेशन का ध्येय होना चाहिये, एक्सपेंशन का नहीं होना चाहिये।

एक बात मैं खास तौर से मन्त्री महोदय से कहना चाहता हूं। वह यह है कि हमारी चिकित्सा प्रणाली ऐसी है कि आजकल लोग दवाओं से मुहब्बत करते हैं। हमारा खयाल है कि यह गलत धारणा है कि लोगों को दवा खाने से गुरेज नहीं है। हमारी समझ में दवाओं पर निर्भर रह कर अच्छा स्वास्थ्य नहीं हो सकता है। आजकल लोग समझते हैं ज्यादा से ज्यादा दवा लेने से फायदा होगा, अभी टानिक की बात एक भाई ने कही थी। इसके विषय में

हमारी धारणा है कि यह अच्छी चीज नहीं है। आजकल लोगों की धारणा है कि खूब दवा खाकर अच्छे रहेंगे। प्राकृतिक जीवन और प्राकृतिक चिकित्सा के ऊपर लोगों का कोई विश्वास नहीं है। अभी हमारी स्वास्थ्य मन्त्राणी जी ने प्रीवेंटिव मेडिसिन को आगे बढ़ाने का जिक्र किया। पिछले २५ वर्षों में इस ओर बहुत ही कम प्रयत्न हुआ है। बहुत से लोग यह जानते ही नहीं कि प्रीवेंटिव मेडिसिन नाम की भी कोई चीज होती है। आप देखेंगे कि अन्य देशों में इसका प्रचलन अब बहुत हो गया है, वे क्यूरेटिव मेडिसिन को पसन्द कम करने लगे हैं। अतः मैं प्रार्थना करूंगा कि डायरेक्टर साहब और सेक्रेटरी साहब,सब लोग मिलकर प्रीवेंटिव मेडिसिन्स को ही ज्यादा बढ़ावा देने की कोशिश करें।

अब मैं अपने विषय की ओर आना चाहता हूं। वह है होमियोपैथी। आज हमारे देश में हम दवाइयों पर जो प्रति दिन प्रति व्यक्ति खर्च करते हैं वह नितान्त ही न्यून है। हम उसको देख कर साधारण रूप से सोच ही नहीं सकते कि गरीब आदमी अपनी दवा भी करा सकता है। इसका विकल्प क्या है? वह होमियोपैथी चिकित्सा पद्धति है। यह पद्धति बहुत ही सस्ती है। केवल सस्ते होने के कारण उसके राज्य में प्रतिष्ठापन की बात नहीं कहरहा हूं लेकिन उसके अन्दर बीमारी को अच्छा करने के भी बड़े ऊंचे गुण हैं। उसके गुणों को देखकर मैं आप लोगों से और माननीय मन्त्री जी से प्रार्थना करूंगा कि होम्योपैथी की चिकित्सा प्रणाली से किस प्रकार से लाभ उठाया जा सकता है और जनता की सेवा की जा सकती है। अभी गांवों में चिकित्सा व्यवस्था ठीक नहीं है। लोगों के पास दवाओं के लिये धन नहीं है। इसलिए जब तक क्वालीफाइड डाक्टर्स गांवों में न पहुंचे तब तक मैं समझता हूं कि होमियोपैथिक और आयुर्वेदिक चिकित्सा प्रणाली को अपना लिया जाय। जैसा कि लोग समझते हैं कि होमियोपैथिक एक वैज्ञानिक पद्धति नहीं है, ऐसी बात नहीं है, वह एक वैज्ञानिक पद्धति है।

मैं डाक्टर जैसूर की एक उदाहरण देना चाहता हूं जो एलोपैथी के एम० डी० थे और बर्लिन से उन्होंने एम० डी० किया था। वे श्रीमती सरोजनी नायडू के पुत्र थे। उनके पिता डाक्टर नायडू भी एक योग्य चिकित्सक थे। उन्होंने अपने पिता की आज्ञानुसार हैदराबाद में एलोपैथी की डाक्टरी प्रारम्भ की। परन्तु वे किस प्रकार से होमियोपैथी की ओर आये, उसका इतिहास बड़ा रोचक है लेकिन उस सारे संस्मरण के लिए समय नहीं है। किन्तु कनवर्ट होने के बाद उन्होंने जो कुछ लिखा है वह मैं आपको बता देना चाहता हूं। उन्होंने लिखा है :—

"As a former allopath, I can openly declare that a homoepath, if he is a sincere worker a true devotee of the ethics laid down by Hanreman can never hope to earns with ease Homoeopathy. If it is to be properly practised must be genuinely and sincerely practised."

श्री उपाध्यक्ष—

आप उसका आशय बता दें, अंग्रेजी में माननीय सदस्यों के पल्ले नहीं पड़ पाता है। आप उसका आशय हिन्दी में बता दें।

डाक्टर श्याम किशोर—

उनकी भाषा के साथ इतनी जल्दी अनुवाद करके मैं न्याय नहीं कर सकूंगा। उन्होंने यह लिखा है कि मैं एक एलोपैथिक डाक्टर रहा हूं और उसमें मेरी बड़ी आमदनी थी। लेकिन मैंने उस सिस्टम को छोड़ दिया है। इस कारण नहीं कि मुझको कुछ और आमदनी होने के चांसेज हैं। मेरी आमदनी कम हो जायगी लेकिन होम्योपैथी के सिद्धान्त इतने उदार हैं, इतने महान हैं कि जिसके लिए मैंने इस कांटेदार रास्ते को पकड़ा है और मैं इस

[डक्टर श्याम किशोर]

पर चल कर अपने जीवन का उत्सर्ग करना ज्यादा पसन्द करूंगा बनिस्बत इसके कि मैं एक धन कुबेर डाक्टर बन जाऊं और हम लोग जिन कालेजों में पढ़े हैं वहां सब एलोपैथिक से कन्वर्टेड डाक्टर ही थे जो होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति का प्रयोग कलकत्ते में करते थे। मैं अपनी स्वास्थ्य मन्त्राणी को...

श्री उपाध्यक्ष--

मन्त्री कहा करिये।

डाक्टर श्याम किशोर--

मैं तो इसमें कोई फर्क नहीं समझता।

श्री सुरेन्द्र विक्रम (जिला शाहजहांपुर)--

श्रीमन्, मन्त्री और मन्त्राणी में कोई फर्क ही नहीं है क्या?

डाक्टर श्याम किशोर--

गलती हो गई, माफ कीजिये।

इसके अलावा दवायें सब-स्टैंडर्ड बहुत बनती हैं और उनमें मिलावट भी होती है। हमारी स्वास्थ्य मन्त्री महोदया का इस विषय में पूर्व ज्ञान है परन्तु मैं उनसे कहूंगा कि मेहरबानी करके देखें कि दवायें सब स्टैंडर्ड न हों और उनमें किसी प्रकार की मिलावट न हो नहीं तो आपकी सारी योजनायें बिल्कुल व्यर्थ हो जायेंगी। एडल्ट्रेशन के विषय में स्वास्थ्य मन्त्री महोदय स्वयं कह चुकी हैं, इसलिए मुझे उस सम्बन्ध में कुछ कहना नहीं है।

अब अन्त में मैं एक बात कहना चाहता हूं। मैं सीतापुर जिले से आया हूं इसलिए अपने जिले की एक बात कहना चाहता हूं। वहां एक आंख का बहुत बड़ा अस्पताल है। हमारे ज्यादातर सम्मानित सदस्य और हमारे उपाध्यक्ष महोदय स्वयं उस अस्पताल को देख आये हैं और उससे प्रभावित हुए हैं। मैं आपके द्वारा प्रार्थना करूंगा कि आप उस अस्पताल को भी अधिक से अधिक सहायता देने की कोशिश करें।

*श्रीमती राजेन्द्र किशोरी (जिला बस्ती)--

आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने जो मुझे इस महत्वपूर्ण विषय पर अपने विचारों को सरकार के समक्ष रखने का समय दिया है उसके लिए मैं आपको बहुत आभारी हूं।

मेरा जिला सब जिलों से बहुत बड़ा जिला है लेकिन जो भी सरकारें रहीं और जो भी सरकार है उस जिले के साथ हमेशा सौतेलेपन का व्यवहार करती आयी है। सदर अस्पताल में जो मरीज रहते हैं और मरीजों के साथ जो लोग वहां पर आते हैं, उनके लिए खाना बनाने की कोई व्यवस्था नहीं है। जो भी सरकार रही मैं हमेशा यह प्रार्थना करती आई कि वहां पर एक टिन शेड डलवा दिया जाय ताकि जो गरमियों के दिनों में तपती हुई लू में खाना बनाते हैं और बरसात के दिनों में जो बारिश से उनका खाना बरबाद हो जाता है उससे बचत हो सके, मुझे आश्वासन भी दिये गये कि वहां पर टिन शेड पड़ जायेंगे लेकिन मैं समझ नहीं पाती कि किन कारणों से आज तक उसकी व्यवस्था नहीं हुई।

महिलाओं के सौभाग्य से राजेंद्र कुमारी जी स्वास्थ्य मन्त्री हुयी हैं। महिलाओं की तकलीफों को देखते हुए मैं समझती हूं कि उनको सुख-सुविधा के लिए जितना भी हो सकेगा। वह करेंगी, ऐसी मैं आशा करती हूं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

अभी वह गई हुई थीं, हमारे जिले में उन से प्रार्थना की गई वहां कि हमारे यहां टी० बी० अस्पताल में बेड की कमी है, आंख का अस्पताल हमारे यहां बहुत कम जगह है और जो है भी वहां कमरे नहीं है एक ही जगह डाक्टर बैठते हैं और वहीं वह मरीजों को भी देखते हैं, वहां बेड्स की और कमरों की व्यवस्था नहीं है तो इन बातों की तरफ मन्त्री महोदया का ध्यान जाना चाहिये।

इसके अलावा हमारे यहां के सदर अस्पताल के डाक्टरों के द्वारा ३५ हजार रुपये की मांग टिन शेड के लिए की गई है। मुझे उम्मीद है कि सरकार उस की तरफ ध्यान देगी और वहां टिन शेड का प्रबन्ध करायेगी क्योंकि वहां सारे जिले के मरीज आते हैं और उनके ठहरने बैठने का कोई प्रबन्ध नहीं है। उन की सुख सुविधा का इन्तजाम किया जाय तो बड़ी कृपा होगी। हमारे इतने बड़े जिले में एक सदर अस्पताल ही है लेकिन महिलाओं के लिए हमारे क्षेत्र भर में कोई अस्पताल नहीं है, कोई हमारे क्षेत्र में तो पुरुषों का भी अस्पताल नहीं है, हमारा पिछड़ा हुआ क्षेत्र है वहां की जनता की मांग है। मुंडेरवा बाजार में एक अस्पताल होना चाहिये ताकि वहां के लोग अपने मरीजों को ठीक से लाकर इलाज कर सकें।

फैमिली प्लानिंग के बारे में यहां बहुत कुछ कहा गया। उसके विषय में मुझे ज्यादा कहना नहीं है लेकिन एक बात जरूर कहना चाहती हूं कि फेमिली प्लानिंग विभाग में जो कर्मचारी रखे जाते हैं उन में अविवाहित क्वांरी लड़कियों को भी रख लिया जाता है लेकिन यह सोचने की बात है क्वारी लड़कियां किस तरह से बिना किसी अनुभव के फेमिली प्लानिंग की बातों को समझ सकती है और समझा सकती हैं, कैसे वह कोई ठीक कदम उठा सकती है। मैं देहातों में जाती हूं तो मुझ से जनता सवाल करती है महिलायें पूछती हैं कि जिन लड़कियों को कोई रास्ता मालूम नहीं है उस रास्ते पर दूसरों को चलाने के लिए उन से सरकार कहती है। इसलिए मैं चाहती हूं कि क्वांरी लड़कियों को इस विभाग में न रखा जाय तो वह ज्यादा अच्छा होगा। आज हमारे यहां जितने भी अस्पताल हैं उन में जो भी मरीज दवा लेने जाता है उस को नुस्खा लिख दिया जाता है और उससे कह दिया जाता है यह दवा बाजार से खरीद लो। क्या मन्त्री जी इस तरह की जो बजट की और उसकी वजह से दवाओं की कमी रहती है उस का पता मन्त्री जी लगायेंगी? अभी डाक्टर साहब बो ल रहे थे उन्होंने कहा कि दवाओं से दूर रहना चाहिये लेकिन दवाओं से दूर तो वही रहेगा जिस को फल, दूध, मेवा और मिष्ठान्न खाने को मिलेंगे और जो स्वस्थ होगा। लेकिन जो गरीब है, जिस को भर पेट खाना तक नहीं मिलता है जो परेशान, जो सड़ा हुआ गेहूं खा रहा है उसके स्वास्थ्य की हालत क्या होगी इस का अन्दाजा आप लगा सकते हैं। इसका असर स्वास्थ्य पर पड़ेगा और बीमारियां उस को अवश्य घेरेंगी। इसलिए जरूरत इस बात की है कि स्वास्थ्य विभाग के लिए अधिक से अधिक अनुदान स्वीकार किया जाय और दवाओं का बन्दोबस्त किया जाय। आज हर जगह पर हर तरह की बीमारियां फैल रही हैं उन को रोकने का बन्दोबस्त मन्त्री महोदया को करना चाहिये।

जानवरों के जो अस्पताल हैं उन की भी बहुत कमी है। दो-दो मील पर बीमार जानवर को ले जाना नामुमकिन है, अगर उस को पैर की बीमारी हो गई तो वह अस्पताल ले जाया ही नहीं जा सकता। जो भी सरकार रही मैं ने उससे कहा, पहले भी मैं ने कहा था और आज इस सरकार से भी कहती हूं कि जानवरों के अस्पतालों की बहुत जरूरत है। इसके अलावा बस्ती जिले के साथ सौतेला व्यवहार किया जाता है, यह बात इससे साबित होती है कि वहां आजतक कोई भी उद्योग धन्धा कायम नहीं किया गया। मेरी स्वास्थ्य मन्त्री महोदया से प्रार्थना है कि अगर वह इस पिछड़े क्षेत्र की तरफ जहां गरीब लोग रहते हैं ध्यान देंगी तो उनकी बड़ी कृपा होगी। जब चुनाव के जमाने में हमारे यहां माननीय प्रधान

[श्रीमती राजेन्द्र किशोरी]

मंत्री गई थीं तो हम ने उनसे प्रार्थना की थी और कहा था कि हमारा जिला बहुत पिछड़ा हुआ है वहां कोई ऐसा उद्योग धन्धा खुलवा दिया जाय जिस से वहां के लोगों की गरीबी दूर हो सके। जब एलेक्शन हो रहा था तब तो हमारी बात इन्दिरा जी ने ध्यान से सुनी लेकिन उसके बाद मैं ने कई खत लिखे लेकिन एक का भी कोई उत्तर मेरे पास नहीं आया।

बस्ती और गोरखपुर का मुकाबला कर लीजिए। मैं चाहूंगी कि हमारे मंत्री जी ऐसी व्यवस्था कर दें जिससे बस्ती की जनता भी यह समझे कि हमारी सरकार है और हमारी सुख-सुविधा के लिये कुछ प्रयास कर रही है। पता नहीं क्यों बस्ती जिले की ओर किसी की निगाह नहीं जाती हालां कि वहां से जो भी पार्टी खड़ी होती है, वही जीत कर आती है। पता नहीं क्यों इस जिले से हमारी सरकार की रुखायी रहती है।

मैं मन्त्री जी से यह भी प्रार्थना करूंगी कि टी० बी० और आंखों के अस्पताल में जो बैड्स की कमी है, लोग जमीन पर पड़े रहते हैं, उसे पूरा कर दिया जाय। दूसरी आप से यह प्रार्थना है कि जब आप दौरे पर जाती हैं तो उसकी सूचना होने पर जो-जो कमियां होती हैं वे दूर हो जाती हैं, सब सतर्क हो जाते हैं। मैं चाहूंगी कि आप किसी न किसी समय गुप्त रूप से जायें तो आप को पता चलेगा कि अस्पतालों की क्या व्यवस्था है। दवाइयां रहते हुए भी लिख दिया जाता है कि बाजार से खरीद लो, पता नहीं या आपका बजट ही नहीं या तो डाक्टर लोग दवा देना ही नहीं चाहते हैं। मैं यह भी देखती हूं कि आज लोग कहते हैं कि टानिक दे दीजिए। आज टौनिक पर ही जिन्दा रखना चाहते हैं, परिश्रम करना नहीं चाहते हैं। मैं चाहूंगी कि अगर आप लोग चाहें तो यह टानिक वाली बात समाप्त करें। जहां तक महिलाओं के अस्पतालों का सम्बन्ध है मेरी प्रार्थना है कि जगह-जगह पर ऐसे अस्पताल होने चाहिए।

जहां तक फेमिली प्लानिंग की बात है, इसकी इन्क्वायरी करके मंत्री जी देखें कि कितनी हिन्दू महिलायें और कितनी मुसलमान महिलायें उपचार करवाती हैं। वे पायेंगी कि अधिकतर मुसलमान महिलायें नहीं करवाती हैं मेरे पास जो रिपोर्ट आयी हैं, क्योंकि जो लोग इस कार्य को करवाते हैं, मैं उनसे सम्पर्क रखती हूं, स्पष्ट होता है कि हिन्दू महिलायें ही करवाती हैं। यह कोई मनगढ़न्त बात नहीं कर रही हूं। जहां तक आंखों का अस्पताल है वहां पर डाक्टर ने बताया कि मंत्री जी आयीं थीं लेकिन मैं उनके सामने अपनी दिक्कतें नहीं रख सका। मैं चाहूंगी कि वहां पर बैड्स बढ़वाने की माननीया मंत्री जी व्यवस्था करेंगी।

*श्री रियासत हुसैन—

श्रीमन्, मैं माननीय रामपाल सिंह यादव के कटौती के प्रस्ताव की ताईद कर ही नहीं सकता क्योंकि वे सेक्स के चेंज करने के प्रोसेस में हैं, जिसमें मैं नहीं हूं। कुछ सुझाव जरूर माननीय मंत्री जी को देना चाहता हूं जिनसे पूरे प्रदेश की जनता प्रभावित होगी। इस वक्त जितने भी लोग शफाखाने में जाते हैं, इलाज के लिये, सरकारी डाक्टरों से कुछ फायदा उठाने के लिए उनके २ हिस्से हैं। एक तो वे लोग हैं जो १० पैसे का पर्चा लेकर सरकारी खजाने में कुछ कन्ट्रीब्यूट करते जाते हैं और दूसरे वे लोग हैं जो शफाखानों में जो डाक्टर हैं, उनके घर से जाकर उन्हें ५,७ या १० रुपया देकर पर्चा ले आते हैं और सरकारी शफाखाने से दवा ले आते हैं। ये दो हिस्से बन गये। देखना यह है कि इस शफाखाने में जो कर्मचारी हैं उनमें फायदा कौन उठा पाता है। मेरा तजुर्बा यह है कि जिन डाक्टरों की प्राइवेट प्रैक्टिस घर पर चलती है, हालत यह है हो गई है कि उनका जो पर्चा घर से कटा हुआ होगा उसकी दवा शफाखाने में मिल जायेगी। जो दस पैसे देकर शफाखाने से पर्चा कटवायेगा उसके लिये आम तौर से यह होता है कि स्टाक के बाहर है। दवा स्टाक में नहीं है। अगर डाक्टर से बात की जाय तो वे कहते हैं कि रुपया कम हो गया और भिजवाइये। इसका इन्तजाम करेंगे। अगर माननीय मंत्री जी इसके ऊपर पालिसी के

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

आधार पर कुछ तय कर सकें कि डाक्टरों की जो कि सर्विसेज में हैं उनकी प्राइवेट प्रेक्टिस को किस तरह से कन्ट्रोल किया जाय ।

दूसरी चीज यह है । जो दवायें शफाखाने में भेजते हैं वे मारकेट में जाकर बिकने से किस तरह रोकी जांय । दो चीजें हैं । इनको पालिसी बनाकर इनके ऊपर कोई फैसला लें तो शायद कुछ इस डिपार्टमेंट का उद्धार हो सके । वर्ना तो श्रीमन्, यह जनस्वास्थ्य नाम की चीज नहीं रह गई यह तन स्वास्थ्य की बात है । जब ट्रान्सफर्स की बात आती है, पांच, पांच, छः छः साल व नौ नौ साल हो रहे हैं और वहां रह कर वे डाक्टर अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस जमाते हैं । वहां कोठी बनाते हैं । जब ट्रान्सफर होता है तो नहीं जाते हैं और कहते हैं कि हम इस्तीफा देने को तैयार हैं लेकिन यहां से जाने को तैयार नहीं हैं । मैं मुरादाबाद जिले की ही बात बताऊं । वहां डाक्टर मनचन्दा हैं । उनको नौ साल हो गये हैं मुरादाबाद में ही । वहां उन्होंने कोठी बना ली है और सुबह से शाम तक कम से कम डेली की आमदनी दो सौ तीन सौ रुपये से कम की नहीं है । अब उनका ट्रान्सफर हुआ बहुत कहने सुनने से । फिर शायद रुक गया । उन्होंने कह दिया है कि मैं इस्तीफा दे दूंगा लेकिन यहां से जाने के लिये तैयार नहीं हूं । हालांकि इलाहाबाद जा रहे हैं । वह मुरादाबाद से कई दर्जे बड़ी जगह है और बड़े दवाखाने हैं । तो इस चीज को पालिसी की शक्ल पर बनाकर अमल दरामद करना पड़ेगा कि कोई भी डाक्टर तीन साल से ज्यादा किसी भी कीमत पर नहीं रक्खा जायेगा, चाहे कोई भी परेशानी हो, कोई भी दिक्कत हो । वर्ना आप उन्हें चार पांच साल के अन्दर उनकी एस्टेट बनने से रोक नहीं सकते ।

जहां तक फेमिली प्लानिंग की बात का सवाल है मेरी समझ में तो यह नहीं आता कि इसके अन्दर नीचे से लेकर ऊपर तक हर अधिकारी और हर कर्मचारी जो इसमें लगा हुआ है वह जानता है कि जिस सिस्टम के ऊपर फेमिली प्लानिंग हो रही है उसमें सिवाय पैसे के वेस्टेज के और कोई दूसरी चीज नहीं है । रेस यह लग गई है कि कौन सा ब्लाक का आदमी कौन सा डाक्टर अपने फर्जी टारगेट पूरा कर के पैसा बरबाद कर दे । यह नहीं है कि एचीवमेन्ट क्या है । मैं आपको मिसाल बताता हूं । अपने ही गांव के हकीम के पास एक दफे जब हम बैठे थे तो उनके पास पांच छः डिब्बे निरोध के रक्खे थे । मैंने कहा हाफिज जी क्या इन्हें मोल ले आये । उन्होंने कहा कि मोल कहां लूंगा । आज फेमिली प्लानिंग के इन्स्ट्रक्टर आये थे और वे पांच छः डिब्बे दे गये थे । एक डिब्बे में १२ होते हैं । ६० दे गये थे । और उसने रिकार्ड में लिख लिया कि साठ डिस्ट्रिब्यूट कर दिये । यह हालत है । इसी तरह दलपतपुर में इन्टेन्सिव ब्लाक के एक पटवारी साहब एक बेवा को बुलाकर ले आये कि तुम्हें बीस रुपये मिलेंगे लूप लगा लो । उन्होंने सोचा चलिये बेवा तो हैं बीस रुपये मिल जायेंगे तो कहने में क्या एतराज है । उसने यह कहा कि कहना यह पड़ेगा कि मेरी उम्र चालीस साल से ज्यादा नहीं है । उसने कहा यह भी कह देंगे । लूप लग गया । रुपये तो मिले दो या तीन । उस पर झगड़ा शुरू हो गया कि लाओ बीस रुपये । तो इस फेमिली प्लानिंग में सिवाय इसके कि नाबालिग बच्चे को बालिग बना दे, साठ साल के बूढ़े को चालीस साल का बना दे, बेवा औरत को मर्द वाला बना दे , इसके अलावा कुछ नहीं है । इसलिये इस फेमिली प्लानिंग के तरीके को अक्सरे नौ सोचना पड़ेगा कि बढ़ती हुई जनसंख्या को रोकने के लिए क्या करना चाहिए । यह मौजूदा सिस्टम बिल्कुल गलत है ।

एक बात श्री डी० एन० शर्मा के बारे में कही गयी । मैं तो यह कहूंगा कि डा० त्यागी जो उनकी जगह पर आये थे अगर उनको आप सर्विस से रिटायर करते तो बड़ा अच्छा था । इसलिए कि वह इतने अकलमन्द हैं कि मेरे मुरादाबाद के कलेक्टर, श्री सक्सेना जब मेरठ कालेज में ट्रीटमेंट के लिए गए तो अल्सर कहकर उनके पेट को चाक करके फेंक दिया और अल्सर वगैरह कुछ नहीं था । वह बेचारे दो महीने मरीज बने पड़े रहे । जिस डाक्टर को इतना भी ज्ञान न हो उसे डायरेक्टर बना दिया गया ? जितनी जल्दी वह डायरेक्टर के पद से मुक्त कर दिये गये उतना ही इस प्रदेश का कल्याण हुआ ।

[श्री रियासत हुसैन]

श्रीमन्, हमारे यहां आयुर्वेदिक और यूनानी इलाज की प्रथा है। सब इसकी तरक्की चाहते हैं। आयुर्वेदिक कालेज का जो मामला है, अभी तक आप इस बात पर निर्णय नहीं ले पाए कि चार साल के इम्तहान कानपुर यूनिवर्सिटी के अण्डर हो या न हो। लड़कों की हड़-ताल चल रही है। उस पर जल्दी निर्णय होना चाहिए। जहां तक यूनानी की बात है, किसी भी चीज में वह आयुर्वेदिक से कम नहीं है। यह बात भी नहीं है कि हिन्दू-मुसलमान कोई भी उस सिस्टम को कम पसन्द करते हों आयुर्वेदिक के मुकाबिले में। आपके स्टेट में ६ आयुर्वे-दिक कालेज बोर्ड के हैं और एक स्टेट का है। और २ यूनानी कालेज हैं। जो ग्रान्ट आप देते हैं उसमें एक बटा चार यूनानी को मिलनी चाहिए कायदे से और तीन बटा चार मिलनी चाहिए आयु-र्वेद को। लेकिन यूनानी को एक बटा आठ भी नहीं मिलती। पूरे प्रदेश में ७३७ आयुर्वेदिक डिस्पेंसरी है और ९० यूनानी है। इन ९० में आपने पिछले २४ साल में ८ कायम की है जबकि आयुर्वेदिक में ३५ कायम कर दीं। सन् ५८ से ७० तक ४ यूनानी डिस्पेन्सरी आपने बनायीं। आयुर्वेदिक के डिवीजनल आफीसर जो हैं वह १९ हैं और यूनानी के ३ हैं। १९५३ में एक डिसीजन हुआ गवर्नमेंट का कि यूनानी के लिए भी एक असिस्टेंट डायरेक्टर एप्वायन्ट किया जायगा लेकिन अभी तक कोई नहीं हुआ।

जो आप ग्रान्ट-इन-एड देते हैं एक साल के करीब, उसमें यूनानी वाले हकीम को ५० से १५० रु० तक देते हैं जब कि आयुर्वेद वालों को पांच-पांच हजार तक देते हैं, जबकि आप यह नहीं कह सकते कि यूनानी को लोग कम पसन्द करते हैं। आज भी लखनऊ कालेज के अन्दर ४५ सीट हैं यूनानी की लेकिन एप्लीकेशन सवा दो सौ आयीं। अलीगढ़ में ५० सीट है लेकिन ३०० दर-खास्तें आयीं। इसी तरह से इलाहाबाद में भी सैकड़ों दरख्वास्तें आयीं। तो लोग यूनानी को चाहते हैं। एम० बी० बी० एस० में तो बड़े लोगों को मौका मिलता है। आयुर्वेद और यूनानी से मिडिल क्लास के लोग, गरीब घराने के लोग फायदा उठा सकते हैं।

मलेरिया विभाग की बात भी कहना चाहता हूं। एम० बी० सिंह साहब की एक इस्टेट हो गयी है वहां और न मालूम वह कब तक रहेंगे। एक क्लर्क है उस डिप्टी डायरेक्टोरेट में—आर० चारलिस। १५ साल से यहीं है। कभी भी ट्रांसफर नहीं हुआ।

(लाल बत्ती जलने पर)

श्रीमन्, २-३ मिनट और दे दें। हाई स्कूल पास है। लेकिन उस को किसी वजह से स्टेटिस्टीशियन की जगह पर पहुंचा दिया गया जबकि और लोग ज्यादा हकदार थे। श्रीमन्, एक हेल्थ विजीटर रखी गयी है। जरा इनक्वायरी कीजिये कि आप के हेड क्वार्टर पर हेल्थ विजीटर की जगह है या नहीं और अगर जगह नहीं है तो फिर क्यों रखी गयी है? ये सब चीजें सामने रखते हुए इसको सोचना पड़ेगा कि स्वास्थ्य विभाग जनहित में है या नहीं और या यह किसी खास क्लास के हित में है?

अब मैं आप का ध्यान हास्पिटल्स की ओर दिलाना चाहता हूं। अस्पतालों में इक्विप-मेन्ट की कमी है एक्स-रे मशीनें नहीं हैं और वहां पर दवाओं की कमी है। मेडीकल कालेज खोलने का सवाल उठता है। बरेली के अन्दर एक मेडिकल कालेज की स्थापना क्यों नहीं की जाती है? बरेली डिवीजन में ७-८ जिले आते हैं। वहां एक मेडिकल कालेज की स्थापना होनी चाहिये। शहरों की सफाई के लिए मेडीकल डिपार्टमेंट की ओर से ग्रान्ट-इन-एड मिलती है। इस ग्रान्ट-इन-एड के मिलने में बड़ी डिले होती है। इस तरफ ध्यान दिया जाये कि वह डिले क्यों होती है। एक तजवीज मैं आपको दवाओं के बारे में दूंगा। जो आप की दवाएं होती हैं उनके ऊपर गवर्नमेन्ट का ठप्पा लगा होता है। यह ठप्पा पैकेट के ऊपर लगा होता है। यह ठप्पा पैकेट के अन्दर शीशी के ऊपर, जहां कि डाट लगी होती है, लगना चाहिए। अगर आप ऐसी व्यवस्था करेंगे तो आप इन दवाओं की चोरी को, जो कि बाजार में ब्लेक पर बिकती हैं, रोक सकेंगे।

श्रीमन्, मैं आप को अपने क्षेत्र की ताजपुर की डिस्पेंसरी की हालत के बारे में अर्ज करना चाहता हूं। यह डिस्पेंसरी मुरादाबाद से २ मील के फासले पर है। अगर आप इस डिस्पेंसरी को बेल-इक्विप्ड कर दें तो लाखों मरीज फायदा उठा सकेंगे जो कि इस समय मुरादाबाद में जाते हैं। आप वहां पर एक एम०बी०बी०एस० डाक्टर, एक आयुर्वेदिक चिकित्सक और एक अच्छे सर्जन भेजने का इंतजाम करें। इससे दो फायदे होंगे--एक तो लाखों लोगों को इलाज की सुविधा मिल पायेगी और दूसरे उस भीड़ को कम कर सकेंगे जो कि इस वक्त मुरादाबाद शहर में इलाज के वास्ते जाती है।

उपाध्यक्ष महोदय, भोजपुर टाउन एरिया है जहां की आबादी १५,००० है। वहां पर भी आप एक अच्छा डाक्टर या सर्जन नहीं भेज पाये। उस पैसे का फायदा जो कि हम इस जन स्वास्थ्य विभाग को दे रहे हैं। मिडिल क्लास के आदमी और गरीब आदमी नहीं उठा पा रहे हैं, बल्कि उठा वे पा रहे हैं जो कि बड़े-बड़े लोग हैं या आफिसर हैं। उनको वहां पर लाइन के अन्दर प्रयरिटी मिल जाती है और दवाएं भी मिल जाती हैं जबकि गरीब आदमियों को कोई सुविधा नहीं मिलती है। उन लोगों को जो कि डाक्टरों के घर पर दिखाते हैं, चाहे वे १० पैसे का पर्चा लायें या न लायें दवाएं मिल जाती हैं। मैंने देखा है कि टेलीफोन के ऊपर क्लास २ के आफिसर्स को एटेंड करने के लिए शफाखाने से डाक्टर भागे चले जाते हैं। कहा जाता है कि फलां साहब के घर में तबीयत खराब है, इसलिए डाक्टर साहब वहां जा रहे हैं और उन मरीजों को कोई पूछने वाला नहीं है जो कि सुबह से शाम तक लाइन लगाये वहां पर खड़े रहते हैं। आप यह सोचें कि गरीब आदमियों को और मिडिल क्लास के लोगों को इलाज के बारे में कैसे राहत दी जा सकती है। इन सुझावों के साथ मैं मांगी हुई ग्रान्ट का अनुमोदन और समर्थन करता हूं।

*श्री त्रिलोक चन्द (जिला बुलन्दशहर)--

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आप ने मुझे स्वास्थ्य विभाग की ग्रान्ट पर बोलने का मौका दिया। मैं माननीय रामपाल सिंह के कटौती के प्रस्ताव के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। मंत्रीजी ने अभी बताया कि एक मरीज के ऊपर ६१ पैसे खर्च होते हैं। मंत्री जी ने यह बताने की भी कृपा कर दी कि ६१ पैसे में एम० एल० ए० लोग भी हैं। मिनिस्टर्स भी हैं और सरकारी कर्मचारी भी हैं। जितना धन सरकारी कर्मचारियों पर, एम० एल० एज० पर और उस क्लास पर जो कि प्रिविलेज्ड क्लास कही जाती है, खर्च होता है उतना धन गरीब जनता पर नहीं खर्च होता है और ६१ पैसे प्रति व्यक्ति का हिसाब लगाना गरीब जनता के साथ न्याय करना नहीं है। मैं तो यह कहूंगा कि दवादारू गरीब जनता पर चाहे वह शहर में हों या देहात में हो, कोई खर्च नहीं होता है। यह तो जो प्रिविलेज्ड क्लास है उन्हीं पर खर्च होता है और गरीब आदमी तक यह पैसा नहीं पहुंचता है, क्योंकि आज जितने भी अस्पताल हैं वह बड़े शहरों में हैं जितने भी डिस्पेन्सरी हैं सभी बड़े शहरों में हैं। अब आपने अस्पतालों को ब्लाक तक पहुंचा दिया है लेकिन एक ब्लाक में १००, १२५ गांव होते हैं, तो कैसे लोगों को दवा मिल पाती होगी जबकि वहां एक ही डाक्टर रहता है। गांवों में लाखों आदमी रहता है एक आदमी कैसे इलाज कर सकेगा ? यह जो बजट है बड़े लोगों पर जो प्रिविलेज्ड क्लास है उसी पर व्यय हो जाता है।

मेरा तजुर्बा है कि जो इलाज एक मंत्री जी का हो सकता है वह एक एम० एल० ए० का नहीं हो सकता है, जो एक एम एल० ए० का इलाज हो सकता है वह एक मध्यम वर्ग के आदमी का नहीं हो सकता है और जो इलाज एक मध्यम वर्ग के आदमी का हो सकता है वह एक गरीब आदमी का नहीं हो सकता है। जितने डाक्टर्स हैं वह जानते हैं कि लोगों से दुआ सलाम बनाये

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री त्रिलोक चन्द]

रक्खो जिससे तरक्की होती रहे, क्योंकि आजकल का यह फिकरा हो गया है कि खुशामद में ही आमद है, सब से बड़ी खुशामद है। तो उन की भी खुशामद होनी चाहिये और ऐसा होना कोई अस्वाभाविक नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं मन्त्री जी से कहूंगा कि वह इस पर ध्यान दें कि जो ६१ पैसा व्यय करने की बात कही गई है, वह गरीबों तक पहुंचने की कोशिश करें। वैसे तो यह विभाग ऐसा विभाग है कि जिसके बारे में यह कहा जाता है कि भगवान मुकदमा और बीमारी किसी को न दे लेकिन जिसको इस दुनिया में रहना है उसे पर मुकदमा भी लगेगा और बीमारी भी होगी। तो इसका दायित्व और बोझ हमारे मंत्री महोदय पर पड़ जाता है जैसे रोटी बहुत जरूरी है मकान बहुत जरूरी है, कपड़ा बहुत जरूरी है, उसी तरह से दवा भी बहुत जरूरी है,। यह कह देना कि इतने अस्पताल खोल दिये हैं इस से समस्या का हल नहीं होता है। इसको ध्यान में रखते हुये मैं यह कहूंगा कि जितनी जल्दी हो सके देहात में अस्पताल खोल दें चाहे वह यूनानी हों, या आयुर्वेदिक हों, चाहे एलोपैथिक हों।

एक बात और मैं स्वास्थ्य मंत्री जी से कहूंगा कि हमारे यहां सबसे बड़ी समस्या उन महिलाओं की है जो गर्भवती होती हैं। इनके लिये शहरों में भी इंतजाम नहीं है लेकिन देहात में तो जो ब्लाक में डाक्टर होता है, वह अधिकतर पुरुषों के अस्पताल में है, वहां गर्भवती महिलाओं के लिये कोई इंतजाम नहीं होता है। इस कारण गर्भवती होने पर महिलाओं को अपनी जान पर खेलना पड़ता है। और गांव में जो अनट्रेन्ड दाई होती है वही उनकी देखरेख करती है। इसलिये मान्यवर, मैं कहूंगा कि जो ५,००० आबादी वाले गांव हैं, या एक न्याय पंचायत के बीच, एक ट्रेन्ड दाई होना चाहिये जो कि इस काम को कर सकती है। उनका इस तरह से इंतजाम किया जाय कि हमारी बहनें और मातायें इस बीमारी से बच सकें जिसमें उनकी मृत्यु तक हो जाती है। मंत्री जी इस पर ध्यान देंगे ऐसा मेरा अनुरोध है।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि फैमिली प्लानिंग जो आप का प्रोग्राम है वह बहुत जरूरी है और इसको आज के युग में नेगलेक्ट नहीं किया जा सकता, छोड़ा नहीं जा सकता क्योंकि आबादी की समस्या बड़ी भयंकर है। लेकिन जिस तरह से यह प्रोग्राम चल रहा है, उस तरीके में आप को परिवर्तन लाना चाहिए। आपका ऐसा तरीका है कि डी० एम० को यहां से टार्गेट बना कर भेज दिया जाता है कि इतने आदमियों को नसबंदी और इतने आदमियों को लूप लगाना पड़ेगा। उसमें चाहे तहसील का आदमी हो या प्राइमरी अध्यापक हो या किसी और विभाग का हो सब को लगा देते हैं और ऐसा मालूम होता है कि फैमिली प्लानिंग का विभाग जबरदस्ती चलाया जा रहा है। हमारे यहां सबसे बड़ी कमी यह है कि हम उसका प्रचार नहीं कर पाते हैं जिससे कि जनता की मनोवृत्ति बदले और लोगों में उसके प्रति आस्था पैदा हो जाय। अगर आप के पास स्टाफ कम है तो वह बढ़ाया जाना चाहिए। ये लोग प्रचार करें और जनता में यह भावना हो कि यह चीज हमारे फायदे के लिये है, देश की उन्नति के लिए है। आज यह है कि लोग बैंक से ऋण लेने जाते हैं या खाद लेने जाते हैं तो उनसे कहा जाता है कि अगर नसबंदी कराओगे तो यह मिलेगा। इससे ऐसा महसूस होता है कि सरकार जबरदस्ती जनता पर इस प्रोग्राम को थोप रही है। ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके लिए थोड़ा सा स्टाफ और बढ़ाना चाहिए जो कि गांव में जाकर लोगों को इसके महत्व को समझायें कि यह क्यों जरूरी है।

जहां तक भ्रष्टाचार का सवाल है उसके बारे में मैं अधिक नहीं कहना चाहता। भ्रष्टाचार के लिये सरकारी आदमियों को ही दोषी मानता हूं ऐसी बात नहीं है। उसमें आज के वातावरण आज की मनोवृत्ति, आज के तौर तरीकों का असर है। जिसकी वजह से यह और अधिक पनप गया है। उस को दूर करने के लिए ऊपर से नीचे तक अपने आप को और सब को सुधारना है। भ्रष्टाचार का जन्म मैं अपने आप में और राजनैतिक कार्यकर्ताओं में ज्यादा समझता हूं। मसलन कोई डाक्टर, कपाउन्डर या नर्स है। अगर वह हमारा रिश्तेदार है तो ऐसी जगह उसको रहना चाहिए जहां हमारा मन चाहे या उसका मन चाहे। डिपार्टमेंट जहां उसको रखना चाहता है

वह नहीं जाता। इसमें हम लोग दखल देते हैं। अगर कहीं मजबूरी हो उसके लिए सिफारिश करनी चाहिए लेकिन हर बात में नहीं दखल देना चाहिए। इसलिए भ्रष्टाचार के बारे में यही कहूंगा कि हम सब को अपने मन को संतुलित करना चाहिये।

(लाल बत्ती होने पर)

मैं दो मिनट और चाहता हूं। आपके प्रदेश में मेडिकल कालेजेज हैं। पश्चिमी इलाके में जहां १८ जिले बताये जाते हैं वहां मेरठ और आगरा में मेडिकल कालेज हैं। केन्द्रीय क्षेत्र में जहां ९ जिले हैं, कानपुर और लखनऊ में दो मेडिकल कालेज हैं। झांसी में चार जिले हैं वहां एक मेडिकल कालेज है और मान्यवर, पूर्वी क्षेत्र में तीन मेडिकल कालेज हैं। मैं यह नहीं कहता कि पूरब या मध्य में मेडिकल कालेज न हों लेकिन यह निवेदन करना चाहता हूं कि एक मेडिकल कालेज जितनी जल्दी व्यवस्था हो सके बरेली में खोला जाय। बरेली बहुत बड़ा डिवीजन है और वहां कोई मेडिकल कालेज नहीं है।

एक बात बुलन्दशहर के बारे में कहना चाहता हूं। वहां पर एक ही लेडी डाक्टर है जो सुपरिन्टेन्डेन्ट है। कायदे कानून के अनुसार जो आर्डिनरी डाक्टर की फीस होती है, उसकी फीस दुगनी होती है। यदि शहर में कोई अन्य डाक्टर न होने के कारण मजबूरन हर एक को उसी डाक्टर के पास जाना पड़ता है जिसके कारण दुगनी फीस देना पड़ती है। इसलिये यह जरूरी है कि वहां एक या दो लेडी डाक्टर और भेज दी जायं जिससे जनता को राहत मिल सके।

श्री पन्नालाल गुप्त (जिला फतेहपुर)––

उपाध्यक्ष महोदय, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने जो अनुदान पेश किया है उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मुझे खुशी है हमारी माननीया मंत्री जी की निगाह आज बजाय शहरों के, देहातों की तरफ गयी है और उन्होंने देहातों के लिये काफी योजना बनायी हैं। इसके साथ-साथ मैं उनसे निवेदन करूंगा कि उनको थोड़ा सा अपने विभाग की ओर भी देखना चाहिये। आज दवाओं पर केवल ६ करोड़ रुपया व्यय किया जाता है, जब कि बाकी शेष रुपया डाक्टरों के और कर्मचारियों के वेतन तथा भत्तों आदि पर ही व्यय होता है। दवाओं पर जो धनराशि खर्च की जाती है वह बहुत कम है, मंत्री जी को उसे बढ़ाना चाहिये। हमारे मुकाबले में, अन्य सूबों में इस मद में कहीं ज्यादा खर्च होता है। सरकार हर बजट में कुछ न कुछ बढ़ाती चली जा रही है, जबकि स्वास्थ्य के बजट में कोई बढ़ोत्तरी नहीं हुई है। एक ओर बढ़ोत्तरी नहीं हुई है, दूसरी ओर जन संख्या में वृद्धि होती जा रही है। इस दृष्टि से जो सहायता दी जा रही है वह न के बराबर है।

मान्यवर, अभी कुछ दिन पूर्व एक ऐसी बहस यहां पर चली जो यहां की परिपाटी नियमों के खिलाफ है। जो आदमी यहां सदन में न हो उसके खिलाफ यहां कुछ कहना या उसकी आलोचना करना उचित नहीं है। वही कहावत है कि नाच न आवे, आंगन टेढ़ा। यहां कहा गया कि डी० एन० शर्मा, सन् १९६४ से फाइल दबाये बठे रहे, जब कि सही यह था कि वह फाइल पी० डब्लू० डी० में पड़ी थी, वहां के इंजीनियर उसको दबाये बैठे थे। सेन्ट्रल मेडिकल स्टोर की बात कही गयी, जब कि न तो उनकी कोई दूकान है और न ही कभी कोई चीज विजिलेन्स द्वारा की गयी। इसी सदन में उनके बारे में यह कहा गया कि वे रिटायर हो गये, जब कि ऐसी बात नहीं थी। डायरेक्टर का चुनाव एक कमेटी करती है। बी० सी० पांडेय, एस० पी० पांडेय और चीफ सेक्रेटरी की एक कमेटी थी और उस पर उस जमाने के चीफ मिनिस्टर महोदय ने प्रेशर डालकर त्यागी महाराज को डायरेक्टर बनवाया और साथ ही साथ उनको २ साल की तौहसी भी दे दी। यहां यह कह दिया गया कि शर्मा जी रिटायर हो गये, जब कि वे छुट्टी पर थे। एस० पी० पांडेय साहब को बुलाकर एक घंटे के अन्दर सारी कार्यवाही करवा ली गयी।

[श्री पन्नालाल गुप्ता]

मैंने २५ अगस्त, १९७० को स्वास्थ्य मंत्री जी को उनके खिलाफ लिखा था, जो पत्र नव-भारत में प्रकाशित हुआ था, लेकिन आज तक उसका जवाब नहीं हुआ और न उनके खिलाफ कमेटी बैठी और न मुख्य मन्त्री ने जवाब दिया। आज यह कहा जाता है कि त्यागी जी बड़ा दौरा किया करते थे और शर्मा जी दौरा नहीं किया करते थे, उस के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं कि उन्होंने (त्यागी जी) दौरा किया--सात महीने में ८४ दिन केवल मेरठ में रहे। वह १४ दफा मेरठ गये और १४ दफे आए और ८४ दिन वहां रहे। यदि उपाध्यक्ष महोदय, आप समय दें तो तिथिवार इसका विवरण दे दूं। त्यागी जी वहां इसलिए जाते रहे कि मेडिकल कालेज का कोई दूसरा प्रिंसिपल न बनाया जाए और श्रीमन्, यह हुआ जब तक वह यहां पर डाइरेक्टर बने रहे, वह श्रीमन्, इसलिए वहां जाते थे कि मेडिकल कालेज के रख-रखाव के सामान की खरीदारी से अपना कमीशन ले आवें। अपना कमीशन--पर्सनटेज वसूलने वह वहां पर जाते रहे। एक बात मैं आप के माध्यम से बता दूं कि मेरठ, डी० एम० ने उनके खिलाफ यह रिपोर्ट कर रखी थी कि अगर त्यागी जी को यहां के मेडिकल कालेज के प्रिंसिपल पद से नहीं हटाया गया तो यहां पर बहुत बड़ा बल्वा हो जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी हम नहीं लेते हैं। लेकिन कोई अफसर चाहे जो कुछ कहा करे, फिक्र किस बात की जब सैयां भये कोतवाल। चाहे नंगा नाचे चाहे पहन कर नाचे, इनको उस समय कहने वाला कौन था। इसलिए त्यागी जी यहां बुलाए गये, इसमें बड़े करिश्मे हुए। बड़ी किस्मत उनकी अच्छी थी कि उसके बाद अन्नत-राम जी जायसवाल स्वास्थ्य मंत्री हो गये और जब तक जायसवाल जी रहे वह बने रहे।

रामपाल जी इस मामले में बड़े माहिर हैं--क्योंकि सैकड़ों सांडों को उन्होंने बधिया नना-कर बैल बना दिया, लेकिन हमारे स्वास्थ्य विभाग ने यह कहा कि बधिया बनने के बाद सांड बन सकता है। इसलिए कभी 'कहती हूं' कभी करती हूं" वह कहते रहे, उनके सेक्स में चेंज होने लगा। वह नहर के किनारे के रहने वाले हैं कभी कभी हवा का झोंका पहुंच जाता है उनके पास। राजेन्द्र कुमारी जी की हवा भी उनको लगी और उन्हीं की बोली में वह बोलने लगे। यह भी बड़ा अच्छा हुआ। इसी तरह का त्यागी जी ने एक काम और किया दो अस्पतालों के बीच में एक मकान था, एक एम० एल० सी० का जो अब राज्य सभा के मेम्बर हो गये हैं मैं उनका नाम तो नहीं लूंगा, उसके मकान को उन्होंने पौने दो लाख का सरकार को खरीद दिया, जबकि उस मकान के गिरने से दो नर्सें मर चुकी थीं--इसके बावजूद भी ऐसे जर्जर मकान को खरीद लिया गया। और हमारे सेक्रेटरी महोदय, एस० पी० पान्डेय ने बड़ी जल्दी उसकी मंजूरी दे दी। जिन जैन साहब के खिलाफ विजीलेंस ने रिपोर्ट दी थी कि इन्होंने भ्रष्टाचार किया है और इनको हटाया जाए लेकिन पाण्डेय जी ने उस पर घुमा कर दस्तखत कर दिये और उनको बहाल करके उरई में सिविल सर्जन बनाकर बिठाल दिया, इसको हाउस अच्छी तरह से समझ ले। अभी एक चीज और है। मोहन ट्रस्ट का एक अस्पताल की जमीन खरीदने के लिये पैसा मांगा, शा-यद दिया गया ७९ हजार रुपया दिया और कहा यह गया कि जब यह रुपया काम में आ जाएगा, तो आगे नहीं दिया जाएगा। उसके बावजूद सन् १९६८ में डिपार्टमेंट की रिपोर्ट के खिलाफ कि रुपया अभी इस्तेमाल नहीं हुआ है, इनको रुपया न दिया जाए, 50 हजार रुपया उन को दे दिया गया। मगर ५० हजार रुपया इनको फिर दे दिया गया। इस तरह से यह सब चीजें होती रहीं। आज कहा जाता है कि शर्मा जी जो हैं उनके पास माल मसाला जाता है। मैं माननीय सदस्य से कहना चाहता हूं वह न जानते हों कि वह कहां जाते हैं कहां रहते हैं, इनके गुरु, डाक्टर राम मनोहर लोहिया, वह जब जाते थे तो उनके इलाज के बिना डाक्टर साहब नहीं रहते थे, फौरन् शर्मा जी को टेलीफोन होता था कि आप मेरा इलाज कीजिये। लेकिन आज खड़े हुए, वहां माल मसाला जाता है। पता नहीं कहां से सुन आये हैं। इसी तरह से दूसरी चीज बताएं। आज आपका सरकारी अफसर सेक्रेटरिएट में, डी० एन० शर्मा है, जिसने अपना मकान बनाने के बाद (व्यवधान)... बाकी जितने आइ० सी० एस अफसर हैं खुद अपने मकान में रहा जब कि कौंसिल भवन के सचिव, श्री राम सहाय सक्सेना आदि लोगों ने अपना मकान किराये पर उठाये हैं, सरकारी मकानों में रहते हैं जो कि रेन्ट कन्ट्रोल ऐक्ट

के खिलाफ है। अगर कोई मामूली आदमी या व्यापारी होता तो यही अफसर उन पर मुकदमा चला देते। जब कानून का रक्षक भक्षक बन जाय तो फरियाद कहां की जाय और

(व्यवधान)

बाकी जितने आई० सी० एस० अफसर हैं वह डा० डी० एन० शर्मा का मुकाबला नहीं कर सकते हैं।

श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)—

एक औचित्य का प्रश्न है, एक व्यवस्था का प्रश्न है। मान्यवर, बक्ता महोदय, जब खड़े हुए तो कहा कि जो सदन में न हो, उसके बारे में आक्षेप नहीं करना चाहिए, आरोप नहीं करना चाहिए। लेकिन डाक्टर लोहिया जैसे महान् व्यक्ति के ऊपर, जो इस संसार में भी नहीं हैं, आरोप लगा रहे हैं। उनका नाम ऐसे गंदे प्रसंग में ला रहे हैं, जिसे भलमनसाहत गवारा नहीं कर सकती है। इन से यह कहा जाय, मैं आपसे कहूंगा कि आप इस पर व्यवस्था दें, कि यह उचित है या नहीं है। उचित न हो तो एक्सपंज करवाइये और इनसे कहिये कि जरा हैसियत में रह कर ठीक से बोलें।

श्री उपाध्यक्ष—

बात यह है—सभी माननीय सदस्य कहते हैं कि दूसरे ऐसा न करें लेकिन स्वयं करते हैं। क्या उचित है क्या अनुचित है सभी जानते हैं लेकिन अमल में, व्यवहार में और जब अपनी कोर दबती है तो सभी कोई न कोई सहारा, कोई न कोई बहाना बना कर अपने ही तर्क के शिकार हो जाते हैं।

श्री दीपनारायण मणि त्रिपाठी (जिला देवरिया)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह व्यवस्था चाहता हूं। मेरी व्यवस्था यह है कि सदन में जो सदस्य न हो, जो कर्मचारी न हो, जो जवाब न दे सके उसके बारे में नाम लेकर कहा जाय तो यह डिबेट के स्तर को गिराता है। आप अपनी ओर इस सदन की मर्यादा को ध्यान में रख कर जो लोग बोलें उनको मना करें कि नाम लेकर नहीं विभाग या शासन के बारे में कहें तो अच्छा है।

श्री उपाध्यक्ष—

टोकने पर भी नहीं मानते हैं। और यदि किसी ऐसे व्यक्ति का नाम आता है जो इस सदन में सफाई नहीं दे सकता है तो जवाब मैं कैसे रोकूं? रोकता हूं लेकिन नहीं मानते हैं। कोई दूसरा रोकने का अवसर नहीं है। सिर्फ लाल बत्ती दिखा देता हूं, कह देता हूं।

श्री पन्ना लाल गुप्त—

उपाध्यक्ष महोदय, आप के माध्यम से मैं नम्रता के साथ जायसवाल जी से कहना चाहता हूं, मैंने लोहिया जी की शान के खिलाफ कोई बात नहीं कही यह बात कही कि लोहिया साहब डी० एन० शर्मा की दवा करते थे और दूसरा नहीं करता था। मैं बड़े अदब से कहूंगा कि लोहिया जी का और उनका सम्बन्ध बाद का है, जो लोहिया साहब आल इंडिया लीडर हो गये। मेरा सम्बन्ध उस जमाने का है जब १९३०–३२ में वह ए० आई० सी० सी० के सेक्रेटरी रहे। मेरे पसे से और उनके पैसे से दोनों आदमी खाते पीते थे, खेलते थे। यह तो अभी कल आये।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

फिर यह असत्य भाषण कर रहे हैं। डाक्टर लोहिया पहले पहल १९३२ में लौटे और कलकत्ता में काम करना शुरू कर दिया। इनका साथ १९३० में कैसे बन गया?

श्री पन्ना लाल गुप्त—

मैं आप को बतला दूं कि यह गलतफहमी में है। डाक्टर जेड० ए० अहमद, डाक्टर अशरफ, डाक्टर केसकर और डाक्टर लोहिया—ये चारों ए० आई० सी० सी० के सेक्रेटरी थे और चारों व्यक्ति वहीं रहते थे। इस तरह से ये चीजें ऐसी हैं जो कि यहां कही जाती हैं। म लोहिया जी का जितना अदब करता था और जितना उनका खयाल करता था उतना शायद ये नहीं करते और अब भी मैं यह नहीं कहना चाहता कि वे क्या थे। इस तरह के जो सवाल उठाये गये हैं, मैं आप को बतलाऊं कि आप के सेक्रेटेरियट की हालत क्या है। एक शिक्षा प्रसार और पब्लिकेशन आफिसर का चुनाव हुआ। उसमें एस० पाण्डेय व पी० सी० पांडेय सेक्रेटरी और श्री बसन्त सिंह सेठ बैठे थे और उन्होंने एक इनफारमेशन आफिसर का सेलेक्शन कर लिया। जब इसके लिये कहा गया कि वह उसके लिये क्वालिफाइड नहीं है तो उसे खत्म कर दिया गया और उसके बाद फिर पब्लिक सर्विस कमीशन को लिखा गया और एक डिप्टी सेक्रेटरी की बीबी का सेलेक्शन करा लिया गया जब कि उन की कोई क्वालिफिकेशन भी पूरी नहीं थी शिक्षा प्रसार आफिसर के लिये। लिहाजा जब हमलोगों ने लिख कर दिया तो मंत्री महोदय ने उसको कैंसिल कर दिया। यह उसी तरह से कि अंधा बांटे रेवड़ी, अपने घर को देय।

दूसरी बात मैं आप को बतलाना चाहता हूं कि इस तरह से इस डिपार्टमेंट में श्री डी० एन० शर्मा के लिये कुछ कहना उसी तरह से है जैसे सूरज के ऊपर धूल फेंकना। यह आदमी ऐसा है जिसके अहसान से यू० पी० का कोई भी आदमी उऋण नहीं हो सकता। कोई भी आदमी यहां का ऐसा नहीं है जो उसके अहसान से दबा हुआ न हो। मगर अहसान फरामोश के लिये क्या कहा जाय। डा० डी० एन० शर्मा का दोस्त मरीज है और दुश्मन मर्ज है और न उनका कोई दोस्त है और न कोई उसका दुश्मन है जो चपरासी से लेकर मुख्य मन्त्री तक को अपने पेशे के अनुसार एक सा व्यवहार करता है उसकी पापुपूलेरिटी से लोगों को ईर्षा होती है तो वह लोग पागलों की तरह बकते हैं। मगर.....

(व्यवधान)

श्री सुखपाल पांडेय—

श्रीमन्, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

(व्यवधान)

श्री पन्ना लाल गुप्त—

श्री जायसवाल जी ने अस्पताल में रहते हुए स्वयं बहुत से मुर्गे खाये हैं और अभी तक ४३ मुर्गों के पैसे नहीं दिये हैं, यह इनसे पूछ लिया जाय।

(व्यवधान)

इस तरह जायसवाल जी जब से स्वास्थ्य मन्त्री बने तब से जब तक हटे नहीं बलरामपुर अस्पताल में अपना आसन जमाये रहे और नारंगी खाते रहे।

इन शब्दों के साथ मैं इस अनुदान का समर्थन करता हूं।

श्री सुखपाल पांडेय—

माननीय सदस्य श्री पन्नालाल ने जो यह कहा कि श्री डी० एन० शर्मा के अहसान से यू० पी० का प्रत्येक आदमी दबा हुआ है, तो यह अहसान श्री पन्ना लाल के ऊपर हो सकता है न कि यू० पी० के प्रत्येक आदमी के ऊपर। इसलिये इन शब्दों को उनको वापस लेना चाहिये।

श्री त्रिवेणी राय (जिला आजमगढ़)—

आप जब बीमार होंगे तो आप भी अहसान मानेंगे।

*श्री वासुदेव सिंह (जिला बहराइच)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं श्री रामपाल सिंह जी द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। आज स्वास्थ्य विभाग के अनुदान के ऊपर बड़ी गर्मागर्म चर्चा हुई है। मैं भी आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि श्री पन्ना लाल जी ने जो कुछ कहा है वह इसलिये कि वे श्री शर्मा के पिट्ठू हैं और इसलिये उनकी मक्खनबाजी करते हैं। उनसे लेकर विटामिन की गोलियां खाते हैं। ऐसे लोगों ने तो स्वास्थ्य विभाग को चौपट कर दिया है।

(व्यवधान)

आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति इस देश की पवित्र चिकित्सा पद्धति है। इस स्वदेशी चिकित्सा पद्धति तथा यूनानी चिकित्सा पद्धति को समाप्त-सा कर दिया गया है।

(व्यवधान)

जितने भी अनुदान जाते हैं वे सब एलोपैथिक चिकित्सा पद्धति के ऊपर खर्च किये जाते हैं।

(व्यवधान)

आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति का कोई भी खयाल नहीं किया जाता।

हमारे प्रदेश में जो स्वास्थ्य निदेशक हैं वे डाक्टर हैं इसीलिये इस प्रदेश में आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति सफल नहीं हो पाती। सरकार कहती है कि उसके पास पैसा नहीं है, उसके पास साधन नहीं है कि वह और एलोपैथिक चिकित्सालय खोल सके तो यूनानी तथा आयुर्वेदिक पद्धति का सहारा लें, क्योंकि यह चिकित्सा पद्धति कम खर्चीली है, सस्ती है और हमारे प्रदेश के लोगों के स्वास्थ्य के अनुकूल भी है। ग्रामीण स्तर पर हमारी सरकार जहां चिकित्सालय नहीं खोल पाती है वहां पर यूनानी तथा आयुवदिक चिकित्सालय खोले जायें, क्योंकि वैद्यों तथा हकीमों की कमी नहीं है और देहात की जनता भी जो ८० प्रतिशत है, यूनानी तथा आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति के आधार पर ही स्वास्थ्य लाभ करती है।

डाक्टर अगर गांवों में जाना पसन्द नहीं करते हैं तो वे न जायं। वहां हकीम तथा वैद्य भेजे जायं और वहां यूनानी तथा आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति के अनुसार चिकित्सालय तथा औषधालय खोले जायं। उन पर सरकार का व्यय भी कम होगा। महात्मा गांधी ने भी अनेक बार यह कहा था कि हमारे देश में स्वदेशी चिकित्सा पद्धति को अपनाया जाय। वही बात मैं कह रहा हूं। डी० एन० शर्मा एक डाक्टर हैं। इसीलिए वह चाहते हैं कि इस प्रदेश में आयुर्वेद का विकास न हो। निरन्तर मैं देख रहा हूं कि आयुवद के विकास पर अधिक खर्च नहीं किया जाता। छोटी सी रकम आयुर्वेद तथा यूननी चिकित्सा पद्धति के लिए दी जाती है और सारा का सारा रुपया एलोपैथिक चिकित्सा पद्धति पर खर्च किया जाता है। यह हमारे लिए शर्म की बात है कि अंग्रेज चले गये लेकिन आज भी उन्हीं की चिकित्सा पद्धति का सहारा लिया जाता है जब कि ८० प्रतिशत जनता इस प्रदेश तथा देश की आयुवदिक तथा यूनानी चिकित्सा पद्धति के आधार पर अपना इलाज करती है और केवल २० फीसदी जनता के लिए इतना व्यय करना यह हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है।

इस प्रदेश में एक होम्योपैथिक कालेज है। दुख की बात है कि उसका कोई निजी भवन नहीं है। जब-जब जमीन ली गयी, डा० डी० एन० शर्मा की बदमाशी के कारण वह भवन नहीं बन सका। अब नगरपालिका ने ४० एकड़ भूमि दी है, लेकिन डाक्टर साहब का कहना है कि रुपया नहीं है। मैं चाहता हूं कि ४० एकड़ के स्थान पर १० एकड़ जमीन पर भवन का निर्माण करा लिया जाय तो इसमें क्या बुराई है। अगर डाक्टर शर्मा चिकित्सालय

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री वासुदेव सिंह]

का भवन बनाने के सम्बन्ध में गड़बड़ी करेंगे तो व्यापक आन्दोलन होगा। होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति बहुत कम खर्चीली है। सरकारी पक्ष के डाक्टर श्याम किशोर जी ने इसे स्वीकार किया कि होम्योपैथी का विकास होना चाहिये जो बहुत कम खर्चीली है। एलोपैथी में एक गलत इन्जेक्शन लग गया तो मरीज मर गया, लेकिन यूनानी तथा आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति में इस तरह से किसी मरीज की मृत्य नहीं होती है।

मुझे परिवार नियोजन के सम्बन्ध में भी कुछ निवेदन करना है। परिवार नियोजन का शब्द बहुत ही गलत है और इस को मैं कभी स्वीकार नहीं कर सकता। पहले गांव में लोग कहते थे कि बच्चों के सामने मजाक मत करो लेकिन आज नसबन्दी तथा लूप की बात करना मजाक नहीं है क्या ? इससे हमारा चरित्र गिरता है। परिवार नियोजन किया जाय। उसके लिए प्राकृतिक साधन अपनाये जायं लेकिन लूप और नसबन्दी की बात करना ही शर्म की बात है। हमारा देश धर्म प्रधान देश है। मुस्लिम धर्म में कहा जाता है कि नसबन्दी उनक धर्म में स्वीकार नहीं की जा सकती। लिहाजा नसबन्दी करना है तो आप कोई कानून बनाइये। आप में दम है तो कानून बनाइये वर्ना नसबन्दी व लूप से हिन्दुओं की जन संख्या घट रही है। क्या यह विश्वासघात नहीं है ? आप में दम है तो कानून बनाइये कि तीन बच्चों के बाद नसबन्दी की जाय चाहे वह किसी भी धर्म के मानने वाला हो। लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकेंगे। और इस तरह से आप हिन्दुओं की जन संख्या कम कर रहे हैं। यह कोई साम्प्रदायिक बात नहीं है, यह सही बात है।

मान्यवर, आप परिवार नियोजन के विकास को देखेंगे तो मालूम होगा कि इसमें केवल २ प्रतिशत सफलता मिली है। इसका मतलब यह है कि यह कार्यक्रम असफल ही हुआ है जब कि इसमें धन पानी की तरह से बहाया गया है। जो पैसा इस में लगाया गया है वह जनता का पैसा है। जनता से टैक्स वसूल करके धन इकट्ठा कर लिया जाता है और उसे ऐसे कार्य-क्रमों में लगाया जाता है जिसमें सरकार को सफलता नहीं मिलती। धन का दुरुपयोग किया जाता है। अतः इसके लिए मेरा सुझाव है कि परिवार नियोजन के लिए होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक और यूनानी विशेषज्ञों की एक कमेटी बुला ली जाय और उनसे इस सम्बन्ध में राय ले ली जाय कि परिवार नियोजन कैसे चलाया जाय जिससे उसमें हम को सफलता मिल सके, साथ ही उसमें कम खर्च भी हो। मैं एक वैद्य की हैसियत से कहता हूं कि उसमें ऐसी औषधि है कि माहवारी के दो हफ्ते के बाद यदि लोग सम्भोग करते हैं तो बच्चा पैदा नहीं होगा। आप जो गोलियां बांटते हैं उससे फायदा नहीं होता।...

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय सदस्य इधर भी देख लें।

श्री ासुदेव सिंह—

मान्यवर, मैं बहुत ही महत्वपूर्ण बात कह रहा हूं। मैं जिस क्षेत्र मोतीपुर से चुन कर आया हूं, वहां पर एक जिला परिषद् का चिकित्सालय है। वहां पर लोगों ने ३ लाख रुपया दिया और सरकार से वे लोग अनुरोध कर रहे हैं कि वह वहां पर एक चिकित्सालय खोले। प्रयागपुर और नानबाड़ा में जो चिकित्सालय हैं उस को राजकीय कर दें। हमारे क्षेत्र जैदापुर में चिकित्सालय की कोई व्यवस्था नहींहै। मेरी मांग है कि वहां पर चिकित्सालय भवन खुलना चाहिये। क्योंकि वहां पर १५-२० साल से चिकित्सालय खपरैल के मकान में है। मैं स्वास्थ्य निरीक्षक के बारे में कहना चाहता हूं कि वे वहां पर व्यक्तिगत घूस लेकर स्वास्थ्य का काम करते हैं। इस बात पर सरकार का ध्यान जाना चाहिये ताकि अच्छी तरह से अपना काम कर सकें।

(चौधरी राम पाल सिंह यादव का नाम पुकारे जाने पर)

श्री सुखपाल पांडेय––

मान्यवर, १२ तारीख से यह सदन चल रहा है और आप ने मुझे किसी भी विषय पर बोलने का अवसर नहीं दिया है ताकि मैं अपने विचार व्यक्त न कर सकूं ।

श्री राम बिलास पांडेय––

मान्यवर, सिर्फ दो मिनट का समय मुझे दे दें...

(श्री सुखपाल पांडेय के बोलते रहने पर)

श्री उपाध्यक्ष––

मैं आप से आग्रह करता हूं कि आप कृपा कर के बैठ जायं...(व्यवधान)..
मैं आप को निकाल देता हूं...(व्यवधान)

श्री सुखपाल पांडेय––

आपने मुझे बोलने का समय नहीं दिया है इसके विरोध में सदन का त्याग करता हूं ।..
(व्यवधान)

(चौधरी रामपाल सिंह सिंह यादव भी कुछ बोल रहे थे)

श्री राम बिलास पांडेय––

मान्यवर, मैं एक सुझाव देना चाहता हूं ...(व्यवधान) ।

(चौधरी रामपाल सिंह यादव से)...मैं दो मिनट में समाप्त कर दूंगा आप कृपया बैठ जायं ।

मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे समय दिया है ।

श्री सुखपाल पांडेय––

उपाध्यक्ष महोदय, आप अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठे हैं, यह तरीका बहुत अन्यायपूर्ण है ...

श्री उपाध्यक्ष––

आप इस आक्षेप को वापस लें । यह अनुचित है...

श्री सुखपाल पांडेय––

उपाध्यक्ष महोदय, आप इस तरह नाराज होते हैं...

श्री उपाध्यक्ष––

किसी भी माननीय सदस्य को ऐसा नहीं कहना चाहिये ।

श्री सुखपाल पांडेय––

आप बेकार नाराज होते हैं...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष––

आप आक्षेप करते हैं, बार-बार खड़े हो जाते हैं । यह अन्तिम चेतावनी है आप को ।

(इस पर श्री सुखपाल पांडेय सदन के बाहर चले गये)

श्री राम बिलास पांडेय (जिला आजमगढ़)--

माननीय उपाध्यक्ष जी, यह लगभग ९ करोड़ लोगों का प्रदेश है और स्वास्थ्य की दृष्टि से यह विभाग बहुत महत्वपूर्ण विभाग है और यह बहुत महत्वपूर्ण बजट है। इस प्रदेश में ७५ विकास क्षेत्र हैं और उन में ३६ ऐसे हैं जहां औषधालय नहीं हैं। ८७५ ब्लाक ऐसे हैं जिन पर चिकित्सा की इमारत तैयार है, बाकी ४२६ ऐसे हैं जहां भवन नहीं बन पाये हैं जिस से काफी असुविधा होती है। ८० फीसदी गांव के रहने वाले किसान उन औषधालयों में जाते हैं ये जन संख्या के हिसाब से बहुत कम हैं और उसमें भी इमारतें नहीं हैं। मान्यवर, मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं। पहाड़ी इलाके में गढ़वाल जिले में कोटद्वार के चिकित्सालय में एक्सरे प्लान्ट नहीं है। उस को लगाने के लिए फारेस्ट के जो ठेकेदार रहे हैं उन्होंने २० हजार रुपया सिविल सर्जन को दिया था एक्सरे प्लान्ट लगाने के लिए, तब सरकार ने कुछ मदद देकर केवल एक्सरे प्लान्ट लगवाया। पहाड़ी इलाके में कोई मेडिकल कालिज नहीं है। गोरखपुर में एक मेडिकल कालिज बनाने की बात कही गयी थी...समय बढ़ा दिया जायगा। मैं माननीय नेता सदन से चाहूंगा कि वह समय कुछ बढ़ा देंगे।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, झांसी और गोरखपुर का मसला एक साथ चला। झांसी में मेडिकल कालिज खुल गया लेकिन गोरखपुर में नहीं खुला। बनारस, जहां के पंडित जी रहने वाले हैं वहां केवल एक शिवप्रसाद गुप्त हास्पिटल है जब कि बिहार के भी मरीज वहां आते हैं। उस दृष्टि से एक हास्पिटल और वहां होना चाहिये।

एक चीज और है कि इस बाढ़ में प्रदेश में चिकित्सा की व्यवस्था बड़ी अस्त-व्यस्त हो गयी है। मैंने स्वास्थ्य मन्त्री जी को बताया था कि जब वर्षा से फसल बरबाद हो रही थी, कि सड़न के बाद बीमारी पैदा होगी। मैं बहुत सही तरीके से बता देना चाहता हूं सदन को और स्वास्थ्य मन्त्री जी को कि गांव में जाकर देखें, कमर भर पानी में फसल सड़ रही है, बदबू आ रही है। उसको हटाने का कोई प्रबन्ध नहीं किया गया है।

एक चीज चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के बारे में कहनी है। चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी जिला अस्पतालों में हैं। वे बजाय मरीजों की सेवा करने के डाक्टरों की सेवा करते हैं, उन के घरों पर रहते हैं। पंखे हास्पिटल के उनके घरों पर चल रहे हैं। ठंढे पानी की जो मशीन हैं वह उन के घरों में लगी हुई है, हास्टिपल में नहीं हैं। तो मैं इधर मन्त्री जी का ध्यान दिलाऊंगा कि चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी मरीजों की सेवा में रहें।

मऊ का जो अस्पताल है उसका प्रान्तीयकरण होने वाला था, जो आजमगढ़ जिले का अस्पताल है। जब माननीय कृष्णानन्द राय मन्त्री थे तो कह कर कुछ आदेश किये थे, लेकिन आज तक मऊ प्रान्तीयकरण में नहीं आ सका है, तो वह प्रान्तीयकरण में ले लिया जाना चाहिये। आजमगढ़ जिले में मरीजों के लिए शैय्या नहीं है उस की भी व्यवस्था वहां पर होनी चाहिये।

ढाई हजार रुपया प्राथमिक चिकित्सालयों को दिया जाता था। अब माननीय स्वास्थ्य मन्त्री ने साढ़े चार हजार रुपया कर दिया है, वह मामूली रकम है। दवा जो होती है मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मरीजों की दवा अस्पतालों में नहीं मिल पाती है, क्योंकि इसके लिए अस्पतालों को बहुत कम पैसा दिया जाता है इसलिए मैं चाहता हूं कि इस पैसे को बढ़ाया जाय।

चौधरी रामपालसिंह यादव--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे अपने साथी पन्नालाल जी के बारे में अभी कुछ नहीं कहना है। लोग कहते हैं कि वे विटैमिन आर खाते हैं। मैंने डाक्टर डी० एन० शर्मा डायरेक्टर के खिलाफ जो अभियोग लगाये गये हैं और उनके खिलाफ विजिलेंस द्वारा जांच हुई थी, उन्होंने ७२ बेड्स के वार्ड को ६-७ साल तक दबाये रखा और वे छुट्टी लेकर चले गये। उन के जरिये तमाम भ्रष्टाचार होता है। अगर यह अभियोग उन के खिलाफ सही न हों, यह

सारी चीजें, अभियोग झूठे हों, तो मैं विधान सभा की सदस्यता से इस्तीफा दे सकता हूं । माननीय मुख्य मन्त्री जी इसकी जांच करा लें ।

श्री पन्नालाल गुप्त––

मान्यवर, इसको स्वीकार कर लें ।

चौधरी रामपाल सिंह यादव––

मान्यवर, यह बड़ा अच्छा अवसर है कि मुख्य मन्त्री जी भी इस समय यहां पर मौजूद हैं । इस विभाग के भ्रष्टाचार के बारे में एक सूचना और देना चाहता हूं । अभी हाल में परिवार नियोजन विभाग में लोक सेवा आयोग के माध्यम से महिला साइन्टिस्ट की भर्ती की गयी । न्यूनतम शैक्षिक योग्यता एम० ए० द्वितीय श्रेणी तथा ५० प्रतिशत अंक । आयोग ने राज्य सरकार से सिफारिश की कि अभ्यर्थिनी की मार्क शीट चेक करने के बाद नियुक्ति दी जाय । राज्य सरकार ने जून, ७१ में नियुक्ति दे दी निर्मला साहनी को जिनके प्राप्तांक ५० प्रतिशत से कम थे । इस को देखिये कि इन के विभाग में कितना भ्रष्टाचार है और वह ऊपर के लोगों की तरफ से है । डायरेक्टर की तरफ से है, मेडिकल सेक्रेटरी की तरफ से है । इन चीजों को देखना चाहिये । इन के बारे में एक उचित नीति अपनायी जाय और उसके आधार पर सर्विसेज दी जायं तथा ट्रांसफर्स किये जायं ।

डाक्टरों की प्राइवेट प्रैक्टिस बन्द कर दी जाय । आजकल डाक्टर सरकारी अस्पताल में ठीक से नहीं बठते हैं और वे अपना सारा समय दुकानों पर बैठकर तथा अपने प्राइवेट क्लिनिक व अस्पताल में बैठ कर व्यतीत करते हैं । उनका मन सरकारी अस्पताल में नहीं लगता इस लिए इन डाक्टरों की प्राइवेट प्रैक्टिस बिलकुल बन्द कर दी जाय, क्योंकि ये सरकारी अस्पतालों में केवल खानापूरी करते हैं ।

मान्यवर, एक सेन्ट्रल मेडिसिन स्टोर डिपो है उस के सम्बन्ध में मुझे पता चला है जिस को संविद सरकार ने समाप्त कर दिया था, उसको यह सरकार फिर से कायम करने जा रही है क्योंकि इसमें तमाम दवाओं की खरीद फरोख्त मिली भगत से होती है और सारे प्रदेश के अस्पतालों में दवायें भेजी जाती हैं जिन में लाखों रुपयों की गड़बड़ी, भ्रष्टाचार होता है । मैं माननीया स्वास्थ्य मन्त्री से कहना चाहूंगा कि वे मेडिकल सेक्रेटरी और डायरेक्टर के दबाव में न आयें और जिस को संविद सरकार ने समाप्त कर दिया था, उसको कायम न करें ।

अभी हमारी स्वास्थ्य मन्त्राणी जी ने कहा कि गांवों में अस्पताल होंगे और उन अस्पतालों के लिए यह कहा कि उनके लिए गांव वाले अगर ४ एकड़ जमीन और चन्दा करके इमारत बनवा देंगे तो सरकार खाली डाक्टर भेज देगी, और ६ पैसा आदमी के हिसाब से दवा दे देगी । यह जनता के लिए उनका सन्देशा है । इसका स्पष्ट मतलब यह है कि अस्पताल खोलने की जिम्मेदारी पूरे तरीके से सरकार की नहीं है । जनता अस्पताल बनवाये और तब वे वहां डाक्टर और दवा भेजेंगे । मैं प्रदेश की जनता की ओर से माननीय स्वास्थ्य मन्त्री और मुख्य मन्त्री जी से कहना चाहता हूं कि यह पूरे तौर से आपकी जिम्मेदारी है कि आप गांव-गांव में, जगह-जगह पर अस्पतालों को खोलें, और उस हरएक आदमी को जो बीमार है, उसकी दवाई का इन्तजाम करें । इन शब्दों के साथ मैं उन सभी सदस्यों का अभारी हूं, जिन्होंने मेरे कटौती के प्रस्ताव का समर्थन किया अथवा जिन्होंने अनुदान की बहस में हिस्सा लिया ।

अन्त में मैं यह कहना चाहता हूं कि इस स्वास्थ्य विभाग में ३० करोड़ के अनुदान में २५ करोड़ रुपये की लूट होती है । केवल ५ करोड़ ही जनता के पास दवा के नाम से पहुंच पाता है । मैं कहना चाहता हूं कि जिस विभाग में ३० करोड़ रुपये में से २५ करोड़ की लूट होती

[चौधरी रामपाल सिंह यादव]

हो, वेतन और भत्ते के रूप में, और जनता को केवल ५ करोड़ की ही राहत मिलती हो, इसीलिए मैं कहूंगा कि इस अनुदान को पूरे तौर से गिरा दिया जाय क्योंकि इन स्वास्थ्य मन्त्री को एक पैसा भी लेने का अधिकार नहीं है ।

श्री अनन्तराम जायसवाल--

(डाक्टर राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी का नाम पुकारे जाने पर) उपाध्यक्ष महोदय, भाषणों के दौरान मेरे ऊपर बहुत से आक्षेप लगाये गये हैं ।

श्री उपाध्यक्ष--

वह तो दोनों ओर से ही लगाये गये हैं ।

श्री अनन्तराम जायसवाल--

श्रीमन्, मैं केवल एक मिनट ही लूंगा । मान्यवर, राजितराम जी ने कहा कि किसी डस्टिंग पाउडर के बारे में एक डेढ़ लाख की गड़बड़ी मैंने की थी । उन्होंने उस सम्बन्ध में विजिलेंस की मांग की थी । स्वास्थ्य मन्त्री जी यहां मौजूद हैं । हमने स्वयं उसमें विजिलेंस की इन्क्वायरी का आर्डर दिया था । वह इन्क्वायरी आज तक क्यों नहीं हुई, कृपया बताया जाय ।

पन्ना लाल जी ने कहा कि हम ने बहुत मुर्गे खाये । मैं उनको बता देना चाहता हूं कि वहां रहते हुये भी मैंने बहुत से लोगों को मुर्गा बनाया होगा ।

श्री रूपनाथ सिंह यादव (जिला इलाहाबाद)--

मैं एक स्पष्टीकरण चाहता था । आपने कहा था कि बाद में ले लीजियेगा ।

श्री उपाध्यक्ष--

(माननीय स्वास्थ्य मन्त्री से) आप कितना समय लेंगे ?

डाक्टर राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी--

मुझे बहुत ज्यादा नहीं बोलना है । मैं पहले ही सारी बातें कह चुकी हूं ।

श्री उपाध्यक्ष--

अच्छा तो १५ मिनट का समय बढ़ाया जाता है ।

श्री रूपनाथ सिंह यादव--

श्रीमन्, इस देश में दो तरह के मरीज हैं । एक की दवा तो अस्पताल में की जाती है । दूसरे प्रकार के मरीज भी लाखों करोड़ों की संख्या में हैं । उन की तरफ इस सदन का और सरकार का कोई ध्यान नहीं है । मैं माननीय मुख्य मन्त्री जी का ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहता हूं । यह तमाम हरिजनों की दशा है । श्रीमन्, वैसे तो कांस्टीटयूशन में यह कहा गया है कि किसी जाति धर्म इत्यादि का भेद न माना जाय । लेकिन अपवाद स्वरूप उन्होंने इसको माना भी । इसको मानना उन्होंने जरूरी समझा । आर्टिकिल १५(४) और १६(४) इस के अपवाद हैं । उस में से १६(४) में लिखा हुआ है कि आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े हुये लोगों के लिए रिजर्वेशन की व्यवस्था की जाय ।

इसी तरह से नगरों में जो हरिजन और पिछड़े लोग हैं उन को आर्टिकिल १६(४) में...

श्री उपाध्यक्ष--

यह तो जवाब हो जाता है और खास तौर पर जब आप ही के दल के माननीय सदस्य ने जवाब दिया है तो इसका बहुत औचित्य नहीं रह जाता । आपको स्वयं मर्यादित होना चाहिये । माननीय स्वास्थ्य मन्त्री ।

श्री रूपनाथ सिंह यादव--

तो मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या मेडिकल कालेजों में हरिजन और पिछड़े लोगों के लिए आरक्षण का कानून बनाने जा रही है या नहीं ?

*डाक्टर राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं उन सब माननीय सदस्यों की बहुत आभारी हूं जिन्होंने आज के बजट विवाद में हिस्सा लिया और अपने सुझाव दिये। समय कम होने की वजह से कुछ ही सदस्य बोल पाये, लेकिन जिन सदस्यों ने हिस्सा लिया उनके कुछ अच्छे सुझाव भी आये। इसके लिए मैं उनकी आभारी हूं। दो, तीन बातें जो कही गयीं उन पर मैं प्रकाश डालना चाहती हूं।

कट मोशन मूव करते समय कहा यह गया कि इस बजट में गरीबों के लिए कुछ नहीं किया गया है। मैंने आरम्भ में ही कह दिया था कि स्वास्थ्य चिकित्सा और जन स्वास्थ्य यह ऐसा विषय है जिस के लिए जितनी भी रकम रखी जाय वह कम जान पड़ती है, क्योंकि इस की आवश्यकता बहुत अधिक है। इसी बात को ध्यान में रख कर कि प्रति व्यक्ति हमारे प्रदेश में दवा के ऊपर जो व्यय होता है वह कम है इस सरकार ने प्रति व्यक्ति एक रुपया दवा के ऊपर खर्च करने का निश्चय लिया है। यह निश्चय भी हमें काफी कठिनाई से करना पड़ा है क्योंकि जो बजट आपके सामने प्रस्तुत है उस में ऐसे ही डेफिसिट है। लेकिन चूंकि गरीबों की आवश्यकता है और खास कर देहात के अन्दर रहने वाले जो हमारे भाई हैं उन्हें इस की सुविधा नहीं है, इस लिए इस निर्णय को हमारी सरकार ने लिया है। इसलिए मैं यह समझती हूं कि जो यह कहा गया कि गरीबों के लिए ध्यान नहीं दिया गया यह सही नहीं है क्योंकि यह उसी दिशा में एक कदम है। हमारे जो जिला परिषद् के औषधालय हैं हमने यह निर्णय लिया है कि धीरे-धीरे उन सब का राजकीयकरण कर दिया जाय। मौजूदा बजट वर्ष में ५० ऐसे औषधालयों का सरकार प्रान्तीयकरण करने जा रही है।

कहा यह गया कि टी० बी० की रोक थाम के लिए कुछ नहीं किया गया है। मैंने आरम्भ में भी कहा था कि टी० बी० के लिए सरकार ने क्या व्यवस्था की है। इस के अगर आप आंकड़े देखें तो आप को मालूम होगा कि इस बजट वर्ष में ७ टी० बी० क्लिनिकों के उन्नयन का प्रस्ताव है। इसके अतिरिक्त १२५ टी० बी० आइसोलेशन शैय्याओं की स्थापना का भी प्रस्ताव है और साथ ही २० टी० बी० क्लिनिक भवनों के निर्माण का भी प्रस्ताव सम्मिलित है। तो यह कहना कि टी० बी० की रोक थाम के लिए कोई विशेष ध्यान नहीं दिया गया उचित नहीं जान पड़ता है।

कुष्ठ रोग के लिए ऋषिकेश की बात कही गयी। वहां ५० शैय्याओं वाला अस्पताल बनाया जायगा जहां इन रोगियों की व्यवस्था हो पायेगी। कुछ माननीय सदस्यों ने १० मील के अन्दर अस्पताल होने की बात कही। सरकार की नीति यह है कि सब सेन्टर्स को मिला करके ऐसी व्यवस्था की जाय कि ५ मील के अन्दर देहात की जनता को इलाज आदि की सुविधा हो सके। हमने जो जनता से अपील की कि स्त्रियों के अस्पताल बनाने के लिए जहां पर लोग जमीन देंगे और कुछ चन्दा कर के धन की व्यवस्था करेंगे वहां उन अस्पतालों के सरकार स्वयं चलाने की व्यवस्था करेगी। इसलिए कि अगर हम अपने प्रदेश में स्वास्थ्य की दिशा में कुछ उन्नति लाना चाहते हैं तो उसके लिए जनता के सहयोग की आवश्यकता है और इस के माने यह नहीं हैं कि सरकार अपनी जिम्मेदारी से हटती है। सरकार का कार्यक्रम १४ नये अस्पताल बनाने का है और उसके अलावा भी हमारा यह प्रयास रहता है कि हम जनता

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[डाक्टर राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी]

के सहयोग से और अतिरिक्त अस्पताल स्त्रियों के लिए बना सकें तो वह हमारा एक सुन्दर प्रयास होगा। सरकार इस अपने कर्त्तव्य से विमुख नहीं हो रही है।

कहा गया कि अस्पतालों में अधिक दवाओं का प्रबन्ध होना चाहिये। यह बात ठीक है और मैं इस सुझाव का स्वागत करती हूं। मैंने इस दिशा में कदम उठाया है और मैंने स्वयं अस्पतालों के सुपरिन्टेंडेंट्स से और सिविल सर्जन्स से कहा है कि जो भी दवायें वहां पहुंती हैं उन के वितरण में इस बात का ध्यान रखा जाय कि जो कीमती या लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं और जिन के अक्सर ब्लैक मार्केट में बिकने की शिकायत है उन की सुचारु व्यवस्था अस्पताल के द्वारा होनी चाहिये जिससे जनता समझे कि सरकार गरीबों की जान की हिफाजत करना जानती है। इस लिए माननीय सदस्यों ने यह सुझाव उपस्थित कर के हमारे विचारों की पुष्टि ही की है।

हरिजनों के आरक्षण को पूरा करने की बात भी यहां कही गयी। मैं तो समझती थी कि माननीय सदस्य हमारे द्वारा उठाये कदम के लिए हमें बधाई देंगे, क्योंकि हमने मेडिकल कालेजेज में हरिजनों की सीट ३ प्रतिशत से बढ़ाकर अब १० प्रतिशत कर दिया है।

श्री रूपनाथ सिंह यादव---

हमने तो पिछड़े वर्ग के लिए कहा था, उनके लिये बतायें कि क्या किया गया है ?

डाक्टर राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी---

उन्होंने हमारे साथ उदारता से काम नहीं लिया। इसके अलावा मुझे दुःख है कि हमारे विभाग के कुछ अधिकारियों का नाम लेकर यहां कुछ चर्चा की गयी जब कि इस सदन की परम्परा ऐसी नहीं रही है और नहीं होनी चाहिये थी। हमारे मेडिकल सचिव के बारे में भी कुछ कहा गया। मैं समझती हूं कि मैं ही काफी थी विभाग की ओर से सब बातें उन की सुनने के लिए और जो कुछ भी माननीय सदस्य कह रहे थे वह मुझ से कहते लेकिन सदन में अधिकारी का नाम लिया जाय और वह यहां उत्तर भी नहीं दे सकते, उचित नहीं है और उनकी चर्चा जिस तरह से जिस स्तर से की गयी उस से मुझे तकलीफ हुई। दो एक नियुक्तियों के सम्बन्ध में कहा गया। यह जरूरी नहीं है कि पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा जिस तरह से सेलेक्शन हो सरकार उसी को आंख मूंद कर मान ले। हम उनकी सिफारिश के बाद भी देखते हैं कि जो योग्यतायें हैं जो अर्हतायें हैं और विज्ञापन में जो सारी चीजें निर्धारित की गयी थीं, जो न्यूनतम योग्यतायें रखी गयी थीं वह पूरी होती हैं या नहीं...

श्री अनन्तराम जायसवाल---

इस प्रश्नगत केस में क्या कमीशन द्वारा निम्नतम शैक्षिक योग्यता यह नहीं थी कि वह द्वितीय श्रेणी के एम० ए० हों और उसे कम से कम ५० प्रतिशत अंक मिले हों ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी---

मैं कह रही थी कि शासन को देखना होता है कि पब्लिक सर्विस कमीशन ने जो विज्ञापन की अर्हतायें योग्यताओं के अनुसार किया है या नहीं किया है और उसके बाद सरकार के अप्रूवल की बात आती है। अगर यह अधिकार सरकार का न होता तो अप्रूवल का सवाल ही क्या होता फिर तो जो कमीशन लिखता वही करना होता।

श्री अनन्तराम जायसवाल--

क्या शैक्षिक योग्यता चुनाव के बाद भी बदली जा सकती है ?

डाक्टर राजन्द्र कुमारी बाजपेयी––

पब्लिक सर्विस कमीशन से कई केसेज ऐसे आये जिनमें न्यूनतम शैक्षिक योग्यता न होते हुये भी सेलेक्शन किया गया और ऐसे कितने ही उदाहरण सदन के सामने उपस्थित किये गये हैं। इस में कन्डीशनल सेलेक्शन हुआ था और बाद में कुछ रिपोर्ट आयी और हमारे लिए यह देखने की पूरी गुंजाइश थी कि जो कन्डीशनल सेलेक्शन हुआ है उसमें कौन उस पद के योग्य है। मनचंदानी हमारे एक योग्य कर्मचारी हैं और उनके सारे कैरेक्टर रोल और सारे कार्य को देखकर, उनकी योग्यता को देखकर यह उचित समझा गया कि उनके लिए जो न्यूनतम योग्यत रखी गयी थी उसको वेव किया जा सकता है। तो हमने बहुत समझ बूझ कर किया। हम नहीं समझते थे कि हमने किसी के साथ अन्याय किया है। यहां पर और थी बातें कही गयीं, जैसे हमारे डायरेक्टर वगैरह के बारे में कहा गया है। मैं समझती हूं कि उनका कोई विशेष उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है, माननीय सदस्य खुद जानते हैं। एक योग्य डायरेक्टर को पार्टी पालिटिक्स का शिकार बनना पड़ा था। अगर योग्यता को ताक में रख कर इस तरह से अधिकारियों के साथ व्यवहार किया जायगा तो शासन के लिए बहुत ही खराब प्रवृत्ति होगी। एक एक्जीक्यूटिव के ऊपर हमला करना, इस प्रजातन्त्र में, और योग्य व्यक्ति को किनारे रख देना और उनकी योग्यता को समाप्त कर देना, हर एक को बेईमान समझना, इससे न कोई सरकार चलने वाली है और न चल सकती है। हमारे लिए यह विचार करने का मौका हुआ कि हमारे जो डायरेक्टर छुट्टी गये थे, उन के साथ न्याय हुआ या अन्याय हुआ और मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं कि डाक्टर शर्मा के साथ अन्याय हुआ था और इसलिए हमने उनको छुट्टी से बुलाया। मुझे ऐसा कहने में न कोई संकोच है और न कोई हिचक है।

व्यवधान

चौधरी रामपाल सिंह यादव––

जो हमने चैलेंज किया है, उस के बारे में आप को क्या कहना है। (व्यवधान)।

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी––

चूंकि समय नहीं है, मैं इसके पूरे ब्योरे में नहीं जाना चाहती, लेकिन इतना ही कहना चाहती हूं कि डाक्टर शर्मा जैसे योग्य अधिकारी, जिनके साथ अन्याय हुआ था, शासन का यह कर्तव्य था कि इस अन्याय को समाप्त किया जाय और उनको उनके स्थान पर बुलाया गया और इस लिये उनको बुलाया गया।

मैं माननीया राजेन्द्र किशोरी जी की-आभारी हूं कि उन्होंने यह कहा कि प्रस्तुत अनुदान बहुत कम है और इस मद में और ज्यादा खर्च होना चाहिये। मैं चाहती हूं कि जो कटमोशन प्रस्तुत है, उसको माननीय सदस्य वापस ले लें, क्योंकि हमारा ही एक ऐसा विभाग है जिसम सभी माननीय सदस्यों की एक राय है कि इसमें ज्यादा से ज्यादा दवाओं में खर्च होना चाहिये इसलिए कटमोशन का सवाल ही नहीं उठता है। अन्त में मेरा अनुरोध है कि माननीय सदस्य कट मोशन को वापस ले लें और इस अनुदान को स्वीकृत कर दें।

श्री उपाध्यक्ष––

प्रश्न यह है कि सम्पूर्ण अनुदान संख्या १९ के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि ३१ मार्च, १९७२ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या १९--चिकित्सा के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त १७,१९,८ ,६०० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि सम्पूर्ण अनुदान संख्या २० के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि ३१ मार्च, १९७२ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या २०--सार्वजनिक स्वास्थ्य के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त १२,७२,६५,१०० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं

श्री उपाध्यक्ष---

नियम ५६ में २ सूचनायें हैं, ये वक्तव्य के लिए स्वीकृत की गयी हैं। एक माननीय नित्यानन्द स्वामी और माननीय राज कुमार शर्मा की है और दूसरी माननीय त्रिवेणी सहाय की हैं। एक बाढ़ के बारे में है और एक ग्राम कमालपुर, जिला कानपुर की १४ वर्षीय लड़की राम किशोरी को गांव के कुछ लोगों द्वारा जिन्दा जलाने के बारे में है।

नियम ५१ के अन्तर्गत सूचनायें

श्री उपाध्यक्ष--

नियम ५१ के अन्तर्गत कुछ सूचनायें प्राप्त हुई ह। उनमें से श्री रूपनाथ सिंह यादव ने सूचना दी है कि इलाहाबाद जिला परिषद की बी० टी० सी० अभ्यर्थियों के चयन में अनियमिततायें हुई हैं। इसको वक्तव्य के लिये स्वीकार किया गया है। सर्वश्री राम कुंवर सिंह तथा रामबिलास पांडेय ने सूचना दी है कि आजमगढ़ जिले में बाढ़ का प्रकोप है। इसको भी स्वीकार किया गया है। यह बाढ़ के वक्तव्य में लिया जायेगा। सर्वश्री भारत सिंह चौहान, सुरेंद्र विक्रम तथा घासीराम जाटव ने सूचित किया कि चकर नगर विकास खंड (इटावा) के अनेकों ग्रामों के हरिजन व पिछड़े वर्ग के लोगों की जमीन वन विभाग द्वारा छीनी गई। यह नियम ५१ में पूर्व ही स्वीकृत है। श्री शम्भूनाथ चौधरी की सूचना है कि ब.ाया जिले में बाढ़ का प्रकोप है। यह बाढ़ के वक्तव्य में सम्मिलित है। उसमें लिया जायेगा। श्री रामकुंवर सिंह ने सूचना दी है कि थाना कलान, जिला शाहजहांपुर के दरोगा श्री फेनी सिंह द्वारा श्री झब्बू सिंह की हत्या की गई है। यह पूर्व स्वीकृत है। वक्तव्य के लिये सम्मिलित कर लिया गया है। श्री अनन्तराम जायसवाल, श्री जयराम यादव तथा श्री रूपनाथ सिंह, यादव ने सूचना दी है कि प्रतापगढ़ जिले में बाढ़ का प्रकोप है। इसको स्वीकार किया गया है और बाढ़ के वक्तव्य में सम्मिलित कर लिया गया है।

श्री चन्द्रमोहन सिंह नेगी (जिला गढ़वाल)---

मान्यवर, उत्तराखंड विश्वविद्यालय के संबंध में हड़ताल चल रही है श्रीनगर में । इसके संबंध में मैंने नियम ५१ में सूचना दी थी ।

श्री उपाध्यक्ष---

विश्वविद्यालय वाला मामला तो हो गया । उस पर चर्चा हो चुकी है । प्रश्न कर लीजिये ।

श्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी---

श्रीमन्, मेरी बात सुन लीजिये । विश्वविद्यालय का प्रश्न दूसरी बात है । वहां हड़ताल चल रही है क्योंकि जुलाई लगातार और १९--२० को गढ़वाल बन्द का आह्वान किया गया है । शिक्षा मंत्री ने प्रश्नों के उत्तर में कहा कि सारे पहाड़ों के विधायकों को बुलाया गया और मुख्य मंत्री ने उनसे परामर्श किया । चिट्ठी जरूर भेजी गई । दस तारीख को मीटिंग बुलाई गई लेकिन हम लोगों को किसी को १३ को मिली, किसी को १४ को मिली । हम लोगों में से बहुत से विधायक है । मैं स्वयं, माननीय बडूनी जी, श्री शिवानन्द नौटियाल भी मीटिंग में उपस्थित नहीं हो पाये थे । एक तो मीटिंग में सब विधायक नहीं बुलाये गये, वहां पर आन्दोलन चल रहा है । उसकी समाप्ति हम भी चाहते हैं । गढ़वाल और अल्मोड़ा को विश्वविद्यालय के संबंध में लड़ाया जा रहा है । मेरा निवेदन है कि इसको स्वीकार करने की कृपा करें ।

श्री इन्द्रमणि (जिला टिहरी गढ़वाल)---

श्रीमन्, मैं हाथ जोड़ता हूं । मुझे एक निवेदन करना है....

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष---

विचार कर रहे हैं ।

श्री इन्द्रमणि---

मान्यवर, इसके संबंध में हमने शिक्षा के अनुदान में कहा । सरकार ने उसका कोई उत्तर नहीं दिया । प्रश्न किया, सरकार ने उस पर भी उत्तर नहीं दिये । नियम ५१ में इसकी सूचना भेजी । उसका भी उत्तर नहीं दिया गया । मान्यवर, वहां पर हड़ताल चल रही है । गढ़वाल बन्द चल रहा है इसलिये निवेदन है कि आप इसको नियम ५१ में स्वीकार करें ।

श्री उपाध्यक्ष---

जो आपको जवाब दिया है उसके आगे शिक्षा मंत्री क्या जवाब देंगे ।

श्री इन्द्रमणि---

जवाब दे देते तो हम क्यों फिर आपको देते । सरकार हमको जवाब तो दे । सरकार कुमायूं और गढ़वाल को लड़ा रही है, झगड़ा पैदा कर रही है ।

उत्तर प्रदेश हाई स्कूल तथा इन्टरमीडिएट कालेज (अध्यापकों तथा अन्य कर्मचारियों का वेतन का भुगतान) विधेयक, १९७१ में विधान परिषद् द्वारा किये गये संशोधन

शिक्षा मंत्री (डाक्टर रामजीलाल सहायक)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि विधान सभा द्वारा पारित उत्तर प्रदेश हाई स्कूल तथा इंटरमीडिएट कालेज (अध्यापकों तथा अन्य कर्मचारियों के वेतन का भुगतान) विधेयक, १९७१ में विधान परिषद् द्वारा किये गये संशोधनों पर विचार किया जाय ।

श्री रूपनाथ सिंह यादव (जिला इलाहाबाद)--

श्रीमन्, नियम १५० का (२) देख लें....

डाक्टर रामजी लाल सहायक--

मान्यवर, यह विधेयक....

श्री रूपनाथ सिंह यादव--

श्रीमन्, जब तक दो दिन यह पटल पर न रहे तब तक कैसे हो सकता है । सूचना दी नहीं है ।

श्री उपाध्यक्ष--

मेरे समक्ष इसमें एक संशोधन भी है, तो मैं कैसे समझूं कि सूचना नहीं है ।

श्री रूपनाथ सिंह यादव--

श्रीमन्, इसमें स्पष्ट लिखा है कि दो दिन की सूचना के पश्चात् या अध्यक्ष की सम्मति से बिना सूचना पर भी प्रस्ताव कर सकेंगे कि परिषद् द्वारा किये गये संशोधनों पर विचार किया जाय । तो दो दिन का समय तो मिलना चाहिये । ऐसे महत्वपूर्ण विधेयक पर हमें सूचना भी नहीं मिली ।

श्री उपाध्यक्ष--

नियम १५० यह है

"परिषद् से विधेयक पर प्रत्यावर्तन--(१) जब धन विधेयक के अतिरिक्त कोई विधेयक, जो सभा में आरम्भ हुआ हो, परिषद द्वारा अस्वीकृत हो जाय या उस तिथि से जब विधेयक परिषद के समक्ष रखा गया था परिषद द्वारा बिना उसके पारित हुए तीन मास से अधिक व्यतीत हो जायं, तो सचिव उपयुक्त तथ्यों की सूचना सदन को देंगे और तब सभा पूर्वगामी नियमों में विधेयक के तृतीय पठन के लिये विहित प्रक्रिया के अनुसार विधेयक को पुनः पारित करने के लिये कार्यवाही करेगी ।

(२) यदि विधेयक परिषद द्वारा संशोधन सहित पारित किया जाय तो संशोधनों सहित विधेयक यथाशीघ्र पटल पर रक्खा जायगा और संशोधनों सहित विधेयक की प्रतिलिपियां सदस्यों को वितरित किये जाने के उपरान्त सरकारी विधेयक की अवस्था में कोई मंत्री अथवा किसी और अवस्था में कोई सदस्य दो दिन की सूचना के पश्चात् या अध्यक्ष की सम्मति से बिना सूचना पर भी प्रस्ताव कर सकेंगे कि परिषद द्वारा किये गये संशोधनों पर विचार किया जाय ।"

तो जब अध्यक्ष ने यह अनुमति दे दी कि यह रखा जाय तब आपका प्रश्न कैसे उठता है ।

श्री रूपनाथ सिंह यादव--

अभी रखा नहीं गया, आपने अनुमति नहीं दी । दो दिन का समय तो हमें मिलना ही चाहिये ।

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय जायसवाल जी, आप समझा दीजिये।

श्री दीपनारायण मणि त्रिपाठी (जिला देवरिया)---

मान्यवर, वैधानिक आपति है, आप नियम १३२ देखें (व्यवधान) नियम १५० के मुताबिक दो दिन का समय चाहिये, लेकिन अगर अध्यक्ष ने अनुज्ञा दे दी है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है ।

श्री उपाध्यक्ष---

कौंसिल से लौटे हुये जो विधेयक हैं उनके संबंध में जो उपयुक्त नियम है उसको पढ़िये । यह १५०(२) है । अभी माननीय शिक्षा मंत्री जी ने इसको रखा है, वह विधिवत् रखा है क्योंकि माननीय अध्यक्ष ने कह दिया और कार्यसूची में वह छपा भी है ।

श्री किशन लाल (जिला पीलीभीत)---

श्रीमन्, २८ जून को मैंने लिखकर दिया है लेकिन अब तक उसमें कुछ नहीं किया। शिक्षा मंत्री जी यहां बैठे हैं (व्यवधान) । श्रीमन्, ढाई हजार के करीब लड़कों की संख्या है (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष--

मैं सुन नहीं रहा हूं । आप की बात सुनाई नहीं पड़ रही जो आप कह रहे हैं ।

श्री किशन लाल--

मैं पीलीभीत इंटर कालेज के विषय में कह रहा हूं । वहां पर लड़कों की संख्या ज्यादा है और दाखिले नहीं हो रहे हैं ।

श्री उपाध्यक्ष--

अभी विधेयक नहीं चल रहा है । आप कृपया आसन ग्रहण करें ।

जो विधेयक अभी रखा गया है उस पर माननीय सदस्यों ने यह एतराज किया है कि यह नहीं आ सकता है । नियम १५०(२) के बारे में जो व्यवस्था का प्रश्न है वहीं तक अपने को सीमित रखिये ।

श्री रूपनाथ सिंह यादव--

उपाध्यक्ष महोदय.....

श्री उपाध्यक्ष--

क्यों आप बार बार खड़े होते हैं । मुझे संतुष्ट होना चाहिये । आपने कोई प्रमाण नहीं दिया, सिर्फ हल्ला मचाते हैं ।

[श्री उपाध्यक्ष]

अगर यह अध्यक्ष की बिना सूचना के आये तब हम मान लें । स्थिति यह है कि दो दिन की सूचना के पश्चात् या अध्यक्ष की सम्मति से बिना सूचना पर भी प्रस्ताव कर सकेंगे । अध्यक्ष की अनुमति से आज यह प्रस्तुत किया गया है । तो क्या आप उनके अधिकार को चुनौती दे रहे हैं ? आप यह नहीं कह सकते हैं । क्या अध्यक्ष सक्षम नहीं हैं ? सभी पक्षों को सुनने के बाद और सभी दृष्टिकोणों से अवगत होते हुए मैं समझता हूं कि नियम अपनी जगह बहुत साफ है, और असंदिग्ध है । आप तब कह सकते थे जबकि अध्यक्ष की अनुमति न ली होती, लेकिन अब अध्यक्ष ने अनुमति दे दी, वह कार्यसूची में रख दिया गया और शिक्षा मंत्री ने मूव कर दिया तब आप यह प्रश्न कैसे उठाते हैं ?

डाक्टर रामजीलाल सहायक--

मान्यवर, मैं निवेदन कर रहा था कि अध्यापकों के वेतन संबंधी इस विधेयक में जो संशोधन वहां पर दिये गये हैं और क्योंकि अब यह अध्यापकों के लिये और अधिक उपयोगी हो गया है, तो इसलिये मेरा माननीय सदस्यों से यह निवेदन है कि वे कृपया इसे शीघ्र ही स्वीकार करने की कृपा करें । इसमें पहला संशोधन संस्था की परिभाषा में किया गया और अब वह उपयुक्त हो गया है । दूसरा संशोधन खंड ३ में है और उसमें यह है कि अध्यापकों का वेतन उस माह के, जिसके या जिसके किसी भाग के संबंध में वह देय हो, आगामी माह के बीसवें दिन, अथवा उससे पूर्व के ऐसे दिन जो राज्य सरकार तदर्थ सामान्य या विशेष आदेश द्वारा निश्चित करें, की समाप्ति के पूर्व उसे दिया जायगा । अगर किसी संस्था की हालत अच्छी हो जाती है तो वह अध्यापकों का वेतन बजाये २० तारीख तक देने के पहली तारीख को, दूसरी को, तीसरी को, चौथी को या पांचवीं को भी दे सकेगी। इस तरह अध्यापकों के साथ और ज्यादा सुविधा हो गयी है ।

खण्ड ४ धारा २ में भी संशोधन किया गया है । जब हाई स्कूल व इन्टरमीडिएट बोर्ड अधिनियम में जो शर्तें दी गई हैं उनका अनुपालन करते हुए कार्यवाही होगी ।

चौथा संशोधन धारा ५ में है । प्रतिबन्ध में यह था कि कुछ संस्थाओं को मुक्तता दी जा सकती है जिनके यहां वेतन वितरण पहली तारीख को होता है या जिनके यहां वेतन वितरण ठीक तरह से होता रहा है । तो इस प्राविधान से यह लाभ होगा कि जो संस्थाएं अच्छा काम कर रही हैं उन्हें प्रोत्साहन मिलेगा और वे अच्छा काम करेंगी ।

इसमें नियम बनाने का भी प्राविधान कर दिया गया । जब नियम बन जायेंगे तो उन संस्थाओं की कार्यवाही देखने का भी मौका मिलेगा ।

दूसरा प्रतिबन्ध है कि उपधारा (२) के प्रतिबन्धात्मक खण्ड में अभिदिष्ट दशा में अथवा जब वेतन के वितरण में प्रबन्धाधिकरण की किसी चूक के कारण कठिनाई उत्पन्न हो । यह प्राविधान इसलिये किया गया है ताकि मैनेजमेन्ट कोई गड़बड़ी न कर सकें और वेतन समय पर दिया जाता रहे ।

मान्यवर, ५ (२) में एक शंका उठाई गई थी कि पंखा शुल्क, विज्ञान शुल्क और रोशनाई शुल्क ऐसे हैं जो कि ८० प्रतिशत में रख दिये गये हैं तो उनको छोड़ दिया जाय । तो नियम बनाने की बात आई और इसमें अधिनियम में लिखा हुआ है कि राज्य सरकार जब नियम बनायेगी तो इन फीसों को इससे छोड़ देने की व्यवस्था करेगी । इसी की उप धारा (३) में मान्यवर यह व्यवस्था की गई है कि जो ८० प्रतिशत लिया जायगा उसके लिये भी सरकार आदेश देगी और सरकार निर्णय करेगी, विद्यालय निरीक्षक नहीं करेगा । ३१ मार्च, १९७१ के पश्चात् की किसी अवधि के सम्बन्ध में देय हो, इसमें संशोधन कर दिया गया है । मान्यवर, यह बात कई बार आई कि ८० प्रतिशत फीस ले लेंगे तो जो विद्यालय के विकास की बात है वह रुक जायेगी ।

तो यह प्राविधान कर दिया गया है कि प्रत्येक जुलाई के अन्त में खाते में अवशेष धनराशि का ऐसा अंश जो संस्था के अध्यापकों तथा कर्मचारियों को उस अवधि तक, जिसके लिये छात्रों से शुल्क वसूल किया जा चुका हो, के वेतन के भुगतान के दायित्व को पूरा करने के बाद उनके एक महीने के वेतन के योग से अतिरिक्त हो, प्रबन्धाधिकरण को संस्था पर व्यय के लिये दे दिया जायेगा। तो इस प्रकार हमारा अनुदान और छात्र फीस शामिल खाते में एक महीने का वेतन देने के बाद बचेगी वह संस्था को वापस कर देंगे जिससे संस्था का विकास कार्य हो सके।

मान्यवर, एक धारा ९ में संशोधन हुआ है और इसका प्राविधान है कि किस प्रकार मान्यता जो मान्यता समिति द्वारा दी जायेगी उसका यहां अनुमोदन राज्य सरकार करेगी। इसमें यह संशोधन कर दिया गया है कि जो संस्था पहले से अनुदान सूची में है और मान्यता प्राप्त है तो किसी एक विषय पर मान्यता मांगेगी तो ऐसी मान्यता मान्यता समिति दे दे लेकिन जो नई संस्था है और अनुदान सूची में नहीं है उसका अनुमोदन यहां से होगा। मान्यवर, बाकी में नियम बनाने का अधिकार दिया गया है और ज्यों का त्यों है और यह सामान्य रूप से संशोधित हुआ है। मेरा निवेदन है कि इन्हें स्वीकार किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष---

श्री त्रिपाठी जी आपने जो संशोधन दिया है उस पर बोलिये।

श्री दीपनारायण मणि त्रिपाठी--

नियमावली के नियम १३२ की उप धारा २ में है..

श्री उपाध्यक्ष--

१४९ से आरंभ होता है और आप १३२ पर चले गये हैं।

श्री दीपनारायण मणि त्रिपाठी---

साधारण नियमों में लिखा है। १३२ में सारे विधेयकों के बारे में है। इसमें लिखा है।

श्री उपाध्यक्ष---

अपना पक्ष आप कह दें।

श्री दीपनारायण मणि त्रिपाठी---

संयुक्त प्रवर समिति में लौटने पर उसके बारे में क्या प्रक्रिया होगी यह बतला दें या आपके आदेश होंगे तो पालन करेंगे। मेरी मुश्किल है कि यह संयुक्त प्रवर समिति की बात इस धारा (दो) पर लागू है।

श्री उपाध्यक्ष---

जो विधान सभा में इन्ट्रोड्यूस हो जाय उसके बारे में जो आप कह रहे हैं वह सही कह रहे हैं लेकिन जो यहां से विधेयक चला जाय और उस पर विधान परिषद् में संशोधन हो और उसके बाद प्रत्यावर्तित हो उसके बारे में १५१ ही है और उसको आप पढ़िए। मैं आपके समक्ष रखता हूं। यदि वह प्रस्ताव कि परिषद् द्वारा किये गये संशोधनों पर विचार किया जाय, स्वीकृत हो जाय, तो अध्यक्ष संशोधनों को इस प्रकार सदन के समक्ष विचारार्थ रखेंगे कि जिससे वे सुविधाजनक समझें। इस प्रक्रम पर केवल ऐसे संशोधन प्रस्तुत किये जा सकेंगे जो परिषद् द्वारा किये गये संशोधनों के विषय से सुसंगत हों अथवा उनके आनुषंगिक या वैकल्पिक हों।

आपका जो संशोधन है वह यह है कि विधेयक समिति को पुनः सौंपा जाय जो प्रत्यावेदन में निर्दिष्ट विषयों पर विचार करे।

श्री दीपनारायण मणि त्रिपाठी--

मान्यवर, १३२(२) को देखें। इसमें है कि यदि विधेयक भार साधक सदस्य यह प्रस्ताव करें कि यथास्थिति सदन की प्रवर समिति द्वारा अथवा सदनों का संयुक्त प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विधेयक पर विचार किया जाये तो कोई सदस्य संशोधन के रूप में यह प्रस्ताव कर सकेंगे कि विधेयक समिति को पुनः सौंपा जाय या उस पर राय या अतिरिक्त राय जानने के प्रयोजन के लिये परिचालित या पुनः परिचालित किया जाय। इसीलिये मैंने यह दिया कि इन्हीं संशोधनों पर बोलूंगा। मेरी मंशा कुछ सुझाव देने की है। यह बहुत उपयोगी विधेयक है और हम भी चाहते हैं कि यह जल्दी पारित हो जाय। हम इसमें बाधक नहीं बनना चाहते।

श्री उपाध्यक्ष--

१३२ से हम १४८ तक चले गये। अब १४०, १५०, १५१ हैं। आप जो कह रहे हैं यह विधान परिषद् से प्रत्यावर्तित विधेयक पर लागू नहीं होता। अब आप १५१(२) पर आयें। उसमें है कि इस प्रक्रम पर केवल ऐसे संशोधन प्रस्तुत किये जा सकेंगे जो परिषद् द्वारा किये गये संशोधनों के विषय में सुसंगत हों अथवा उनके आनुषंगिक या वैकल्पिक हों।

श्री दीपनारायण मणि त्रिपाठी--

अगर आप ऐसा समझते हैं तो मैं वापस लिये लेता हूं। श्रीमन्, मुझे दो एक मिनट बोल लेने दें। शिक्षा मंत्री जी ने जो विधान परिषद् द्वारा किये गये संशोधन रखे हैं उन्हीं पर दो एक बात कहनी है और सुझाव देने है। इसमें आप देखें ५ की उप धारा ३ है जिसमें इन्होंने नियम बनाने का अधिकार लिया है और धारा १५ में भी नियम बनाने का अधिकार रखा है।

श्री उपाध्यक्ष--

५(३) से आप १५ पर चले गये।

श्री दीपनारायण मणि त्रिपाठी--

मान्यवर, मैं छोटा कर रहा हूं। अगर आप कहें तो एक एक धारा पर बात करूं। मान्यवर, शिक्षा मंत्री जी आश्वासन दे दें कि २० तारीख तक या उससे पहले भी शासन आदेश दे तो वेतन दे दें। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि हर कर्मचारी को तनख्वाह पहली तारीख को मिलती है। अगर आप भी ऐसी व्यवस्था कर दें तो कृपा होगी। जितने भी संशोधन हैं वे बड़े उपयोगी है। मंत्री जी ने वहां उन संशोधनों को मान लिया वे बधाई के पात्र हैं।

डाक्टर रामजीलाल सहायक--

हमने कई धाराओं में नियम बनाने का अधिकार लिया है और वह इसलिये लिया है कि अगर कहीं कोई कठिनाई आये तो उसको दूर कर सकें। पहले बीस दिन का था। अब यह कर दिया है कि पहले भी दे सकते हैं। यह तो लिखा हुआ है। इसमें आश्वासन की आवश्यकता नहीं है। यह हो चुका है। मान्यवर, हमारी कठिनाई यह है कि २२ तारीख को अध्यादेश समाप्त हो रहा है। अगर इसको शीघ्र पारित कर दें तो हम किसी को भेजेंगे क्योंकि राष्ट्रपति की अनुमति भी लेनी है।

*श्री त्रिवेणी सहाय (जिला गोंडा)—

यह जो संशोधन यहां पेश किया गया है, इस संबंध में दो एक बातें मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं। इसमें कुछ तो शाब्दिक संशोधन हैं, कुछ अन्य प्रकार के हैं जब कोई विधेयक आता है तो उसके दो पहलू होते हैं और उसका एक सबसे महत्वपूर्ण पहलू वैधानिक पहलू होता है। इन संशोधनों को रखते हुये माननीय मंत्री जी ने कह दिया कि हमने बहुत महत्वपूर्ण संशोधन किये हैं, बड़ा तीर मारा है। मैं उससे सहमत नहीं हूं। उनके भुगतान के लिये सब प्रकार की सुविधायें दी जायें, मैं इससे तो सहमत हूं मगर इसका मतलब यह नहीं है कि नेचुरल जस्टिस को ताक में उठाकर रख दिया जाय। धारा ४ में जो प्रविजन आपने किया है उसमें संशोधन होना चाहिये। जो ऐक्ट है उसकी धारा ३१ को भी आप देखने की कृपा करें।

उसमें है—

> "Punishment of an employee that would require the prior approval of the Inspector or regional Inspectress may take under the following forms :
>
> (*a*) dismissal, (*b*) removal or discharge, (*c*) reduction in rank, (*d*) diminution in emoluments."

इसके रहते हुये आपने इसमें जो प्रविजन किया है उसमें संशोधन होना चाहिये। जो अपील का या रिवीजन का अधिकार था, कोर्ट में जाने का जो अधिकार था उस पर आपने भी प्रतिबन्ध लगा दिया है। यह कैसे होगा ? जो शाब्दिक संशोधन है उन पर मुझे आपत्ति नहीं है, लेकिन जो अन्य संशोधन हैं उन पर आप विचार कीजिये। फिर इस ऐक्ट में प्राधिकृत नियन्त्रक कहा गया है। इसमें कहीं भी प्राधिकृत नियन्त्रक की परिभाषा आपने नहीं दी है कि वह कौन होगा। उसकी परिभाषा अवश्य होनी चाहिये। क्लाज २ में उसकी परिभाषा दी जानी चाहिये।

अब क्लाज ३ में आपने संशोधन किया है "अथवा उससे पूर्व के ऐसे दिन जो राज्य सरकार तदर्थ सामन्य या विशेष आदेश द्वारा निश्चित करे"। इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी, लेकिन संशोधन के लिये आपने कर दिया।

धारा ४ में आपने छटनी का प्राविधान कर दिया, जबकि ऐक्ट की धारा ३१ में जो अभी मैंने पढ़ी उसमें छटनी का कोई प्राविधान है ही नहीं। तो इसे यहां क्यों घुसेड़ दिया लाकर ? आप कैसे छटनी कर सकते हैं ? ऐक्ट में कहीं भी उसका प्राविधान नहीं है। मैंने संशोधन दिया था कि इसे निकाल दिया जाय, इससे तानाशाही बढ़ेगी, मगर उसे नहीं माना गया। इसमें कुछ संशोधन तो अच्छे किये गये हैं, किन्तु संशोधन ऐसे हैं जिन्हें नहीं मानना चाहिये। इस विधेयक में कुछ मूलभूत संशोधन होने चाहिये थे। दंड की प्रक्रिया है, सुनवाई का अधिकार है कोर्ट आफ ला में जाने का अधिकार है, अपील का अधिकार है, इस सब के लिये इसमें प्राविधान होना चाहिये था। यह ऐसी बातें हैं जिन पर अभी विचार ही नहीं किया गया है। इसलिये मैं यह प्रस्ताव करूंगा कि इसको पुनः विचार के लिये प्रवर समिति में भेज दिया जाय।

श्री हरिनाथ तिवारी (जिला फैजाबाद)—

मान्यवर, अभी दीपनारायण मणि के जो संशोधन आपने रूल आउट कर दिये कि वह नहीं हो सकते, मैं उनके बारे में निवेदन करना चाहता हूं . . .

श्री उपाध्यक्ष—

अब वह समाप्त हो गया।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री हरिनाथ तिवारी--

मैं कहता हूं कि संशोधन हो सकता है और वे ठीक थे. . . .

श्री उपाध्यक्ष--

मैंने यह नहीं कहा कि वे नहीं हो सकते। उसको रूल आउट हमने सेलेक्ट कमेटी के सन्दर्भ में किया है।

श्री हरिनाथ तिवारी--

श्रीमन्, आप नियम १५६ देखें, उसमें है। आप १५५ का दूसरा क्लाज देखें "यदि सदन परिषद् द्वारा की गयी सिफारिशों को स्वीकार कर ले, तो विधेयक परिषद् द्वारा की गयी ऐसी सिफारिशों सहित जो सदन द्वारा स्वीकृत हैं दोनों सदनों द्वारा पारित किया गया समझा जायेगा।"

श्री उपाध्यक्ष--

आप बैठें, यह धन विधेयक के बारे में है, यह उसके प्रकरण में है, यहां लागू नहीं होता। आप बैठें।

डाक्टर रामजीलाल सहायक--

मैंने पहले निवेदन किया कि ये संशोधन पहले हुए हैं और अब हम नियम बन एंगे, तो जो कमी रह जायगी, वह उसमें दूर हो जायगी। कानून बना करते हैं, उसमें की कमियां दूर हो जाया करती हैं।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि विधान सभा द्वारा पारित उत्तर प्रदेश हाई स्कूल तथा इण्टरमीडिएट कालेज (अध्यापकों तथा अन्य कर्मचारियों के वेतन का भुगतान) विधेयक, १९७१ में विधान परिषद् द्वारा किये गये संशोधनों पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

डाक्टर रामजीलाल सहायक--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि विधान सभा द्वारा पारित उत्तर प्रदेश हाई स्कूल तथा इन्टरमीडिएट कालेज (अध्यापकों तथा अन्य कर्मचारियों के वेतन का भुगतान) विधेयक, १९७१ में विधान परिषद् द्वारा किये गये संशोधनों से यह सदन सहमत है।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि विधान सभा द्वारा पारित उत्तर प्रदेश हाई स्कूल तथा इन्टरमीडिएट कालेज (अध्यापकों तथा अन्य कर्मचारियों के वेतन का भुगतान) विधेयक, १९७१ में विधान परिषद् द्वारा किये गये संशोधनों से यह सदन सहमत है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

ग्राम शोरम, जिला मुजफ्फरनगर के हरिजनों की झोपड़ियों में आग लगाये जाने के विषय में नियम ५२ के अन्तर्गत दी गई सूचना पर चर्चा

श्री वीरेन्द्र वर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय ३० जुलाई को लोकसभा में इस प्रश्न को दो लोक सभा के माननीय सदस्यों ने, श्री विजयपाल सिंह व श्री बी०पी० मौर्य ने एक कामरोको प्रस्ताव के द्वारा उठाया था और उन्होंने वहां पर यह बताया था कि मुजफ्फरनगर जिले के हरिजनों के एक गांव में बी० के० डी० के कुछ नेताओं के इशारे पर जाटों द्वारा आग लगा दी गई है। मैंने मालूम किया कि कौन गांव था, बी० के० डी० के कौन से नेता थे और किनको क्या हुआ था? जाटों और हरिजनों का क्या मामला था? तो, मान्यवर, इसके ऊपर इस महीने की १० तारीख को माननीय मंत्री जी ने एक वक्तव्य कृपा करके दिया था और उसी विषय पर कृपा करके आपने आज एक घंटे की चर्चा के लिये समय प्रदान किया है। असलियत यह है कि शोरम गांव जिसकी चर्चा है कि सारा गांव जला दिया गया है, उसकी आबादी साढ़े ११ हजार की है और उसमें कन्या जूनियर हाई स्कूल के लिये एक जमीन जो २५-२-७० को सर्व सम्मति भूमि प्रबन्धक समिति ने तय की थी--

(इस समय ५ बजकर ४६ मिनट पर अधिष्ठाता, श्री जे० एन० सिनहा पीठासीन हुये)

और जिसको जिला परिषद् के भूतपूर्व कांग्रेस के चेयरमैन ने सेलेक्ट किया था और ए० डी० एम० प्लानिंग, की संस्तुति पर हाकिम परगना साहब ने दाखिल खारिज के आर्डर्स किये थे, दाखिल खारिज के आर्डर्स को भी आठ महीने हो चुके हैं। लेकिन इस प्रकार का अनर्गल प्रचार, झूठा और मिथ्या, जिस प्रकार से दो जिम्मेदार आदमियों ने पार्लियामेंट में किया, दिल्ली, लखनऊ, मेरठ, मुफ्फरनगर के अखबारों में भी छपा वह दुख का विषय है। माननीय मंत्री जी के उत्तर से यह साबित हुआ कि इसमें किसी पोलिटिकल पार्टी का कोई हाथ नहीं था और जब यह प्रश्न हम लोगों ने पूछा कि क्या नयी कांग्रेस की जिला कांग्रेस कमेटी के सेक्रेटरी, श्री धर्मपाल सिंह जी, का भी उसमें नाम लिया गया है तो उस पर माननीय मंत्री जी मौन रहे।

मान्यवर, आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री तक यह पहुंचाना चाहूंगा कि बी० के० डी० के लीडर या किसी वर्कर का उसमें कोई नाम नहीं, कोई हाथ नहीं लेकिन जिला कांग्रेस कमेटी के सेक्रटरी का नाम जरूर लिया गया है जिसने जमानत करायी है। जिला कांग्रेस कमेटी के सेक्रेटरी के पिता जी गांव के प्रधान हैं। उनको भी गिरफ्तार किया गया। उनके जो शस्त्र थे उनको भी निलम्बित किया गया। मुझे मालूम नहीं उनका क्या कुसूर था। मेरी जानकारी है कि जिला कांग्रेस कमेटी के सेक्रेटरी मौके पर मौजूद नहीं थे। मेरी जानकारी है कि गांव के प्रधान भी मौके पर मौजूद नहीं थे। मैं भी गांव में गया था, ७ तारीख को इसी महीने की। हां इतनी बात सही है कि गांव सभा के प्रधान, चूंकि वह कन्या जूनियर हाई स्कूल के लिये जमीन दे दी गयी थी, इसलिये उसकी पैरवी हाकिम परगना साहब के यहां कर रहे थे।

मान्यवर, आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री तक यह भी सूचना पहुंचाना चाहता हूं कि गवर्नमेंट की तरफ से भी उस कन्या जूनियर हाई स्कूल के लिये अनुदान मिल चुका है। जिला परिषद् ने भी उसे रुपया दिया और १६ हजार रुपये में उसका ठेका हो चुका है। कन्या जूनियर हाई स्कूल के दो कमरों की नींव भी भरी पड़ी है जिसे जिला परिषद् बनवा रहा है। दो कमरों का निर्माण गांव के लोगों को अपनी तरफ से करना था। गांव के आदमी जब भट्ठे से ईंट ला कर वहां डाल रहे थे तब उनके ऊपर गांव के कुछ हरिजनों ने जमीन पर जो कन्या पाठशाला को दी जा चुकी थी नाजायज कब्जा करना चाहा और झगड़े पर आमादा हुये।

[श्री वीरेन्द्र वर्मा]

मान्यवर, आपके माध्यम से सरकार तक यह भी पहुंचाना मुनासिब ही होगा कि जब वह झगड़े पर आमादा हुये तो इस केस में एस०डी०एम० कोर्ट ने स्टे भी दिया कि कोई कार्यवाही न की जाय और एक वकील कमिश्नर को वहां पर भेजा। वकील कमिश्नर ने १६-७-७१ को स्पष्ट रिपोर्ट दी कि वहां चार और पांच सिर्फ झोपड़ियां डाली हुई हैं जिसमें किसी आदमी के रहने का कोई निशान या कोई चिन्ह नहीं मिलता। २४ तारीख में एस० डी० एम० साहब ने यह आदेश दिया कि कोई अलाटमेंट नहीं किया गया है, बल्कि एक विशिष्ट परपज के लिये उस जमीन को ग्राम सभा की प्रबन्ध समिति ने सर्वसम्मति से गांव की भलाई के लिये कन्या जूनियर हाई स्कूल को दिया और २४ जुलाई को अपने आदेश से स्टे आर्डर भी खारिज कर दिया। २५ जुलाई को गांव के प्रधान डिप्टी साहब के पास पहुंचे कि ४-५ झोपड़ियां वहीं पड़ी हुई हैं जिन्हें कुछ लोगों ने नाजायज तरीके से कन्या जूनियर हाई स्कूल के स्थान पर डाल रखी हैं, उस पर कोई झगड़ा न होने पावे इसलिये उनको हटवा दिया जाय। डिप्टी साहब ने उनको हटवाने के लिये आदेश पुलिस को भेज दिया। दीवान व पुलिस के सिपाही भी मौके पर पहुंचे। फिर भी वहां कुछ आदमियों ने जबरदस्ती की, गाली गुप्तार की और लड़ने मरने के लिये तैयार हो गये। जब गांव के आदमी दो कमरों के बनवाने के लिये वहां ईंटें ला रहे थे, उनके साथ भी उनका झगड़ा हुआ।

पिछली दफा माननीय मंत्री जी ने जो उत्तर दिया था उसमें यह कहा था कि अमुक बिरादरी के साथ हरिजनों का कुछ झगड़ा था। लेकिन मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी तक यह बात पहुंचाना चाहता हूं कि दूसरी पार्टी जो कन्या जूनियर हाई स्कूल के भवन निर्माण में दिलचस्पी रखती है उसमें गांव के हर बिरादरी के आदमी हैं। उसमें ब्राह्मण हैं, वैश्य हैं, जाट हैं, हिन्दू हैं, मुसलमान हैं, हरिजन हैं और उसके खिलाफ जो पार्टी है उसमें भी, जाट व हरिजन आदि बिरादरी के लोग हैं। इसलिये इस प्रकार का मिथ्या प्रचार ऐसे जिम्मेदार आदमियों की तरफ से हो कि वह जाटों और हरिजनों का झगड़ा था तो यह प्रजातंत्र के लिये और जो प्रतिनिधित्व वे करते हैं, उस प्रतिनिधित्व के लिए भी लज्जा की बात है। श्रीमन्, ३० जुलाई को जब यह प्रश्न पार्लियामेंट में आया तो भारत सरकार की तरफ से १-८-७१ को हरिजन वेलफेयर कमिश्नर को वहां भेजा गया। जब वह मौके पर पहुंचा, तो घर-घर में घूम कर उसने देखा कि किसी घर में एक नये पैसे का भी नुकसान नहीं है और न कहीं आग लगने के ही कोई निशान हैं। उसने अपनी रिपोर्ट भी दे दी।

जहां तक चालान की बात है, एक पार्टी की तरफ से ३८ आदमियों का चालान हुआ जिसमें हरिजन, जाट वगैरह शामिल थे और दूसरी तरफ से ४६ आदमियों का चालान हुआ जिसमें मुसलमान व जाट बिरादरी के लोग शामिल थे। लेकिन मुझे इस बात का अफसोस जरूर है कि पिछली दफा जो रिपोर्ट यहां पहुंची उसमें बतलाया गया है कि एक पार्टी के २० आदमियों को चोटें आयीं। मैंने खुद अपनी आंखों से जाकर देखा कि दोनों पार्टी के लोगों को चोटें आई थीं और दोनों पार्टी के लोगों का चालन हुआ। हां पुलिस की ओर से इतनी रियायत जरूर है कि एक पार्टी की जमानत कप्तान साहब ने थाने में ही करा दी और दूसरी पार्टी की जमानत ए० डी० एम० साहब के यहां हुई। मुझे नहीं मालूम है कि नई सरकार के जमाने में गलत सही जो भी रिपोर्ट लिखाई जाती है क्या बिना तफतीश किये उस पर कार्यवाही कर दी जाती है? हमारे जिला मुजफ्फरनगर के पुलिस अधीक्षक का रवैया बहुत ही पक्षपातपूर्ण रहा है और उनकी इसमें बड़ी कमजोरी साबित हुई है। इस पुलिस अधीक्षक का यही कमजोर और पक्षपात पूर्ण व्यवहार थाना शिझाना के राझड़ गांव में भी रहा जो मुझे वहां जाने से मालूम हुआ था। इस तरह जिला पुलिस अधीक्षक की कमजोर एवं पक्षपातपूर्ण नीति के आधार पर तो सारे जिले में अशान्ति और झगड़े ही पैदा हो जायेंगे। दूसरी तरफ से डा० प्रेम सुख शर्मा और श्री विजयपाल सिंह भी जाटों और चमारों को लड़ा कर अपना राजनैतिक उल्लू सीधा करना चाहते हैं। इस नीयत से काम करने का जिनका उद्देश्य हो फिर शान्ति की क्या आशा की जा सकती है। महात्मा जी ने तो

प्रेम का रास्ता बतलाया, सच्चाई का रास्ता बतलाया कि आपस में लड़ो मत, मिल कर रहो लेकिन डाक्टर प्रेम सुख शर्मा जी लोगों को आपस में लड़ाना ही पसन्द करते हैं ।

मान्यवर, वहां एकतरफा कार्यवाही की जा रही है । मुझे यह भी नहीं मालूम कि किस बिना पर गांव प्रधान जी के हथियार रखवा लिये गये । क्या दोष उनका यही था कि गांव समाज के जमीन, जिस पर कन्या जूनियर हाई स्कूल बनने वाला था उसकी हिफाजत वह कर रहे थे । ये प्रश्न ऐसे हैं जिनको मैं आपके माध्यम से सरकार तक पहुंचाना चाहता हूं और मुझे उम्मीद है कि निष्पक्षता के साथ प्रदेश में अच्छा प्रशासन देने की दृष्टि से और शान्तिमय वातावरण प्रदेश में बना रहे, प्रेमपूर्वक लोग रह सकें इस प्रकार की कोशिश सरकार की तरफ से होनी चाहिये न कि उसमें आग लगाने की । आग लगती है समाज में तो इस आग लगने से न किसान का फायदा होने वाला है, न मजदूर का फायदा होने वाला है और न प्रदेश का फायदा होने वाला है । मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि इस बात का वह उत्तर देंगे । जिस तरह का अनर्गल और बेबुनियाद प्रोपेगंडा कम्युनिस्ट व कांग्रेस के एम० पीज० की तरफ से किया गया है उसका प्रतिवाद सरकार की तरफ से किया जाय और असली तथ्यों को जनता के सामने लाया जाय ।

(श्री रामकृष्ण द्विवेदी का नाम पुकारे जाने पर)

श्री मनफूल सिंह (जिला मुजफ्फरनगर)--

मुझे भी कुछ निवेदन करना है ।

श्री अधिष्ठाता--

नियम के अनसार आपको उनके बाद वक्त दिया जायगा ।

श्री मनफूल सिंह--

इसके पहले कि मुख्य मंत्री जी स्टेटमेंट दें मैं सच्चाई बतलाना चाहता हूं ।

श्री अधिष्ठाता--

पहले मुख्य मंत्री जी अपनी बात कह ले । उसके बाद आप सबको समय मिलेगा । फिर उनको समय दिया जायगा और बाद में वर्मा जी अपनी बात फिर कहेंगे ।

गृह उप मंत्री (श्री रामकृष्ण द्विवेदी)--

अधिष्ठाता महोदय, अभी अभी माननीय वर्मा जी ने शोरम गांव की ओर सदन का ध्यान आकृष्ट किया और लोक सभा में हुई चर्चा के विषय में भी माननीय सदस्यों का ध्यान आकर्षित किया । मान्यवर, इस विषय में जैसा पूर्व वक्तव्य में सदन का ध्यान आकर्षित करते हुये निवेदन किया था २५-३-७० को यह भूमि वहां की भूमि प्रबन्धक समिति के माध्यम से कन्या विद्यालय के लिये दी थी । कुछ दिनों केपश्चात् भूमि हथियाओं आन्दोलन के सिलसिले में कुछ हरिजनों ने अनधिकृत रूप से उक्त स्थान पर कब्जा कर लिया था । जब प्रशासन ने देखा कि अनधिकृत कब्जे के कारण शान्ति भंग की आशंका है तो, मान्यवर, आप जानते हैं कि प्रशासन की उंगलियां प्रत्येक दिशा को छूती है । प्रशासन ने दलगत राजनीति से अलग हो कर, ऊंच नीच और जाति बिरादरी की भावना से प्रेरित न हो कर व्यापक शान्ति व्यवस्था के हित म यह आवश्यक तथा उचित समझा कि वह १०७/११७ की कार्यवाही करे और वह कार्यवाही की गयी और जब कुछ दिनों के बाद स्थिति सामान्य हुई और अशान्ति तथा उपद्रव की कोई आशंका नहीं रही और यह देखा गया कि किसी प्रकार के संघर्ष तथा विघटन की आशा नहीं है तो १०७/११७ की कार्यवाही समाप्त की गयी । उस भूमि के सम्बन्ध में हरिजनों ने एक आवेदन पत्र दिया.....

श्री मनफूल सिंह--

१०७/११७ की कायवाही कब की गयी थी ?

श्री अधिष्ठाता--

यह स्पष्टीकरण बाद में मांगियेगा ।

श्री रामकृष्ण द्विवेदी--

२३-११-७० को समाप्त की गयी थी । और उससे पहले वह की गयी थी । हरिजनों ने उस सम्बन्ध में आपत्ति की थी और उन्होंने चाहा कि वह भूमि उनको दे दी जाय । एम० डी० एम० के इजलास में यह मामला दायर किया गया । एम० डी० एम० ने काफी गंभीरता से इस पर विचार विमर्श किया । और इसके पूर्व एक वकील कमिश्नर भी वहां भेजे गये । मैं माननीय वीरेन्द्र वर्मा जी के इस वक्तव्य से सहमत हूं । प्रशसन ने अपने 10 तारीख वाले तथ्यों को कुछ भी तोड़ा-मरोड़ा नहीं है और न ही वह आज उन तथ्यों को तोड़ना मरोड़ना चाहता है । मैं यह मानकर चलता हूं कि जो भी तथ्य सदन के सामने आते हैं और जैसा कि मैंने प्रारम्भ में आग्रह किया कि प्रशासन की उगली अशांत और अव्यवस्थित पहलुओं की ओर जती है, किसी पार्टी--जनसंघ, क्रांति दल या कांग्रेस की ओर नहीं जाती है । मान्यवर, यही कारण है कि निष्पक्षता की दृष्टि से और पक्षपातपूर्ण दृष्टि से शून्य होकर जाने वाले कमिश्नर को यह दायित्व दिया जाता है कि वह वहां जाकर परिस्थिति को देखे । वह वहां जाता है और सर्वेक्षण करता है और सर्वेक्षण करने के बाद अपनी अपनी रिपोर्ट देता है जिस में उसने अंकित किया है कि वहां जो झोपड़ियां थीं वह केवल भग्नावशेष ही रह गई थी । मान्यवर इसमें कोई दो राय नहीं हैं कि वहां पर आबादी थी । रिपोर्ट सामने आती है....

श्री अधिष्ठाता--

मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वे संक्षेप में ही कहें क्योंकि हो सकता है कि कोरम के अभाव के कारण, जो माननीय सदस्य इस बहस में भाग लेना चाहते हों, न बोल पायें ।

श्री रामकृष्ण द्विवेदी--

मान्यवर, मेरा इस बात की ओर किंचित मात्र भी ध्यान नहीं था क्योंकि मैं सारे तथ्यों को सदन के सामने लाना चाहता हूं । तो एस० डी० एम० ने अत्यन्त निष्पक्षतापूर्ण सारे तथ्यों को देख कर उस प्रबन्धीकरण में स्वयं को यह सोचने और निश्चय करने के लिये विवश कर दिया और अन्ततः उस विद्यालय के पक्ष में निर्णय दिया । उसके बाद वहां के प्रधान ने पुनः अगले दिन एक प्रार्थना पत्र दिया जिस पर कि सुनवाई हुई । उस औचित्य को दृष्टि में रखते हुये, वकील कमिश्नर को दृष्टि रखते हुये और एक शेडयूल्ड कास्ट कमिश्नर जिसने कि निरीक्षण किया था उस मामले को देखा गया और यह कहा कि नाजायज कब्जा नहीं रहना चाहिये । मान्यवर, आदेश भी प्रसारित किये गये । इसी बीच में एक पक्ष की ओर से एडवोकेट तथा कुछ अन्य साथी आते है और वे कहते हैं कि पुलिस के लोग नाजायज तरीके से उनको उभाड़ने का उपक्रम कर रहे हैं । इसमें भी पक्षपात से शून्य होकर कि कहीं जाति विरादरी और दलगत राजनीति की भावना उसमें पैदा न हो जाय अन्यथा प्रशासन दूसरे हथकण्डे अपना सकता था किन्तु प्रशासन के सामने न्यायिक प्रश्न था, अतः प्रशासन ने उनकी प्रार्थना को भी स्वीकार कर आदेश दिया कि जो भी कार्यबाही की जाय वह शांति और व्यवस्था को दृष्टि में रखते हुये होनी चाहिये और ला के दायरे में होनी चाहिये । अन्ततः इस तरह से उस पर विचार किया गया । यह आरोप असत्य है कि वहां पर पुलिस के लोगों ने हरिजनों के साथ ज्यादती की । ये आठों आरोप बिलकुल असत्य हैं और निराधार है । इसमें किसी भी प्रकार से पक्षपातपूर्ण भावना से काम नहीं किया गया है । मैंने उस दिन भी अपने वक्तव्य में निवेदन किया था कि यह पार्टी का

मामला नहीं है। यह मैंने नहीं कहा कि किसी पार्टी के लोग नहीं है। इसमें दो रायें नहीं है जो संग्राम सिंह वहां के प्रधान हैं .... (व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता--

आप संक्षेप में बोलें....

श्री रामकृष्ण द्विवेदी--

यदि उनका सम्बन्ध बी० के० डी० से है तो उनके लड़के का सम्बन्ध कांग्रेस से है। यही कारण है कि हमने उस दिन पुरजोर शब्दों में कहा था कि यह दलगत राजनीति का प्रश्न नही है। मैं नहीं जानता कि इसे राजनीतिक प्रश्न बनाने की चेष्टा किसने की। किन्तु मैं माननीय वीरेन्द्र वर्मा जी से असहमति प्रकट करना चाहता हूं कि जो वे बार-बार पार्टी के नाम से उसमें जोर देना चाहते हैं यदि एक पक्ष के साथ एक व्यवहार किया गया तो प्रशासन से दूसरे पक्ष के प्रति भी वही व्यवहार किया गया। लेकिन प्रशासन इसे बरदाश्त नहीं कर सकता है कि एक ओर से इकट्ठे ४५ लोगों को लेकर कहीं किसी के ऊपर आक्रमण कर दिया जाय और प्रशासन हाथ पर हाथ रख कर बैठा देखता रहे। चाहे वह कोई भी व्यक्ति हों यदि वह शान्ति भंग करने की चेष्टा करते हैं और व्यवस्था में आग लगाना चाहते हैं तो प्रशासन स्वीकार नहीं करेगा जनहित की व्यापक दृष्टि से। यही कारण है कि प्रशासन को तथ्यों की छान-बीन के लिये जाना पड़ा, सुपरिंटेंडेंट पुलिस को घटनास्थल पर पहुंचना पड़ा और दोषी व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। दूसरे पक्ष के जो दोषी व्यक्ति थे उनके विरुद्ध भी आवश्यक और उचित कार्यवाही की गयी। घायल आदमियों का जहां तक प्रश्न है, वह लम्बा विस्तार का प्रश्न है। मैं केवल एक, दो मिनट में समाप्त करते हुये वर्मा जी से आग्रह करूंगा कि जिस प्रकार से विधान सभा के सदस्य हैं और वह एक प्रकार से निर्बन्ध रूप से कानून के दायरे में, प्रक्रिया नियमावली के प्रकाश और प्रवेश में अपने विचार प्रगट करते हैं उसी तरह से लोक सभा के व्यक्ति भी स्वतंत्र हैं कि अपने विचारों को लोक सभा के मंच पर व्यक्त कर सकें, इसलिये इससे हमारा न कोई तारतम्य है न यह संगत बात है। हम विधान सभा के सदस्यों को अपने तथ्यों के प्रकाश में और वास्तविकता के प्रकाश में जनता के व्यापक हितों को दृष्टि में रख कर आगे बढ़ना चाहिये, न कि हमारा एकपक्षीय दृष्टिकोण रहे।

वर्मा जी ने एक सच्चाई की, शान्ति, अहिंसा और गांधी प्रतिमा की बात कही। मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं प्रशासक दल का एक मात्र उद्देश्य है मानव समाज की उस पैशाचिकता का उन्मूलन कर देना, पैशाचिकता जिनका स्वरुप है, मनुष्यता को बन्दी बनाना जिनका प्रकृति है, निर्दोषों पर रक्तपात जिनका दैनिक ध्येय है तथा असहायों का सर्वस्व लूट कर उन्हें आज भी असहाय बना देना जिनका दैनिक कार्य क्रम है, इसी से अनुप्राणित होकर प्रशासन जनहित की दृष्टि से अपना काम करता है।

*श्री चन्द्रभान शर्मा (जिला मुजफ्फरपुर)--

अधिष्ठाता महोदय, यह जो मसला जेर बहस है इसमें ३ तारीख को "पैट्रियट" और "टाइम्स आफ इंडिया" में पार्लियामेंट के दो माननीय सदस्य बी०पी० मौर्य और विजयपाल सिंह की तरफ से दो बयानात निकले और उन्होंने कटमोशन दिया। जो कुछ द्विवेदी जी ने कहा है, मैं उसको तसलीम करता हूं कि वह वाकयात को मानने लगे हैं, लेकिन जिस बात को लेकर हमने आज यह बहस मांगी है, द्विवेदीजी को उस तरफ ध्यान देना चाहिये। मैं आप के द्वारा उनका और सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि किस तरह एक घटना को तोड़-मरोड़

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री चन्द्रभान शर्मा]

कर पेश किया गया और उसका नाजायज फायदा किस तरह से उठा कर पेश किया गया और यह नहीं सोचा कि इसके नतायाज आखिर में क्या हो सकते हैं ? श्री बी० पी० मौर्य ने बिलकुल साफ तौर से अपने स्टेटमेंट में यह कहा कि वहां जाटों ने, बी० के० डी० ने हरिजनों के मकानात को खाकस्तर कर दिया। विजयपाल सिंह ने यह कहा कि मुजफ्फरनगर के शोरम गांव के अन्दर हरिजन तबाहो बरबाद कर दिये गये। अगर वह चाहेंगे तो यह कटिंग मैं उनके पास भेज दूंगा।

मान्यवर, जिस वक्त दिल्ली में पार्लियामेंट के दो जिम्मेदार मेम्बर इस तरह की बातें करते हैं तो जरुरी हो जाता है कि इस तरफ भी ध्यान दें कि हमारे वह अफसरान जो आजकल पार्टीबाजी के शिकार हैं, आजकल गवर्नमेंट की ढिलाई और उसके दल को देख कर उनका मारल गिर जाता है और वह गलत तरीके अख्तियार करने पर मजबूर हो जाते हैं। चुनांचे वहां का बयान देने के बाद पार्लियामेंट के मेम्बर मुजफ्फरनगर गांव शोरम में गये, डी० एम० और एस० पी० से मिले और एस० पी० को धौंस दी और मजबूर किर दिया कि वह एकतरफा कार्यवाही करें जिसकी वजह से बहुत से आदमियों की हकूक-तलफी हो रही है और उनका हैरासमेंट हो रहा है। जहां यह बात हो रही है, इस मामले के अन्दर नहीं जाता कि जमीन किस को मिली, किस वक्त मिली, यह तो वर्मा जी ने और मंत्री जी ने बहस कर ली, लेकिन श्री विजयपाल सिंह और श्री बी० पी० मौर्य की तरफ से यह इशारा हो रहा है कि वहां का पुलिस फोर्स इस दबाव के कारण कि न मालूम उत्तर प्रदेश सरकार किस प्रकार से कार्यवाही करा दें उन्होंने अपने डंडे की कार्यवाही शुरु कर दी है।

मान्यवर, ३८ आदमियों के खिलाफ केस दर्ज हुआ, हरिजनों के खिलाफ केस दर्ज हुआ। इसमें एक धर्मपालसिंह जो कांग्रेस कमेटी का जनरल सेक्रेटरी है उसने तथा प्रधान की पार्टी की तरफ के लोगों के जरिये इतने लोग इस केस में मुब्तला हुये और गरीब हरिजनों को इतनी परेशानी उठानी बड़ी तथा इनका जुल्म सहना पड़ा। उनको जेल जाना पड़ा और उनकी जमानत तक नहीं हुई। अन्य लोग भी इसमें शामिल हैं। दस आदमियों को गिरफ्तार किया गया। मैं कहना चाहता हूं कि एस० पी० इस केस में तफतीश को रुकवाये हुये हैं। उसकी जुर्रत नहीं हो रही है। इन्वेस्टीगेशन आफिसर से कह दिया गया है कि इस मामले को हश अप कर दिया जाय।

मान्यवर, यह चीज इस केस में हो रही है। एस० डी० एम० की कोर्ट का जजमेंट क्या साबित करता है, मौर्य जी का स्टेटमेंन्ट क्या साबित करता है। वहां पुलिस इसलिये भेजी गई कि कब्जा हटा दिया जाय। आप अगर कमीशन की रिपोर्ट देखें तो उसमें यह नहीं है कि ५–७ झोंपड़ियों के अवशेष के निशान हैं बल्कि उसमें लिखा है कि खलिहान वहां पड़ा था। उससे आग बढ़ी। उसके फूस से ४–५ झोंपड़ियां बना ली हैं। इसलिये कि अगर बारिश हो जाये तो लोग उनमें बैठ कर बारिश से बच सकें। इन तमाम बातों के बाद जब यह चीज हुई तो कम से कम मुकामी पुलिस को एक तरफा कार्यवाही नहीं करनी चाहिये थी, उसको दबाव में नहीं आना चाहिये था। मैं प्रार्थना करूंगा कि सरकार इसकी जांच कराये और देखें कि वहां यह चीज चल रही है या नहीं ? अगर सरकार निष्पक्षता चाहती है और जैसा कि माननीय मंत्री जी ने कहा मानवता के नाते वे स्पेशल तहकीकात इस मामले में करा लें। इस केस को हश अप करने की कोशिश की जा रही है। इसलिये इसके लिये एक अलग से स्पेशल एजेंसी मुकर्रर की जाय और इसकी जांच कराकर केस को आगे बढ़ाया जाय।

श्री अधिष्ठाता—

इस समय जो सम्मानित सदस्य सदन में बैठे हैं वे वही लोग हैं जिनको इससे दिलचस्पी है इसलिये मैं प्रार्थना करूंगा कि माननीय सदस्य इतना ही बोलें जिससे सब लोगों को अपनी दिलचस्पी

के इजहार करने का मौका मिल सके क्योंकि कोरम नहीं के बराबर है। लेकिन जो बात है वह हो जानी चाहिये।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)---

नियम ५२ के अन्तर्गत ढाई घंटे का समय चर्चा के लिये होता है इसमें केवल एक घंटा ही है।

श्री अधिष्ठाता--

यह सवाल ५-४५ बजे से शुरू हुआ था इसलिये इसका समय ६-४५ तक है।

*श्री मनफूलसिंह (जिला मुजफ्फरनगर)--

अधिष्ठाता महोदय, मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि कुछ लोग सच्चाई का आवरण पहन कर गरीब आदमियों को तंग करने के बाद महान् होना चाहते हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि दुनियां में वही आदमी महान हुए हैं जिन्होंने गरीबों की रक्षा की है, जिनके दया के हाथ गरीबों के साथ रहे हैं। लेकिन कुछ सदस्यगण और नेता जी चाहते हैं कि हम गरीबों को तंग और परेशान करने के बाद महान हो जाएं। अगर देखा जाय तो हिन्दुस्तान में जब संविधान बना और हिन्दुस्तान आजाद हुआ तो गरीबों को भी समानता का अधिकार वोट डालने का मिला था। अगर हमारे साथी गरीबों से वह अधिकार छीनते हैं तो कैसे हम तवक्कुह कर सकते हैं कि वे कभी भी गरीबों के हमदर्द हो सकते हैं। शोरम गांव में सचाई क्या उसको सब भूले हुये हैं।

वर्मा जी ने कहा था कि नींव खोदने के लिये हरिजन कब्जा करना चाहते थे और झगड़े के लिये अमादा हुये और कन्या पाठशाला की नींव खोद दी गई थी। लेकिन मंत्री जी ने बताया कि यह कब्जे का झगड़ा पिछले साल से चला हुआ था, १९६९-७० के दौरान का था जब माननीय वर्मा जी कुर्सी पर बैठे हुये थे, उससे भी पहले का था और उस जमीन पर अन ओ थो राइज्ड कब्जा था। इल्लीगल कब्जा था। लेकिन यह जरूर है कि गांव सभा की प्रापर्टी पर जो अवैधानिक कब्जा होता है उससे कानून के द्वारा एजेक्टमेन्ट कराया जाता है। यह जमीन गांव समाज की थी लेकिन चूंकि वह हरिजनों के मुहल्ले के पास थी इसलिये उन्होंने उस पर अपना खलिहान बनाया हुआ था। जब यह देखा गया १०७,११७ छूट गये और यह भी देखा गया कि ११५ का दावा भी एस० डी० एम० की अदालत में किया हुआ है। जब सब दावे खारिज हो गये थे तो यह तो माना नहीं जा सकता कि कब्जा हट गया। उसके हटाये जाने के लिये तो कानून का सहारा लेना चाहिये था लेकिनएक परिवार के ३९-४० लोग उनके ऊपर चढ़ बैठे। यह ठीक है कि उस परिवार का एक आदमी कांग्रेस में है लेकिन उसका बाप और दूसरे सब लोग बी० के० डी० में हैं। उन सब लोगों ने इकट्ठा होकर उन पर हमला कर दिया उन हरिजनों के ऊपर। प्रधान ने अपने बेटे और दूसरे को उस जमीन को अलौट कर दिया लेकिन उन्होंने कहा कि हमें भी जमीन दी जाय। किन्तु उन हरिजनों को जमीन नहीं दी गयी। उन्होंने जब देखा कि उनकी आबादी के पास यह जमीन पड़ी हुई है तो उस पर उन्होंने नाजायाज कब्जा कर लिया।

कहा गया कि कन्या पाठशाला के लिये यह समझा गया कि गांव के बीच में जमीन होनी चाहिये और प्राइमरी स्कूल को बाहर भी दी जा सकती है। आधी जमीन प्राइमरी स्कूल को दे दी गयी और आधी जमीन हरिजनों को। लेकिन जो लोग हरिजनों की हत्या पर तुले हुए थे गरीबों को तंग करने पर तुले हुए थे और अपनी बहादुरी का नग्न प्रदर्शन करना चाहते थे

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री मनफूल सिंह]

उन लोगों ने २५ तारीख को शाम के ६ बजे यह प्लान बनाया कि २६ तारीख को हमला किया जायगा। रोहितास सिंह एडवोकेट और हजारी लाल एडवोकेट ने श्रीवास्तव की अदालत में दरख्वास्त दी कि हम पर हमला होने वाला है। लेकिन इसी वक्त वहां पर वर्मा जी की बिरादरी के श्री राजेन्द्र सिंह, एस० ओ० होकर आ गये। उन्होंने एस० डी० एम० के आर्डर्स के बावजूद भी हरिजनों की रक्षा करने का कष्ट नहीं किया। वे वहां पर नहीं गये। हमला हुआ उसमें ६ औरतें और २४ आदमी घायल हुए। एक की हड्डी टूट गयी। दूसरी पार्टी के लोगों के लिये कहा जाता है कि कुछ खरोचें आयी या बनायी गयी, मैं नहीं कह सकता।

हमला एक ही तरफ से हुआ लेकिन जैसा कि मंत्री जी ने बताया दोनों ओर के लोगों को ही गिरफ्तार किया गया। हमलावर को भी गिरफ्तार किया गया और जिन पर हमला हुआ था उन को भी गिरफ्तार किया गया। क्या यह खुले आम हरिजनों पर अन्याय नहीं था। यह भी सुना जाता है कि उस एस० ओ० ने रिपोर्ट को भी बिगाड़ दिया है जिससे ऐसा लगता है कि केस भी खत्म ही हो जायगा।

यह स्पष्ट बात है कि झोपड़ियां जलायी गयीं। माननीय वर्मा जी ने कहा कि पाठशाला की नींव खोदने के समय हरिजनों ने कब्जा करना चाहा था। यह कितना झूठा और तथ्यहीन बयान है और सच्चाई को तोड़ मरोड़ कर रखने का प्रयास है। अगर उस जमीन पर हरिजनों को कब्जा नहीं था तो ट्रैक्टर उस पर क्यों चलाया गया था। क्या पाठशाला बनवाने के लिये ट्रैक्टर को चलाने की आवश्यकता थी? ट्रैक्टर इसलिये चलवाया गया कि झोपड़ियां जो जलाई गयी थीं उनके निशान न रह जायें ताकि उनका नामोनिशान सब मिट्टी में मिल जाय।

अगर वह गांव समाज की जमीन थी, अगर वह आबादी की जमीन थी तो उसकी जुताई क्यों की? सच्चाई को दफनाने के लिये ये सब प्रयास किये गये जिसके कारण वहां के लोग परेशान हुये। अभी-अभी मेरे पास रजिस्ट्री के द्वारा एक चिट्ठी आयी है। आपकी इजाजत हो तो पढ़ कर सुना दूं।

श्री अधिष्ठाता--

पढ़ कर सुनाने का समय नहीं है। आप सारांश बता दीजिये।

श्री मनफूल सिंह--

वे लोग इस बात की कोशिश में हैं कि झोपड़ियों में आग पुलिस ने लगायी है यह लिखकर दें। लेकिन मैं वर्माजी से पूछना चाहता हूं कि जिनकी हड्डियां टूटीं वे कैसे हमलावार कहे जा सकते हैं?

श्री अधिष्ठाता--

अब आप समाप्त कीजिये और आसन ग्रहण कीजिये।

श्री मनफूल सिंह--

जो गरीब आदमी को परेशान करने के बाद महान् बनना चाहते हैं वे संसार की नजरों में महान् नहीं हो सकते। इसलिये मैं चाहूंगा कि इस हाउस के सामने सच्चाई लायी जाय।

श्री मैनेजर सिंह (जिला बलिया)--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, इस चर्चा में भाग लेते हुये माननीय उपमंत्रीजी ने बहुत जोशो खरोश से यह कहने की कोशिश की कि उनके प्रशासन की उंगलियां सभी क्षेत्रों को छू सकती हैं। मैं तो यह कहना चाहता हूं कि वे वहम में हैं गलतफहमी में हैं। यह तथ्य है

कि उनकी पुलिस, उनका जिला प्रशासन, जिनको सारे झगड़ की जानकारी थी उसके रहते हुये समाज के कमजोर तबके बेचारे हरिजनों की हड्डी टूट गयी और इनकी पुलिस और इन की मैजिस्ट्रेटी उनकी रक्षा नहीं कर सकी। उप मंत्री जी जाति-पांति की बात कहते हैं। आज यह उत्तर प्रदेश का दुर्भाग्य है कि यहां हर काम में जाति-पांति की चर्चा आ जाती है। आखिर जाति-पांति की चर्चा आती ही क्यों है, प्रशासन जातिपांति से प्रेरित नहीं हो रहा है तो फिर जातिपांति की चर्चा होती क्यों है ?

एक बात की चर्चा आपने नहीं की। माननीय वीरेन्द्र वर्मा जी ने यह सवाल इसीलिये उठाया कि उपमंत्री जी के समर्थक और साथी श्री बी० पी० मौर्य जी, जो शायद विधिवत् पार्टी के सदस्य हो गये हैं और श्री विजयपाल सिंह दल के सह –यात्री हैं, संसद के इन दोनों माननीय सदस्यों ने एक जाति विशेष, एक दल विशेष पर आक्षेप किये और वर्मा जी ने जो तथ्य सदन के सामने रखने की कोशिश की उससे स्पष्ट हो गया कि उस गांव के प्रधान के सुपुत्र आपकी पार्टी के सेक्रेटरी हैं। हरिजनों पर अत्याचार हुये और उनकी हड्डी टूटी जैसा कि भाई मनफूलसिंह ने कहा उसकी सारी जिम्मेदारी मंत्रीजी की पार्टी और उन के प्रशासन पर है। मैं इस बात से इत्तफाक नहीं करता कि बालिका विद्यालय के निर्माण के लिये जमीन नहीं देनी चाहिये। लेकिन सवाल यह है कि वरीयता हम किस को दें।

आज हमारे समाज में कुछ ऐसे लोग हैं जिनके पास छप्पर डालने के लिये एक बिस्वा भूमि नहीं है। हम लड़कों और लड़कियों के लिये जूनियर हाई स्कूल और हाई स्कूल ही नहीं बल्कि विश्वविद्यालय के लिये जमीन मोहय्या करें तो पहली वरीयता और प्राथमिकता किस को दें ? यदि आप को हरिजनों से स्नेह है, गरीब इन्सान से भी अगर आप को हमदर्दी है और जिन के अमूल्य वोट के सहारे आप यहां बैठे हैं उस की ओर आपकी सहानुभूति रहना चाहिये। जब यह प्रश्न आया था तो उस दिन यह भी कहा गया था कि सिद्धान्त जो चकबन्दी का तय हुआ था उसके अनुसार यह विवाद की भूमि को आबादी के लिये सुरक्षित किया गया था। यह नियम है कि जिस उद्देश्य के लिये भूमि सुरक्षित की जाती है उस में तब्दीली नहीं की जा सकती है लेकिन हाकिम परगना ने उस को बदल दिया और इस तरह से नियम की अवहेलना की गई है। नियम का गला घोंटा गया है और बेईमानी की गई है। माननीय राज्य मंत्री, ओम प्रकाश सिंह जी, सिर हिला रहे हैं यही सिर बुढ़ापे में कांपेगा अगर गरीबों को न्याय नहीं दिया गया।

मैं कोई ब्राहमण नहीं हूं कि आप को श्राप दूंगा लेकिन एक मित्र के नाते आप से कहूंगा कि अगर गरीबों के साथ अत्याचार करेंगे, आबादी की जमीन पर अपने बच्चे और बेटियों के लिये स्कूल खुलवाने की बात करेंगे और हरिजनों की झोंपड़ियों को नष्ट करायेंगे तो निश्चय ही बुढ़ापे में आपका सिर कांपने लगेगा। जो हरिजनों के छप्पर थे और वह यदि अनधिकृत ही थे तो जैसा कि मनफूल सिंह ने कहा उन को हटाने के लिये कानून बना है उस कानून से वह हटाये जा सकते थे। क्या किसी बाबू साहब या पंडित जी का या द्विवेदी जी का छप्पर आप की पुलिस उजाड़ सकती है ? हरगिज नहीं। लेकिन गरीब हरिजनों के लिये आपकी पुलिस आपके हाकिम परगना पहुंच जायंगे उजाड़ने के लिये। यह बात बिलकुल गलत है आप स्वयं कुकर्म करें और दुसरों को दोषी कहें। आप कहिये कि मौर्य जी ने और आप के सहयोगी विजय पाल सिंह ने संसद में गलत बयानी की है और संसद को गुमराह किया है। उन्होंने जनमत को गुमराह किया है। आप उन की भर्त्सना कीजिये आप उन की निन्दा कीजिये। मेजिस्ट्रेट और पुलिस को सजा दीजिये। हरिजनों द्वारा २५ तारीख को इत्तिला पहुंच गई कि खतरा है और कल झगड़ा होगा हमला होने वाला है लेकिन आपने कोई व्यवस्था नहीं की और नतीजा यह हुआ कि मारपीट हुई। चाहें आक्रमण किसी की भी तरफ से हुआ हो लेकिन एक दिन पहले सूचना होने पर भी पुलिस और अधिकारियों ने कोई कार्यवाही नहीं की।

[श्री मैनेजर सिंह]

इस से बढ़कर शासन के निकम्मेपन और नालायकी का उदाहरण और क्या हो सकता है। द्विवेदी जी आप पुलिस फोर्स के या कोई सैनिक नहीं हैं। आप एक जिम्मेदार सरकार के उपमंत्री हैं और जिम्मेदार आदमी हैं। आप यहां गम्भीरता से बोलें। जो गलती हो उस को प्रशासन स्वीकार करे। यदि आप इस तरह से अपने अधिकारियों की वकालत करेंगे तो एक दिन यह पुलिस का बंजा आप के ऊपर भी आयेगा जब वर्मा जी उधर जायंगे और आप को इधर आना पड़ेगा।

श्री अधिष्ठाता--

आप अब स्थान ग्रहण करें अब अधिक समय नहीं है केवल 15 मिनट बाकी हैं और अभी मंत्री जी को और वर्मा जी को बोलना है। इसलिये अब अन्य सदस्यों को समय नहीं दिया जा सकता। अगर वर्मा जी पसन्द करें कि उन के पक्ष के लोगों को मौका बोलने का हो तो फिर उन को समय कम मिलेगा।

श्री वीरेन्द्र वर्मा--

मैं तो, श्रीमान्, केवल ५-७ मिनट ही लूंगा।

श्री रामप्रसाद (जिला रायबरेली)--

इस महत्वपूर्ण मामले पर सब को समय मिलना चाहिये। वर्मा जी बहुत सी बातें सदन के सामने रख चुके हैं और सरकार की तरफ से भी बहुत सी बाते आ चुकी हैं लकिन जो अन्य सदस्य भी दिलचस्पी रखते हैं उन को भी आप को मौका दना चाहिये।

श्री अधिष्ठाता--

जो नियम के अनुसार हो सकता है वही होगा। ऐसे प्रस्ताव के लिये १ घंटे का समय होता है और जो बहस को आरम्भ करता है उस को बाद में भी मौका दिया जाता है अब १५ मिनट बाकी है उसमें ही समाप्त करना है २-२ मिनट लें तो कुछ सदस्य बोल सकते हैं।

श्री रियासत हुसन (जिला मुरादाबाद)--

श्रीमान, मैं सिर्फ इन्सीडेंट के ऊपर बात करना चाहता हूं। सबसे पहली बात यह है कि प्लेस आफ इन्सीडेंट क्या था यह निश्चत रूप से साफ है कि प्लेस आफ इन्सीडेंट हरिजनों की बस्ती थी। दूसरी बात जो मुझे कहनी है वह यह है कि मोटिव क्या था। एग्रैसर्स का मोटिव यह था कि बाई फोर्स इन हरिजनों को वहां से हटाया जाय। तीसरी चीज जो भी लोग वहां पर गये वह एसेम्बली ला फुल थी या अन ला फुल थी और यह डिसाइडेड बात है कि वह अनलाफुल थी। इन तीनों बातों को आधार मानकर, पहली बात तो यह है कि हरिजनों के साथ ज्यादती और जुल्म हुआ इस केस के अन्दर तो जितने केसेज हरिजनों के ऊपर चल रहे हैं वे विड्रा होने चाहिये। दूसरे जो वहां पर पुलिस की फोर्स है, जिसकी नोटिस में यह था कि यह घटना इस हद तक भी पहुंच सकती है, उसको वहां से सस्पेंड किया जाय और उसके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्यवाही की जाय। तब इस मामले में जस्टीफिकेशन हो सकेगा।

श्री रामप्रसाद--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आज इस हाउस के अन्दर एक नई बात देखने में आई कि आज हरिजनों नें जुल्म ऐसे लोगों पर किया है जो कि हमेशा से हरिजनों के ऊपर जुल्म करते रहे हैं यह बड़े अफसोस की बात है कि जैसा कि कुछ साथियों ने बताया कि उस स्थान पर जहां पर कि कन्या पाठशाला को गांव प्रधान और समाज की तरफ से जमीन दी गयी है उस पर हरिजनों के पहले खलिहान थे और उसी स्थान पर उनकी झोपड़ियां पड़ी हुई थीं लेकिन उनको उजाड़ने

के लिये संगठित होकर हमला किया गया और हमला भी नहीं हुआ अपितु हरिजनों पर इतनी मार पड़ी कि उनकी हड्डियां भी टूटीं। मुझे दुख हुआ यह देखकर कि आज इस हाउस के अन्दर जहां पर कि हरिजन लोग आजादी से अपना वोट तक न दे पाते थे, उनमें इतनी हिम्मत कहां कि वे दूसरों के ऊपर हमला कर सकें। तो मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि वास्तव में स्थिति क्या है उसको देखें हरिजनों की ओर से रिपोर्ट की गयी और इसमें इतना भी इन्तजाम नहीं किया गया कि उन पर जुल्म न हो सके। तो मैं चाहूंगा कि संबंधित स्टेशन आफिसर को सस्पेंड करना चाहिये और उचित कार्यवाही करना चाहिये।

आज श्री वी० पी० मौर्य ने आकर पार्लियामेंट में हरिजनों का पक्ष उठा दिया तो कोई जुर्म नहीं किया, जायज बात कही है कि उनके ऊपर जुल्म हो रहा है, उनकी आवाज उन्होंने वहां पर उठायी। आज इसी प्रान्त में, श्रीमन्, वहां पर ही नहीं इलाहाबाद, गोरखपुर, देवरिया, सुल्तानपुर और चारों तरफ हरिजनों के प्रति बड़ा जुल्म ढाया जा रहा है लेकिन उनकी इस हाउस में आवाज नहीं उठायी जाती है। मैं मानगीय मंत्री जी से यह कहता हूं कि इस मामले को गम्भीरता से देखें और इसको इस तरह से टालने की कोशिश न करें।

श्री वीरेन्द्र वर्मा--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, जो बातें मैंने कहीं और मुख्य मंत्री की ओर से माननीय उप-मंत्री जी ने कहीं और उस दिन जो उन्होंने वक्तव्य दिया था अगर इन सारी बातों को सुन लेते तो मानगीय रामप्रसाद और माननीय फूल सिंह जी ने जो कहा, दोनों को उसकी आवश्यकता ही न होती। असलियत क्या है? पार्लियामेंट में कितनी अनर्गल बातें और गैर जिम्मेदारानी बात कही गयी।

प्रश्न केवल यह था कि आज नहीं यह डेढ़ साल पेश्तर जमीन कन्या जूनियर हाई स्कूल को दी जा चुकी थी। जहां तक खलिहान की बात है, माननीय मनफूलसिंह ने कहा कि उनके खलिहान थे। मान्यवर, खलिहान भी सबके थे। अगर आप यह अन्दाज लगा लें कि २६ तारीख को झगड़ा हुआ है। २६ जुलाई को क्या किसी का खलिहान बाकी था? १६ जुलाई को वकील कमिश्नर वहां पहुंचे थे उन्होंने स्पष्ट लिखा था कि वहां पर जिन खलिहानों की चर्चा की है उस प्रकार का कोई न खलिहान था, न उस प्रकार की कोई बसासत थी। यह कमीशन ने ठीक किया था। न माननीय राम प्रसाद, न माननीय मनफूल सिंह और न मुख्य मंत्री यह बता सके कि जो हरिजन कल्याण कमिश्नर आये थे उसने क्या रिपोर्ट दी है? जो बात उन्होंने कही भी वह शत प्रतिशत असत्य साबित कर दी जो हरिजन वेलफेयर कमिश्नर आये उन्होंने। माना कि आप हरिजन हैं और हरिजन लोगों के साथ आपकी हमदर्दी है। अच्छा हो यदि आप न्याय के साथ हमदर्दी कर सकें।

यह कहा गया कि नींव खोद रहे थे। नींव तो खुदी पड़ी थी। नींव भरी पड़ी थी। और जिला परिषद् ने १६ हजार रुपये का ठेका दिया हुआ था। चिनाई का काम शुरू था। जहां और दो कमरे बनने थे वे गांव वालों ने बनाने थे। गांव वाले ईंटें उसके लिये ला रहे थे और जब ईंटे लाकर चले गये, तो हरिजनों ने ईंटों को उठा कर ले चलना शुरू कर दिया। उस पर झगड़ा हुआ। मान्यवर, हमारे रियासत हुसैन ने कहा कि वे हरिजनों की बस्तियां हैं। एक तरफ हरिजनों की बस्ती है। मैं स्वीकार करता हूं। लेकिन दूसरी तरफ नान-हरिजन्स की भी बस्ती है और सारे गांव की इत्तिफाक राय से उस कन्या जूनियर हाई स्कूल के लिये स्थान को चुना था। प्रेसीडेंट डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ने, जिला प्लानिंग समिति ने भी उसको चुना था। उसे हरिजनों की बस्ती कहना यह गलत बात है।

जहां तक प्रश्न है डेढ़ साल पेश्तर वह कन्या जूनियर हाई स्कूल की जमीन हो चुकी थी और बाद में जो प्रश्न उठा वह एस०डी०एम० २४ तारीख को ही अपने आदेश पारित कर

[श्री वीरेंद्र वर्मा]

चुके थे और २५ जुलाई को एक और पुलिस को भेज चुके थे। आप कहते थे कि दरोगा हमारी बिरादरी का है। आप भी किसी बिरादरी की बात कर रहे होंगे। लेकिन हम तो पुलिस के खिलाफ बात कर रहे हैं। पुलिस ने निष्पक्षता के साथ काम नहीं किया। एस० डी० एम० ने आर्डर किया था, अगर उसका सही तरीके से पालन होता तो झगड़ा होने वाला नहीं था। वह तो समस्या समूचे गांव की थी जिसमें हर किसी की बच्चियां पढ़ने वाली हैं। इसमें दूसरा प्रश्न नहीं पैदा होता। इसलिये मैं आपके जरिये से कहना चाहूंगा कि अन-लाफुल पजेशन, नाजायज तरीके से कब्जा क्योंकि वह करना चाहते थे जो एस० डी० एम० कोर्ट से स्पष्ट हो चुका है, जो हरिजन वैलफेयर कमिश्नर की रिपोर्ट से, वकील कमीशन की रिपोर्ट से साबित हो चुकी थी, कौन सी बात उनके पक्ष में जाती है। लेकिन नाजायज तरीके से यह कहा कि अमुक बिरादरी की बात है, हमारी पार्टी की बात है। लेकिन कम से कम यह तो मान लो कि वह आपकी पार्टी का जनरल सेक्रेटरी है। मैं ईमानदारी से कहता हूं कि उनका भी कब्जा गलत और नाजायज तरीका से लिया गया था। मैं तो कभी किसी के पक्ष में गलत बात कहने वाला नहीं हूं।

श्री अधिष्ठाता--

आप समाप्त करें।

श्री वीरेन्द्र वर्मा--

यह बात सही है, अपने स्थान पर चाहे इस गांव का मामला हो, चाह प्रदेश क किसी भी गांव का मामला हो, हरिजनों का ही नहीं, हरिजनों के भी ऊपर गरीब वाल्मीकिओं और जितने अन्य भूमिहीन लोग हैं, मान्यवर, प्रदेश में उनके रहने के लिये बड़ी भारी दिक्कतें हैं, रहने के लिये उनको जमीन की बड़ी आवश्यकता है। अगर उसकी व्यवस्था यह सरकार करा सके, चाहे जमीन एक्वायर करके, चाहे ग्राम समाज की जमीन से, और मकान बनाने के लिये आर्थिक सहायता दे तो हम हृदय से स्वागत करेंगे। लेकिन अनलाफुल पजेशन किया जाय, न्यायालय के आदेश के विरुद्ध काम किया जाय तो उससे कानून और व्यवस्था कायम नहीं रह सकती। उससे शांत वातावरण नहीं रह सकता। उससे नफरत, घृणा और झगड़े पैदा होंगे। मंत्री जी से एक प्रार्थना और करूंगा कि अगर उनकी भी तसल्ली हो तो सी० आई० डी० से उसकी जांच करालें। जितनी रिपोर्ट स हैं उनके होते हुए भी रिपोर्ट स आपन सारी सही दी हैं, मैं किसी पर दोष नहीं देता लेकिन फिर भी आप सी०आई०डी० से जांच करा लें।

श्री मनफूल सिंह--

वर्मा जी से एक सवाल पूछना चाहता हूं।

श्री अधिष्ठाता--

अब केवल तीन मिनट हैं और मंत्री को जवाब भी देना है।

श्री मनफूल सिंह--

क्या हरिजनों का वहां पहले कब्जा था और उसको हटाने के लिए पिछल साल वह कन्या पाठशाला को एलाट किया गया और क्या १०७/११७ की कार्यवाही चली थी ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा--

न किसी का कब्जा था और न हटाया गया।

(व्यवधान)

श्री रामकृष्ण द्विवेदी--

मान्यवर, मैंने माननीय सदस्यों की बात बड़ी गम्भीरता से सुनी । मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ माननीय मैनेजर सिंह जी की बात पर.....

श्री अधिष्ठाता--

केवल तीन मिनट का समय है, इस बात का ध्यान रखें ।

श्री रामकृष्ण द्विवेदी--

श्रीमन्, माननीय मैनेजर सिंह जी की बात में मुझे कुछ विरोधाभास मालूम पड़ा । एक ओर तो कहते हैं कि हरिजनों के साथ अन्याय हो रहा है और पुलिस अकर्मण्य बैठी है और दूसरी ओर कहते हैं कि जो वहां हुआ है वह बड़ा गलत हुआ है । एक ओर तो कहते हैं कि हरिजनों की हड्डियां तोड़ दी गयीं और पुलिस प्रशासन क्यों चुप रहा और दूसरी ओर कहते हैं कि पुलिस प्रशासन की ओर से दूसरी पार्टी पर यह हुआ । तो यह असंगत सा लगता है । लोकसभा के सदस्य की चर्चा की गयी । मैं कहूंगा कि वह विषयान्तर है । भाई वीरेंद्र वर्मा जी ने पक्षपात की बात कही । यदि पक्षपात होता तो कोई कारण नहीं था कि दूसरी ओर से यह कहा जाता कि ऐसी-ऐसी घटना हुई । श्रीमन्, उचित कार्यवाही दोनों पक्षों के लिये की गयी । मैं श्री रियासत हुसैन की इस बात से सहमत हूं कि अगर अनलाफुल एसेम्बली होती है तो दृढ़ता से ऐसे तत्वों को जो अवैधानिक रूप से झोपड़ी जलाना चाहते हैं उन्हें रोका जाना चाहिय और प्रशासन ने न केवल रोका ही, मैनेजर सिंह जी और रामप्रसाद जी, पुलिस बैठी नहीं थी, पुलिस ने इस प्रकार के तत्वों को जो झोपड़ियां जलाना चाहते थे और जबरदस्ती ट्रैक्टर से जोतने की कोशिश की, भले ही अनधिकृत कब्जा था.....

श्री अधिष्ठाता--

कृपया समाप्त कीजिये ।

श्री रामकृष्ण द्विवेदी--

तो, श्रीमन्, मैं कहना चाहता हूं कि भूमि व्यवस्था के संबंध में प्रशासन की नीति बड़ी स्पष्ट है । हम पिछड़े तबकों को प्राथमिकता देना चाहते हैं और प्रशासन इस बात के लिये सतर्क और सजग है कि कहीं भी प्रदेश के किसी भी कोने में यदि जानबूझकर किसी वर्ग विशेष पर ज्यादती की जायेगी तो.....

श्री महीलाल (जिला मुरादाबाद)--

अपने क्षेत्र के बारे में भी बता दें ।

श्री रामकृष्ण द्विवेदी--

किसी भी क्षेत्र में हो यदि शोषितों को.....

श्री अधिष्ठाता--

मंत्री जी, अब समाप्त करें ।

श्री रामकृष्ण द्विवेदी--

समाप्त करते हुए मैं कहना चाहता हूं कि प्रदेश के किसी भी कक्ष में यदि दलित, शोषित तथा पीड़ित हरिजनों पर उंगली उठाने की चेष्टा की गयी तो ऐसा करने वाले व्यक्ति की उंगली वैधानिक दिशा की ओर मोड़ करके कानूनी कार्यवाही शीघ्रता से की जायेगी ।

श्री अधिष्ठाता—

अब हम उठते हैं, कल ११ बजे बैठेंगे ।

(इसके बाद सदन ६ बजकर ४७ मिनट पर अगले दिन के ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया ।)

देवकीनन्दन मिश्रल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

लखनऊ :
१९ अगस्त, १९७१ ।

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

नत्थी 'क'

(देखिये अल्पसूचित तारांकित प्रश्न सं० ३ का उत्तर पीछे पृष्ठ ५३२ पर)

तालिका

पदनाम	विशेष वेतन की दर	राजाज्ञा का संदर्भ
उ० प्र० शासन के सचिव-विशेष सचिव	३०० रु० प्रतिमाह	कार्यालय ज्ञाप सं०९७४१/दो-ए-५४७/५९, दिनांक १ अप्रैल, १९६१
उ० प्र० शासन के अतिरिक्त/संयुक्त सचिव	२५० रु० प्रतिमाह	तदैव
उ० प्र० शासन के उप सचिव*	२०० रु० प्रतिमाह	तदैव
उ० प्र० शासन के अनुसचिव*	१५० रु० प्रतिमाह	तदैव

*वेतन अभिनवीकरण समिति की संस्तुतियों की समीक्षा करते हुए मंत्रि परिषद् की उपसमिति की रिपोर्ट के आधार पर उ० प्र० राज्य सिविल सेवा अधिकारियों के लिये इन पदों पर विशेष वेतन राजाज्ञा सं० २१/२/६६-अपाइन्टमट(ए), दिनांक २८ माच, १९६६ के अन्तगत जारी रखा गया ।

उत्तर प्रदेश सभा

नत्थी 'ख'

[देखिये नियम ३८ (२) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न सं० ६ का उत्तर पीछे पृष्ठ ५४८ पर]

जिला जौनपुर में नामे के अन्तर्गत प्रबन्ध समितियों ने जुलाई ७० से मार्च ७१ के अन्दर निम्नलिखित १९ अध्यापकों को नियुक्त किया जो कार्य कर रहे हैं किन्तु अनुमोदन न करने के फलस्वरूप वेतन नहीं प्राप्त कर रहे हैं। अनुमोदन न देने पर का कारण प्रत्येक के सम्मुख प्रस्तुत है।

क्र०सं०	अध्यापक का नाम	विद्यालय का नाम	अनुमोदन न करने का कारण
१	श्री अजीत कुमार सिंह	श्री गांधी स्मारक इंटर कालेज समोथपुर (जौनपुर)	श्री अजीत कुमार सिंह की नियुक्ति का प्रस्ताव विद्यालय द्वारा श्री राम बुझारत सिंह कृषि प्रवक्ता के स्थान पर प्राप्त हुआ। श्री राम बुझारत सिंह की सेवायें विद्यालय से समाप्त कर दी गयी थीं तथा इस पर अभी तक अंतिम निर्णय नहीं हो पाया है प्रकरण मंडलीय शिक्षा उप निदेशक, वाराणसी के यहां विचाराधीन है। अतः विभागीय नियमानुसार पद रिक्त नहीं माना जा सकता है एवं उस पर प्रस्तावित नियुक्ति का अनुमोदन नहीं दिया जा सकता। अतः अनुमोदन नहीं दिया गया।
२	श्री राज नारायण सिंह		श्री राज नारायण सिंह की नियुक्ति श्री उदय भान सिंह गणित प्रवक्ता के स्थान पर किया गया है। श्री उदयभान सिंह की सेवायें समाप्त करने के लिये विद्यालय द्वारा जो नोटिस दी गई थी उसे इस कार्यालय द्वारा वैधानिक मान कर अस्वीकृति कर दिया गया था। परन्तु विद्यालय प्रधन्याधिकरण ने अनियमित एवं मनमानी ढंग से अध्यापक को अभी तक विद्यालय में कार्य करने का अवसर नहीं दिया। अतः उक्त स्थान पर प्रस्तावित पद रिक्त न होने के कारण अस्वीकृत कर दी गई और उसे अनुमोदन नहीं दिया गया।
३	श्री महेंद्र प्रताप श्रीवास्तव	श्री गांधी स्मारक इंटर कालेज समोधपुर (जौनपुर)	चयन की कार्यवाही इंटरमीडिएट ऐक्ट तथा उसके अन्तर्गत विनियमों का चलन करके नहीं की गई तथा अध्यापक में निर्धारित न्यूनतम योग्यता का अभाव है। अतः अनुमोदन नहीं दिया गया।
४	श्री हरिश्चन्द्र मिश्र	उ०मा०वि० मछलीशहर	विद्यालय में कोई प्रबन्ध समिति नहीं है। साधिकार नियंत्रक ने पद का विज्ञापन किये बिना अनियमित ढंग से नियुक्तियां कर ली है इसी प्रकार की अनियमिततायें पहले की गई थी जिसके संबंध में जांच की जा रही है।
५	श्री सुधईराम यादव	"	" " "

उत्तर प्रदेश विधानसभा

क्र०सं	अध्यापक का नाम	विद्यालय का नाम	अनुमोदन न करने का कारण
६	श्री देवेंद्र प्रतापसिंह	सर्वोदय विद्यापीठ, उ०मा०वि० मोरगंज	निर्धारित न्यूनतम योग्यता न रखने के कारण तथा इंटरमीडिएट ऐक्ट के नियमान्तगर्त कार्यवाही पूर्ण न होने के कारण अनुमोदित है ।
७	श्री चिन्तामणि तिवारी	नागरिक इंटर कालेज, जरई	चयन की कार्यवाही इंटरमीडिएट ऐक्ट के नियमान्तगर्त सम्पादित न होने के कारण तथा प्रशिक्षित एवं योग्य अभ्यर्थियों के उपलब्ध होते हुए भी अप्रशिक्षित का चयन किये जाने के कारण अनुमोदन नहीं प्रदान किया गया है ।
८	श्री महेंद्रनाथ	,, ,,	,, ,, ,,
९	श्री अब्दुल अजीम	सेंट थामस इंटर कालेज, शाहगंज	अतिरिक्त जीव विज्ञान अध्यापक की आवश्यकता न होने के कारण अननुमोदित है ।
१०	श्री रामज्ञा सिंह	पी०डी०उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, मनिहागोबिन्दपुर	निर्धारित न्यूनतम योग्यता न होने को कारण अनुमोदित है ।
११	श्री जियालाल शर्मा	,,	,, ,, ,,
१२	श्री जगदीश उपाध्याय	किसान आदर्श राष्ट्रीय इंटर कालेज प्रतापगंज	अनुमोदन के पत्रजात पूर्ण रूपेण प्रस्तुत नहीं गिये हैं । विज्ञापन की कटिंग अभ्यर्थियों को सूची चयन समिति की कार्यवाही, नियुक्त किये जाने वाले अभ्यर्थियों का प्रबन्ध समिति के किसी पदाधिकारी का संबंध न होने के प्रमाण अभाव इत्यादि तथा अन्य सूचनायें नहीं भेजी थीं । अतः नियमित कार्यवाही न करने के कारण अनुमोदन का प्रस्ताव अस्वीकृत कर दिया गया ।
१३	श्री राम अधार	किसान आदर्श राष्ट्रीय इंटर कालेज प्रतापगंज	,, ,, ,,
१४	श्री छबिनाथ	,,	,, ,, ,,
१५	श्री भूपेंद्र	,,	,, ,, ,,
१६	श्री जगदीश विश्वकर्मा	,,	,, ,, ,,
१७	श्री सभापति उपाध्याय	,,	,, ,, ,,
१८	श्री यदुबीर राम	,,	,, ,, ,,
१९	श्री राम लखन	,,	,, ,, ,,

नत्थी 'ग'

[देखिये नियम ३८ (२) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न संख्या १७–८ का उत्तर पीछे पृष्ठ ५४९ पर]

१––देवरिया जनपद के उन विद्यालयों की सूची जिनमें माह फरवरी का वेतन भुगतान नहीं किया गया है ।

क्रम सं०	विद्यालय का नाम
१	जनता उ० मा० विद्यालय, मदनपर गोला
२	बापू महाविद्यालय, सलेमपुर
३	अनन्त आदर्श इ० का०, गनियारो
४	अशोक नाथ इ० का०, नकटहा मिश्र
५	मणि नाथ इ० का०, नोनापार
६	देवरहवा बाबा इ० का०, देवस्थिा
७	शहीद रामचन्द्र इ० का०, बसन्तपुर घसो
८	बाबा राघव दास इ० का०, देवरिया
९	जनता इ० का०, रामपुर अवस्थी
१०	कोहरा सुतावर उ० मा० वि०, सुतावर
११	इंटर कालेज, मझगावां
१२	इंटर कालेज, मझलोराज
१३	शिवाजी इ० का०, रवुरकुन्दु
१४	श्रीकृष्ण इ० का०, बरहज
१५	छितौनी इ० का०, छितामो
१६	अशोक उ० मा० वि०, रामपुर कारखाना
१७	गंगा बक्स कनौडिया उ० मा० वि, कप्तानगज
१८	शहीद मधुबन करामत इ० का०, बारोवारो
१९	स्वामी देवा नन्द इ० का०, मठलार
२०	ओ० के० इ० का०, लार
२१	सुभाष इ० का०, भटनो
२२	नेहरू उ० मा० वि०, मन्साछापर
२३	गा० किसान का० रवड़ा, (आंशिक भुगतान हुआ है)
२४	हर्ष चन्द्र इ० का०, कबरहज
२५	डी० एन० ई० का०, रुद्रपुर
२६	सत्तसी इ० का०, रुद्रपर
२७	बुद्ध इ० का०, कुशीनगर
२८	इंटर कालेज, सेरववनिया
२९	जनता इ का०, बनकटा
३०	गांधी स्मारक इ० का०, हाटा
३१	आचार्य नरेन्द्र देव इ० का०, पथरदेवा
३२	इं० का०, तुपटो महुअवा
३३	जनता इं० का०, रामकोला
३४	पो० एन० एम० इ० का०, फाजिलनगर (केवल महंगाई भत्ता भुगतान हुआ है)
३५	उ० मा० वि० बाबस, बन्धोमठ
३६	जनता इं० का०, रामकोला

विधान सभा

क्रम सं०	विद्यालय का नाम
३७	ज्ञान प्रकाश उ० मा० वि०, भलुवनी
३८	सत्य प्रकाश इं० का०, मखहरो
३९	मदन मोहन इं० का० भटपार रानी
४०	बी० आर० डी० के० इं० कालेज, भाटपार
४१	नवतप्पी इं० का०, रामपुरगढ़
४२	अनन्त उ० मा० वि०, सतराव
४३	इंटर कालेज, बलटिकरा
४४	उ० मा० वि०, भुजाली
४५	इंटर कालेज, तमकुहीराज
४६	बाबा गयादास उ० म० वि०, बरहज
४७	उ० मा० वि०, सेगरो कुकरोलो
४८	तुलसी दास उ० मा० वि०, पडरौना
४९	उ० मा० वि०, नरायनपर कोठी
५०	च० अ० इं० कालेज, देवगांव
५१	उ० मा० वि०, पुरैनी परियसा
५२	इंटर कालेज, पिन्डो
५३	उ० मा० वि०, सरांव

२—देवरिया जनपद के उन विद्यालयों की सूची जिनमें माह मार्च, १९७१ का वेतन भुगतान नहीं किया गया है।

१—कोहरा सुतावर उ० मा० वि०, सुतावर
२—उ० मा० वि०, पिपरा रामधर
३—उ० मा० वि०, संभरी शुकराली
४—इंटर कालेज, रवड़ा
५—जनता इं० का०, रामपुर अवस्थी (आंशिक भुगतान हुआ है।)
६—सत्य प्रकाश इं० का०, मुसहरी (केवल महंगाई भत्ते का भुगतान हुआ है।)
७—उ० मा० वि०, भरौली (आंशिक भुगतान हुआ है)
८—उ० मा० वि० नरायनपुर कोटो (आंशिक भुगतान हुआ है।)
९—श्रीनेत इं० का०, इन्दुपुर (आंशिक भुगतान हुआ है।)
१०—उ० मा० वि० झरनकुटी (आंशिक भुगतान हुआ है।)
११—इंटर कालेज, सरांव

विधान सभा

नत्थी 'घ'

(देखिए तारांकित प्रश्न संख्या ८ का उत्तर पीछे पृष्ठ ५४९ पर)

उन विद्यालयों की सूची जिन्होंने अध्यादेश की परिधि से मुक्त रहने हेतु प्रार्थना-पत्र दिया है।

जिला—मेरठ

क्रम सं०	विद्यालय का नाम
१	सलावा इन्टर कालेज, सलावा
२	जैन इन्टर कालेज, सरधना
३	सेन्ट चार्ल्स इन्टर कालेज, सरधना
४	हरचन्द्रमल जैन इन्टर कालेज, डडकरी
५	श्री गा० स० इन्टर कालेज, दोघर
६	आर्य वि० इन्टर कालेज, तेड़ा
७	राष्ट्रीय इन्टर कालेज, लाखड़ी
८	श्री अशोक इन्टर कालेज, कमालाजूठ
९	सर्व हि० इन्टर कालेज, बिनौली
१०	बी० पी० इन्टर कालेज, बिजवाडा
११	आदर्श इन्टर कालेज, हर्रा
१२	गांधी इन्टर कालेज, दबथुवां
१३	जनता इन्टर कालेज, खेड़ा
१४	सर्वश्री राम इंन्टर कालेज, दौराला
१५	जनता वैदिक इंटर कालेज, बड़ौत
१६	वीर स्मारक इन्टर कालेज, बड़ौत
१७	शीलचन्द्र इन्टर कालेज, अमीननगर
१८	सर्वहितकारी इन्टर कालेज, मीतली गोरीपुर
१९	म० मना० मा० इन्टर कालेज, खेकड़ा
२०	जैन इन्टर कालेज, खेकड़ा
२१	श्री कृष्ण इन्टर कालेज, बालेनी
२२	एम० जी० राम० इन्टर कालेज, बुद्धपुर रमाला
२३	जनता इन्टर कालेज, सूजरा
२४	गा० स्मारक इन्टर कालेज, ढकौली
२५	जनता इन्टर कालेज, लूम्ब
२६	मुसलिम ज० इन्टर कालेज, असारा
२७	यमुना इ० का०, बागपत

विधान सभा

क्रम-सं०	विद्यालय का नाम
२८	इं० का० सखरपुर खेकड़ी
२९	के० एम० आर० इ० का० खामपुर लुहारी
३०	गा० इ० का० खेकड़ा
३१	देवना इ० का० खटटा प्रहलादपुर
३२	धनौरा इं० का० सिलवर नगर
३३	आ० इं० का० डला
३४	शाहमल हा० से० स्कूल, बिजरौल
३५	डी० ए० वी० इं० का०, टटीरी
३६	जनता हा० से० स्कूल, पलडी
३७	कृषक इन्टर कालेज, मवाना
६८	नवजीवन इन्टर कालेज, मवाना
३९	जी० एम० जी० इन्टर कालेज, परीक्षितगढ़
४०	वहजत इन्टर कालेज, लोदीपुर
४१	नवजीवन इन्टर कालेज, महखूमा
४२	के० पी० उ० मा० विद्यालय, महलवाला
४३	कृषि उ० मा० विद्यालय, जयसिंहपुर
४४	हापुड़ इन्टर कालेज, हापुड़
४५	एम० एस० वी० इन्टर कालेज, हापुड़
४६	सी० एण्ड आई० इन्टर कालेज, हापुड़
४७	आर० एस० के० इन्टर कालेज, सिम्भावली
४८	एल० बी० वी० इन्टर कालेज, सतारपुर
४९	एस० एच० एल० एन० इन्टर कालेज, उपेठा
५०	एम० एच० इन्टर कालेज, अवस्याना
५१	अशोक इन्टर कालेज, सराजा (मेरठ)
५२	चण्डी विद्यालय इन्टर कालेज, पिलखुआ
५३	सर्वोदय इन्टर कालेज, पिलखुआ
५४	आर० एस० एस० इन्टर कालेज, धौलाना
५५	पटेल स्मारक इन्टर कालेज, धौलाना
५६	स० प० इन्टर कालेज, सदभादत
५७	भवानी बालिका उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, हापुड़
५८	हिन्दू कन्या इन्टर कालेज, पिलखुआ
५९	रघुनाथ गर्ल्स इन्टर कालेज, मेरठ
६०	इसमाईल गर्ल्स इन्टर कालेज, मेरठ

विधान सभा

क्रम-सं०	विद्यालय का नाम
६१	हार्वड गर्ल्स इन्टर कालेज, मेरठ
६२	आर्य कन्या इन्टर कालेज, मेरठ
६३	आर्य कन्या इन्टर कालेज, सदर मेरठ
६४	जगदीश शरण राजवंशी गर्ल्स इन्टर कालेज, मेरठ
६५	भारतीय गर्ल्स इन्टर कालेज, सदर मेरठ
६५	गुरु नानक गर्ल्स इन्टर कालेज, कंकर खेड़ा
६७	सनातन धर्म इन्टर कालेज, लालकुर्ती मेरठ
६८	सुशीला गर्ल्स इन्टर कालेज, गाजियाबाद
६९	मोदी गर्ल्स इन्टर कालेज, मोदीनगर
७०	फैज-ए-आम इन्टर कालेज, मेरठ
७१	नानकचन्द इन्टर कालेज, मेरठ
७२	डी० ए० वी० इन्टर कालेज, मेरठ
७३	देवनागरी इन्टर कालेज, मेरठ
७४	एस० एस० डी० इन्टर कालेज, मेरठ
७५	नव भारत विद्यापीठ, प्रतापपुर
७६	किसान इन्टर कालेज, महीउद्दीनपुर (मेरठ)
७७	डी० एस० वी० इन्टर कालेज, डोरही
७	सनातन धर्म इन्टर कालेज, कांकरखेड़ा
७९	एल० एम० इन्टर कालेज, कंकरखेड़ा
८०	सर्वोदय इन्टर कालेज, पांचली खुर्द
८१	बी० एम० एम० इन्टर कालेज, मऊ खास
८२	श्री भारती विद्यालय हा० से० स्कूल, मेरठ
८३	डी० ए० वी० हा० से० स्कूल, सदर मेरठ
८४	श्री राम सहाय विद्यालय, मेरठ
८५	श्री महावीर शिक्षा सदन, मेरठ
८६	सेन्ट जोजफ हा० से० स्कूल, मेरठ (कैंट)
८७	शम्भू दयाल इन्टर कालेज, गाजियाबाद
८८	श्री सनातन धर्म इन्टर कालेज, गाजियाबाद
८९	श्री गांधी स्मारक इन्टर कालेज, पतला
९०	श्री कृष्ण इन्टर कालेज, निवाड़ी
९१	के० एस० इन्टर कालेज, मुरादनगर
९२	मोदी साइंस एण्ड कामर्स कालेज, मोदीनगर
९३	सेठ कुन्दन लाल इन्टर कालेज, गाजियाबाद

विधान सभा

क्रम-सं० विद्यालय का नाम

९४—नानकचन्द जनता इन्टर कालेज, सौदा

९५—लौनी इन्टर कालेज, लौनी

९६—आध्यात्मिक नगर इन्टर कालेज

९ —आजाद मेमोरियल इन्टर कालेज, डालना

९८—गांधी स्मारक इन्टर कालेज, मडौला

९९—महर्षि दयानन्द गोविन्दपुरी

१००—इब्राहम इन्स्टीट्यूट, गाजियाबाद

१०१—नेहरू स्मारक उ० मा० वि०, सुराना

१०२—आ० हा० से० स्कूल, फरीदनगर

१०३—तुलसी हा० से० स्कूल, मोदीनगर ।

जिला देहरादून

१०४—एम० के० पी० इन्टर कालेज, देहरादून (मुक्त नहीं किया गया)

जिला मथुरा

१०५—चम्पा अग्रवाल उ० मा० वि०, मथुरा

१०६—क्लैन्सी उ० मा० वि० मथुरा

जिला मैनपुरी

१०७—कुंवर राम चन्द्र कन्या इं० का०, मैनपुरी

जिला बरेली

१० —विष्णु इन्टर कालेज, बरेली

जिला मुरादाबाद

१०९—पारकर इन्टर कालेज, मुरादाबाद

११०—एस० एस० इन्टर कालेज, चन्दौसी

१११—फलाहदारेन उ० मा० वि०, मुरादाबाद

११२—एम० ई० मिशन कन्या इं० का०, मुरादाबाद

जिला लखनऊ

११३—क्रिश्चियन इन्टर कालेज, लखनऊ

११४—सेन्टीनियल हा० से० स्कूल, लखनऊ

११५—काल्विन ताल्लुकेदार कालेज, लखनऊ

११६—काली चरण इन्टर कालेज, लखनऊ

११७—लालबाग गर्ल्स इन्टर कालेज, लखनऊ

११८—मुफ्तीगंज, गर्ल्स हा० से० स्कूल, लखनऊ, (मुक्त नहीं किया गया)

११९—गांधी आदर्श विद्यालय, अमांवा, जिला–लखीमपुर खीरी (मुक्त नहीं किया गया)

१२०—बी० बी० एल० सी० इन्टर कालेज, खमरिया

आर्य प्रतिनिधि सभा

नत्थी 'ङ'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या २६ का उत्तर पीछे पृष्ठ ५५५ पर)

जिला आजमगढ़ के सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों की सूची

क्रम सं०	विद्यालय का नाम
	—वैसली इन्टर कालेज, आजमगढ़
२	—एस० के० पी० इन्टर कालेज, आजमगढ़
३	—डी० ए० वी० इन्टर कालेज, आजमगढ़
४	—श्री दुर्गा जी इन्टर कालेज, चण्डेसर
५	—स्मिथ इन्टर कालेज, अजमतगढ़
६	—जीवनराम इन्टर कालेज, मऊनाथ भंजन
७	—डी० ए० वी० इन्टर कालेज, मऊनाथ भंजन
८	—मुस्लिम इन्टर कालेज, मऊनाथ भंजन
९	—बापू इन्टर कालेज, कोपागंज
१०	—विवट्री इन्टर कालेज, दोहरी घाट
११	—शहीद इन्टर कालेज, मधुबन
१२	—एस० एस० वी० इन्टर कालेज, अमिला
१३	—महराज गंज इन्टर कालेज, महराजगंज
१४	—गांधी इन्टर कालेज, कूवा
१५	—एस० के० जी० एन० इन्टर कालेज, लालगंज
१६	—विन्देश्वरी इन्टर कालेज, तुलसीनगर
१७	—गयादीन जायसवाल इन्टर कालेज, खुरासो
१८	—सी० बी० इन्टर कालेज, तरवा
१९	—हीरा लाल मेमोरियल इन्टर कालेज, भरौली
२०	—टाउन इन्टर कालेज, मुहम्मदाबाद गोहना
२१	—जनता इन्टर कालेज, रानीपुर
२२	—एस० बी० इन्टर कालेज, तेरही कप्तानगंज
२३	—गांधी इन्टर कालेज, बरदह
२४	—जनता इन्टर कालेज, अहरौला
२५	—गांधी इन्टर कालेज, मारुरपुर
२६	—गांधी इन्टर कालेज, मालटारी
२७	—सर्वोदय इन्टर कालेज, गजियापुर
२८	—उद्योग इन्टर कालेज, कोयलसा
२९	—बी० आर० के० इन्टर कालेज, बलीदपुर
३०	—श्री सुभाष इन्टर कालेज, करखिया
३१	—ग्राम समाज इन्टर कालेज, जयनगर जिपनी
३२	—इन्टर कालेज, तहवरपुर
३३	—जनता इन्टर कालेज, निजामाबाद
३४	—श्री शंकर जी इन्टर कालेज, पुष्पनगर
३५	—जनता शिक्षा निकेतन इन्टर कालेज, बुधारी
३६	—सर्वोदय इन्टर कालेज, धौसी
३७	—जनता इन्टर कालेज, ठेकमा बिजौली
३८	—जनता इन्टर कालेज, अम्बारी

विधान सभा

क्रम सं०	विद्यालय का नाम
३९	श्री शंकर इन्टर कालेज, डीहा
४०	श्रीमती तपेश्वरी देवी जायसवाल इन्टर कालेज, सरदहा
४१	नेशनल इन्टर कालेज, अदरी इन्दारा
४२	लोक शिक्षा परिषद् इन्टर कालेज, सरदहा
४३	एस० बी० इन्टर कालेज, सिपाह
४४	तरुण इन्टर कालेज, कुण्डा कुचाई
४५	के० एम० इन्टर कालेज, ओरा
४६	श्री मथुरा इन्टर कालेज, नाहरपुर
४७	राष्ट्रीय इन्टर कालेज, चिरैया कोट
४८	विक्रम इण्टर कालेज, मोहम्मदपुर सगड़ी
४९	एम० पी० इन्टर कालेज, मुबारकपुर
५०	गांधी इन्टर कालेज, दरगाह
५१	श्री वैष्णव हरिदास इन्टर कालेज, शेरपुरकुटी
५२	के० पी० इन्टर कालेज, मार्टिनगंज
५३	बी० डी० आर० इन्टर कालेज, खारगपुर
५४	श्री शंकर जी इन्टर कालेज, गटबागहजां
५५	बन अवध इन्टर कालेज, ललितपुर लुदुही
५६	शबिली उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, आजमगढ़
५७	एस० एन० उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, मोहम्मदपुर मठ
५८	नेशनल उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, मोहम्मदपुर सदर
५९	यदुनाथ उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, बहादुरपुर
६०	पटेल स्मारक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, अतरौलिया
६१	बी० एस० उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, मितूपुर
६२	पंचायत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, गौरा मोहनगर
६३	जी० पी० उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, जगदीशपुर
६४	जनता उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, मोहनाजपुर
६५	जे० एल० एन० उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, बड़ागांव
६६	एम० ए० टी० उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, अतजान शहीद
६७	उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, नदवा सराय
६८	पंचायत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, रेण्डा
६९	गांधी गुरुकुल उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, भंवरनाथ
७०	आदर्श उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, अवंती गौरी
७१	सी० एस० एस० डी० उच्तर माध्यमिक विद्यालय, कुरंगा

(बालिकाओं के विद्यालय)

७२—अग्रसेन कन्या इन्टर कालेज, आजमगढ़
७३—निसवां कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, पहाड़पुर, आजमगढ़
७४—सोनोथापा कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, मऊनाथ भंजन

नत्थी 'च'

बाराबंकी तथा बुढ़वल चीनी मिलों पर गन्ना मूल्य तथा उपकर/क्रयकर का बकाया ३१-७-१९७२ तक का (लाख रुपयों में)

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या २ का उत्तर पीछे पृष्ठ ५६२ पर)

(लाख रुपयों में)

क्रम-संख्या	मिल का नाम	गन्ना मूल्य: पुरानी बकाया	गन्ना मूल्य: १९७०-७१ का बकाया	गन्ना मूल्य: योग (स्तम्भ ३+४)	उपकर/क्रयकर: पुरानी बकाया	उपकर/क्रयकर: १९७०-७१ का बकाया	उपकर/क्रयकर: योग (स्तम्भ ६+७)	कुल योग (स्तम्भ ५-+-८)
१	२	३	४	५	६	७	८	९
१	बाराबंकी							
	अतिरिक्त गन्ना मूल्य ..	०-६८						
	गन्ना मूल्य	३१-४२						
		३२-१०	×२-७०	३४-८०	*३७-२८	(×)३-७८	४१-०६	
२	बुढ़वल							
	अतिरिक्त गन्ना मूल्य ..	=२-६८						
	गन्ना मूल्य	४२-०५						
		४४-७३	× १७-८५	६२-५८	*८-२०	(×)३-७८	११-९८	७४-५६
				९७-३८			५३-०४	१५०-४२

× बाराबंकी तथा बुढ़वल चीनी मिलों पर दिनांक १५-४-७१ तक की स्थिति पर वसूली प्रमाण पत्र दि० १-५-७१ को जारी किया गया है।

= बुढ़वल मिल के अतिरिक्त गन्ना मूल्य के लिये उच्च न्यायालय से रोधनादेश प्राप्त कर लिया है।

* पुरानी बकाया के लिये वसूली प्रमाण-पत्र जारी किये जा चुके हैं।

(×) नई की वसूली के लिये मांग-पत्र भेजे जा चुके हैं।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

तालिका 'ब'

मिल मजदूरों के बकाया धन का विवरण

(१) मेसर्स राम चन्द्र ऐंड सन्स शुगर मिल्स प्रा०लि० बाराबंकी के मजदूरों का देय धन

		रु०	पै०
(१)	१–११–६९ से ३०–१०–७० तक की अवधि का बकाया वेतन ..	२,५२,८००—	००
(२)	जून, ७१ का बकाया वेतन	७,१६६—	९३
(३)	जुलाई १ व २, १९७१ का बकाया वेतन ..	५,०००—	००
(४)	३१–१०–७० का अनक्लेम्ड बकाया वेतन ..	६,६२४–	०३
(५)	१–११–७० से मई ७१ तक का अनक्लेम्ड बकाया वेतन ..	१,०३८—	५०
(६)	फरवरी ७१ से अप्रैल ७१ तक का बकाया ओवर टाइम ..	८,४५२—	६०
(७)	२–७–७१ तक का रिटेनिंग अलाउन्स का बकाया धन ..	३५,०००—	००
(८)	वर्ष १९६८–६९ का बोनस ..	१४,०००—	००
(९)	वर्ष १९६९–७० का बोनस ..	७५,०००—	००
(१०)	वर्ष १९७०–७१ का बोनस ४ प्रतिशत की दर से ..	७०,०००—	००
(११)	३१–१०–६८ तक का अनक्लेम्ड बोनस ..	३,८०६—	७८
	योग ..	४,७८,८८८—	८४

(२) मेसर्स बुढ़वल शुगर मिल्स कं० लि०, (बाराबंकी) के मजदूरों का देय धन

		धनराशि लाख में
(१)	वर्ष १९६९–७० का बोनस ..	०–६५
(२)	द्वितीय वेतन मंडल का बकाया	२–००
(३)	ग्रेच्युटी	०–३८
(४)	वर्क-मेंस कम्पनसेशन	०–०७
(६)	अवकाश, फिटमेंट, वेतन वृद्धि का बकाया	०–१०
	योग ..	३–२०

नत्थी 'छ'

(देखिये पीछे पृष्ठ ५७७ पर)

उत्तर प्रदेश हाई स्कूल तथा इंटरमीडिएट कालेज (अध्यापकों तथा अन्य कर्मचारियों के वेतन का भुगतान) विधेयक, १९७१

(जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा पारित हुआ तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद द्वारा संशोधित किया गया)

(विधेयक में से निकाले जाने वाले शब्द, अंक या वाक्य कोष्ठकों [ ] में कर दिये गये हैं और नये बढ़ाये गये शब्द, अंक या वाक्य रेखांकित————कर दिये गये हैं)

राज्य निधि से सहायता प्राप्त करने वाले हाई स्कूलों तथा इंटरमीडिएट कालेजों के अध्यापकों और अन्य कर्मचारियों के वेतन के भुगतान को विनियमित करने और तत्सबंधी विषयों की व्यवस्था करने के लिये,

विधेयक

भारत गण राज्य के बाइसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:—

संक्षिप्त नाम, [तथा] प्रसार तथा आरम्भ

१—(१) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश हाई स्कूल तथा इंटरमीडिएट कालेज (अध्यापकों तथा अन्य कर्मचारियों के वेतन का भुगतान) अधिनियम, १९७१ कहलायेगा ।

(२) इसका प्रसार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा ।

(३) यह अधिनियम प्रथम अगस्त, १९७१ से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा ।

२—जब तक कि प्रसंग द्वारा अन्यथा अपेक्षित न हो, इस अधिनियम में—

(क) "निरीक्षक" का तात्पर्य जिला विद्यालय निरीक्षक और किसी बालिका संस्था के संबंध में यथास्थिति, जिला बालिका विद्यालय निरीक्षिका या सम्भागीय बालिका विद्यालय निरीक्षिका से है और प्रत्येक दशा में इसके अन्तर्गत इस अधिनियम के अधीन निरीक्षक के समस्त या किन्हीं कृत्यों का सम्पादन करने के लिए राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी भी है;

(ख) "संस्था" का तात्पर्य किसी ऐसी मान्यता प्राप्त संस्था से है जिसे तत्समय राज्य सरकार से अनुरक्षण अनुदान प्राप्त होता है [किन्तु धारा १० के प्रयोजनों के लिये इसके अन्तर्गत धारा ५ की उपधारा (१) के प्रतिबन्धात्मक खंड में अभिदिष्ट संस्था नहीं है];

(ग) "अनुरक्षण अनुदान" का तात्पर्य किसी संस्था के ऐसे सहायक अनुदान से है, जिसे राज्य सरकार तदर्थ सामान्य या विशेष आदेश द्वारा संस्था के स्तर के समुपयुक्त अनुरक्षण अनुदान माने जाने के लिए निदेश दे;

(घ) किसी संस्था के संबंध में "प्रबन्धाधिकरण" का तात्पर्य प्रशासन योजना के, यदि कोई हो, अनुसार संघटित प्रबन्ध समिति से है, और इसके

अन्तर्गत प्रबन्धक या ऐसा अन्य व्यक्ति भी हैं, जिसमें संस्था के [कार्य कलापों) कार्यकलाप का प्रबन्ध तथा संचालन निहित हो,

(ङ) किसी संस्था के "अध्यापक" का तात्पर्य ऐसे प्रिंसिपल, प्रधानाध्यापक अथवा अन्य अध्यापक से है जिसके सेवायोजन के संबंध में राज्य सरकार द्वारा उस संस्था को अनुरक्षण अनुदान दिया जाता हो, और इसके अन्तर्गत कोई ऐसा अन्य अध्यापक भी है जो संस्था की मान्यता की या उसकी किसी नये विषय में या उसकी किसी उच्चतर कक्षा के लिये मान्यता की शर्तों को पूरा करने के निमित्त अथवा किसी वर्तमान कक्षा में निरीक्षक के अनुमोदन से कोई नया अनुभाग खोलने के फलस्वरूप सेवायोजित हो;

(च) किसी संस्था के "कर्मचारी" का तात्पर्य ऐसे गैर-शिक्षक कर्मचारी से है जिसके सेवायोजन के संबंध में अनुरक्षण अनुदान राज्य सरकार द्वारा संस्था को दिया जाता हो,

(छ) किसी अध्यापक या कर्मचारी के "वेतन" का तात्पर्य अनुरक्षण अनुदान के भुगतान के प्रयोजनार्थ अनुमोदित दरों पर उसे तत्समय देय उपलब्धियों के कुल योग से है जिनके अन्तर्गत महंगाई या अन्य भत्ता भी है,

(ज) ऐसे अन्य शब्दों तथा पदावलियों के जो इंटरमीडिएट शिक्षा अधिनियम, १९२१ में परिभाषित हैं, किन्तु यहां पर परिभाषित नहीं हैं, वही अर्थ होंगे जो उक्त अधिनियम में उनके लिये दिये गये हैं। संयुक्त प्रांत अधिनियम संख्या २, १९२१

समय के भीतर और अप्राधिकृत कटौतियां किये बिना वेतन का भुगतान

३—(१) किसी प्रतिकूल संविदा के होते हुए भी, किसी संस्था के किसी अध्यापक या अन्य कर्मचारी का ३१ मार्च, १९७१ के पश्चात् की किसी अवधि के संबंध में वेतन उस माह के, जिसके या जिसके किसी भाग के संबंध में वह देय हो, आगामी माह के बीसवें दिन, अथवा उससे पूर्व के ऐसे दिन जो राज्य सरकार तदर्थ सामान्य या विशेष आदेश द्वारा निश्चित करें, की समाप्ति के पूर्व उसे दिया जायेगा।

(२) वेतन का भुगतान बिना किसी प्रकार के कटौतियों के, सिवाय उनके जो विनियमों द्वारा या इस अधिनियम के अधीन बनाये गये किन्हीं नियमों द्वारा अथवा तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा प्राधिकृत हों, किया जायेगा।

निरीक्षण आदि करने का अधिकार

४—(१) निरीक्षक, किसी समय, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये, किसी संस्था का निरीक्षण कर सकता है अथवा निरीक्षण करा सकता है या उसके अध्यापकों या कर्मचारियों के वेतन के भुगतान के संबंध में उसके प्रबन्धाधिकरण से ऐसी सूचना और अभिलेख (जिसके अन्तर्गत रजिस्टर, लेखा बही तथा वाउचर भी हैं) मांग सकता है अथवा उसके प्रबन्धाधिकरण को ऐसे वित्तीय औचित्य के सिद्धांतों का अनुपालन करने के लिये कोई निदेश (जिसके अन्तर्गत किसी अध्यापक या कर्मचारी की छटनी करने अथवा अनावश्यक व्यय को रोकने के लिये कोई निदेश भी है) दे सकता है, जिसे वह उचित समझे।

(२) जब उपधारा (१) के अधीन कोई निदेश किसी अध्यापक या कर्मचारी की छटनी करने के लिये दिया जाय तो उसका अनुपालन इंटरमीडिएट शिक्षा अधिनियम, १९२१, व विनियमों के उपबन्धों अथवा यथास्थिति, उसकी सेवा की शर्तों के अनुसार किया जायेगा।

कतिपय संस्थाओं की दशा में वेतन का भुगतान करने की प्रक्रिया

५—(१) प्रत्येक संस्था का प्रबन्धाधिकरण अपने अध्यापकों तथा कर्मचारियों के वेतन का वितरण करने के प्रयोजनार्थ किसी अनुसूचित बैंक में एक पृथक लेखा खोलेगा जो प्रबन्धाधिकरण के किसी प्रतिनिधि द्वारा और निरीक्षक या ऐसे अन्य अधिकारी द्वारा, जो निरीक्षक द्वारा तदर्थ प्राधिकृत किया जाय, संयुक्त रूप से परिचालित किया जायेगा ।

प्रतिबन्ध यह है कि लेखा खोले जाने के पश्चात् निरीक्षक यदि उसका, इस अधिनियम के अधीन बने किन्हीं नियमों के अधीन रहते हुये, यह समाधान हो जाय कि लोक हित में ऐसा करना इष्टकर है, बैंक को यह अनुदेश दे सकता है कि लेखों का परिचालन केवल प्रबन्धाधिकरण के प्रतिनिधि द्वारा किया जायेगा, और ऐसे अनुदेश को किसी समय बिखंडित कर सकता है :

अग्रेतर प्रतिबन्ध यह है कि उपधारा (२) के प्रतिबन्धात्मक खंड में अभिदिष्ट दशा में अथवा जब वेतन के वितरण में प्रबन्धाधिकरण की किसी चूक के कारण कठिनाई उत्पन्न हो, तो निरीक्षक बैंक को यह अनुदेश दे सकता है कि लेखा केवल उसके द्वारा या ऐसे अन्य अधिकारी द्वारा, जो उसके द्वारा तदर्थ प्राधिकृत किया जाय, परिचालित किया जायेगा, और ऐसे अनुदेश को किसी समय बिखंडित कर सकता है।

(२) प्रबन्धाधिकरण ऐसे शुल्क के रूप में, जो राज्य सरकार के तदर्थ सामान्य या विशेष आदेशों क अनुसार अनुरक्षण निधि का भाग होती है, छात्रों से प्राप्त धनराशि का अस्सी प्रतिशत या यदि [निरीक्षक] राज्य सरकार या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी वितरित की जाने वाली धनराशियों की अपेक्षता को ध्यान में रखते हुए उससे अधिक प्रतिशत के लिये निदेश दे तो ऐसा उच्चतर प्रतिशत, जैसा वह निदेश दे, उक्त लेखों में, ऐसे दिनांक तक जो निरीक्षक द्वारा सामान्य या विशेष [आदेश] आदेशों द्वारा निर्दिष्ट किया जाय, जमा करेगा :

प्रतिबन्ध यह है कि यदि उपर्युक्त प्रकार के उक्त प्रतिशत में शुल्क जमा न किया जाय तो निरीक्षक आदेश द्वारा प्रबन्धाधिकरण को छात्रों से कोई शुल्क वसूल करने से प्रतिषिद्ध कर सकता है और तदुपरान्त निरीक्षक शुल्क को (या तो संस्था के अध्यापकों के माध्यम से अथवा ऐसी अन्य रीति से जिसे वह उचित समझ) सीधे छात्रों से वसूल कर सकेगा और इस प्रकार वसूल किये गये शुल्क को उक्त लेखे में जमा करेगा ।

(३) अनुरक्षण अनुदान की समस्त धनराशि और निःशुल्कता तथा अन्य तत्सदृश रियायतों की प्रतिपूर्ति के लिये अनुदान के अस्सी प्रतिशत या ऐसे उच्चतर प्रतिशत को राज्य सरकार या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी तदर्थ सामान्य अथवा विशेष आदेश द्वारा निश्चित करे, की [समस्त] धनराशि राज्य सरकार द्वारा उक्त लेखों में जमा की जायेगी ।

(४) उक्त लेखों में जमा की गई धनराशि का प्रयोग सिवाय निम्नलिखित प्रयोजनों के लिये नहीं किया जायगा, अर्थात्—

(क) [इस अधिनियम के प्रारम्भ होने] ३१ मार्च, १९७१ के पश्चात् की किसी अवधि के संबंध में देय होने वाले उक्त वेतनों का भुगतान;

(ख) अध्यापकों तथा कर्मचारियों के भविष्य निधि खातों में संस्था के अंशदान, यदि कोई हो, को जमा करना;

[(ग) कोई अन्य व्यय जिसके लिये राज्य सरकार या राज्य सरकार द्वारा तदर्थ प्राधिकृत कोई अधिकारी निदेश दें।]

और प्रत्येक वर्ष जुलाई मास के अन्त में खाते में अवशेष धनराशि का ऐसा अंश जो संस्था के अध्यापकों तथा कर्मचारियों को उस अवधि तक, जिसके लिये छात्रों से शुल्क वसूल किया जा चुका हो, के वेतन के भुगतान के दायित्व को पूरा करने के बाद उनके एक महीने के वेतन के योग से अतिरिक्त हो, प्रबन्धाधिकरण को संस्था पर व्यय के लिये दे दिया जायेगा ।

(५) किसी अध्यापक या कर्मचारी के वेतन का भुगतान उक्त लेखों से उसी बैंक में उसके लेखों में, यदि कोई हो, धनराशि का अन्तरण करके, या यदि उसका उस बैंक में कोई लेखा न हो, तो चेक द्वारा किया जायगा ।

(६) किसी ऐसे स्थान के संबंध में, जहां कोई अनुसूचित बैंक न हो, इस धारा के उपबन्ध ऐसे परिष्कारों के साथ लागू होंगे जिन्हें राज्य सरकार गजट में अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट करे, और इस धारा में किसी बैंक के लिये अभिदेश उस दशा में किसी डाकघर बचत बैंक के लिये अभिदेश समझे जायेंगे ।

उपबन्धों तथा निदेशों का प्रवर्तन

६—(१) यदि निरीक्षक का किसी संस्था का उसके अभिलेखों का निरीक्षण करने के आधार पर अथवा अन्य प्रकार से यह समाधान हो जाय कि उसके प्रबन्धाधिकरण ने धारा ४ के अधीन दिये गये किसी निदेश का या धारा ३ अथवा धारा ५ के किसी उपबन्ध का अनुपालन करने में चूक की है तो वह सम्भागीय शिक्षा उपनिदेशक को यह सिफारिश कर सकता है कि उस संस्था के विरुद्ध उपधारा (२) के अधीन कार्यवाही की जाय ।

(२) उपधारा (१) के अधीन सिफारिश प्राप्त होने पर सम्भागीय शिक्षा उपनिदेशक प्रबन्धाधिकरण को उक्त निदेश या उपबन्ध का अनुपालन करने के लिये अथवा एक सप्ताह के भीतर यह कारण बतलाने के लिये कह सकता है कि क्यों न प्रबन्धाधिकरण का अतिक्रमण कर दिया जाय ।

(३) यदि प्रबन्धाधिकरण उपर्युक्त का अनुपालन न करे या कारण न बताये अथवा सम्भागीय शिक्षा उपनिदेशक बताये गये कारण को अपर्याप्त समझे, तो वह आदेश द्वारा प्रबन्धाधिकरण का एक वर्ष से अनधिक ऐसी अवधि के लिये, जो आदेश में निर्दिष्ट की जाय, अतिक्रमण कर सकता है और किसी व्यक्ति को (जिसे आगे प्राधिकृत नियंत्रक कहा गया है) उक्त अवधि के लिये संस्था का प्रबन्ध अपने हाथ में लेने के लिये प्राधिकृत कर सकता है ;

प्रतिबन्ध यह है कि सम्भागीय शिक्षा उपनिदेशक जहां वह ऐसा करना आवश्यक या इष्टकर समझे—

(१) समय-समय पर उक्त अवधि बढ़ा सकता है, किन्तु इस प्रकार बढ़ाई गई अवधि कुल मिलाकर पांच वर्ष से अधिक न हो, या;

(२) किसी भी समय उक्त आदेश को विखंडित कर सकता है :

अग्रेतर प्रतिबन्ध यह है कि पूर्ववर्ती प्रतिबन्धात्मक खंड के खंड (२) की किसी बात से इस धारा के अधीन या आदेश देने के संबंध में कोई रुकावट न होगी ।

(४) उपधारा (३) के अधीन कोई आदेश दिये जाने पर प्राधिकृत नियंत्रक प्रबन्धाधिकरण को अपवर्जित करके और केवल सम्भागीय शिक्षा उपनिदेशक, निदेशक या राज्य सरकार के आदेशों के, यदि कोई हों, अधीन रहते हुए, प्रबन्धाधिकरण के सभी अधिकारों का प्रयोग और सभी कृत्यों का सम्पादन, जिसके अन्तर्गत संस्था की या उसमें निहित सम्पत्ति का प्रबन्ध भी है, करेगा, और विशेष रूप से, धारा ५ में अभिदिष्ट बैंक के लेखे का परिचालन अकेले करेगा :

प्रतिबन्ध यह है कि इस धारा की किसी बात से यह नहीं समझा जायगा कि इससे प्राधिकृत नियंत्रक को किसी ऐसी सम्पत्ति का (प्रबन्ध के सामान्य क्रम में माह प्रतिमाह किराये पर लेने के सिवाय) अन्तरण करने या उसे भारित करने (सिवाय राज्य सरकार से संस्था के लिये कोई सहायक अनुदान प्राप्त करने की शर्त के रूप में) का अधिकार प्राप्त होता है ।

(५) इस धारा के अधीन दिया गया कोई आदेश या निदेश, संस्था के प्रबन्ध और नियंत्रण से (जिसके अन्तर्गत कोई प्रशासन योजना भी है) या उसकी अथवा उसमें निहित सम्पत्ति से संबंधित किसी अन्य अधिनियमित या करण में दी गई किसी असंगत बात के होते हुए भी प्रभावी होगा ।

अपील

७—धारा ६ की उपधारा (३) के अधीन प्रबन्धाधिकरण का अतिक्रमण करने के सम्भागीय शिक्षा उप निदेशक के आदेश के विरुद्ध अपील प्रबन्धाधिकरण को आदेश संसूचित किये जाने के दिनांक से एक माह के भीतर निदेशक के पास की जा सकती है, और निदेशक ऐसी अग्रेतर जांच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे वह आवश्यक समझे या तो उस आदेश को रद्द कर सकता है या उसकी पुष्टि कर सकता है या उसे परिष्कृत कर सकता है और अपील का निस्तारण होने तक, आदेश का प्रवर्तन ऐसी शर्तों पर, यदि कोई हो, जिसे वह उचित समझे, स्थगित कर सकता है ।

पुनरीक्षण

८—राज्य सरकार धारा ७ के अधीन निदेशक द्वारा निर्णीत किसी अपील के अभिलेख को, निदेशक द्वारा दिये गये किसी आदेश के सही होने या उसके औचित्य के संबंध में अपना समाधान करने के प्रयोजनार्थ मंगा सकती है और उसका परीक्षण कर सकती है और वह उस पर ऐसा आदेश दे सकती है, जिसे वह उचित समझे :

प्रतिबन्ध यह है कि किसी संस्था के प्रबन्धाधिकरण का अतिक्रमण करने या उसके अतिक्रमण की अवधि को बढ़ाने के लिये इस धारा के अधीन कोई आदेश तब तक नहीं दिया जायेगा जब तक कि प्रबन्धाधिकरण को प्रस्तावित आदेश के विरुद्ध कारण बताने का अवसर न दे दिया जाय ।

बोर्ड के कतिपय कार्य के लिये राज्य सरकार का अनुमोदन

९—(१) इंटरमीडिएट शिक्षा अधिनियम, १९२१ में निहित किसी बात के होते हुये भी मान्यता की शर्तों को संशोधित करने वाला कोई विनियम और किसी संस्था को [नई मान्यता या] किसी नये विषय में अथवा उच्चतर कक्षा के लिये [उसे] मान्यता देने का बोर्ड का कोई आदेश तब तक प्रभावी न होगा जब तक कि वह राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित न कर दिया जाय ।

(२) किसी ऐसे आपत्काल में जिसमें, राज्य सरकार की राय में, यह अपेक्षित हो कि तत्काल कार्यवाही की जानी चाहिये, तो राज्य सरकार यह निदेश दे सकती है कि कोई ऐसी मान्यता देने के संबंध में बोर्ड के अधिकार उसके सभापति

द्वारा प्रयोग किये जायेंगे, और तदुपरान्त सभापति, उक्त अधिनियम में निहित किसी बात के होते हुये भी, उक्त अधिनियम की धारा १३ में अभिदिष्ट मान्यता समिति को उसे अभिदिष्ट किये बिना ऐसे अधिकार का प्रयोग कर सकता है।

(३) यदि राज्य सरकार उप-धारा (२) के अधीन कोई निदेश जारी करे तो वह यदि उचित समझे यह भी निदेश दे सकती है कि सभापति ऐसे निकाय से परामर्श करेगा जो राज्य सरकार द्वारा तदर्थ संघटित किया जाय।

वेतन के संबंध में दायित्व

१०—(१) राज्य सरकार प्रत्येक संस्था के अध्यापकों और कर्मचारियों के ऐसे वेतन के भुगतान के लिये उत्तरदायी होगी जो ३१ मार्च, १९७१ [इस अधिनियम के प्रारम्भ होने] के पश्चात् किसी अवधि के संबंध में देय हो।

(२) राज्य सरकार ऐसी धनराशि को जिसके लिये उसके द्वारा उपधारा (१) के अधीन दायित्व उपगत हो उस संस्था की या उसमें निहित सम्पत्ति [से] की आय की कुर्की द्वारा वसूल कर सकती है मानों वह धनराशि संस्था द्वारा देव मालगुजारी की कोई बकाया हो।

(३) इस धारा की किसी बात से अध्यापक या कर्मचारी के प्रति किन्हीं ऐसे देयों के लिये संस्था के दायित्व का अल्कपीरण नहीं समझा जायेगा।

दंड, शास्ति तथा प्रक्रिया

११—(१) यदि धारा ४ के अधीन किसी निदेश का अथवा धारा ३ या धारा ५ के उपबन्धों का अनुपालन करने में कोई चूक की जाय तो प्रत्येक ऐसे व्यक्ति को, जो चूक की जाने के समय, प्रबन्धक था अथवा किसी ऐसे अन्य व्यक्ति को, जिसमें संस्था का प्रबन्ध और कार्य-संचालन करने का प्राधिकार निहित था, जब तक कि वह यह सिद्ध न कर दे कि चूक उसकी जानकारी के बिना हुई थी अथवा उसने ऐसी चूक की जाने को रोकने के लिये सभी प्रकार की यथोचित सावधानी बरती थी, धारा ३ के उपबन्धों के अनुपालन में चूक करने की दिशा में अर्थ दण्ड दिया जायेगा जो एक हजार रुपये तक हो सकता है और कोई अन्य चूक करने की दशा में कारावास का दंड दिया जायेगा जो छः माह तक हो सकता है या अर्थ दंड दिया जायेगा जो एक हजार रुपये तक हो सकता है अथवा दोनों दंड दिये जायेंगे।

(२) कोई भी न्यायालय सम्भागीय शिक्षा उप-निदेशक की पूर्व स्वीकृति के सिवाय इस धारा के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का संज्ञान नहीं करेगा।

(३) इस धारा के अधीन प्रत्येक अपराध संज्ञेय होगा किन्तु कोई पुलिस अधिकारी जो उप-अधीक्षक के पद से नीचे का हो, प्रथम श्रेणी के मैजिस्ट्रेट के आदेश के बिना किसी ऐसे अपराध का न तो अनुसंधान करेगा न वारन्ट के बिना उसके लिये गिरफ्तारी करेगा।

(४) कोई भी न्यायालय जो प्रथम श्रेणी के मैजिस्ट्रेट से नीचे का हो, इस धारा के अधीन किसी अपराध का संज्ञान नहीं करेगा।

अपवाद

१२—इस अधिनियम द्वारा प्रदत्त या इसके अधीन किसी अधिकार का प्रयोग करके राज्य सरकार, निदेशक, सम्भागीय शिक्षा उप-निदेशक या निरीक्षक या अन्य अधिकारी द्वारा दिये गये किसी आदेश या निदेश पर किसी न्यायालय में कोई आपत्ति नहीं की जाएगी।

स्थानीय प्राधिकरणों आदि द्वारा अनुरक्षित संस्थाओं के संबंध में छूट

१३—इस अधिनियम की कोई बात किसी स्थानीय प्राधिकरण द्वारा या रेलवे प्रशासन द्वारा अथवा किसी ऐसे अन्य औद्योगिक उपक्रम द्वारा, जिसका स्वामी भारत सरकार या राज्य सरकार हो या जिस पर उसका नियंत्रण हो, अनुरक्षित संस्थाओं पर लागू न होगी ।

सद्भावना से किये गये कार्यों के लिये संरक्षण

१४—इस अधिनियम या तद्धीन बनाये गये किसी नियम या दिये गये किसी आदेश या निदेश के अनुसरण में सद्भावना से किये गये या किये जाने के लिये अभिप्रेत किसी कार्य के संबंध में राज्य सरकार, निदेशक, सम्भागीय शिक्षा उप-निदेशक, निरीक्षक, प्राधिकृत नियंत्रक या किसी अन्य व्यक्ति के विरुद्ध कोई वाद, अभियोग या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं की जायेगी ।

कठिनाइयां दूर करने का अधिकार

१५—(१) यदि इस अधिनियम के उपबन्धों को प्रभावी बनाने में, या इस अधिनियम में किसी बात के होने के कारण, कोई कठिनाई उत्पन्न हो तो राज्य सरकार, अवसर की अपेक्षानुसार, गजट में अधिसूचना द्वारा ऐसे प्रासंगिक या आनुषंगिक उपबन्ध, जिसके अन्तर्गत इस अधिनियम के या इंटरमीडिएट शिक्षा अधिनियम, १९२१ के या विनियमों के किसी उपबन्धों का अनुकूलन या परिष्कार करने का उपबन्ध भी है, किन्तु जिससे सार पर प्रभाव न पड़े, बना सकती है जो वह इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये आवश्यक या इष्टकर समझे ।

(२) उप-धारा (१) के अधीन कोई आदेश इस अधिनियम के प्रारम्भ से तीन वर्ष की समाप्ति पर नहीं किया जायेगा ।

(३) उप-धारा (१) के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, यथासंभव शीघ्र, राज्य विधान मंडल के दोनों सदनों के समक्ष रखा जायेगा ।

नियम बनाने का अधिकार

[१५] १६—(१) राज्य सरकार गजट में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकती है ।

(२) इस अधिनियम के अधीन बनाये गये सभी नियम, बनाये जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र, राज्य विधान मंडल के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब उसका सत्र हो रहा हो, उसके एक सत्र या एकाधिक आनुक्रमिक सत्रों में कुल चौदह दिन की अवधि पर्यन्त रखे जायेंगे और, जब तक कि कोई बाद का दिनांक निर्धारित न किया जाय सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से, ऐसे परिष्कारों, अभिशन्यनों के अधीन रहते हुए प्रभावी होंगे जो विधान मंडल के दोनों सदन उक्त अवधि में करने के लिये सहमत हों किन्तु इस प्रकार का कोई परिष्कार या अभिशून्यन सम्बद्ध नियमों के अधीन पहले की गई किसी बात की वैधता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न डालेगा ।

निरसन तथा अपवाद

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या ३, १९७१

[१६] १७—(१) उत्तर प्रदेश हाई स्कूल तथा इंटरमीडिएट कालेज (अध्यापकों तथा अन्य कर्मचारियों के वेतन का भुगतान) अध्यादेश, १९७१, उत्तर प्रदेश हाई स्कूल तथा इंटरमीडिएट कालेज (अध्यापकों तथा अन्य कर्मचारियों के वेतन का भुगतान) (द्वितीय) अध्यादेश, १९७१ तथा उत्तर प्रदेश हाई स्कूल तथा इंटरमीडिएट कालेज (अध्यापकों तथा अन्य कर्मचारियों के वेतन का भगतान) (संशोधन) अध्यादेश, १९७१ एतद्द्वारा निरसित किये जाते हैं ।

(२) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेशों के अधीन किया गया कोई कार्य या की गयी कोई क्रिया इस अधिनियम के अधीन किया गया कार्य या की गई क्रिया समझी जायेगी मानों यह अधिनियम १६ जनवरी, १९७१ को प्रवृत्त हो गया था ।

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या ७, १९७१

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या १०, १९७१

विधान सभा उत्तर प्रदेश

उद्देश्य तथा कारण

बहुधा ऐसे परिवाद किये गये हैं कि सहायता प्राप्त गर सरकारी उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों तथा शिक्षणेतर कर्मचारियों को उनका वेतन समय पर नहीं दिया जाता है और इस कारण इन कर्मचारियों को कठिनाई उठानी पड़ती है। ऐसी संस्थाओं के प्रबन्धाधिकरणों को समय-समय पर दिये गये अनुदेश प्रभावकारी नहीं सिद्ध हुए। इस विधेयक द्वारा इस कठिनाई को दूर करने तथा वेतन का नियमित तथा समय पर भुगतान सुनिश्चित कराने के साथ ही नियमों का उल्लंघन करने वाले प्रबन्धाधिकरणों का अतिक्रमण करने एवं उन्हें दंडित करने की व्यवस्था की गई है।

तदनुसार यह विधेयक पुरःस्थापित किया जाता है।

रामजी लाल सहायक,
शिक्षा मंत्री।

विधान सभा उत्तर प्रदेश

पी० एस० यू० पी०—ए० पी० १५८-एल० ए०—१९७२—८४५।